सप्तम माला, 22 April 1982

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Sixth-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 28, आठवां सत्र, 1982/1904 (शक)

अंक 41, गुरुवार, 22 अप्रैल, 1982/2 वैशाख, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 820 और 825 से 830	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—220
तारांकित प्रश्न संख्या : 821 से 824 और 831 से 837	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8998 से 9042, 9044 से 9133 और 9135 से 9231	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	221--224
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	224—236
बोकारो के लिए चूना ले जाने वाले माल डिब्बों में तथा नगलिया सादत और गया में कोयला ले जाने वाले माल डिब्बों में वायु सेना के राकेटों के पाये जाने तथा धनबाद में विस्फोटकों का पकड़ा जाना	
श्री भोगेन्द्र झा	224
श्री आर० वेंकटरामन	224
श्री नवल किशोर शर्मा	233
कार्य मंत्रणा समिति 29वां प्रतिवेदन	236—238

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 239—2

(एक) उड़ीसा में रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये एक निर्माण कार्यालय खोलने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक 239

(दो) कुतुब मीनार की सीढ़ियों की मरम्मत में विलम्ब

श्री तारिक अनवर 239

(तीन) समीपवर्ती राज्यों से राजस्थान के लिए अधिक बिजली देने की व्यवस्था के लिए कदम

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 240

(चार) राजस्थान में पलाना ताप-बिजली परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

श्री अशोक गहलोत 241

(पांच) तमिलनाडु में कोडाईकनाल में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

श्री कुमबुम एन• नटराजन 242

(छः) बिहार में लोक स्वास्थ्य रक्षा योजना को जारी रखने की आवश्यकता

प्रो० अजीत कुमार मेहता 243

(सात) मध्य प्रदेश में श्यामगढ़ अथवा नागदा में गैस पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना

श्री सत्यनारायण जटिया 243

वित्त विधेयक, 1982 244—327

विचार करने का प्रस्ताव

श्री प्रणब मुखर्जी 244

श्री सोमनाथ चटर्जी 249

श्री जयदीप सिंह 265

श्री हरीश रावत 271

श्री सन्तोष मोहन देव 275
श्री कमालुद्दीन अहमद 279
श्री अशफाक हुसैन 283
श्री कैयूर भूषण 285
श्री सुन्दर सिंह 288
श्री के० मायातेवर 295
प्रो० सत्यदेव सिंह 299
श्री गिरधारी लाल व्यास 304
श्री कमल नाथ झा 310
श्री गिरधारी लाल डोगरा 314
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर 321
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 327

लोक-सभा

गुरुवार, 22 अप्रैल, 1982/2 वैशाख 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों के यहां आने का विचार नहीं था ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : लोग कहते हैं कि इतना लम्बा सेशन चलता है, इसलिए ऐसा होता है ।

श्री समर मुखर्जी : छुट्टी की इच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही लगता है । श्री अर्जुन सेठी

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मलयेशिया में नागरिकता विहीन भारतीय

*820. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया में भारतीय मूल के ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने मलयेशियाई नागरिकता प्राप्त नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मलयेशिया में नागरिकता विहीन लोगों को भारत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या भारत सरकार को भारतीय मूल के इन लोगों से उनके द्वारा उठाई जा रही कुछ कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे नागरिकता विहीन लोगों को वहाँ पुन: प्रवेश का कम से कम एक वर्ष की अवधि, न कि छ: माह की अवधि के लिये, जैसाकि इस समय है, का वीसा जारी कराने के लिए मलयेशिया अधिकारियों को राजी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) मलयेशिया में भारतीय मूल के लोगों की कुल संख्या करीब 13 लाख है उनमें से अधिकांश ने यानी करीब 10 लाख लोगों ने मलयेशिया की नागरिकता ले ली है । बाकी लोगों में से ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं । भारतीय मूल के राज्य विहीन लोगों की संख्या सिर्फ 20 से 40 हजार के बीच होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) संसद की प्राक्कलन समिति के समक्ष यह अभ्यावेदन किया गया था कि मलयेशिया में भारतीय मूल के राज्य विहीन व्यक्तियों को यात्रा दस्तावेजों के प्रदान किये जाने में

प्रतिबन्ध के मामले में, उनके पुन: प्रवेश परमिटों में 6 महीने की सीमित अवधि के मामले में तथा भारत पहुंचने पर पुलिस में पंजीकरण करने तथा भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पंजीकरण के मामले में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।

संसद की प्राक्कलन समिति ने इन सब दिक्कतों पर विचार किया था और 29 मार्च, 1982 को उसने अपनी सिफारिशों के साथ यह रिपोर्ट सरकार के विचारार्थ लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी जिस पर सरकार सक्रिय रूप मे विचार कर रही है ।

(ङ) एक नवम्बर, 1981 से मलयेशिया के प्राधिकारी ऐसे सभी व्यक्तियों को एक वर्ष की अवधि का पुन: प्रवेश वीसा जारी कर रहे हैं जिन्हें मलयेशिया में स्थायी निवास का अधिकार है, चाहे उनका राष्ट्रीय दर्जा कुछ भी हो । कुआलालम्पुर स्थित हमारे मिशन ने अब मलयेशिया के प्राधिकारियों से इस बात की पुष्टि कर ली है कि वास्तव में राज्य विहीन व्यक्तियों को एक वर्ष का पुन: प्रवेश वीसा दिया जायेगा ।

श्री अर्जुन सेठी : जैसे कि मन्त्री महोदय ने कहा है, प्राक्कलन समिति ने मलेशिया के राज्य विहीन भारतीयों की समस्याओं का अध्ययन किया है । विदेश मन्त्रालय के सचिव ने समिति के सामने आश्वासन दिया था कि रजिस्ट्रेशन भारत प्रवेश तथा पुलिस सत्यापन की जटिल प्रक्रिया को गृह मन्त्रालय के परामर्श से सरल बनाया जायेगा । इस किस्म का आश्वासन विदेश मंत्रालय के सचिव ने समिति के सामने दिया था । इस संदर्भ में क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रक्रिया सरल कर दी गयी है ?

श्री पी० शिवशंकर : इस मामले को गृह मन्त्रालय के साथ उठाया गया है और उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री अर्जुन सेठी : प्राक्कलन समिति ने जिस दूसरी समस्या का अध्ययन किया वह भारतीय महिलाओं की गर्भावस्था परीक्षण के दौरान होने वाली परेशानी तथा तीन महीनों तक अपने पति के साथ ठहरने के लिए 500 डालर जमा करने के बारे में है । इस समिति ने इस प्रश्न को उठाया था । क्या मंत्रालय ने इस मामले को मलेशिया सरकार के साथ उठाया है ताकि यह निन्दनीय प्रथा समाप्त हो जाये ।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक भारतीय मिशन का सम्बन्ध है, यह इन समस्याओं को समय-समय पर मलेशिया सरकार के साथ उठाती आ रही है ।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट तथा सिफारिशों का अध्ययन हो रहा है और अध्ययन पूरा होने के बाद इसके अनुफलतार्थ कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न: 821—श्री अनन्त रामुलु मल्लु—उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न संख्या 822—श्री नीलालोहिथादसन नाड़ार—उपस्थित नहीं ।

प्रश्न संख्या 823—श्री रामन्ना राय—उपस्थित नहीं ।

प्रश्न संख्या 824—श्री वी० किशोरचन्द सत्यदेव—उपस्थित नहीं ।

कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में रेल लाइनों पर व्यय की गयी धनराशि

*825. **श्री डी० के० नायकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में महाराष्ट्र और केरल की तुलना में पिछले तीन वर्षों में रेल की लाइनों के विकास पर रेलवे के बजट की कुल धनराशि में से कितना व्यय किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कर्नाटक के लिये बजट में केरल और महाराष्ट्र के अनुपात में आवंटन नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि कर्नाटक में रेल लाइनों का विकास केरल और महाराष्ट्र के बराबर नहीं है तो सरकार समानता लाने के दृष्टिकोण से क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

नयी रेल लाइनों के निर्माण तथा मौजूदा लाइनों के आमान परिवर्तन के मामले में निवेश करने के निर्णय राज्य-वार अथवा क्षेत्र-वार अवधारण के आधार पर नहीं लिये जाते । ये निर्णय क्षेत्र से प्राप्त होने वाले यातायात, क्षेत्र के प्रत्याशित औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादों में संभावित वृद्धि, आदि विभिन्न पहलुओं और इनके अलावा परियोजना की वित्तीय अर्थ क्षमता पर आधारित होते हैं । अतः राज्यों के बीच समानता, जैसाकि सुझाव दिया गया है, बनाये रखना व्यवहारिक नहीं है । अनुबन्ध 'क' पर रखे गये विवरण में 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल राज्यों के लिए अनुमोदित नई रेल लाइन और आमान परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाओं की कुल लागत, 31-3-82 तक खर्च की गयी राशि और 1982-83 के लिए परिव्यय की राशि दिखायी गयी है । यह उल्लेखनीय है कि आवंटन रेलों की जरूरतों के अनुसार किये जाते हैं, राज्य-वार नहीं ।

अनुबन्ध क

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम और वर्ष, जिसमें परियोजना शामिल की गयी थी	राज्य	नवीनतम लागत	31-3-82 तक खर्च की गयी राशि (गत तीन वर्षों के भीतर)	1982-83 के लिए परिव्यय
1.	एर्णाकुलम-अल्लेपी नयी लाइन (1979-80)	केरल	16.47	2.87	3.00
2.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नयी लाइन (1981-82)	कर्नाटक	20.20	0.10	0.30
3.	मैसूर-बेंगलूरु आगान परिवर्तन (1979-80)	कर्नाटक	27.60	2.70	0.50
4.	धर्मावरम-बेंगलूरु शहर, गुंतकल्लु-धर्मावरम आमान परिवर्तन सहित (1972-73)	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	27.60	2.70	0.50
5.	पुराने माधवनगर को मुख्य लाइन पर लाना (1980-81)	महाराष्ट्र	2.25	.0002	0.05
6.	दिवा-बसई रोड नयी लाइन (1972-73)	,,	29.50	11.49	2.97
7.	आप्ता-रोहा नयी लाइन (1978-79)	,,	15.01	10.63	1.00
8.	वाणी-पिम्पलाकुटी-चनाका नयी लाइन (1973-74)	,,	8.5	4.55	2.50
9.	मनमाड-परभनी-पुर्ली-वेजनाथ आमान परिवर्तन (1973-74)	,,	70.00	1.50	0.45
10.	मानिकगढ़-चांदूर नयी लाइन (1979-80)	,,	7.26	0.73	1.00
11.	मिरज-सांगली पुनः स्थापना (1980-81)	,,	2.37	.0002	0.05

श्री डी० के० नायकर : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि रेल बजट में महाराष्ट्र राज्य के लिए आवंटित राशि कर्नाटक राज्य की तुलना में बहुत अधिक है । मंत्री महोदय द्वारा बताया गया मापदण्ड विवेकपूर्ण आधारों पर आधारित नहीं है । इन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की आशा नहीं है और कोई यातायात नहीं है, इसलिए राशि का आवंटन महाराष्ट्र से कम है । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वहां अधिक उद्योग स्थापित होते जा रहे हैं और यातायात भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं ? नई लाईनें बिछाने तथा बड़ी लाईनें बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : तीन वर्षों के अन्दर कर्नाटक में एक ही नई लाईन का काम शुरू किया गया और एक लाईन के बदलने का काम भी शुरू किया गया है । नई लाईन चित्र दुर्ग से राजदुर्ग के बीच की है और बंगलौर से मैसूर वाली लाईन को बदला जाना है ।

जहां तक कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के आवंटित राशि की तुलना का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र में इन तीन वर्षों के दौरान केवल तीन ही लाईनें ली गयीं, अर्थात् एक मणिगढ़ से चंदूर, दूसरी माधवनगर को मेन लाईन से मिलाने वाली लाईन और तीसरी मिराज से सांघली । इस तीन वर्षों के दौरान ये तीन लाईन परियोजनायें ली गयी हैं । उनके लिये आवटित राशि भी बहुत कम है ।

परियोजनाओं को हाथ में लेते समय रेल के उद्योगीकरण तथा लाभप्रदता सहित कृषि उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रखती है । जैसे कि कहा गया है, चित्रदुर्ग से राजदुर्ग के बीच की लाईन की कुल लागत 20.27 करोड़ रुपये होगी तथा बंगलौर-मैसूर लाईन को बदलने का अनुमान 27 करोड़ रुपये का है । वर्ष 1982-83 में चित्रदुर्ग-रायपुर नई लाईन के लिए 30 लाख रुपये तथा लाईन बदलने के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था है ।

श्री डी० के० नायकर : यह एक ऐसा सही उत्तर नहीं है, जिसकी मैं मन्त्री महोदय से आशा रखता था । मंत्री महोदय आन्ध्र प्रदेश के निवासी हैं और हर समय कर्नाटक से आते जाते रहते हैं । वे जानते हैं कि कर्नाटक में बड़ी लाईन है, महाराष्ट्र में बड़ी लाईन है लेकिन कर्नाटक में एक भी बड़ी लाईन नहीं है । अत: कर्नाटक में बड़ी लाईन बनाने पर क्यों विचार नहीं किया गया ? सरकार गूंटूर से मिराज तथा बंगलौर से मिराज के बीच वड़ी लाईन बनाने पर विचार क्यों नहीं करती ? मैं इस बात को स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह एक प्रश्न है या धमकी ?

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमन, यह कर्नाटक के दामाद हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं माननीय सदस्य की इस बात की सराहना करता हूं कि हम सभी

वर्तमान छोटी लाईनों को बड़ी लाईनों में क्यों न बदलें। लेकिन हम सब वितीय कठिनाइयों तथा छठी पंचवर्षीय योजना में राशि का प्रावधान न होने के बारे में जानते हैं। इन लाईन-क्षमता कार्यों (गेज परिवर्तन सहित) के लिए योजना आयोग ने योजना अवधि के लिए केवल 480 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें से चालू कार्यों के लिए 290 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है और सभी ऐसे कार्यों के लिए हमारे पास केवल 290 करोड़ रुपये रह गये हैं। हमारे देश भर में शीघ्र लाईन परिवर्तन के लिए हमारी असमर्थता का कारण यह है।

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या रेलवे विकसित राज्यों के लिए हैं या विकास के लिये। क्या परिवर्तन के लिए सभी रेलवे लाईनें कृषि उत्पादन तथा उद्योग अथवा सिमेंट अथवा किसी अन्य बात पर निर्भर करती हैं? मंत्री अब अपने ही ब्यान का खंडन कर रहे हैं। अत: मैं, मंत्री महोदय से स्पष्ट तौर पर कम से कम यह जानना चाहता हूं कि दक्षिण के अन्य राज्यों से तुलना करते समय क्या सरकार के पास कर्नाटक में रेलवे लाईनें परिवर्तित करने के लिए कोई योजना है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि मंगलौर से मिराज तक की लाईन के परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू किया जा चुका है। मिराज से हुबली तक दक्षिण मध्य रेलवे ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट आने पर इसे उचित जांच के बाद यदि उचित हो तो हम योजना आयोग को भेजेंगे। जैसे कि मेरे सहयोगी कह चुके हैं, वित्तीय कठिनाइयां मुख्य पहलू है। यह सब योजना तथा राशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री डी० के० नायकर : केवल एक स्पष्टीकरण। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री नायकर इसके लिए अनुमति नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या श्री सेठी तथा उनके सहयोगी आपकी बात से प्रभावित हुए हैं लेकिन मैं जरूर हुआ हूं।

रेड क्रास सोसायटी द्वारा नष्ट की गई औषधियां

*826. **श्री राम सिंह शाक्य**
श्री निहाल सिंह } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन रेड क्रास सोसायटी द्वारा प्रत्येक वर्ष विदेशी दानकर्ता अथवा सहयोगी सोसायटियों से लाखों रुपये की बहुमूल्य औषधियां प्राप्त की जाती हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुमूल्य औषधियों की बहुत कमी है और विदेशों में निर्मित ऐसी औषधियां इण्डियन रैड क्रास सोसायटी द्वारा नष्ट की जा रही हैं क्योंकि वह उनका उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर नहीं कर सकी है?

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) भारतीय रेड क्रास को समान्यतया प्रमुख विपदाओं के समय विदेशों सहयोगी सोसाइटियों तथा अन्य दानियों से अनिवार्य औषधियां प्राप्त हुई हैं। कई बार देश के विभिन्न स्थानों से कुछ अनिवार्य औषधियों के विशिष्ट ब्राण्डों की कमी की रिपोर्टें मिलती रहती हैं। वैसे इनमें से अनेक मामलों में इनके समान गुणकारी अन्य औषधियां उपलब्ध होती हैं। भारतीय रेड-क्रास सोसाइटी द्वारा कोई भी बहुमूल्य औषधि नष्ट नहीं की गई है। कतिपय वैक्सीनों को इस कारण से उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि वह माल उस समय मिला था जबकि उसकी उपयोग अवधि समाप्त होने में केवल एक महीना रह गया था और कुछ माल उसकी उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद इस्तेमाल किए बिना क्षेत्र से लौटाया गया था।

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही सवाल हमने 13 मार्च, 1982 को पूछा था कि क्या यह सच है कि इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी की दिल्ली बांच प्रत्येक महीने पहले शनिवार को उस कपड़े की बिक्री करती है जो उसे विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त होता है? तो इन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। और मेरे पास दो रसीदें हैं जो कपड़ा बेचा गया। एक है इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी, दिल्ली ब्रांच की थ्रिफ्ट शौप की रसीद दिनांक 26-10-1981 और दूसरी रसीद है 2-4-1982 की। यह पक्की रसीदें हैं। और यह उत्तर देते हैं कि नहीं। और यहां बेचा गया है। तो यह रसीदें सही हैं या जो उत्तर दिया गया है वह सही है? फिर ऐसे ही उत्तर दिया कि नष्ट नहीं की जाती हैं, जबकि मुझे मालूम है कि नष्ट की जाती हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसी औषधियां जिन पर डेट आफ ऐक्सपायरी नहीं रहती है उन औषधियों का आप क्या करते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये पहले प्रश्न का नष्ट की जा रही अथवा नष्ट की जाने वाली औषधियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है।

दूसरे प्रश्न के बारे में, हम कह चुके हैं कि कुछ औषधियों को अवधि समाप्त होने पर नष्ट किया जाना चाहिए था। 1979 में वी. ऐ. बी. नामक एक औषधि के मामले में कुछ 65,756 खुराकों में से, जो अक्तूबर, 1980 में आई थी और जिनकी अवधि नवम्बर, 1980 को समाप्त होनी थी, 19750 खुराकों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इस प्रकार की औषधि का उपयोग अवधि समाप्त होने से पहले करना पड़ता है। यह औषधि इस देश में जब आई तो उसकी अवधि का केवल एक ही महीना रह गया था और इसका उपयोग न हो सका। ऐसी स्थिति में ऐसी औषधियों को नष्ट ही करना पड़ता है।

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा था बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिन पर डेट आफ ऐक्सपायरी नहीं होती है, उनका आप क्या करते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह ऐक्सपायर नहीं होतीं।

श्री बी० शंकरानन्द : यह बात ठीक है कि जिस औषधि अथवा वैक्सीन में समाप्त होने की अवधि नहीं अंकित होती है तो इसके प्रभाव की परीक्षा किये बिना इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय जितनी दवाइयां बाहर से आती हैं हवाई अड्डे पर वह वहां सालों पड़ी रह जाती हैं और भेज नहीं पाते हैं। और जब भेजते भी हैं तो उनकी डेट खत्म हो जाती है। तो ज्यों ही वह दवाइयां आवें उनको जल्दी से जल्दी विभिन्न प्रान्तों को भेज दिया जाए, ऐसी व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य को यह धारणा है कि जब भी माल आये, तो उसी माल की खेप को शीघ्र भेजा जा सकता है। औषधियों की खेपों का भेजना हर राज्य तथा विपदा से प्रभावित क्षेत्रों की जरूरतों पर निर्भर करता है।

जैसा माननीय सदस्य सोचते हैं इसको वैसा नहीं किया जा सकता।

श्रीमती कृष्णा साही : एक सर्वे के मुताबिक 118 मिलियन बच्चे हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। उन अंडर नरिश्ड बच्चों के लिए रेडक्रास सोसाइटी द्वारा जो विदेशी दानकर्त्ताओं एवं सहयोगियों से दवाएं प्राप्त होती हैं, उन औषधियों को हमारे प्रखंडों, औषधालयों में देहातों में वितरण के लिए भेजा जाता है, लेकिन उनका समय पर वितरण नहीं होता है। क्या मंत्री महोदय इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करेंगे कि वह दवाएं बर्बाद न हों और वह अंडर नरिश्ड बच्चों को समय पर मिल जाया करें ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न तक ही सीमित नहीं रहे। इसमें रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा प्राप्त की गयी दवाईयों तथा सम्बन्धित राज्यों को भेजने का सन्दर्भ दिया गया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारे देश में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन, रेडक्रास सोसाइटी और दूसरी विभिन्न संस्थाओं से काफी मात्रा में दवाएं आती हैं, परिवार नियोजन सम्बन्धी और इसके साथ ही साथ बच्चों के सम्बन्ध में। यह दवाएं गांवों में बच्चों के लिए और उसके यथायोग्य बच्चों के लिए भेजी जाती हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों में ये दवाएं भेजी जाती हैं, जहां से प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लोग और स्टाफ के लोग वितरित करते हैं।

जो दूरदराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर यह दवाइयां जाती हैं, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट्स वाली दवाएं होती है जो रेफ्रीजरेटर वगैरह के अभाव में रद्द हो जाती हैं, या उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। वहां पर जो गरीब और शोषित वर्ग के लोग होते हैं, क्या उनको दवाएं वितरित करने में कोई भेद भी किया जाता है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मेरे पास ऐसी किसी भी प्राप्ति की सूचना नहीं है जो इस देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित हो और जो रेडक्रास सोसाइटी द्वारा प्राप्त की गयी हो। अतः प्रश्न के इस भाग का उत्तर मैं नहीं दे सकता। जहां तक देश में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्यमान भेदभाव का सम्बन्ध है जिसका कि उन्होंने आरोप लगाया है, यदि माननीय सदस्य ऐसे भेदभाव की सूचना दें तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : रेफ्रीजरेटर और दूसरे उपकरण जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं और इसकी वजह से दवाएं एक्सपायर कर दी जाती हैं, क्या सरकार की ओर से ऐसे प्रावधान बनाये गये हैं या सरकार ऐसा सोच रही है कि वहां दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रीजरेटर और अन्य उपकरण भेजे जायें ?

श्री बी० शंकरानन्द : प्रशीतक यन्त्र को प्रभावी तथा कार्यशील अवस्था में बनाये रखने के लिए हमें बिजली तथा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इसके बिना हम किसी भी प्रशीतक यन्त्र को नहीं चला सकते। अतः इन परिस्थितियों के अन्तर्गत ऐसी कुछ दवाइयां है जिनको एक दिन के बाद भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ऊर्जा मन्त्री बराबर यह कहते हैं कि हमने हिन्दुस्तान के सारे गांव में बिजली पहुंचा दी।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कहीं नहीं कहा है।

सुरक्षा निगरानी दल

* 827. **श्री बाल कृष्ण रामचन्द्र वासनिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुरक्षा उपाय सुझाने के लिये दो सुरक्षा निगरानी दलों की नियुक्ति की है;

(ख) इन सुरक्षा दलों का गठन कब किया गया था;

(ग) उन्होंने कितने डिवीजनों का दौरा किया;

(घ) क्या उन्होंने अब तक कोई सुरक्षा उपाय सुझाये हैं,

(ङ) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(च) सुरक्षा उपाय कहां तक लागू किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रेलों पर संरक्षा सम्बन्धी प्रावधानों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए रेलवे अधिकारियों के दो उच्च स्तरीय संरक्षा निगरानी दलों का गठन किया गया है।

(ख) इन दलों का गठन 2-2-82 को किया गया था।

(ग) 44 (चवालिस)

(घ) से (च) इन दलों का मुख्य कार्य रेल कर्मचारियों तथा अधिकारियों में संरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने के उपाय सुनिश्चित करना है। इस कार्य के लिए ये दल स्टेशनों, यार्डों, रेलपथ, पुलों, लोको शेडों, सिगनल स्थापनाओं का गहन निरीक्षण कर रहे हैं। ये दल स्थानीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों के साथ अपने निष्कर्षों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं ताकि इन दलों के नोटिस में आयी त्रुटियों तथा कमियों को तत्काल दूर किया जा सके।

श्री बाल कृष्ण रामचन्द्र वासनिक : क्या मन्त्री इन दलों के गठन के बारे में बता सकते हैं और क्या इन दलों द्वारा दिये गये सुझावों के परिणाम अब तक सन्तोषजनक रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : हाल ही में फरवरी के महीने में दो उच्च शक्ति प्राप्त सुरक्षा निगरानी दलों का गठन किया गया है और उनकी संरचना यह है कि इनमें मैकेनिकल इन्जिनियरिंग, सिविल इन्जिनियरिंग, सिगनलिंग तथा दूरसंचार व परिचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है और इन सभी क्षेत्रों के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों से गठित किया गया है। वे सुरक्षा सावधानियां बरतने तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए—विशेष रूप से जैसा इस सभा के सामने—रेल मन्त्री ने कहा है तथा हम सभी इस बारे में चिन्तित हैं जहां तक उनके सुझावों का सम्बन्ध है उन्होंने 44 प्रखण्डों का दौरा किया है तथा उन्होंने स्टेशनों, यार्ड्स तथा मार्शलिंग, सिगनलिंग तथा दूरसंचार तंत्र आदि के यार्ड्स के विभिन्न निरीक्षण किये है। अन्त में उन्होंने कुछ टिप्पणियां की तथा मैकेनिकल इन्जिनियरिंग तथा सिविल इन्जिनियरिंग तथा दूसरे विषय के सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिये।

अब इस उच्च शक्ति प्राप्त सुरक्षा दल द्वारा दिये सुझावों पर विचार किया जा रहा है जिन पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी तथा स्थापना निदेशालय आदि के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों के बारे में अनुदेश जारी किये जा चुके हैं। सरकार दुर्घटनाओं को रोकने तथा पुनरावृत्ति होने के बारे में बहुत अधिक चिन्तित है।

श्री बाल कृष्ण रामचन्द्र वासनिक : रेलवे में दुर्घटना होने का एक मुख्य कारण मानव असफलता है। क्या मैं जान सकता हूं कि अपनी सिफारिशों में क्या उन्होंने इस पहलू पर भी सुझाव दिये हैं?

श्री मल्लिकार्जुन : यह सत्य है कि जहां तक रेल-दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है इनका सबसे बड़ा कारण मानव असफलता ही है। दल द्वारा दी गई टिप्पणियां ये हैं। पहले दुर्घटना की जाँच पूरी करनी चाहिए तथा इसके बाद यह देखा जाना चाहिए कि कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती। कर्मचारियों के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था, परिचालन सम्बन्धी मामलों के अतिरिक्त दूसरे मामलों के सम्बन्ध में भी। उन्होंने ये विचार प्रकट किये।

श्री सत्यनारायण जटिया : यह बधाई की बात है कि रेल मंत्रालय ने दुर्घटनाओं को टालने के लिए या व्यवस्था में सुधार करने के लिए दो निगरानी दलों का गठन किया है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, इन दलों ने 44 स्थानों का दौरा किया है। इन दलों ने जो कमियां बताई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए रेगुलर स्टाफ पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि इन दलों के सुझावों का इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या रेल मंत्रालय अलग से कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है।

रेल मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : अब वस्तुतः हमने सुरक्षा एवं शिक्षण निदेशालय को दो अलग निदेशालयों में विभक्त कर दिया है, एक सुरक्षा के लिए तथा एक शिक्षण के लिए। इसी प्रकार से यह खण्डों के स्तर तक किया जायेगा और हम एक पृथक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। रेल विभाग में अधिकारियों तथा मानव शक्ति की कोई कमी नहीं है अतः सुरक्षा दल द्वारा दिये गये सुझावों को वर्तमान कर्मचारियों से ही कार्यान्वित किया जा सकता है और जहाँ कहीं कमियां पायी गयी—पहले दौरे में उन्होंने कमियों की ओर ध्यान दिलाया है तथा दूसरे दौरे में वे मूल्यांकन करेंगे तथा विभिन्न प्रखंडों का मूल्यांकन करेंगे। यह सारी योजना है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : श्री सेठी को इस बात का श्रेय है कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है दुर्घटनायें कम हो गयी है। मैं आशा करता हूं कि आज कोई दुर्घटना न हो। इसका श्रेय दूसरे मन्त्रियों को भी जाता है।

श्री फूलचन्द वर्मा : क्या एक्सिडेंट वास्तव में कम हो गये हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : पता नहीं आज हो जाये।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : कितनी अपवित्र इच्छा।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : अपवित्र ? मैंने तो प्रशंसा की है और वे उसे मेरे ऊपर ही फैंक रहे हैं कुछ भी हो मैं अपनी टिप्पणी को वापिस लेता हूं परन्तु महोदय मैं चाहूंगा···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी नहीं है यह तो प्रशसा है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : जी हां। मैंने प्रशंशोक्ति की थी परन्तु वे प्रशंशोक्ति को समझते नहीं वे सोचते हैं कि हमें हर समय उन पर आक्रमण ही करना चाहिए। केवल तभी वे खुश होते हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० शिवशंकर : आपने कहा है कि हो सकता है आज कोई दुर्घटना न हो। **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : परन्तु यदि आज कोई दुर्घटना हो जाती है तो इससे कल परेशानी हो जायेगी। **(व्यवधान)**

मैं मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने इस सुरक्षा दल के बारे में पहले ही प्रैस-रिपोर्ट देखी है। परन्तु हमें पता चला है कि बम्बई उपनगरीय सेवाओ में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया और वास्तव में इस क्षेत्र की सभी भंयकर दुर्घटनायें इसी स्थान पर हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है क्या उपनगरीय संगणक यातायात पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : बम्बई के साथ तरजीह वाला बर्ताव क्यों किया जाना चाहिए ?

श्री पी० सी० सेठी : हाल ही में मैंने बम्बई उपनगरीय यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया था और मैंने वहां पर माननीय सदस्य से विस्तृत चर्चा की थी। जो कुछ कमियां हमें नजर आयीं उन पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा। हम उपनगरीय रेल सेवाओं से सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री कमल नाथ : पिछले दो वर्षों से हमने इस सभा में भी तथा प्रेस में भी कई बार सुना है कि सुरक्षा मूल्यांकन करने तथा सुरक्षा उपायों के सुझाव देने के लिए दल गये हुए हैं। परन्तु जैसा कि मुझे बताया गया है, इन दलों में कई बार उन लोगों को सम्मिलित किया गया है, जिनको परिचालन का कोई ज्ञान नहीं है। यदि 12 लोगों को लाटरी के आधार पर चुना है बजाये इसके उनका इस बात के आधार पर मूल्यांकन किया जाता कि उनको परिचालन का ज्ञान है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने यह नहीं सुना कि अनभिज्ञता में आनन्द होता है ?

श्री कमल नाथ : मुझे मालूम है महोदय और मैं इसी आनन्द की बात कर रहा हूं।

कुल नतीजा यह निकला कि पिछले दो वर्षों में जितने अधिक दल गये हैं उतनी ही अधिक दुर्घटनायें हो रही हैं। इन दलों को भेजना बन्द करना एक अच्छा विचार हो सकता है।

कुछ भी हो, ये दल कुछ सुझावों के साथ वापस आये हैं मैं आशा करता हूं और अनुमान लगाता हूं कि वे अच्छे सुझाव हैं और मंत्री ने कहा है कि उन पर विचार किया जा रहा है और उनको कार्यान्वित किया जायेगा। सुझावों के बावजूद भी कार्यान्वयन नहीं हो पाता। इन सुझावों को जो सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं, कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? इनके कार्यान्वयन पर नजर कैसे रखी जायेगी क्या उसके लिए ऐसे कदम उठाने का विचार किया

जा रहा है ताकि उनको वास्तव में में और सच्चे अर्थों में सकारात्मक रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

श्री पी० सी० सेठी : इन दलों का गठन 2 फरवरी 1982 को ही किया गया था। अतः इन दलों द्वारा पिछले दो वर्षों से दौरे पर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पूर्वव्याप्ति नहीं हो सकती ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनको श्री कमलनाथ की विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिए उनको मालूम है कि दुर्घटनाओं के क्या कारण होते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : रेलवे के बारे में उन्हें पूरी-पूरी जानकारी है।

श्री पी० सी० सेठी : ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने लोगों को लाटरी के आधार पर लिया है। परिवहन, दूर संचार, इन्जिनियरिंग मैकेनिकल इन्जिनियरिंग, सिगनलिंग से···वरिष्ठ अधिकारी···

श्री कमल नाथ : खान पान विभाग से नहीं।

श्री पी० सी० सेठी : खान पान विभाग दुर्घटनाओं के क्षेत्र में नहीं आता।

श्री कमल नाथ : लोग खान पान विभाग से भी गये हैं।

श्री पी० सी० सेठी : महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लोग लिए गये हैं।

जहां तक इन दलों की सिफारिशों का सम्बन्ध है। उन पर महा प्रबन्धक के स्तर से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही साथ इन दलों के साथ बोर्ड में भी नियमित रूप से बैठकें बुलायी जा रही हैं ताकि इनके द्वारा की गयी सिफारिशों पर अमल किया जा सके। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम जिन सुझावों को हमने स्वीकार किया है उनको कार्यान्वित करेंगे।

श्री फूलचन्द वर्मा : मंत्री महोदय ने बताया कि 44 डिवीजनों का आपके सुरक्षा दल ने अवलोकन किया और जो विभिन्न खामियां थीं उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह सुरक्षा दल विभिन्न स्थानों पर जो गया था क्या वह रेल से गया था या हवाई जहाज से गया था ? अक्सर यह होता है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तो हवाई जहाज से सफर करते हैं और हमारे सेठी जी रेल मंत्री होने के बाद भी रेल से इन्दौर जाते हैं। इसलिए रेल में सुधार करने के लिए हवाई जहाज से जाना पड़े यह जरा विचारणीय प्रश्न हो जाता है। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं।

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से वैस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों ही

गुजरती है, आपकी जानकारी में भी यह होगा और मेरी जानकारी में तो है ही, हम दोनों एक ही स्थान से आते हैं, क्या यह सही है कि इन दोनों रेलवेज में विशेषकर तीन पत्ती के जुए खेलने वाले लोग रहते हैं ? अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति से 3 हजार रुपये छीन लिए गए लेकिन उसको पकड़ा नहीं गया। तो क्या रेलवे सुरक्षा दल की जांच में ये सब बातें भी आएंगी या नहीं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह प्रश्न मूल प्रश्न पर नहीं उठाया गया है।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो सवाल में ही आ गया।

श्री फूल चन्द वर्मा : जवाब कुछ तो आना चाहिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता है।

श्री फूल चन्द वर्मा : मैंने यह तो नहीं कहा कि सिर मुंड़ाते ही ओले पड़े। आप जैसे ही रेल मंत्री बने रेल दुर्घटना हो गई।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री बनते ही रेल दुर्घटना बन्द हो गई।

बर्मा की जेलों में भारतीय बन्दी

*828. **श्री चिन्तामणि जेना †**
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा की जेलों में अनेक भारतीय बन्दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीयों की संख्या क्या है और वे बर्मा की जेलों में कब से बन्दी हैं ; और

(ग) बर्मा की जेलों में बन्दी भारतीयों को रिहा कराने तथा उस देश में भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बर्मा की विभिन्न जेलों में इस समय करीब 160 भारतीय हैं। इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इनमें से करीब 150 व्यक्तियों को बर्मा में अवैध आप्रवासन अथवा अवैध आवास के सिलसिले में नजरबन्द किया गया है।

(ग) उन पर जल्दी मुकदमा चलाने और सजा पूरी हो जाने पर उनकी रिहाई के मामले को बराबर और पुरजोर तरीक से बर्मा के प्राधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर समय-समय

पर उठाया जाता रहा है। हमारी निरन्तर कोशिशों के परिणामस्वरूप सिर्फ पिछले एक वर्ष में ही 34 भारतीयों को रिहा किया गया। रंगून स्थित हमारे राजदूतावास को यह सलाह दी गयी है कि वह इस दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखे और बर्मी प्राधिकारियों पर जोर देकर इस बात की कोशिश करे कि वे अपने नियामक उपायों पर अमल करते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनायें।

विवरण

बर्मा की जेलों में नजरबन्द भारतीयों का ब्यौरा

गिरफ्तारी का वर्ष		संख्या
1965	:	1
1970	:	1
1972	:	1
1973	:	3
1974	:	1
1975	:	47
1976	:	31
1977	:	7
1978	:	37
1979	:	8
1980	:	16
1981	:	5
1982	:	2
	जोड़	160

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 160 भारतीय बर्मा की भिन्न-भिन्न जेलों में बन्द हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान की जेलों में भी 300 लोगों के बन्द होने की बात आपने स्वीकार की थी जिनमें से 40 भारतीय तो ऐसे हैं जोकि सन् 1971 की लड़ाई के बाद आज तक वापिस नहीं आए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी कहा है कि चार प्रिजनर्स आफ वार पाकिस्तान जेलों में हैं।

इसमें मन्त्री जी ने बताया है :

"इनमें से करीब 150 व्यक्तियों को बर्मा में अवैध आप्रवासन अथवा अवैध आवास के सिलसिले में नजरबंद किया गया है।"

इसमें दस लोगों के बारे में आपने नहीं बताया है कि वे किस लिए बन्द हैं? दूसरी बात यह है कि इनमें से कितने लोगों के केसेज का निर्णय हो गया है और जेल की अवधि भी पूरी हो गई है उसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा गया है तो इस सम्बन्ध में भी क्या आपने वहां की सरकार से कोई सम्पर्क किया है या और कोई कार्यवाही की है?

श्री पी० शिवशंकर : अपने उत्तर में मैंने करीब 150 व्यक्तियों के आंकड़े दिये हैं। स्थिति यह है कि कुल 160 व्यक्तियों में से 30 व्यक्ति रहने के अधिकार न होने के कारण अथवा वहां ठहरने के परमिट की वार्षिक शुल्क का भुगतान न कर पाने के कारण विदेशी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत नजरबन्द हैं, 118 व्यक्ति सड़क के रास्ते, बर्मा में अवैध प्रवेश के कारण नजरबन्द है तथा 12 व्यक्ति किसी अवैध अपराधों के कारण नजरबन्द है। इस प्रकार कुल 160 व्यक्ति वहां नजरबन्द हैं।

मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि कितने मामले निपटाए जा चुके हैं या कितने निपटाये जाने की संभावना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बर्मा में हमारे मिशन द्वारा किए गए प्रयासों से 160 व्यक्तियों में से करीब 40 व्यक्तियों के अगले 2 या 3 महीने में रिहा कर दिए जाने की संभावना है।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले पाकिस्तान के सम्बन्ध में अखबारों में छपा था। "हिन्दुस्तान टाइम्स" में यह आया था कि पाकिस्तान के जेलों में 8 भारतीयों की हालत खराब हो गई, उनका मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया। मैं जानना चाहता हूं क्या मन्त्री जी ने, बर्मा की जेलों में जो भारतीय हैं, उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी हासिल की है कि वे किस दशा में हैं? इसके अतिरिक्त वहां पर जो भारतीय छूटे हैं या जो आपने छुड़ाए हैं, उनको स्वदेश लाने की भी आपने कोई व्यवस्था की है?

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों को दूतावास द्वारा काफी सहायता दी जा रही है। हमारे अधिकारी भी जेलों का, विशेषकर रंगून में, दौरा करते हैं। लेकिन दूर-दराज क्षेत्रों जैसे मांडले में संचार-व्यवस्था के अभाव के कारण वहां जाना बहुत कठिन है। वे वहां जाने और उनसे मिलने का प्रयत्न करते हैं तथा उनका नैतिक वर्धन करते हैं। एक पहलू पर विचार करना आवश्यक है वह यह है कि यदि वे सभी भारतीय नागरिक हैं तब अवश्य ही अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए हर तरह से कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन इनमें से बहुत से लोग जो वहां है, वे मूलत: भारतीय है तथा कुछ लोग लम्बे अर्से से वहां बस गए हैं।

उन लोगों को जो भारतीय नागरिक हैं तथा जो सीमा से सीधे जाते हैं, क्योंकि वह बार्डर 1 हजार मील तक फैला हुआ है, ऐसे मूल भारतीयों तथा भारतीय नागरिकों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि पृथकवादी

आन्दोलन चला रहे हैं, उनका अड्डा बर्मा में है तथा श्री विश्वेश्वर सिंह, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ने इसे स्वीकार किया है। इसे ध्यान से रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पी० एल० ए० का कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तथा भारत सरकार उन्हें वहां वापस लाने का प्रयत्न कर रही है।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे गिरफ्तार किए गए पी. एल. ए. के व्यक्तियों का पूरा पता नहीं है। आरम्भ में जो प्रश्न उठाया गया था, वह जेल में बन्द व्यक्तियों के बारे में था। अतः, मैंने उस बारे में ही उत्तर दिया है।

श्री सन्तोष मोहन देव : मेरा प्रश्न है कि क्या वहां कोई पी. एल. ए. का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। वे भी भारतीय नागरिक हैं।

श्री पी० शिव शंकर : यह एकदम ठीक है। मैंने अलग-अलग आंकड़े देकर बताया है, उनसे किसी पी. एल. ए. के व्यक्ति की गिरफ्तारी का पता नहीं चलता क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 30 लोग ऐसे हैं, जो बिना किसी लिखित प्रमाण के वहां हैं। 108 लोग वे हैं जिन्होंने उनके सीमा क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया तथा केवल 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवैध अथवा दण्डनीय अपराध किया।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : बर्मा में जो भारतीय बसे हुए थे उनकी जायदाद का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और उनको जो मुआविजा मिलना चाहिए था, वह अभी तक नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस सवाल से रेलेवेन्ट नहीं है।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : जेल में वे बन्द हैं और उनकी जायदाद ले ली गई है। ब्रिटिश नागरिक जो थे, उनको पैसा मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल की इससे उत्पत्ति नहीं होती है।

एक माननीय सदस्य : आप करा दीजिए उत्पत्ति।

अध्यक्ष महोदय : अननैचुरल कैसे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री एच. एन. नन्जे गौडा।

रेलवे में कम्प्यूटरों का उपयोग आरम्भ करना

*829. **श्री एच०एन० नन्जे गौड़ा** †
श्री कृष्ण कुमार गोयल } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टीट्यूट आफ रेलवे सिगनल एण्ड टेलीकोम्यूनिकेशन इन्जीनियर्स ने मद्रास में

एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था और सरकार को यह सुझाव दिया था कि अब वह उपयुक्त समय आ गया है जब सरकार को रेलवे में बेहतर दक्षता के लिए आरक्षण-कार्य, वैगन नियंत्रण और संचालन-कार्य के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग आरम्भ करने के प्रश्न पर निर्णय ले लेना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के बारे में रेलवे के इन्जीनियरों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर विभिन्न क्षेत्रों में संगणक प्रणाली शुरू करने के मामले पर 27 और 28 मार्च, 1982 को मद्रास में हुई संस्थान की गोष्ठी से आम विचार-विमर्श किया गया था ।

(ख) और (ग) यात्री आरक्षण और माल यातायात के परिचालनों पर नियंत्रण के लिए संगणकीकरण प्रणाली की आवश्यकता पहले ही महसूस की जा चुकी है और इसे रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है । उत्तर रेलवे पर माल यातायात परिचालन प्रबन्ध प्रणाली के लिए एक पायलट अध्ययन दल का गठन किया गया है । दिल्ली क्षेत्र में संगणक द्वारा यात्री आरक्षण करने के लिए एक वैचारिक योजना भी तैयार की जा रही है ।

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : महोदय, मद्रास में हुई विचार-गोष्ठी में व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संस्थान ने, विशेषकर इस मामले में, कोई सिफारिश की है । यदि हां, तो संस्थान ने सरकार को कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि एक पायलट अध्ययन दल का गठन किया गया है । इस दल को कितना अनुभव है तथा क्या उन्होंने भी अन्तरिम या अन्तिम, कोई रिपोर्ट पेश की है । मुझे इस बारे में जानकारी नहीं हैं कि उसका विवरण क्या है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जहां तक इन्स्टीटयूट आफ रेलवे सिगनल एंड टेलिकोम्यूनिकेशन इन्जीनियर्स की मद्रास में हुई बैठक का सम्बन्ध है, वहां कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, बल्कि वहां यह विचार व्यक्त किया गया था कि बहुत समय पहले रेलवे ने आरक्षण तथा माल यातायात पर नियन्त्रण के लिए कम्प्यूटर का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया था । अन्यथा, उसके अतिरिक्त, रेलवे में कम्प्यूटर प्रणाली का उपयोग करने का प्रश्न रेल मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रालय, जैसे इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्रालय में भी लम्बे समय तक चर्चा का विषय बना रहा ।

महोदय, हाल ही में पिछले वर्ष उच्च-स्तरीय संयुक्त दल पर जिसमें आणविक ऊर्जा

विभाग, इलेक्ट्रोनिक विभाग तथा रेलवे के विशेषज्ञ हैं का गठन किया गया है। इस दल को यह कार्य भी सौंपा गया था कि वह विदेशों में जाकर वर्तमान संगणक की दक्षता का पता लगाए। वह दल वापिस आ गया है, उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। रेलवे संगणक प्रणाली अपनाने के लिए उत्सुक है।

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : महोदय, केन्द्र केवल उत्सुक ही नहीं होना चाहिए, उन्हे प्रयास भी करना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इस प्रणाली को लागू करने की कोई योजना बनाई है। यदि हाँ, तो वे देश में योजना लागू करने में कब तक सफल होंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, 'योजना' का अर्थ है कि हम कार्य करने के लिए तैयार है तथा कार्यवाही का अर्थ है कि हमारी कुछ प्रतिक्रिया है—योजना की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया, उसकी यथार्थता पर प्रतिक्रिया।

यह भारी निवेश का प्रश्न है। चूंकि विज्ञान और प्रोद्योगिकी···में उन्नति के कारण ···

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : अनुमानित लागत कितनी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : लोहे के समान और कल-पुर्जे आदि की लागत करीब 200 करोड़ रुपए है। लेकिन वह तो गौण बात है। मुख्य बात तो वह रिपोर्ट है, जो समिति द्वारा दी जाएगी। समिति के सदस्य विदेशों में गए हैं। उनके सुझाव देने के बाद, इससे सम्बद्ध मंत्रालय से इस पर चर्चा की जाएगी। अन्त में यह निर्णय लिया जायेगा कि भारतीय प्रणाली के लिए कौन सी विधि एकदम उपयुक्त है। तब वे इसका अध्ययन करेंगे। अन्ततः अन्तिम निष्कर्ष सामने आ जायेगा। यह सब इतना आसान नहीं कि हम भारतीय रेलों में संगणक का उपयोग कर पाएगें। इसमें दस वर्ष या इससे भी अधिक समय लग सकता है।

डा० बसन्त कुमार पंडित : मंत्री महोदय अपनी प्रतिक्रिया और कार्य पूरा कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। क्या वह हमें बतलाएगें कि चौथे उत्पादन कम्प्यूटरीकरण की लागत का अनुमानित मूल्यांकन क्या है, जिसे छठी योजना के दौरान पूरे होने की संभावना है ? क्या यह सच है विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संस्थानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते समय हुई बातचीत के दौरान यह शर्त रखी गयी है कि रेलवे को चौथे उत्पादन कम्प्यूटरीकरण का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए तथा जिसके बिना ऋण नहीं लिया जा सकता। उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं अनुमानित लागत के बारे में पहले ही बता चुका हूं। यह करीब 200 करोड़ रुपए है। इसे लोहे के सामान तथा कल-पुर्जों आदि के लिए खर्च किया जाएगा। जहां तक माल यातायात के परिचालनों तथा बैंगनों के चलने का सम्बन्ध है, कम्प्यूटरीकरण का समस्त उपयोग उसके पुनर्निवेश करने का है। अब कुछ कारणों से वैगनों को रोक लिया गया है

तथा हमें पुनर्निवेश नहीं मिल रहा है। हमें परिचालन प्रणाली तथा आरक्षण की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जहां तक विश्व बैंक का सम्बन्ध है ; विश्व बैंक ने कम्प्यूटरीकरण के लिए ऐसा कोई दबाव या शर्त नहीं रखी है। लेकिन पिछले वर्ष विश्व बैंक के साथ एक बैठक हुई थी। अभी भी हम मामले पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। विश्व बैंक से ऋण अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त ऋण की अग्रिम राशि पर इस स्थिति में ब्याज नहीं दिया जाता।

श्री समर मुकर्जी : विश्व बैंक से ऋण के मामले पर यहां चर्चा की जा चुकी है। एक शर्त यह है कि आई. वी. एम. कम्पयूटर चौथे उत्पादन का आरम्भ किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि चौथे उत्पादन कम्पयूटरीकरण को आरंभ करने से रोजगार की संभवना अथवा रोजगार क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : योजना के प्रस्तावों के अनुसार एक दशक में रेलवे के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। मैं इस गलत धारणा से सहमत नहीं हूं कि इसका प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसका कर्मचारियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पुनर्निवेशन का प्रश्न है। हमारा कुछ स्तर बन जाएगा। जब कुछ वैगन रोक लिए गए हैं; उस पर काम किसे करना है, उनकी मरम्मत किसे करनी है और उसका रख-रखाव कौन करेगा ? क्या उन्हें पुनः वर्कशाप भेजना होता है ? एक बात केवल यह है कि सबसे पहले मुझे इस तरह से ठीक-ठीक जानकारी मिलेगी। मैं उस पर तुरन्त कार्यवाही करूंगा ताकि आवश्यक काम किया जाए तथा उसका उपयोग किया जाए। यह गलत धारणा है कि इसका किसी भी तरह से भारतीय रेलों के कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं इसी के दूसरे पहलू पर पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि मजदूरों के काम पर असर नहीं पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो अध्ययन किया जा रहा है, या जो गोष्ठी हुई है, उसमें शामिल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने क्या आपको इस तरह की राय दी है कि इसके बाद मजदूरों का रिट्रेचमेंट होगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : रिट्रेचमेंट का प्रश्न इसलिए पैदा नहीं होता जैसे मैं पहले सदन को बता चुका हूं कि कर्मचारियों का व्यवहार अलग है और कम्प्यूटर का कर्त्तव्य अलग है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में उत्पादन कम किया जाना

*830. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** †
श्री सुधीर कुमार गिरि } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में उत्पादन कम करने के बारे में सरकार के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या मुख्य मुद्दे हैं;

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) जी हां।

विवरण

(ख) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में रेल इंजनों के उत्पादन के कार्यक्रम में गिरावट आ जाने तथा इसके फलस्वरूप क्षमता के बेकार हो जाने पर चिन्ता व्यक्त की गयी है।

(ग) अत्यधिक क्षतिग्रस्त बिजली रेल इंजनों की भारी मरम्मत करके रेल इंजनों के अधिक कुशल अनुरक्षण के लिए फालतू पुर्जों के निर्माण में तेजी लाकर, चितरंजन रेल इंजन कारखाने में उत्पादन की गतिविधियों में विविधता लाने के उपाय किए गए हैं। छठी योजना में चल स्टाक के लिए धन के आबंटन में वृद्धि करने के लिए योजना आयोग से भी अनुरोध किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरे पास विवरण है। जैसाकि आप जानते हैं, प्रश्न यह था कि क्या सरकार को हाल में चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स में उत्पादन कम करने के बारे में सरकार के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। उत्तर में, उन्होंने 'हां' कहा है। फिर मन्त्री ने कहा है कि इस बारे में चिन्ता प्रकट की गयी है और उन्होंने बेकार क्षमता के उपयोग के बारे में भी बात की है।

लेकिन आपने स्वीकार किया है कि उत्पादन में कमी की गई है। अब प्रश्न यह है : बजट भाषण के दौरान मंत्री महोदय ने कहा था कि विद्युतीकरण के कारण अधिक इन्जनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने घोषणा की थी कि इस वर्ष कुछ और इन्जनों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर आप चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स को लोकोमोटिव्स का उत्पादन कम करने का निदेश देते हैं। यदि जैसाकि आपने कहा था कि विस्तार तथा विद्युतीकरण के कारण उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है तो वहां उत्पादन में कमी क्यों की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यह बात सच है कि चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स की क्षमता 300 इन्जनों का निर्माण करने की है लेकिन योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि को ध्यान में रखते हुए हमें उनसे केवल 204 ही लोकोमोटिव मिलेंगे और उस हिसाब से 96 कम होंगे। डी. एल. डब्ल्यु. बनारस की क्षमता 420 की है और हमें केवल 272 ही मिल सकेंगे, जिसके फलस्वरूप 148 इन्जन कम मिलेंगे। इस प्रकार कुल 244 इन्जन कम मिलेंगे। इसी कारण हमने योजना से यथाशीघ्र 400 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है जिसके लिए हमने कहा है कि योजना

मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान हमें 1700 करोड़ रुपये दिए जायें ताकि रेल आवागमन को बनाये रखने सम्बन्धी सभी आवश्यकतायें पूरी हो सकें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप देखेंगे कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिदिन जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो मन्त्री महोदय अधिकांश प्रश्नों के ऐसे ही उत्तर देते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं है। और यदि वे पैसा नहीं देते तो वे कुछ नहीं कर सकते। जब छठी पंच वर्षीय योजना बनायी गयी तो हम इस पर विचार नहीं कर सके। तो फिर संसद की स्थिति क्या है? जैसे कि आप जानते हैं राशि का आवंटन योजना आयोग करता है और बातचीत आपके मंत्रालय के साथ होती है। लेकिन जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं कि चूंकि राशि का आवंटन नहीं किया गया हम कुछ नहीं कर सकते। अब संसद की स्थिति क्या है? तो फिर हमारे प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? यदि आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, यदि आप यह नहीं बता सकते कि आप उत्पादन क्यों कम करने जा रहे हैं और यदि आप पैसे नहीं ले सकते और हम योजना पर भी चर्चा नहीं कर सकते, तो फिर क्या लाभ है।

जब मैंने हाल्दिया पैट्रोकेमिकल्स सम्बन्धी प्रश्न उठाया तो उत्तर मिला कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान नहीं है।

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या यह एक चुनाव भाषण है?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक चुनाव भाषण नहीं है। आप ऐसे बहुत से भाषण सुनेंगे।

यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह सच है कि चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स में आर्मेचरों का उत्पादन बन्द हो गया है। पहले इस कारखाने का उपयोग आर्मेचर बनाने के लिए किया जाता था। अब आप रोडमेक्स से आर्मेचर ला रहे हैं। ऐसा क्यों है? अब आप कारखाने में उस चीज का उत्पादन नहीं कर रहे जो पहले किया करते थे। आपने उत्पादन बन्द कर दिया है और आप बाहर से ला रहे हैं। अतः जब आप कहते हैं कि यह उत्पादकता वर्ष है, जब आप कहते हैं कि आप रेलवे विद्युतीकरण में वृद्धि कर रहे हैं···(व्यवधान) इस पार्टी को कोई नहीं बचा सकता; यह समाप्त होने जा रही है। अब मेरा विशेष प्रश्न यह है :—आर्मेचरों का यह क्रयादेश रोडोमेक्स से क्यों आ रहा है? क्या इसका कारण यह है कि आपका एक अधिकारी अब रोडोमेक्स में है, जिसने आपकी नौकरी छोड़ दी थी? आप बिजली के इन्जन निर्मित किये बिना बिजली से रेलगाड़ियां चलाने में कैसे वृद्धि कर सकते हैं?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमें इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री समर मुखर्जी से भी पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तें प्रभावित होंगी, रोजगार के अवसरों में कमी होगी और सहायक उद्योगों के उत्पादन में भी कमी होगी, जिसका जिक्र माननीय

सदस्य श्री चक्रवर्ती कर रहे हैं। बात यह नहीं है कि हम समय के अन्दर तथा भविष्य में इन लोकोमोटिवों का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसी कारण हमने योजना आयोग से अनुरोध किया है और हमें विश्वास है कि हमें शीघ्र ही 200 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी जो लोकोमोटिव के निर्माण सम्बन्धी हमारी मांगों को पूरा कर सकेगी। अतः कर्मचारियों की छटनी का कोई प्रश्न नहीं है और हम इस महीने के अन्त तक अथवा अगले महीने के शुरू में, जब हमें राशि मिले, अतिरिक्त उत्पादन का काम शुरू कर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय ने प्रश्न का सीधा उत्तर टालने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की है। उत्पादन कम करने का कारण मुझे स्पष्ट नहीं लग रहा। यदि इसका कारण धन की कमी है तो बात समझ में आ सकती है। वे ऐसा कहें। लेकिन उन्होंने उत्तर में कहा है कि उत्पादन में कमी हुई है जिसके फलस्वरूप क्षमता बेकार हो गयी है लेकिन संगठन अत्यधिक क्षतिग्रस्त बिजली के रेल इन्जनों की भारी मरम्मत करके, रेल इन्जनों के अधिक कुशल अनुरक्षण के लिए फालतू पुर्जों के निर्माण में तेजी लाकर, चितरन्जन रेल इन्जन कारखाने में उत्पादन की गतिविधियों में विविधता लाने का प्रयत्न कर रहा है।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये दोनों बातें साथ-साथ कैसे चल सकती हैं। अतः मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यह बताये कि क्या वे इनकी कमी के कारण उत्पादन में कमी कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर में कहा गया है। यदि इनकी कमी है तो अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों में कैसे विविधता लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं? अतः हमें सही स्थिति बतायी जाये कि उत्पादन में कमी करने का निर्णय कब लिया गया, किन कारणों से वैसा किया गया, धन आने की आशा कब तक रखते हैं और वे कब उत्पादन शुरू करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में चितरन्जन तथा डी० एल० डब्ल्यू० दोनों जगह 780 लोकोमोटिव का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके मंत्री ने 780 नहीं, 720 कहा है।

श्री मल्लिकार्जुन : इसे ठीक किया जा सकता है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यह धन की कमी तथा छठी पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अवंटित राशि के कारण है। सी० एल० डब्ल्यू० की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 100 लोकोमोटिव तथा डी० एल० डब्ल्यू० की 140 लोकोमोटिव निर्मित करने की है। इसका कारण उत्पादन का लक्ष्य ही है जिसमें छठी योजना अवधि में वृद्धि होने जा रही है जो 720 अथवा 780 लोकोमोटिव है, जो रेलवे की जरूरत है। कुछ क्षमता बेकार पड़ी है। रेलवे की जरूरत के लिए 780 लोकोमोटिव के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त क्षमता बेकार पड़ी है। अतिरिक्त क्षमता का अर्थ यह है कि दोनों उत्पादन एककों की उत्पादन क्षमता लगभग···

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न उत्पादन में कमी करने का है। हम इस बारे में क्या समझें ?

श्री मल्लिकार्जुन : जैसा कि मन्त्री महोदय सूचित कर चुके हैं, उत्पादन में कमी का कारण धन की कमी है। कुछ बिजली के लोकोमोटिव भी काफी सीमा तक क्षतिग्रस्त हुए हैं, इनकी मरम्मत तथा बाहर से मंगाये बिना फालतू पुरजों को बनाने की भी जरूरत है।

साथ-साथ, हम छठी पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों को भी पूरा करना चाहते हैं।

जहां तक कर्मचारियों से काम लेने का सम्बन्ध है जैसा कि माननीय सदस्य को सूचित किया जा चुका है, हम उनसे उनकी योग्यता के अनुसार काम ले रहे हैं और इसलिए काम पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लड़कियों को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा

*821. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लड़कियों को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 14 वर्ष की आयु तक अर्थात् कक्षा I-VIII में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य सरकार का उत्तरदातित्व है। तदनुसार, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है। अधिकांश राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने माध्यमिक स्तर तक भी लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। उनमें से लगभग आधे राज्यों व संघीय क्षेत्रों ने सीनियर माध्यमिक स्तर पर भी इसे निःशुल्क कर दिया है।

अप्रशिक्षित चल कर्मचारियों को डीजल इंजनों का प्रशिक्षण देना

*822. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पालघाट डिवीजन में पूरी तरह डीजलीकरण होने को ध्यान में रखते हुए उक्त डिवीजन के सभी अप्रशिक्षित चल कर्मचारियों को डीजल से चलने वाले इंजनों का प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के समक्ष कोई मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) फिलहाल, पालघाट मंडल का पूर्णतः डीजलीकरण नहीं हुआ है। निस्सन्देह, यह कार्य उत्तरोत्तर किया जा रहा है। साथ ही, अग्रवर्ती योजना के अनुसार, डीजल रेल इंजनों के परिचालन के लिए भाप रेल इंजन कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भाप लोको साइड में जिन कर्मचारियों के फालतू घोषित किये जाने की सम्भावना है, उनकी आवधिक पुनरीक्षा करके और उनकी वरिष्ठता के अनुसार, पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस मंडल के 692 रनिंग कर्मचारी डीजल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और अभी जिन 594 कर्मचारियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देना शेष है, उन्हें वरिष्ठता के अनुसार यह प्रशिक्षण दिया जायेगा।

विश्वविद्यालयों को अनुदान की मात्रा निश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

*823. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान की मात्रा निश्चित करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाये जा रहे मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की हैं। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रकार एवं स्वरूप, दी जाने वाली सहायता के स्तर निर्धारित करने में अपनाया जाने वाला मान-दण्ड, खर्च की विभिन्न मदों के लिए सहायता की पद्धति इत्यादि को दर्शाया गया है। इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं की मुद्रित प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं के कुछ ब्यौरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट में भी दिए गए हैं, जो जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

रेलवे के मैकेनिकल इन्जीनियरिंग विभाग में अधिकारी-कर्मचारी अनुपात

*824. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कार्यकरण सम्बन्धी व्यय हेतु रेलवे बजट का 35% भाग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिये होता है ;

(ख) क्या रेलवे के 35% कर्मचारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के नियन्त्रण के अधीन हैं ;

(ग) क्या रेलवे के 40% से अधिक प्रभारी पूंजी के लिये मैकेनिकल इजीनियरिंग विभाग उत्तरदायी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या अन्य विभागों के 1:250 की तुलना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अधिकारी-कर्मचारी के बीच अनुमानत: 1:550 है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह असन्तुलन दूर करने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) यांत्रिक विभाग से सम्बन्धित संचालन व्यय रेलों के कुल संचालन व्यय का लगभग 50 प्रतिशत होता है। यांत्रिक विभाग रेलों के 32 प्रतिशत कर्मचारियों पर भी नियन्त्रण रखता है और ब्याजदेय पूंजी का लगभग 40 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। यान्त्रिक इंजीनियरी विभाग के लिए अधिकारियों का कर्मचारियों से अनुपात 1:432 है जबकि रेलों के अन्य विभागों का प्रतिशत 1:106 है।

(ङ) यान्त्रिक विभाग में अधिकारियों के कर्मचारियों से अनुपात में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है जो 1978 के 1:520 से बढ़कर 1979 में 1:480 तथा 1981 में 1:432 हो गया था। इस दिशा में प्रयास जारी रखे जायेंगे लेकिन इसमें अनिवार्यत: कुछ समय लगेगा।

कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश की सहायता

*831. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) वहां कुष्ठ रोगों के अस्पतालों की कुल संख्या क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ; और

(घ) कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बो० शंकरानन्द) : (क) अनुमान है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या लगभग पांच लाख है।

(ख) कुष्ठ रोगियों के लिए वहां पर 22 कुष्ठ-गृह और कुष्ठ अस्पताल तथा जनरल अस्पतालों से जुड़े 15 अस्थायी उपचार-वार्ड हैं।

(ग) 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में लगभग 35 लाख रुपये की राशि दी गई।

(घ) कुष्ठ रोगियों का चिकित्सा/शल्य क्रिया सम्बन्धी पुनर्वास राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण

कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाता है। उत्तर प्रदेश में छः शल्य चिकित्सा यूनिट पहले ही खोले जा चुके हैं जहां रोगियों के अंगों को सरजरी करके ठीक किया जाता है।

दिल्ली में विकलांगों के लिए सुविधाएं

*832. **श्री सज्जन कुमार** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने विकलांगों को सुविधाएं देने के लिए योजनाएं तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विकृत अस्थि वाले लोगों को क्या सुविधाएं विशेष रूप से उपलब्ध हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक **विवरण** सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा विकलांगों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं :—

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पदों को नीचे दिए अनुसार आरक्षित किया गया है :

दृष्टिहीन	1 प्रतिशत
गूंगे और बधिर	1 प्रतिशत
अस्थि विकलांग	1 प्रतिशत

2. एक विशेष रोजगार केन्द्र है जिसमें केवल विकलांग व्यक्तियों को ही पंजीकृत तथा रोजगार प्रदान कराया जाता है।

3. समेकित शिक्षा की एक योजना है जिसके अन्तर्गत

   (क) प्रत्येक बालक

      (1) प्रतिमाह 25 रुपये तक का परिवहन खर्च प्राप्त करने का ; तथा

      (2) प्रति वर्ष पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए 150 रुपये की धनराशि प्राप्त करन का पात्र है।

   (ख) रिसोर्स रूम के उपकरण खर्चों के लिए स्कूलों को प्रति बालक 500 रुपये की दर से धनराशि स्वीकार्य है।

4. जिन विकलांग व्यक्तियों को 1981 में सेवा-निवृत होना था, उनके सेवाकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

5. विकलांगों द्वारा आर्थेटिक प्रोस्थेटिक पुनर्वासीय सहायक यन्त्रों तथा श्रवणीय सहायक यन्त्रों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. स्कूलों और कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

7. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है।

8. वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। विकलांग व्यक्ति 55 वर्ष की आयु से ही पेन्शन पाने के पात्र हैं।

9. वृद्धों और नि:शक्तों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को 360 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

10. जिन विकलांग व्यक्तियों के पास अपने वाहन हैं वे उनके द्वारा क्रय किए गए 2 हार्सपावर के वाहन के लिए 15 लिटर प्रति मास और 2 हार्सपावर से अधिक हार्सपावर के वाहन के लिए 25 लिटर प्रति मास की सीमा तक 60 प्रतिशत खर्च की वापसी प्राप्त करने के पात्र हैं।

11. विकलांग व्यक्तियों के लिए एक शेल्टर्ड वर्कशाप स्थापित की गई है जहां काम के अनुसार मजदूरी के आधार पर अस्थि-विकलांग व्यक्ति कपड़ों की सिलाई करने में और दृष्टिहीन कुर्सियां बुनने में कार्यरत है।

12. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लेटों के आबंटन में प्राधिकरण ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।

13. दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका और नगर निगम द्वारा निर्मित कुश्कों को विकलांग व्यक्तियों को आवंटित करने की एक योजना चलाई गई है जिससे उनके पुनर्वास में सहायता मिलेगी।

14. विकलांग व्यक्तियों के लिए एक होस्टल की स्थापना की गई है।

खाड़ी के देशों से भारतीयों का स्वदेश लौटाया जाना

*833. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों से कितने भारतीय राष्ट्रिकों को गत वर्ष सरकारी व्यय पर भारत लौटाया गया ;

(ख) सरकार ने इस बारे में कितनी राशि खर्च की है ; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 49

(ख) 1,62,313.51 रुपये।

लेकिन यह राशि देश-प्रत्यावर्तियों से उगाही जानी है और 1,36,601.96 रुपये की राशि पहले ही उगाही जा चुकी है।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए यह समस्या कोई गंभीर समस्या नहीं है कि इस समय कई लाख भारतीय पासपोर्टधारी खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं।

बहरहाल, जब कभी जरूरी होता है, सरकार ऐसे असहाय-निराश भारतीयों की सहायता के लिए तत्परता से कार्यवाही करती है।

उसी तरह भारत में भी वसूली के तरीके को सुचारू रूप दिया गया है और राज्य सरकारों की सहायता से देश-प्रत्यावर्तन पर किए गए खर्च को वसूल किया जाता है।

राज्य परिवहन उपक्रमों की पूंजीगत निधि में सरकार का अंशदान

*834. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य परिवहन उपक्रमों की पूंजीगत-निधि में केन्द्रीय सरकार का वर्तमान अंशदान कितना है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य सड़क परिवहन निगमों को केन्द्रीय सरकार के अंशदान की राशि 31-3-82 को 14,511.55 लाख रुपये थी।

(ख) निगमवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	राज्य सड़क परिवहन निगम	31-3-82 को संचयी निवेश (लाख रुपयों में)
1	आंध्र प्रदेश	2527.00
2	असम	390.91
3	बिहार	912.80
4	गुजरात	2747.21
5	कर्नाटक	756.21
6	केरल	995.67
7	महाराष्ट्र	1269.00
8	मध्य प्रदेश	1076.57
9	उत्तर बंगाल	270.01
10	हिमाचल प्रदेश	432.57

राज्य सड़क परिवहन निगम	31-3-82 को संचयी निवेश (लाख रुपयों में)
11 पेप्सू	477.62
12 उड़ीसा	199 67
13 राजस्थान	732.50
14 उत्तर प्रदेश	1286.20
15 मणिपुर	176.00
16 त्रिपुरा	176.61
17 जम्मू और काश्मीर	28.00
18 मेघालय	57.00
	जोड़ 14,511.55

विश्वविद्यालयों की अधिक संख्या में वृद्धि पर नियन्त्रण

*835. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1982 के "हिन्दू" में "चैक आन मशरूम ग्रोथ आफ यूनिवर्सिटीज" (विश्वविद्यालयों की अधिक संख्या में वृद्धि पर नियंत्रण) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार विश्वविद्यालयों और कालेजों की अधिक संख्या में वृद्धि पर नियन्त्रण करने हेतु सांविधिक शक्तियां प्राप्त करने का है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के संशोधनों सहित वैधानिक उपायों की जांच कर रही है ताकि देश में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के विनियमन की व्यवस्था की जा सके। इन उपायों के ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम का कथित दुरुपयोग

*836. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 के उपबन्धों का अवैध गर्भपात के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन एसोसिएशन आफ ओबस्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनेकोलाजी एण्ड दि पापुलेशन कांउसिल की हाल में जारी की गई रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति पर इण्डियन एकेडमी आफ फोरेनसिक मेडिसिन के 5 वें वार्षिक सम्मेलन में हुए सेमीनार ने गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का दुरुपयोग रोकने के लिए उनमें संशोधन का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा अवैध गर्भपात तथा युवा लड़कियों की मृत्यु की उच्च प्रतिशतता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस सेमिनार में प्रस्तुत लेखों में से एक में गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया था ।

(घ) गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत गर्भपात सम्बन्धी मामले निपटाये जा सकें इसके लिए कदम उठाये गए हैं जिनमें सुविधाओं में वृद्धि करना और प्रशिक्षित कर्मचारी सुलभ करना शामिल हैं । सुरक्षित, साफ और स्वस्थ ढंग से तथा कानून की दृष्टि से वैध गर्भपात कराने की सुविधायें लोगों को सुलभ हैं इसकी जानकारी जनता को दी जा रही हैं ।

भारत-पाक संयुक्त आयोग की स्थापना किया जाना

*837. **श्री गुलाम रसूल कोचक**
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक संयुक्त आयोग की स्थापना करने के स्वरूप का निर्धारण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या संरचना है ; और

(घ) भारत-पाक संयुक्त आयोग का गठन कब तक होने की सम्भावना है तथा उसकी बैठक कब होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) इस संयुक्त आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में इसकी प्रकृति, क्षेत्र-विस्तार और समय से सम्बद्ध ब्यौरे अभी दोनों सरकारों के बीच परामर्श करके तय किए जाने हैं ।

डेरी यूनिट योजना के अन्तर्गत विधवाओं को पशु दिया जाना

8998. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरी यूनिट योजना के अन्तर्गत विधवाओं को पशु देने के लिए गुजरात ने वर्ष 1981-82 के लिए कितनी मांग की है और कितनी मांग स्वीकार की गई है और शेष मांग को कब तक पूरा कर दिया जाएगा;

(ख) यदि धनराशि कम हुई तो क्या इस लाभकारी योजना के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जाएगा; और

(ग) क्या इस लाभकारी योजना के लिए अधिक मांग वाले राज्यों को इस शीर्ष के अन्तर्गत उन राज्यों की धनराशि को भेजने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिनकी मांग कम है परन्तु जिनके पास धनराशि फालतू है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अधीन चलाई जाने वाली डेरी यूनिट योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1981-82 के दौरान 61.98 लाख रुपए की कुल अनुदान राशि के लिए 96 संस्थाओं के आवेदन भेजे थे। इसमें से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 65 संस्थाओं के सम्बन्ध में कुल 41.53 लाख रुपए के अनुदान मंजूर किए थे। शेष आवेदनों पर वर्ष 1982-83 के दौरान विचार किया जाएगा।

(ख) इस समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। बजट में धनराशियों के लिए और मांगों पर अक्तूबर-नवम्बर में संशोधित प्राक्कलनों के समय पर विचार किया जाता है।

(ग) राज्य बोर्डों के पास फालतू धनराशि उन राज्य बोर्डों को पहले ही भेजी जा चुकी है जहां मांग अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1981-82 के दौरान गुजरात राज्य बोर्ड को डेरी योजना के लिए 11.00 लाख रुपए के आवंटन के मुकाबले वास्तव में 32.63 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी। यह धनराशि 7.23 लाख रुपए की उस धनराशि के अतिरिक्त थी जो गुजरात राज्य बोर्ड को वर्ष 1981-82 से पूर्व डेरी यूनिट के लिए अनुदान के रूप में मंजूर की गई थी।

सरकारी अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ बसों के लिए सैलेक्शन ग्रेड

8999. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ बसों को तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट, 1973 के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड देने की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ बसों को पहली अगस्त, 1978 से सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें सरकार के कौन से नियम के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) तीसरे वेतन आयोग ने समूह "ग" और समूह "घ" काडरों में सलैक्शन ग्रेड की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये 10 जनवरी, 1977 को आदेश जारी कर दिए गये थे ताकि पहली अगस्त 1976 से सलैक्शन ग्रेड पद बढ़ाये जा सकें।

तदनुसार सफदरजंग अस्पताल तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिंग काडरों में सलैक्शन ग्रेड पद भी बना दिये गये थे। श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरण बाल चिकित्सालय के नर्सिंग काडरों में सलैक्शन ग्रेड लागू करने के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का कार्यकरण

9000. **श्री ए० के० राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंत्रालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के गौहाटी केन्द्र का दौरा किया था और गत छह महीनों के दौरान इसके कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। सम्बन्धित अधिकारी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जन शिक्षा निदेशकों और शिक्षा सचिवों के सम्मेलन के सम्बन्ध में गौहाटी गया था और गौहाटी में अपने प्रवास के दौरान उसने केन्द्र का केवल दौरा किया, अतः रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे की रेल गाड़ियों में विशेष आर० एम० एस० वैन

9001. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण रेलवे में डाक ले जाने वाली बहुत सी रेल गाड़ियों में विशेष आर० एम० एस० वेन (लाल रंग की) नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विशेष आर० एम० एस० वेन न होने के कारण डाक की छंटाई

करने वाले डाक कर्मचारियों को मजबूरन यात्री डिब्बों में बैठना पड़ता है जिससे यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ग) दक्षिण रेलवे में डाक ले जाने वाली रेल गाड़ियों में डाक कर्मचारियों के लिए विशेष वेन की व्यवस्था हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) जहां कहीं नामित पोस्टल यान उपलब्ध हैं, वहां ये गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। अन्य मामलों में डाक-तार प्राधिकारियों की मांग के अनुसार डाल परिवहन के लिए गाड़ियों में स्थान निर्धारित कर दिया जाता है। डाक-तार प्राधिकारियों द्वारा मांग करने पर दक्षिण और अन्य रेलों के लिए पोस्टल यानों के निर्माण की व्यवस्था कर दी जाती है।

इस समय बड़ी लाइन के 58 तथा मीटर लाइन के 99 पोस्टल यानों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त है।

भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पोस्टल यानों के नक्शों के मानकीकरण पर संचार तथा रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जा रहा है। नक्शों को अन्तिम रूप दे दिये जाने पर इन पोस्टल यानों का निर्माण शुरू किया जायेगा और निर्माण के बाद ये पोस्टल यान दक्षिण रेलवे सहित सभी रेलों को आबंटित कर दिये जायेंगे। लेकिन इनके निर्माण की वास्तविक दर धन की उपलब्धता, देश के भीतर सवारी डिब्बे निर्माण करने की क्षमता तथा सवारी डिब्बों को, जिन्हें प्राथमिकता देनी होगी, आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद का चुनाव

9002. **श्री चतुर्भुज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, की 5 वर्ष की अवधि, 1971 से 1976 तक, समाप्त हो गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद के चुनाव पिछले 6 वर्ष से नहीं हुए है;

(ग) क्या चुनाव नियम 7 वर्ष पहले अधिसूचित किए गए थे और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए थे परन्तु चुनाव नहीं हुए;

(घ) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्री ने 1980 में सदन को आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव शीघ्र ही कराये जायेंगे;

(ङ) यदि हां, तो मंत्री द्वारा सभा में दिया गया आश्वासन पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(च) प्रजातांत्रिक पद्धति में अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके एक महत्वपूर्ण सांविधिक संस्थान के चुनाव न कराने के क्या कारण हैं; और

(छ) चुनाव कब तक होंगे और पूरे किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद एक ऐसा सामूहिक निकाय है जो निरन्तर बना रहता है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा 7(1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्षों अथवा सदस्यों की कार्य अवधि पांच वर्ष या उसके उत्तराधिकारियों के विधिवत् निर्वाचित या मनोनीत होने तक, जो भी लम्बी हो, होती है।

(ख) और (ग) इसके निर्वाचन नियम 1975 में अधिसूचित किए गए थे किन्तु लोकसभा और राज्य सभा दोनों की अधीनस्थ समिति ने कुछेक संशोधित करने की सिफारिश की थी जिन्हें अन्तिम रूप देकर सितम्बर, 1979 को अधिसूचित कर दिया गया था। अभी तक चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं।

(घ) से (च) यह सही है कि 10 जुलाई, 1980 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3632 के उत्तर में यह बतलाया गया था कि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन शीघ्र होने वाला है। यह चुनाव न हो सकने का कारण यह है कि भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर, जो निर्वाचक सूची का काम करते हैं, अद्यतन नहीं हैं और इनमें संशोधन करने की जरूरत है।

(छ) निर्वाचन से पहले निर्वाचक सूची ठीक करना जरूरी होता है।

गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना

9003. **श्री के० बी०एस० मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो मद्रास के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना अन्तिम चरण में हैं और यदि हाँ, तो इसे अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा;

(ख) वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार डिपो के वर्तमान कर्मचारियों में से ग्रुप "सी" से ग्रुप "बी" और ग्रुप "बी" से ग्रुप "ए" में पदोन्नत किए जाने के लिए कौन-कौन श्रेणियां पात्र हैं; और

(ग) कर्मचारियों के ग्रुप "ए" से ग्रुप "डी" तक की श्रेणियों के वर्तमान भर्ती नियमों में क्या संशोधन करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां। मद्रास डिपो सहित सभी, सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डारों, में विभिन्न वर्गों के पदों के भर्ती नियमों को संशोधित करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार, सभी वर्गों के विनिर्दिष्ट सेवा अवधि वाले फीडर ग्रेडों के कर्मचारी क्रमश: ग्रुप "ग" से ग्रुप "ख" और ग्रुप "ख" से ग्रुप "क" में पदोन्नति के पात्र हैं।

(ग) चूंकि यह मामला विचाराधीन है, इसलिए प्रस्तावित संशोधनों के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है।

प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना करना

9004. **श्री हरिहर सोरन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कुछ प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खोलने के बारे में प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक चिकित्सा के यह अस्पताल कब तक खोलने का विचार है;

(ग) ऐसे अस्पताल कहां खोले जायेंगे ; और

(घ) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) देश में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल खोलने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, एक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोलने का विचार है जिसमें अस्पताल भी होगा।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में गाद जमा हो जाने के कारण श्रीलंका में तेल का उतारा जाना

9005. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और हल्दिया के पत्तनों में बहुत अधिक गाद जमा

होने के कारण भारी तेल टैंकरों ने पत्तन पर आने से इन्कार कर दिया था, और सरकार को सूचित किया था कि वह श्रीलंका में तेल उतारेंगे जहां से हमें छोटे जहाजों से तेल ले जाना होगा;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में अनुमानतः कितना अतिरिक्त खर्च हुआ और क्या इसके लिये परादीप का उपयोग किया जा सकता था;

(ग) क्या पिछले दो सालों के दौरान इन दो पत्तनों में गाद निकालने की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष-वार कितना व्यय हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि भारी तेल टैंकरों ने कलकत्ता और हल्दिया के पत्तनों पर आने से इन्कार किया है और उन्होंने श्रीलंका में माल उतारने का प्रस्ताव किया है। टैंकर पूर्ववत् लगातार इन पत्तनों पर आ रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) और (घ) 1981-82 के दौरान निकर्षण की लागत में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि अतिरिक्त महंगाई भत्ता बढ़ गया है। 1980-81 और 1981-82 के दौरान कलकत्ता और हल्दिया के पत्तनों में निकर्षण की लागत निम्नलिखित थी—

(लाख रुपये)

वर्ष	नदी निकर्षण और नदी का अनुरक्षण	चैनल विकास	कुल लागत
1980-81	1602.59	879.97	2482.56
*1981-82	1718.00	924.00	2642.00

*1981-82 के लेखाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया गया है इसलिए यह आंकड़े अनुमान पर अनन्तिम हैं।

इलाहाबाद में विविध वस्तुओं की बिक्री

9006. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रेल मंत्री के आदेशों से 24 फरवरी, 1981 से 1 वर्ष के लिए इलाहाबाद रेलवे स्टेशन में विविध वस्तुओं की बिक्री का ठेका मैसर्स रेलवे साइकिल स्टेण्ड

कर्मचारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड, इलाहाबाद को दिया गया था ;

(ख) इस ठेके की शर्तों का ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इसके लिए कितनी धन राशि जमानत तथा लाइसेंस शुल्क के तौर पर निर्धारित की थी जो समिति ने जमा की ;

(ग) विभिन्न अनियमितताओं के कारण उनके विरुद्ध की गयी दण्ड स्वरूप कार्यवाही सहित उन पर किए गए और वसूले गये जुर्माने का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि समिति लाइसेंस शुल्क इत्यादि के समझौते के अनुसार समय पर जानबूझ कर भुगतान नहीं कर रही है और 28 फरवरी, 1982 तक उनके विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया थी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुसार 26-2-81 से तीन वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड सहकारी समिति लिमिटेड को विविध वस्तुओं की बिक्री करने का ठेका दिया गया है ।

(ख) लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत विविध वस्तु ठेके प्रदान करने की सामान्य शर्तों के अनुसार ठेका दिया गया है । लाइसेंस शुल्क स्टेशन के आकार, स्थापना की किस्म, आर्थिक क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रक्रिया और नीति के अनुसार निर्धारित किया गया है। सोसायटी द्वारा 26-2-81 से 28-2-82 की अवधि के लिए 6,045 रुपये प्रति माह की दर से लाइसेंस शुल्क के रूप में 72,540 रुपये का भुगतान किया गया है । सोसायटी ने 23-2-81 को जमानत के रूप में 7,254 रुपये की राशि का भी भुगतान किया है ।

(ग) विवरण नीचे दिया गया है :—

महीना/वर्ष	की गयी अनियमितताओं की किस्म	की गयी कार्रवाई
मई, 81	एक अनधिकृत वैंडर को विविध वस्तुओं की बिक्री करते हुए पकड़ा गया ।	25 रुपये जुर्माना किया गया ।
जून, 81	दो अनधिकृत वैंडरों को चप्पलों आदि की बिक्री करते हुए पकड़ा गया ।	40 रुपये जुर्माना किया गया ।
जुलाई, 81	तीन अनधिकृत वेंडरों को विविध वस्तुओं की बिक्री करते हुए पकड़ा गया ।	चेतावनी दी गयी ।

महीना/वर्ष	की गयी अनियमितताओं की किस्म	की गयी कार्रवाई
अगस्त, 81	दो अनधिकृत वेंडरों को विविध वस्तुओं की बिक्री करते हुए पकड़ा गया ।	100 रुपये जुर्माना किया गया ।
अक्तूबर, 81	पांच अनधिकृत वेंडरों को विविध वस्तुओं की बिक्री करते हुए पकड़ा गया ।	500 रुपये जुर्माना किया गया ।
अक्तूबर, 81	,,	पांचों वेंडरों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था । तीन वेंडरों ने 175-175 रुपये के जुर्माने का भुगतान कर दिया और दो का जुर्माने की राशि का भुगतान न करने के कारण जेल भेज दिया गया था ।
नवम्बर, 81	अनधिकृत वेंडरों को विविध सामान बेचते हुए पकड़ा गया ।	वेंडरों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया गया और सोसायटी को 500 रुपये जुर्माना किया गया ।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

रेलों का बदला जाना

9007. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में रेलों के बदले जाने का कितना कार्य बकाया था ;

(ख) वर्ष 1981-82 में रेलों को बदलने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ;

(ग) वर्ष 1981-82 में रेलों को बदलने में आबंटित धनराशियों का कितना भाग खर्च किया गया ; और

(घ) यदि इस प्रयोजन पर सम्पूर्ण आबंटित धनराशि खर्च नहीं की गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1981-82 में 4712 किलोमीटर में पटरी के प्राथमिक नवीकरण (जिसमें 1981-82 में शामिल किये गये नये कार्य भी शामिल हैं) का अनुमोदित कार्य बकाया पड़ा था ।

(ख) 1981-82 में रेलपथ के प्राथमिक और गौण दोनों प्रकार के नवीकरण के लिए आवंटित कुल राशि 164.95 करोड़ रुपये सकल थी ।

(ग) और (घ) विनियोग लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । आशा है कि सारी आबंटित धनराशि खर्च हो जायेगी ।

कैंसर के इलाज के लिए रेडियो चिकित्सा मशीन का लगाया जाना

9008. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर के इलाज के लिए नई रेडियो चिकित्सा मशीन लगाई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां ऐसी मशीनें लगाई गई हैं ;

(ग) क्या ऐसी मशीनों का आयात किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रति मशीन लागत क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और स्वैच्छिक संस्थानों को 10.00 लाख रुपये प्रति यूनिट तक की केन्द्रीय सहायता देती है बशर्ते कि वे कोबाल्ट थेरापी यूनिट लगाने के लिए दिए जाने वाले सहायता अनुदान के बारे में निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

(ख) 1974-75 और उसके बाद जिन-जिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को कोबाल्ट थेरापी यूनिट लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई, तथा जिन-जिन अस्पतालों के लिए वह सहायता दी गई, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) ये मशीनें अपने ही देश में बनाई जा रही हैं तथा उनका आयात भी किया जा रहा है । स्वदेशी कोबाल्ट 60 थेरापी मशीन की लागत लगभग 13.00 लाख रुपये है जबकि आयातित मशीन की लागत लगभग 22.00 लाख रुपये पड़ती है ।

विवरण

उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/स्वैच्छिक संस्थानों की सूची जो कोबाल्ट थेरापी यूनिटें लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर चुके हैं :

1974-75 **जम्मू व कश्मीर सरकार** एस. एम. एच. एस. अस्पताल, श्रीनगर में एक यूनिट लगाने के लिए ।

1975-76 **उड़ीसा सरकार** एस. सी. बी. मेडिकल कालेज, कटक में एक यूनिट लगाने के लिए ।

1976-77 डा० बी. बी. कैंसर संस्थान, गोहाटी को एक यूनिट स्थापित करने के लिए ।

गोवा कैंसर सोसायटी, पणजी को एक यूनिट स्थापित करने के लिए ।

1977-78 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को एक यूनिट स्थापित करने के लिए ।

तमिलनाडु सरकार को रौयापट्टाह अस्पताल मद्रास में एक यूनिट लगाने के लिए ।

बिहार सरकार को राजेन्द्र मेडिकल कालेज और अस्पताल में एक यूनिट लगाने के लिए ।

केरल सरकार को मेडिकल कालेज और अस्पताल, कालीकट में एक यूनिट लगाने के लिए ।

1978-79 **हिमाचल प्रदेश सरकार** को एन. पी. मेडिकल कालेज, शिमला में एक यूनिट लगाने के लिए ।

राजस्थान सरकार को एम जी. अस्पताल, जोधपुर में एक यूनिट लगाने के लिए ।

हनुमान प्रसाद, पोद्दार स्मारक समिति, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा प्रायोजित) में एक यूनिट लगाने के लिए ।

1980-81 **कर्नाटक सरकार** को किदवई स्मारक आन्कालॉजी संस्थान, बंगलोर में एक यूनिट लगाने के लिए ।

महाराष्ट्र सरकार को मेडिकल कालेज अस्पताल, नागपुर में एक यूनिट लगाने के लिए ।

त्रिपुरा सरकार को कैंसर अस्पताल, अगरतला में एक यूनिट लगाने के लिए ।

उड़ीसा सरकार वी. एस. एस. मेडिकल कालेज अस्पताल, बुर्ला में एक यूनिट लगाने के लिए ।

1981-82 **गुजरात सरकार** को मेडिकल कालेज, जामनगर में एक यूनिट लगाने के लिए ।

मध्य प्रदेश सरकार को मेडिकल कालेज अस्पताल, भोपाल को एक यूनिट लगाने के लिए ।

केरल सरकार को अमाला कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, त्रिचूर में एक यूनिट लगाने के लिए ।

मेघालय सरकार को सिविल अस्पताल, शिलांग में एक यूनिट लगाने के लिए ।

राजस्थान सरकार को आर. एन. टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर और एस. एम. एस अस्पताल, जयपुर में दो यूनिटें लगाने के लिए ।

पश्चिमी बंगाल सरकार को चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता में एक यूनिट लगाने के लिए ।

महाराष्ट्र सरकार मेडिकल कालेज अस्पताल औरंगाबाद में एक यूनिट लगाने के लिए।

अरब शेखों द्वारा भारतीय लड़कियों के साथ विवाह किया जाना

9009. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अरब शेखों की गतिविधियों के बारे में कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं जो भारत की गरीब लड़कियों को खरीद लेते हैं और उनके साथ विवाह कर लेते हैं तथा उनको अरब देशों में ले जाने के बाद बेसहारा छोड़ देते हैं ताकि वे वेश्याओं का जीवन-यापन करें ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अरब राष्ट्रिकों के साथ विवाह के बाद, भारतीय महिलाओं के अरब देशों में जाने के पश्चात उनके शोषण के कुछ मामले 1973 से 1975 के दौरान सरकार के ध्यान में आए थे ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शोषण का ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान

में नहीं आया है जिसकी वजह से अन्ततः किसी महिला को विदेश में वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ी हो।

(ग) अरब राष्ट्रिकों से विवाह करने वाली भारतीय युवतियों के शोषण के प्रश्न पर अप्रैल 1981 में प्राक्कलन समिति में व्यापक चर्चा की गई थी, जिसका उल्लेख इसकी रिपोर्ट के चौथे अध्याय में किया गया है।

इस ओर से सरकार सतर्क है और उसने विदेश स्थित भारतीय मिशनों को ये हिदायतें जारी की हैं कि वे ऐसे सभी अरब राष्ट्रिकों से गंभीरता के साथ पूछताछ करें जो अपनी भारतीय पत्नियों को वहां बुलाने के लिए आवेदन करें। उन्हें यह भी हिदायत दी गई है कि उनकी जानकारी में अगर ऐसे कोई मामले आएं तो वे उसकी सूचना मंत्रालय को दें ताकि समुचित कार्यवाही की जा सके। सरकार ने रेडियो और स्थानीय भाषा के अखबारों के माध्यम से भी लोगों को ऐसे विवाहों के संभावित खतरों की ओर से आगाह करने के लिए प्रचार किया है और राज्य सरकारों को लिखा है कि इस तरह की शादियां करवाने वाले बेईमान बिचौलियों और दलालों के खिलाफ वे शक्त कार्यवाही करें।

परिवार नियोजन के लिए निर्धारित धनराशि

9010. **श्री के० राममूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए परिवार नियोजन हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इसे किस तरह खर्च करने का विचार है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लिए कितनी विशिष्ट धनराशि खर्च की जानी है ; और

(ग) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान वर्ष-वार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग, परिवार नियोजन पर कितना खर्च किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 245.00 करोड़ रुपये। इनमें से 229.61 करोड़ रुपये राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में दिए जायेंगे और 15.30 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा खर्च किए जायेंगे।

(ख) और (ग) खर्च के ब्यौरे तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में उसके वर्गीकरण का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1979-80 से 1981-82 तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पर हुए खर्च और 1982-83 के परिव्यय का ब्यौरा

(रुपये करोड़ों में) (अनन्तिम)

	कुल खर्च	ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च की गई राशि	नगरीय क्षेत्रों में खर्च की गई राशि	अन्य खर्च**
1979-80	118.52	59.42	5.61	53.49
1980-81	134.22*	67.86	6.23	60.13
1981-82	168.68*	72.59	7.36	88.73
1982-83	245.00*	123.60	7.60	113.80

* बजट व्यवस्था

** इसमें सामान्य सेवाओं, केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रचार, अनुसंधान, सामग्री और मुआवजे पर हुआ खर्च शामिल है और जिसका नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग वर्गीकरण करना संभव नहीं है।

जनकपुरी, नई दिल्ली में सी० जी० एच० एस० पौलीक्लीनिक

9011. श्री भीकूराम जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक पौलीक्लीनिक के निर्माण के लिए जनकपुरी, नई दिल्ली में एक भूखण्ड (प्लाट) खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए इमारत का नक्शा तैयार कर लिया गया है और उसे स्वीकृत करा लिया गया है ;

(ग) उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(घ) निर्माण कार्य वास्तव में कब शुरू किए जाने की संभावना है और यह कब पूरा हो जाएगा ; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ङ)

जनकपुरी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन तो अलाट कर दी गई है परन्तु योजना को इसका कब्जा अभी तक नहीं मिला है। भवन का नक्शा और खर्च का अनुमान तैयार किया जा रहा है और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

उत्पादन क्षमता में सुधार करने हेतु मशीनों की खरीद

9012. **श्री एम० थाझाई करुणानिधि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास ने पिछले दो वर्षों के दौरान फैक्टरी विशेषकर टेबलेट और स्टीम सेक्शन की उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए मशीनों की खरीद तथा सप्लाई हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त डिपो से प्राप्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जहां तक मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास फैक्टरी के स्टीम अनुभाग का सम्बन्ध है उत्पादन में सुधार करने के बारे में इस डिपो से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि अप्रैल, 1981 में उनसे एक प्रस्ताव मिला था जिसमें उनकी फैक्टरी के टेबलेट अनुभाग का उत्पादन 60 लाख टेबलेट प्रति माह से बढ़ाकर 120 लाख टेबलेट करने का सुझाव दिया गया।

(ग) और (घ) सरकारी खर्च सम्बन्धी समिति द्वारा बनाये गये एक कार्यकारी दल ने मेडिकल स्टोर डिपो की गतिविधियों में संशोधन करने का सुझाव दिया था और इस पर विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त सिफारिशों के बारे में सिद्धान्त रूप से कोई निर्णय लिए जाने के बाद ही मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से सम्बद्ध फैक्टरी की उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा सकेगा।

मन्दार हिल-वैद्यनाथ धाम लाइन

9013. **श्री समीनुद्दीन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्दार हिल बौंसी से वैद्यनाथ धाम तक कोई रेल लाइन न होने

के कारण भागलपुर और संथाल परगना के लोगों को जमशेदपुर और कलकत्ता तक यात्रा करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मन्दार हिल बौंसी से वैद्यनाथ धाम तक एक रेल लाइन के निर्माण के लिए प्राक्कलन तथा योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस रेल लाइन का शीघ्र निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस क्षेत्र में रेल संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मन्दारहिल (बौंसी) और वैद्यनाथ धाम (देवगढ़) के बीच बड़े आमान की रेल लाइन बिछाने के लिए हाल ही में (1981) एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण रिपोर्ट की इस समय जाँच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जाँच हो चुकने के बाद, प्रस्तावित रेल लाइन की वित्तीय अर्थ-क्षमता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा योजना आयोग से इसकी स्वीकृति मिल जाने पर इस रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

साईकिल/स्कूटर/कार खड़ा करने के लिये नई दरें

9014. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने साईकिल/स्कूटर/कार खड़ा करने की दरों का पुनरीक्षण कर दिया है, यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इलाहाबाद डिवीजन में मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, गोविन्दपुरी, अलीगन्ज तथा दादरी के लिए क्या दरें निर्धारित की गयी है तथा उन्हें किस तारीख से लागू किया गया है ;

(ग) कानपुर में साईकिल/स्कूटर स्टैंड का आवंटन करने के लिए रेलवे प्रशासन क्यों नहीं आमंत्रित कर रहा है जिसके कारण राज्य में भारी हानि हो रही है; और

(घ) रेलवे के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मौजूदा ठेकों के लम्बित रहने के दौरान पुरानी दरें लागू रहेंगी। संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरे के अनुसार उत्तर रेलवे द्वारा भविष्य में दिये जाने वाले ठेकों के लिए साईकिल और स्कूटर/मोटर साईकिल खड़ा करने की दरों में संशोधन किया गया है ।

(ख) विवरण में श्रेणी 'ए' स्टेशनों के लिए उल्लिखित साईकिल/स्कूटर खड़ा करने की

संशोधित दरें इन सभी स्टेशनों पर लागू होंगी । बहरहाल, इन दरों को उन तारीखों से लागू किया जायेगा जिन तारीखों से इन स्टेशनों के नये ठेके दिये जायेंगे ।

(ग) और (घ) कानपुर में साईकिल/स्कूर स्टैंड का वर्तमान ठेका 31-1-83 तक वैध है और इसलिए नया ठेका दिये जाने पर संशोधित दरें लागू की जायेंगी ।

विवरण

9-3-82 को उत्तर रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों के साइकिल स्टैंडों के संशोधित साइकिल/स्कूटर खड़ा करने की दरें इस प्रकार हैं :—

'ए' श्रेणी के स्टेशन	प्रति	प्रति आटो साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल	
	साइकिल	बिना हेलमेट के	हेलमेट सहित
(क) 4 घंटे के लिए	00.25 रु०	00.40 रु०	00.50 रु०
(ख) 4 घंटे से अधिक और 24 घंटे तक	00.50 रु०	00.80 रु०	1.00 रु०
(ग) बाद के 24 प्रत्येक 24 घंटों या उसके किसी भाग के लिए	00.50 रु०	00.80 रु०	1.00 रु०
(घ) **मासिक रियायती दरें**			
(1) जनता	7.00 रु०	12.00 रु०	15.०० रु०
(2) रेल कर्मचारी	1.00 रु०	2.00 रु०	2.50 रु०
(3) दूध वाले	8.00 रु०	12.00 रु०	15.00 रु०
'बी' श्रेणी के स्टेशन			
(1) 4 घंटे के लिए	00.25 रु०	00.25 रु०	00.30 रु०
(2) 24 घंटे से अधिक के लिए	00.30 रु०	00.50 रु०	00.60 रु०
(3) बाद के प्रत्येक 24 घंटे या उसके किसी भाग के लिए	00.30 रु०	00.50 रु०	00.60 रु०
मासिक रियायती दरें			
(1) जनता	04.00 रु०	07.00 रु०	09.00 रु०
(2) रेल कर्मचारी	00.50 रु०	01.00 रु०	01.50 रु०
(3) दूध वाले	05.00 रु०	07.00 रु०	09.00 रु०

भविष्य में आबंटित किये जाने वाले ठेकों के लिए उपरोक्त दरें लागू होंगी ।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के दक्षिण जिले में वरिष्ठ/कनिष्ठ गृह विज्ञान अध्यापकों के स्थानान्तरण

9015. **श्री डूंगर सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के दक्षिण जिले में राजकीय माध्यमिक स्कूलों के निकट या अपने स्कूल से चार किलोमीटर के भीतर ही रहने वाले कुछ वरिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापकों तथा कनिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापकों का गत 12 वर्षों से कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्कूल-वार ऐसे वरिष्ठ/कनिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापकों की संख्या कितनी है जो एक ही स्कूल में 12 वर्ष या इससे भी अधिक अवधि से कार्यरत है; उसी स्कूल में उनकी सेवा की कुल अवधि कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन अध्यापकों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन करने का है जो क्रमशः एक ही स्कूल में 12 वर्ष या उससे भी अधिक समय से कार्य कर चुके हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, भोगल में पिछले बारह वर्षों से केवल एक वरिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापक कार्य कर रहा है। अनुमोदित स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्यतः किसी भी अध्यापक को स्थानान्तरित नहीं किया जाता जब तक कि वह स्थानान्तरण के लिए कहता/कहती नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के दक्षिण जिले में वरिष्ठ/कनिष्ठ गृह विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति

9016. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के कुछ राजकीय माध्यम के बालिका स्कूलों में दो दो वरिष्ठ गृह विज्ञान अध्यापक नियुक्त किये गये हैं जबकि कुछ स्कूलों में वरिष्ठ गृह विज्ञान अध्यापक का एक भी स्वीकृत पद नहीं है क्या केवल कनिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापक ही नहीं तथा दसवीं के छात्रों को गृह-विज्ञान पढ़ा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं जहां वरिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापकों के कोई स्वीकृत पद नहीं है ;

(ग) ऐसे स्कूलों में कनिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापकों के कितने स्वीकृत पद हैं;

(घ) दक्षिण जिले के उन स्कूलों के क्या नाम हैं जहां वरिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं;

(ङ) स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने हेतु इन अध्यापकों के पद निर्धारण सम्बन्धी आधार क्या हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार इन स्कूलों के लिए वरिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापकों के पद स्वीकृत करने के निदेश जारी करने का है जहां ऐसा कोई पद नहीं है और जहां नवीं तथा दसवीं कक्षाओं के छात्रों के हित के लिए दो या दो से अधिक कनिष्ठ गृह-विज्ञान अध्यापक काम कर रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के दक्षिणी जिले का केवल एक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय है जहां दो वरिष्ठ गृह-विज्ञान शिक्षकों को अपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिए नियुक्त किये गये हैं। फिर भी, दक्षिण जिले में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां वरिष्ठ गृह विज्ञान शिक्षक का पद विद्यमान नहीं है।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण जिले के स्कूलों में वरिष्ठ गृह विज्ञान शिक्षकों के कोई भी पद रिक्त नहीं पड़े हैं।

(ङ) राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पद निर्धारण के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार वरिष्ठ/कनिष्ठ गृह विज्ञान शिक्षक क्रमश: IX वीं और X वीं और VI से VIII कक्षाओं में घंटों तथा नामांकन के आधार पर संस्वीकृत किये गये हैं।

(च) उपर्युक्त (क) से (ख) तथा (ग) भागों के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मिन्टो ब्रिज, नई दिल्ली के नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

9017. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मिन्टो ब्रिज, नई दिल्ली में नैमित्तिक श्रमिक पिछले सात वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि से कार्य करते आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवाओं को नियमित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये है ; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) नैमित्तिक श्रमिकों को दिल्ली क्षेत्र से बाहर शकूरबस्ती स्थित भंडार डिपो में नियमित पदों पर विशेष मामले के रूप में नियमित रूप से समाहित करने के लिए अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया । अनुरक्षण या अन्य कामों के लिए दिल्ली मंडल में नये पदों का सृजन करके जब कभी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, तब उन्हें नियमित करने के बारे में विचार किया जायेगा ।

शल्य चिकित्सा के सामान पर हुए खर्चों की प्रतिभूति

9018. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा समुचित रूप से उनके मामलों को भेजे जाने के पश्चात, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किये गये उनके अथवा उनके आश्रितों की ओपन हार्ट सर्जरी में, प्रयोग किये गए शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सामान पर हुए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु कितने आवेदन उनके मन्त्रालय के पास एक वर्ष से अथवा उससे अधिक समय से लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) प्रतिपूर्ति हेतु इन आवेदनों का किन कारणों से अब तक निपटान नहीं किया जा सका ;

(ग) इन मामलों में किस तारीख तक प्रतिपूर्ति किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या भविष्य में ऐसी प्रक्रिया लागू करने का विचार किया गया है जिसके अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना द्वारा भेजे गए मामलों में शल्य चिकित्सा के सामान तथा आवश्यक औषधियों की व्यवस्था अस्पताल करेगा और खर्चे की बड़ी धनराशि के लिए गरीब सरकारी कर्मचारियों पर जोर डालने के बजाय सीधे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पास बिल भेजे और इसके बाद प्रतिपूर्ति के लिए वर्षों प्रतीक्षा करे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 8 मामले ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमों के अन्तर्गत शल्य-चिकित्सा के खर्चों के दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है और इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने की अनुमति देना सम्भव नहीं है ।

सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिस विभाग में काम कर रहा हो उस विभाग के

सेवा शीर्ष से दावों की प्रतिपूर्ति दिये जाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इस बारे में शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की सम्भावना है। इसके बाद प्रतिपूर्ति के प्रश्न पर सम्बन्धित विभागों द्वारा विचार किया जायेगा।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

दूर संचार विज्ञान के निरीक्षकों की ड्यूटी

9019. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगनल और दूर संचार विभाग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के निरीक्षकों और रख-रखाव कर्त्ताओं के कार्य, अलग-अलग क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निरीक्षकों तथा अनुरक्षकों की ड्यूटियां अनुबन्ध-1 (संलग्न) में दिखायी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4015/82]

(ख) प्रत्येक रेलवे पर कर्मचारियों (निरीक्षकों और अनुरक्षकों) की संख्या अनुबन्ध-II (संलग्न) में दिखायी गयी हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4015/82]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नाम

9020. **श्रीमती संयोगिता राणें** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और चालू वर्ष के दौरान उन्हें कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) क्या उन विश्वविद्यालयों को भी अनुदान दिया जाता है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अभी मान्यता मिलनी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है। विधि द्वारा संस्थापित सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12क के अनुसार केवल वे विश्वविद्यालय, जो 17 जून, 1972 के बाद संस्थापित किए गए हैं, जिन्हें आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया जाता है, उनको विश्व-

विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय ऐसे 16 विश्व-विद्यालय हैं जिनको कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

चालू वित्त वर्ष अभी-अभी आरम्भ हुआ है और चालू वर्ष में अभी तक अधिकांश विश्व-विद्यालयों को कोई महत्वपूर्ण विकास अनुदान मुक्त नहीं किया गया है।

स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, मदुरई से पत्र

9021. **श्री ई० बालानंदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, मदुरई डिवीजन से दिनांक 12 फरवरी, 1982 का कोई पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पत्र में एसोसिएशन द्वारा उठाये गये मुख्य मुद्दे क्या हैं ;

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक **विवरण** संलग्न है।

विवरण

एसोसिएशन द्वारा उठाये गये मुख्य मुद्दे इस प्रकार है :—

(1) रामेश्वरम में माल शेड के कार्य समय के बारे में मंडल प्राधिकारियों द्वारा गलत सूचना दी जा रही है,

(2) रामेश्वरम में माल बाबू रोस्टर का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; और

(3) माल शेड के कार्य समय में परिवर्तन कर दिया गया है।

उपर्युक्त मुद्दों पर निम्नलिखित टिप्पणी दी जाती है :—

(1) आरोप सही नहीं हैं;

(2) रामेश्वरम में माल शेड का समय 10.00 बजे से 18.00 बजे तक अधिसूचित

किया गया है और अक्तूबर, 1978 से यही समय लागू है ; और

(3) माल बाबूओं द्वारा रोस्टरों का अनुपालन न किये जाने के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी थी ।

स्वास्थ्य शिक्षा आयोग की स्थापना करना

9022. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा आयोग की स्थापना करने पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-उत्तर यमन आर्थिक सहयोग

9023. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और उत्तर यमन के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक सरकारी शिष्टमंडल ने हाल ही में उत्तर यमन का दौरा किया था;

(ख) क्या यह शिष्टमंडल द्विपक्षीय सहयोग के लिए किन्हीं क्षेत्रों का पता लगा सका है;

(ग) इस शिष्टमंडल का क्या परिणाम रहा ; और

(घ) इस शिष्टमंडल के निष्कर्षों का अनुसरण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विदेश मंत्रालय के सचिव, रोमेश मण्डरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने 22 से 25 मार्च, 1982 तक यमन अरब गणराज्य की यात्रा की ।

(ख) से (घ) इस यात्रा के दौरान औद्योगिक, आर्थिक, तकनीकी, स्वास्थ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में सहयोग के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया गया तथा अधिक सहयोग के अनेक क्षेत्रों

का पता लगाया गया, जैसाकि लघु उद्योग, औद्योगिक नीति और आयोजन, प्रशिक्षण सुविधाएं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, बैंकिंग, परिवहन और सिविल विमानन दोनों देशों के सम्बन्धित अभिकरण अन्तिम रूप से स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे ।

अनुभाग अधिकारी लेखा ग्रेड के पद

9024. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे में अनुभाग अधिकारी लेखा ग्रेड 500-900 रुपये, सीनियर सब-हैड वेतनमान 550-750 रुपये (आर०) और क्लर्क ग्रेड/वेतनमान 425-700 रुपये (आर०) के पदों के लिए आरक्षित रिक्त पद अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों के लिए 7 1/2 प्रतिशत पद पूरी तरह भर लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और रोस्टर के अनुसार उपरोक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या उपरोक्त पदों को भरने के लिए कोई द्रुत कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पश्चिमी रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

पार्सल कार्यालय, नई दिल्ली स्टेशन पर छापा

9025. **श्री छांगुर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1981 के महीने में एक्सटेंडेड लगेज बुकिंग आफिस, पार्सल कार्यालय, नई दिल्ली स्टेशन पर उत्तर रेलवे सतर्कता संगठन द्वारा छापा मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या धोखाधड़ी से किन्हीं सौदों का पता लगा था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों को बड़ा दंड देने के लिए चार्जसीट किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) दोषी कर्मचारियों को पहले ही तीन सेट पास बन्द कर देने का दण्ड दे दिया गया है ।

राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में शिल्प-शिक्षकों की पदोन्नति में गतिरोध

9026. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में शिल्प-शिक्षकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में कई वर्षों से गतिरोध बना हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि वे सैलेक्शन ग्रेड पाने के पात्र हो गए हैं उन्हें यह ग्रेड नहीं दिया गया है हालांकि ऐसे पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे रिक्त पदों की संख्या क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन पदों को भरने का है ;

(ङ) यदि हां, तो कब ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (श्री० पी के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राजकीय सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में केवल पांच ही ऐसे शिल्प अध्यापक पाये गये थे जो 1-1-1980 की यथा स्थिति के अनुसार अपने वेतन मान का अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे थे।

(ख) पात्र शिल्प अध्यापकों को, उपलब्ध प्रवरण ग्रेड पदों में से प्रवरण ग्रेड दे दिए गये है।

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा के लिए बजट का राज्यवार नियतन

9027. श्री जायनल अबेदिन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार शिक्षा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों सहित राज्यों को पृथक्-पृथक् रूप से बजट की कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा बजट के कुल आबंटन में उनके आवंटन का प्रतिशत क्या-क्या था ?

शिक्षा और सांस्कृतिक तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : नवीनतम उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शिक्षा के लिए बजट में किया गया आबंटन

(शिक्षा तथा अन्य विभाग)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राशि करोड़ रुपयों में			आबंटन की प्रतिशतता		
				कुल राज्य	राजस्व	बजट
	1979-80 (वास्तविक बजट)	1980-81 (संशोधित बजट)	1981-82 अनुमानित बजट	1979-80	1980-81	1981-82
1. आंध्र प्रदेश	239.04	277.97	327.25	23.6	24.5	26.6
2. असम	89.93	97.84	105.94	29.0	26.5	27.5
3. बिहार	198.79	269.30	280.57	31.3	30.5	28.8
4. गुजरात	193.57	226.74	238.35	26.0	24.5	24.4
5. हरियाणा	68.91	88.46	92.44	21.7	21.5	21.3
6. हिमाचल प्रदेश	36.07	44.52	48.37	18.2	19.9	20.1
7. जम्मू और काश्मीर	39.81	52.57	52.89	21.0	19.1	18.0
8. कर्नाटक	175.68	194.84	220.82	23.8	21.0	22.6
9. केरल	207.27	239.65	268.76	35.0	35.6	37.2
10. मध्य प्रदेश	183.23	213.63	233.66	23.2	[illegible]	[illegible]

1	2		4	5	6	7
11. महाराष्ट्र	379.01	442.60	446.99	23.7	23.0	21.8
12. मणिपुर	15.00	18.74	19.34	20.8	21.5	18.7
13. मेघालय	7.72	10.79	11.32	16.8	18.4	17.7
14. नागालैंड	9.94	13.06	13.29	14.5	15.2	14.5
15. उड़ीसा	101.75	126.45	133.63	22.7	22.4	24.4
16. पंजाब	120.07	142.67	134.84	27.2	27.3	25.6
17. राजस्थान	143.17	163.38	175.06	22.5	23.8	25.3
18. सिक्किम	3.07	3.57	3.97	10.4	12.0	12.5
19. तमिलनाडु	232.38	280.62	296.56	27.4	23.7	26.1
20. त्रिपुरा	14.93	16.99	18.16	24.1	17.4	21.2
21. उत्तर प्रदेश	335.28	365.29	380.77	23.3	21.3	21.8
22. पश्चिम बंगाल	239.42	296.58	321.13	24.5	25.1	25.4
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.46	3.87	4.13	12.8	12.4	11.9
24. अरुणाचल प्रदेश	5.80	7.48	8 45	9.1	10.1	11.0
25. चंडीगढ़	7.36	9.03	9.54	28.2	27.7	27.3

1	2	3	4	5	6	7
26. दादरा और नागर हवेली	0.74	0.82	0.94	28.7	29.0	26.3
27. दिल्ली	59.55	67.58	71.96	37.7	35.9	33.7
28. गोआ, दमन और दीव	13.11	14.45	15.40	26.00	24.2	24.4
29. लक्षद्वीप	1.27	1.38	1.45	23.8	17.5	20.3
30. मिजोरम	7.20	8.11	7.95	14.4	14.7	14.4
31. पांडिचेरी	6.14	6.83	7.32	22.1	19.6	20.8
भारत :	3138.67	3105.51	3951.25	24.9	23.9	24.5

टंककों को लिपिकीय संवर्ग में शामिल करना

9028. **श्री रेणुपद दास :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे में काम कर रहे टंककों की ओर से टंकक-संवर्ग का लिपिकीय संवर्ग में विलय करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो विलय करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) स्थायी वार्ता-तंत्र की बैठक में नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन द्वारा क्लर्कों और टाइपिस्टों के समाहरण का यह मुद्दा उठाया गया है और इस मामले में रेल मन्त्रालय द्वारा निर्णय किया गया है कि चूंकि क्लर्कों और टाइपिस्टों के भिन्न कार्यों वाले अलग-अलग संघटन हैं और इनके संवर्ग कई वर्षों तक अलग-अलग रहते हैं, इसलिए, उनका विलयन व्यावहारिक नहीं होगा ।

मोती लाल नेहरू कालेज, नई दिल्ली के भवन का निर्माण

9029. **डा० ए० यू० आजमी**
श्री हरीश कुमार गंगवार } :क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मोती लाल नेहरू कालेज नई दिल्ली के भवन का निर्माण कार्य लगभग दो साल से रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार, ठेकेदार ने निर्माण कार्य को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की है, जब तक कि मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण लागत संशोधित नहीं कर दी जाती ।

(ग) निर्माण कार्य की लागत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली प्रशासन द्वारा वहन की जाती है । अतः लागत में संशोधन का अनुमोदन उन्हीं के द्वारा ही किया जाना है । कालेज प्राधिकारी संशोधित लागत के अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/दिल्ली प्रशासन से सम्पर्क करने से पूर्व नये ठेके से सम्बन्धित शर्तों के बारे के बातचीत कर रहे हैं ।

बिहार में काला आजार बुखार

9030. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी जिले के खजौली ब्लाक और बिहार के अन्य इलाकों में पुनः काला आजार बुखार फैला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका उन्मूलन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) हां । बिहार से मिली रिपोर्टों के अनुसार 1981 के दौरान मधुबनी जिले (खजौली ब्लाक समेत) में 224 व्यक्तियों और इस वर्ष 20 फरवरी, 1982 तक 20 व्यक्तियों को काला आजार हुआ था लेकिन किसी की भी मृत्यु नहीं हुई । विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखते हुए इस रोग पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं जिनमें उपचार के बाद रोगियों को समय-समय पर सक्रिय अनुसंधान करना तथा रोगग्रस्त गांवों तथा आसपास के इलाकों में घरों और पशुघरों में विशिष्ट कीटनाशी छिड़काव करना शामिल है। भारत सरकार द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रशिक्षण, महामारी विज्ञान सम्बन्धी निरीक्षण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्फत हुए सेकेण्ड लाइन दवाओं के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है।

क्लर्कों का स्थायीकरण

9031. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री मुरादाबाद मंडल के क्लर्कों को स्थायी किये जाने के बारे में 17 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इन क्लर्कों के स्थायीकरण का मामला किस स्थिति में है।

(ख) मंडलीय रेलवे प्रबन्धक मुरादाबाद द्वारा 28 फरवरी, 1982 की निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस मामले में विलम्ब किया गया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सम्बन्धित क्लर्कों के स्थायीकरण के आदेश जारी करने में कितना समय लग जायेगा जिससे उन्हें बहुअपेक्षित राहत मिलेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मंडल रेल प्रबन्धक, मुरादाबाद के अन्तर्गत कार्यरत 260-400 रुपये के ग्रेड वाले क्लर्कों की वरिष्ठता सूचियां यथाविधि पूरी कर ली गयी है और इन्हें परिपत्रित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। जिन्हें निपटा दिया गया है और कुल 180 कर्मचारियों में से 40 व्यक्तियों के स्थायी किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष व्यक्तियों के लिए इस ग्रेड में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि वरिष्ठता सूची के बारे में बड़ी संख्या में आपत्तियों तथा कुछ अन्य सम्बन्धित मामलों को निपटाया जाना था इसलिए 28-2-82 की लक्ष्य तारीख का पालन नहीं किया जा सका।

(घ) चूंकि स्थायी किये जाने का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है और यह रिक्तियों की उपलब्धता तथा ऐसे स्थायीकरण के लिए कर्मचारियों की पात्रता पर भी निर्भर करता है इसलिए इसके लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बतायी जा सकती।

दिल्ली में स्थगित/रद्द किए गए ड्राइविंग लाइसेंसों की संख्या

9032. **श्री हरीश कुमार गंगवार**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान मोटर-वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 17-क में शामिल प्रबन्धों के अनुसार दिल्ली में कितने ड्राइविंग लाइसेंस स्थगित किए गए/रद्द किए गए ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए जाने के बारे में अमरीकी राजदूत का वक्तव्य

9033. **श्री रशीद मसूद**
श्री त्रिलोक चन्द
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री बाल कृष्ण वासनिक
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री सुभाष यादव
श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत स्थित अमेरिकी राजदूत के हाल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे घातक हथियारों पर अमेरिका का पर्यवेक्षण सम्बन्धी नियन्त्रण नहीं होगा और वह इस बात की गारण्टी नहीं दे सकता है कि इनका प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार ने अमरीकी राजदूत के इस आशय के भाषण की खबरें देखी हैं कि "हमें विश्व के विभिन्न भागों से पहले भी समय-समय पर आश्वासन मिलते रहे हैं लेकिन ये आश्वासन हमेशा पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए सवाल यह है कि प्रभावकारी क्या है।" उन्होंने आगे विशेष रूप से यह कहा कि "हमारा कोई निरीक्षणात्मक नियंत्रण नहीं होगा यानि वहां जाकर अमरीकी बैठें, ऐसी कोई बात नहीं होगी।"

(ख) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को अद्यतन हथियार सप्लाई किए जाने के बारे में भारत सरकार के विचार सुविदित हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है।

गेलार्ड आइसक्रीम पार्लर, अजमल खां रोड, दिल्ली

9034. **श्री नीरेन घोष**
श्री वसुदेव आचार्य
श्री मुकुन्द मंडल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 में गेलार्ड आइसक्रीम पार्लर, अजमल खां रोड, दिल्ली का नमूना 90 प्रतिशत मिलावटी पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकारी विश्लेषक की यह राय थी कि यह नमूना मिलावटी था क्योंकि इसमें भार के हिसाब से दूध-वसा में 4.3 प्रतिशत भार के हिसाब से समस्त ठोस पदार्थ में 1.73 प्रतिशत और भार के हिसाब से प्रोटीन में 1.65 प्रतिशत की कमी थी।

पार्लर के प्रबन्धक के खिलाफ मुकदमा इसलिए नहीं चलाया गया क्योंकि उनसे दस्तावेजों सहित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि वह पदार्थ आइसक्रीम नहीं बल्कि शर्बत के रूप में बेचा गया था।

उत्तर-दक्षिण गतिरोध के बारे में भारत अमेरिका संयुक्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा रखा गया प्रस्ताव

9035. **श्री एस० बी० सिदनाल**
श्री माधवराव सिन्धिया } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग और व्यापार सम्बन्धी भारत-अमेरिका संयुक्त आयोग

के अध्यक्ष ने विश्व अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के लिए वर्तमान उत्तर-दक्षिण गतिरोध को हल करने हेतु दोनों देशों के बीच चर्चा का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने हेतु स्रोतों का स्थानान्तरण उत्तर से दक्षिण की ओर करने की आवश्यकता श्री ओरविल फ्रीमेन के प्रस्ताव पर भारत पहल करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर : (क) भारतीय विश्व कार्य परिषद में अपने एक भाषण के दौरान भारत-अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष श्री ओरविल एल० फ्रीमेन ने यह प्रस्ताव किया था कि "हम एक द्विपक्षीय आयोग या एक अनौपचारिक मंच तैयार करें जो ऐसे विचार और उपाय तथा तरीके प्रस्तुत करे कि जिनसे उत्तर-दक्षिण वार्ता नकारात्मकता और कटुता के अपने वर्तमान वातावरण से ऊपर उठकर रचनात्मक दिशा में अग्रसर हो सके।

(ख) और (ग) यद्यपि भारत सरकार उत्तर-दक्षिण वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए सभी सुझावों का स्वागत करती है, तथापि इन मामलों के बारे में एक द्विपक्षीय आयोग की स्थापना के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राकेट विभाग रांची

9036. **श्री जगपाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० आई० टी० मेसरा, रांची में स्पेस इंजीनियरिंग एण्ड राकेट विभाग की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या भारत सरकार और रक्षा मन्त्रालय द्वारा उपर्युक्त विभाग को अनेक परियोजनाएं दी गई हैं और यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं हैं ; और

(ग) क्या इस विभाग का सारा व्यय शिक्षा विभाग वहन करता है और यदि हां, तो वर्षवार इस विभाग को कितनी धनराशि दी गई और इसमें से उपकरणों और मशीनों की खरीद पर कितना व्यय किया गया, क्या समस्त उपकरण और मशीनें संस्थान में उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी परियोजनाओं की संख्या 15 है।

(ग) इस विभाग का सम्पूर्ण व्यय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा वहन नहीं किया जा रहा है। यह विभाग शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त कर रहा है जिनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

सरकारी अनुदानों में से उपस्करों तथा मशीनरी की खरीद पर खर्च की गई राशि इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि, संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सरकारी अनुदान में से खरीदे गए सम्पूर्ण पूंजीगत उपस्कर तथा मशीनरी संस्थान के पास उपलब्ध हैं।

विवरण

बिडला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची के राकेट्री तथा स्पेस इंजीनियरी विभाग को शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य स्रोतों से निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए हैं।

क—पूंजीगत अनुदान

(रुपये लाखों में)

	विषय	न्यासियों का योगदान	शिक्षा मन्त्रालय द्वारा मुक्त किए गए अनुदान
1.	स्पेस तथा इंजीनियरी और राकेट्री विभाग की प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी तथा उपस्कर	8.35	4.50
2.	स्पेस इंजीनियरी तथा राकेट्री विभाग के लिए भवन	5.50	1.50
3.	पुस्तकालय (पुस्तकों के लिए)	1.00	0.50
		14.85	6.50

ख—आवर्ती अनुदान

1975-76 से विभाग को प्राप्त आवर्ती अनुदान इस प्रकार हैं :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	न्यासियों का योगदान	भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा मुक्त किए गए अनुदान
1975-76	1.07	1.55
1976-77	1.22	1.52
1977-78	0.83	1.78
1978-79	1.09	2.21
1979-80	1.04	2.55
1980-81	1.43	2.39

ग—स्पेस विभाग द्वारा दिए गए अनुदान

विभाग को 1972-78 के दौरान स्पेस विभाग से छात्रों को शिक्षा वृत्तियां प्रदान करने के लिए 80,000/- रुपये तथा राकेट निर्माण वायुगतिकी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा नियन्त्रण/मार्गदर्शन प्रक्रियाओं के क्षेत्रों में और आगे अनुसंधान कार्य को संकेन्द्रित करने के लिये 1.50 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। राशि आंशिक रूप से खर्च की गई है और कुछ उपस्कर प्राप्त किए गए हैं।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बाद में अमेरिका का भारत को आश्वासन

9037. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अमेरिका से कोई ऐसा आश्वासन मिला है कि अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध नहीं करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार को अमरीका से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है कि वह पाकिस्तान को जो हथियार सप्लाई कर रहा है उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के मेडिकल कालेजों में प्रक्षेप पर धांधली

9038. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन सालों के दौरान केरल विश्वविद्यालय के मैडिकल कालेजों में प्रवेश सम्बन्धी धांधलियों के कितने मामले दायर किए गए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मन्त्री के विशेष सहायकों के पदों को हटाया जाना

9039. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मन्त्रि मंडल स्तर के मंत्रियों तक के विशेष सहायकों के पदों को समाप्त करने के बारे में निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या रेलवे के वर्तमान चेयर मैन को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में आफीसर आन

स्पेशल ड्यूटी दिया गया है जो विशेष सहायक भी हैं और इस अधिकारी की सभी गुप्त कागजों और फाइलों तक, जिनका निपटान रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा रेल मन्त्री के स्तर तक होना होता है, पहुंच है ; और

(ग) पुरानी परम्परा को समाप्त करने के लिए वह तथा संविधान वाह्य इस प्राधिकार को खत्म करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप- मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि मन्त्रियों (प्रधान मन्त्री को छोड़कर) के साथ सम्बद्ध विशेष सहायक के पदों का पदनाम बदलकर निजी सचिव कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, के साथ सम्बद्ध विशेष सहायक के पद को निजी सचिव वेतनमान 650-1200 रुपये) के रूप में परिचालित किया जा रहा है। भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, स्तर-II के अधिकारी, जो ऊपर निदेशक, परिवहन योजना के रूप में कार्य कर रहे थे, का पदनाम बदलकर अपर निदेशक, विशेष कार्य कर दिया गया है। यह अधिकारी अपर निदेशक, परिवहन योजना के रूप में अपनी ड्यूटी करते हैं तथा साथ-साथ परिवहन और योजना से सम्बन्धित मामलों के बारे में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, की मदद करते हैं। कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया गया है।

देश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या

9040. **श्री जैनुल बशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) देश में कितने प्राइमरी स्कूल है ;

(ख) कितने स्कूलों के पास इमारत नहीं हैं ; और

(ग) यदि बिना अध्यापक के कोई स्कूल हो, तो ऐसे स्कूल कितने हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल 4,74,636 प्राथमिक स्कूलों में से 41,286 प्राथमिक स्कूल बिना भवनों के थे।

(ग) उसी सर्वेक्षण में यह सूचित किया गया कि 2937 प्राथमिक स्कूल बिना शिक्षकों के थे। परन्तु हाल ही में अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार बिना शिक्षक के कोई स्कूल नहीं हैं।

पूरक अनुदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

9041. **श्री गदाधर साहा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिए 9.91 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे हुगली पुल के निर्माण की परियोजना के लिए वर्तमान अनुमानित 126.68 करोड़ की लागत के स्थान पर कुल 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बारे में निर्णय लेने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों मदों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) हुगली नदी पर दूसरा पुल राज्य की सड़क पर है। इसलिए मूलतः पश्चिम बंगाल सरकार इसके निर्माण से सम्बन्धित है। लेकिन, इस परियोजना के लिये इसे वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार 57.13 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की स्वीकृति के लिये राजी हुई है। इस पर यदि अधिक खर्च होता है तो वह राज्य सरकार अपने ही साधनों से पूरा करेगी। 57.13 करोड़ रुपये में से, 30.57 करोड़ रुपये 31-3-81 से पहले दिए गए और 12 करोड़ रुपये 1981-82 के दौरान दिए गए। वित्तीय कठिनाइयों के कारण 1981-82 के दौरान राज्य सरकार के 9.91 करोड़ रुपये की वृद्धि के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को केन्द्र द्वारा स्वीकार करने सम्बन्धी राज्य सरकार के अनुरोध को भी स्वीकार करना असंभव है।

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम और उनकी लम्बाई

9042. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार देश के प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम और उसकी लम्बाई क्या है ;

(ख) राज्यवार सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए प्रत्येक राज्य राजमार्ग का नाम और लम्बाई क्या है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला गया ; और

(ग) उन राजमार्गों के नाम और लम्बाई क्या है जो राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए सरकार के विचाराधीन है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न हैं (अनुबन्ध-)। [मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 40116/82]

(ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय उन सड़कों से है जो छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनके बारे में सूचना संलग्न विवरण में है

गयी है (अनुबन्ध-II)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4016/82]

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण, भारत सरकार इस समय किसी भी राज्य में किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है।

प्रधान मंत्री का इंगलैंड का दौरा

9044. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री अपने इंगलैंड के दौरे के पश्चात् इंगलैंड में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा (जानमाल) सम्बन्धी व्यवस्था से संतुष्ट हैं ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने इस मामले पर इंगलैंड की प्रधान मंत्री से बातचीत की है ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने युनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीयों के कल्याण के बारे में हमारी चिन्ता को दोहराया है।

ब्रिटेन में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी यू० के० सरकार की है। तथापि सरकार की चिन्ता से ब्रिटिश सरकार को समय-समय पर अवगत कराया जाता है।

रेल दुर्घटनाएं

9045. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री सूरज भान
श्री राम प्रसाद अहिरवार } : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1977 से 20 जुलाई 1979, 20 जुलाई, 1979 से 15 जनवरी, 1980, 15 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 और 1 जनवरी, 1981 से 15 जनवरी, 1982 के बीच कितनी छोटी और बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने जान-माल का नुकसान हुआ ; और

(ख) उक्त अवधियों में दुर्घटनाओं की प्रतिमास अधिकतम दर कब थी और न्यूनतम दर कब थी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अपेक्षित सूचना आगे दी गयी है।

अवधि	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या (छोटी-बड़ी दोनों प्रकार की)	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	रेल सम्पत्ति की हुई क्षति का मूल्य
			(करोड़ रुपयों में)
(1) 25 मार्च, 1977 2 जुलाई, 1979 तक।	2,105	618	10.6
(2) 21 जुलाई, 1979 से 15 जनवरी 1980 तक।	432	135	3.6
(3) 16 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक।	946	211	5.9
(4) 1 जनवरी, 1981 से 15 जनवरी, 1982 तक।	1,154	546	11.7

(ख) 1 जनवरी, 1981, से 15 जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान प्रति माह गाड़ी दुर्घटनाओं की दर सबसे अधिक और 21-7-1979 से 15-1-1980 तक की अवधि के दौरान यह दर सबसे कम थी।

वर्ष 1981-82 में योजना धनराशि का उपयोग

9046. **श्री अनादि चरण दास**
श्री एस० एम० कृष्ण } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की वर्ष 1981-82 स्वीकृत योजना धनराशि कितनी है ;

(ख) उक्त वित्तीय वर्ष में उनके मंत्रालय ने कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ग) उस वर्ष में उपयोग न की गयी धनराशि का (पत्तनवार) ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 क—

योजना परिव्यय और बड़े पत्तनों द्वारा प्रयुक्त और अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पत्तन का नाम	योजना परिव्यय	प्रयुक्त धनराशि	अप्रयुक्त धनराशि(—)/ परिव्यय से अधिक प्रयुक्त धनराशि
1	2	3	4
1- (क) कलकत्ता	217	163	(—) 54
(ख) हल्दिया डाक्स	200	132	(—) 68
(ग) भागीरथी हुगली नदियों का निकर्षण आदि कार्य	220	198	(—) 22
2. (क) बम्बई	1054	881	(—) 173
(ख) न्हावा-शेवा	26	27	(+) 1
3. मद्रास	1139	1280	(+) 141
4. कोचीन	1275	1222	(—) 53
5. विशाखापत्तनम	1208	990	(—) 218
6. कांडला	888	991	(+) 103
7. मुरगांव	446	346	(—) 100
8. परादीप	910	989	(×) 79
9. न्यू मंगलौर	1016	1026	(×) 10
10. टूटीकोरिन	648	594	(—) 54
कुल	9627	8839	(—) 408

टिप्पणी : कालम संख्या 3 में दिए गए आँकड़े अनन्तिम हैं जो वर्ष 1981-82 के लेखाओं के अन्तिम किए जाने पर निर्भर हैं।

वैगनों का बेहतर उपयोग

9047. **श्री राम जेठमलानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे निर्दिष्ट मात्रा में यातायात इकाईयों द्वारा बल्क ढुलाई के लिए इस्पात संयंत्रों हेतु विशिष्ट संख्या में वाकन-रैक निर्धारित करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वैगनों और यातायात का बेहतर उपयोग हुआ है और अधिक धनराशि अर्जित हुई है ;

(ग) क्या यह योजना बिजली घरों के लिए कोयले, डिपुओं के लिए कोयले सीमेंट, उर्वरक और खाद्यान्न की ढुलाई के लिए भी लागू की जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) यदि किसी खास यातायात के लिए विशिष्ट रेकों का आबंटन किया जाये, तो इसके परिणामस्वरूप वे रेक एक दिशा में खाली जायेंगे । इसलिए जहां तक सम्भव हो, वापसी दिशा में माल डिब्बों के लिए लदान प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार खाद्यान्न लेकर दक्षिण की ओर जाने वाले डिब्बे वापसी पर मद्रास से उत्तरी राज्यों के लिए उर्वरक लाते हैं ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को विशेष छुट्टी

9048. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्री के० अर्जुनन } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की विशेष छुट्टी मंजूर करने के अध्यादेश/कानून क्या हैं ; और

(ख) क्या इस अवधि में संकाय सदस्यों को पूरा वेतन मिलता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) संकाय सदस्यों के असाधारण अवकाश से सम्बन्धित प्रावधान, विश्वविद्यालय के अवकाश सम्बन्धी अध्यादेशों के अध्यादेश 8 में निहित हैं । मुख्य प्रावधान ये हैं कि ऐसा अवकाश तभी स्वीकृत किया जाता है जब अन्य कोई अवकाश अनुमत्य न हो अथवा जब एक शिक्षक विशेषकर ऐसे अवकाश के लिए आवेदन करता है । केवल स्थायी शिक्षक ही ऐसे अवकाश के पात्र होते हैं और ड्यूटी से निरन्तर अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी भी हालत में 5 वर्ष में अधिक नहीं होनी चाहिए । शिक्षकों को, ऐसा अवकाश, सरकार के अधीन नियुक्तियां अथवा फैलोशिप स्वीकार करने और विश्वविद्यालयों अथवा अनुसंधान संस्थाओं में शिक्षक अथवा अनुसंधान कार्य के लिए दिया जाता है ।

(ख) असाधारण अवकाश पर शिक्षक किसी भी वेतन के पात्र नहीं होते। तथापि, उन्हें केवल ऐसे भत्ते, जो असाधारण अवकाश पर अनुमत्य हो, दिये जाते हैं।

एशियाई खेल 1982 में इजरायल द्वारा भाग लेना

9049. **श्री कमल नाथ**
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई खेल 1982 में इजरायल को न बुलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाई खेल 82 में भाग लेने के लिए सदस्य देशों को निमन्त्रण भेजना, नवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति की जिम्मेदारी है। समिति द्वारा ये निमन्त्रण अभी भेजे जाने हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइनों के निर्माण में राज्यों द्वारा भाग लेना

9050. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने रेल लाइनें बिछाने, रेल लाइनों को दोहरा करने और छोटी लाइन को बड़ी में बदलने पर होने वाले व्यय का एक अंश वहन करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नयी रेल लाइनों के निर्माण, अमान परिवर्तन आदि के उन प्रस्तावों का ब्यौरा, जिनमें राज्य सरकारों ने रेलों की सहायता प्रदान करने की पेशकश की है।

क्रम सं०	सम्बन्धित राज्य	रेल योजना का ब्यौरा	सहायता देने की पेशकश की है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य रेलवे पर बीबीनगर से नंडिकुडे तक एक बड़ी लाइन का निर्माण	मुफ्त में भूमि व्यवस्था की जानी है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	बिहार	(1) पूर्वोत्तर रेलवे पर हाजीपुर से वछवाड़ा तक समान्तर बड़ी रेल लाइन विछाना	मुफ्त में भूमि की व्यवस्था की जानी है
		(2) पूर्वोत्तर रेलवे पर दौराय-माधोपुरा से शिधेश्वर तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण	,,
		(3) आरा से माताराम तक एक नई बड़ी लाइन का निर्माण।	,,
		(4) देवधर से दुमका तक एक बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,
		(5) मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,
		(6) हजारीबाग के रास्ते रांची से गिरिडीह तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,
		(7) माधोपुरा से दुमका तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,
		(8) रांची से लोहारडागा तक की वर्तमान छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना तथा इसे टोरी तक बढ़ाना	,,
		(9) मन्दार हिल से वैद्यनाथ धाम तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण	,,
		(10) दुमका के रास्ते मन्दार हिल से सैंथिया तक एक नयी लाइन का निर्माण	,,
		(11) बहादुरगंज के रास्ते फारबिसगंज से ठाकुरगंज तक एक नयी रेल लाइन का निर्माण	,,
		(12) वनमजी से नरपतगंज तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,

(1) (2)	(3)	(4)
	(13) बिहारीगंज से कुरौला तक एक बड़ी रेल लाइन का निर्माण	मुफत में भूमि की व्यवस्था की जानी है
	(14) निर्मली से फारबिसगंज तक एक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,
	(15) निर्मली से सरायगढ़ तक एक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,
	(16) मुलतानगंज से देवधर तक एक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,
	(17) गोड्डा के रास्ते परिपेंती से दुमका तक एक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,
	(18) राजगीर से गया तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण	
	(19) धोबी क्षेत्र के रास्ते गया से टोरी तक एक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण	
	(20) बरवाड़ीह से संरनाडीह तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	
	(21) लोहारडागा के रास्ते रांची से कोर्वा तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	
	(22) दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक एक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण	
	(23) जयनगर के रास्ते लोकहा से सीतामढ़ी तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	
	(24) ललितग्राम से बीरपुर तक एक नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण	

(1)	(2)	(3)	(4)
		(25) महासी से सहरसा तक एक नयी रेल लाइन का निर्माण	मुफ्त में भूमि की व्यवस्था की जानी है।
		(26) तिमरी बख्तियारपुर से बिहारी गंज तक एक नयी रेल लाइन का निर्माण	,,
		(27) दरभंगा-निर्मली मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	,,
		(28) दरभंगा-जयनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	,,
		(29) कटिहार-जोगबनी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	,,
		(30) सहरसा-जोगबनी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	,,
		(31) बेतिया-मोतीहारी-मुजफ्फरपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	,,
		(32) बथनाहा-बीरपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	,,
3. गुजरात		भावनगर-तारापुर नयी बड़ी रेल लाइन	प्रारम्भ में राज्य सरकार मुफ्त में भूमि की व्यवस्था करने तथा पांच वर्ष तक लाइन पर होने वाली हानि को वहन करने को राजी हो गयी थी। बाद में राज्य सरकार ने सूचित किया कि वह लाइन की लागत के किसी हिस्से का वहन नहीं करेगी।
4. हिमाचल प्रदेश		(1) नंगल से तलवाड़ा तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण।	भूमि की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की

(1)	(2)	(3)	(4)
			जायेगी और वह काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मिट्टी बिछाने के काम के लिए मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के खर्च को भी वहन करेगी।
	(2)	जगाधरी से राजोरी तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में भूमि देने की पेश-कश की है।
	(3)	कालका-परवानू बड़ी रेल लाइन	"
5. कर्नाटक		बंगलुरु-मैसूर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	2.20 लाख रुपये मूल्य के लकड़ी के स्लीपरों की मुफ्त सप्लाई अनुमानित मूल्य 3.75 करोड़ रुपये तथा मुफ्त में भूमि देना (मूल्य 85 लाखरुपये)
6. केरल	(1)	एर्णाकुलम से उल्लपलि तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण	सरकारी भूमि की मुफ्त में व्यवस्था तथा लकड़ी के स्लीपरों की मुफ्त में सप्लाई (अनुमानित मूल्य एक करोड़ रुपये)
	(2)	गुरुवायूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण	लड़की के स्लीपरों की मुफ्त में सप्लाई
7. महाराष्ट्र		आप्ता से रोहा तक बड़ी लाइन का निर्माण	भूमि मुफ्त में दी गयी है।
8. उड़ीसा		जखापुरा-बांसपानी बड़ी लाइन का निर्माण	भूमि की लागत के रूप में 1.42 करोड़ की राशि तथा दैतारी-बांसपानी तक की रेल लाइन के लिए मिट्टी

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	पश्चिम बंगाल	(1) वजवज से नामखाना तक एक नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण	राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में भूमि दी जायेगी तथा मिट्टी बिछाने का कार्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित किया जायेगा।
		(2) हावड़ा और आमता के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण	राज्य सरकार द्वारा भूमि की वास्तविक लागत वहन की जायेगी।
		(3) हावड़ा (डानकुनी) से शियाखला तक एक बड़ी रेल लाइन का निर्माण	,,

वायरलैस आपरेटर

9051. **श्री एम० अरुणाचलम** : :क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में दो वायरलैस आपरेटरों को पदोन्नत करके अन्यत्र नियुक्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मद्रास में दो वायरलैस आपरेटर जून/जुलाई 1982 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं ; और

(ग) क्या उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर चार वायरलैस आपरेटरों की कमी पूरी करने के लिए मद्रास/मदुरई टेलिप्रिंटर को-आपरेटिंग ब्रांच (सिगनलर) सौंपने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 330-560 रुपये के वेतनमान के दो वायरलैस आपरेटरों की सन् 1981 के दौरान 425-640 रुपये के वेतनमान में पदोन्नत किया गया था। उन्हें अन्यत्र तैनात न करके मद्रास में ही रखा गया था।

(ख) मद्रास में केवल एक ही वायरलैस आपरेटर 30-6-1982 को सेवानिवृत्त होगा और वहां से जुलाई, 1982 में कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त नहीं हो रहा है।

(ग) जी हां।

चन्द्रपुर वडसा-जबलपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

9052. **श्री विलास मुत्तेमवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चन्द्रपुर वडसा-जबलपुर लाइन को छोटी से बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण से पता चला था कि यह प्रस्ताव बहुत ही अलाभप्रद होगा और यह भी पता चला था कि यातायात की दृष्टि से इस आमान परिवर्तन का कोई जोरदार औचित्य नहीं है । इस तथ्य को और धन, जो प्राथमिकता के आधार पर चल रही परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त नहीं है, की अत्यधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए, फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार छोड़ देना पड़ा है ।

(ग) आमान परिवर्तन के बारे में तब विचार किया जाता है जब

(i) कोई खण्ड सन्तृप्त हो जाता है और अतिरिक्त यातायात को सम्हालने में वह अक्षम हो जाता है ।

(ii) यानान्तरण का काम इस कदर बढ़ जाता है कि यह किफायती नहीं रहता और न ही सर्वथा व्यावहारिक होता है ।

(iii) आमान परिवर्तन की आवश्यकता उन क्षेत्रों में, जिनमें विकास की सम्भावना होती है, संचार के द्रुत और निर्बाध साधनों की व्यवस्था करने के लिए होती है ।

नटराज की चुराई गई मूर्ति

9053. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के एक मन्दिर से चार वर्ष पूर्व चोरी की गई नृत्य मुद्रा में नटराज की दुर्लभ मूर्ति अमरीका के अजायबघर में मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो मूर्ति को भारत में वापस लाने और जहां से यह चोरी हुई थी वहीं इसे पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तमिलनाडु पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संग्रहालय में नटराज की जिस मूर्ति का पता चला है, वह तमिलनाडु में ईश्वरन् के मन्दिर की बताई जाती है।

(ख) इसके देश-प्रत्यावर्तन हेतु तथ्यों का औचित्य सिद्ध हो जाने पर ही इसे वापस लाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

स्त्रियों में उर्वरता

9054. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में फ्रांस द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जिनमें बताया गया है कि 30 वर्ष की आयु के पश्चात महिलायें कम गर्भवती होती हैं यह बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती है जबकि वास्तविकता यह है कि 30 से 40 वर्ष की उम्र में अधिकांश स्त्रियां उर्वर रहती हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार स्त्रियों की सहायता के लिए इन निष्कर्षों का प्रचार करने का है, ताकि वे संतान जनन आगे के लिए रख सकें ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है। तथापि, उपलब्ध जनांकिकी आंकड़ों के आधार पर महिलाओं में 25 वर्ष की आयु के आस-पास जननक्षमता शिखर पर होती है और 25 वर्ष की आयु के पश्चात् मासिक धर्म बन्द होने तक जननक्षमता कम होनी शुरू हो जाती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

आसनसोल में राजधानी एक्सप्रेस का रुकना

9055. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल में राजधानी एक्सप्रेस को रोकने का विचार ; है

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) महानगरीय शहरों के बीच थ्रू और आरामदेह तेज गाड़ी सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से इन गाड़ियों का ठहराव केवल उन्हीं स्टेशनों पर निश्चित किया जाता है जहां परिचालनिक कारणों से ऐसा करना अपेक्षित होता है । अधिक ठहरावों की व्यवस्था करने से इसी प्रकार की मांगों को बढ़ावा मिलेगा और गाड़ियों की गति धीमी हो जायेगी जिसके कारण ऐसी गाड़ियों की विशेषता समाप्त हो जायेगी ।

करौल बाग और किशनगंज में बीच लेवल क्रासिंग

9056. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करौल बाग और किशनगंज को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 'डबल लेवल क्रासिंग' का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोगों को यह लेवल क्रासिंग' बन्द होने पर करौल बाग या नयी दिल्ली जाने के लिए दो मील घूमकर जाना पड़ता है ;

(ग) क्या जनता और दिल्ली यातायात पुलिस ने यहां एक उपरिपुल बनाने का सुझाव दिया है ;और

(घ) यदि हां, तो रेलवे विभाग लोगों की सुविधा के लिए यहां कब तक उपरिपुल का निर्माण कर देगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । किशनगंज से करौल बाग/नयी दिल्ली की तरफ जाने के लिए दो पैदल ऊपरी पुल, दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन के शकूरबस्ती वाले सिरे पर एक ऊपरी सड़क पुल और आजाद मार्किट वाले सिरे पर एक निचला सड़क पुल पहले ही मौजूद है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एन० सी० ई० आर० टी० में सहायक सचिवों की वरिष्ठता सूची

9057. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० ई० आर० टी० में 17 जून, 1794 से स्थायी किए गए सहायक सचिवों की वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त वरिष्ठता सूची के परिशोधन से कुछ अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

9058. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वभौमिक निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए (अनुच्छेद 49) संवैधानिक उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में 6-11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के नाम दर्ज न कराए जाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में इस पहलू पर डाले गये दबाव को ध्यान में रखते हुए इस आयु वर्ग के सभी पात्र बच्चों को शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यवाही योजना का स्वरूप क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण ने 30-9-1982 को संदर्भ तारीख के रूप में लेकर देश में सर्वेक्षण किया था । जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 6-11 आयु वर्ग के बच्चों की दाखिला की स्थिति को दर्शाया गया था । मंत्रालय द्वारा ऐसे आंकड़े प्रति वर्ष एकत्र किये जाते हैं । वर्ष 1979-80 के ऐसे ही आंकड़ों, छठी योजना के आधार वर्ष के अनुसार 6-11 आयु वर्ग के बच्चों की दाखिला प्रतिशतता 81.9 थी ।

(ग) और (घ) जी, हां। औपचारिक प्रणाली में दाखिला को बढ़ाने तथा छात्रों को बनाये रखने की स्थिति में सुधार करने का प्रस्ताव है। जो बच्चे औपचारिक शिक्षा में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते, उनके लिए एक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है।

छठी योजना में 1984-85 तक प्राथमिक कक्षाओं (I-V) में 95% दाखिला का लक्ष्य है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एफ्लाटोक्सीन युक्त मूंगफली के अपरिष्कृत तेल की बिक्री

9059. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपरिष्कृत मूंगफली के तेल में कारसिनोजन्स नामक प्रसिद्ध एफ्लाटोक्सीन होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की जांच की गई है कि क्या कच्ची अथवा सूखी मूंगफली तथा इसके अन्य अंशों में भी एफ्लाटोक्सीन होता है;

(ग) क्या सरकार ने सामान्य लोगों द्वारा उपयोग हेतु अपरिष्कृत मूंगफली के तेल तथा इसके अन्य रूप में एफ्लाटोक्सीन युक्त तेल की बिक्री रोकने के लिए कोई व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) मूंगफली के अपरिष्कृत तेल में मूंगफली की क्वालिटी के अनुसार एफ्लाटाक्सिन हो सकता है।

(ख) जी, हां। कच्ची मूंगफली में एफ्लाटोक्सिन हो सकता है जो इसकी क्वालिटी, भण्डारण आदि पर आधारित होता है।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1955 में पहले ही निर्धारित किया गया है कि मूंगफली में 30 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम (30 पी० पी० बी०) से अधिक एफ्लाटोक्सिन कदापि नहीं होना चाहिए। सरकार पहले ही मूंगफली के तेल सहित सभी खाद्य-पदार्थों में एफ्लाटाक्सिन की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

भारतीय पत्रकारों के प्रति नेपाल स्थित भारतीय दूतावास का रवैया

9060. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय पत्रकारों ने कांठमाडू, नेपाल में भारतीय राजदूतावास द्वारा उनके साथ किये गए असहयोग और उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण "साल्ट" सहयोग हस्ताक्षर समारोह का अनिच्छापूर्वक बहिष्कार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार-पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बहिष्कार इसलिए किया गया था कि काठमांडू में भारतीय संवाददाताओं को भारतीय राजदूतावास द्वारा महत्वपूर्ण मसलों और यात्राओं के बारे में पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया था।

राजदूतावास, जिनका काम भारत-नेपाल सम्बन्धों को सम्वर्धित करना है और जिसे अन्तर-सरकारी सम्बन्धों के ढाँचे के अन्दर काम करना होता है, इस बात के सुनिश्चय के लिए सभी प्रयास कर रहा है कि भारतीय संवाददाताओं को महत्वपूर्ण मामलों पर उपयुक्त रूप से अवगत रखा जा सके।

विश्वविद्यालयों की पुरानी पाठ्यचर्या

9061. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि विश्व-विद्यालय की पाठ्यचर्या पुरानी पड़ गयी है तथा इसमें ककियां विद्यमान हैं कि ये शहरी क्षेत्रों तथा पूर्णरूपेण विकसित समाज के अनुरूप बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाठ्यचर्या में क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा ये विचार हाल ही में एक विश्व-विद्यालय के दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित करते समय व्यक्त किये गए थे।

(ख) विश्वविद्यालयों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्यायें स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा ही तैयार की जाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी ओर से विभिन्न

विषयों के विशेषज्ञ पैनलों की सहायता से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जाने वाली पाठ्यचर्यायों तथा पाठ्यक्रमों की समीक्षा करता है और समय-समय पर उनकी विषय वस्तु को आधुनिक बनाने तथा उन्हें अद्यतन बनाने के उपाय सुझाता है। इसके अतिरिक्त, नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने के संदर्भ में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन पाठ्यक्रमों को स्थानीय पर्यावरण और समुदाय की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की दृष्टि से, अवर स्नातक पाठ्यक्रमों को प्रमुख रूप से पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि पाठ्यक्रमों के प्रमुख घटकों में फाउन्डेशन पाठ्यक्रमों का एक सेट और कोर विषयों का एक सेट तथा कुछ अभ्यासोन्मुख विषय शामिल होने चाहिए।

रेलवे फार्मासिस्ट

9062. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे हैल्थ यूनिटों में रेलवे डाक्टरों की अनुपस्थिति में रेलवे फार्मासिस्टों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका क्या है;

(ख) क्या रेलवे फार्मासिस्टों को उनके वेतनमान तथा दर्जे में बहुत ही निम्न ग्रेड में रखा जाता है;

(ग) क्या बचत के रूप में रेलवे फार्मासिस्टों के संवर्ग को पूर्णरूपेण समाप्त किया जा सकता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो फार्मासिस्टों के संवर्ग को तुलनात्मक तौर पर और प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने आवश्यक समझे गये है?

रेलवे मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे डाक्टर की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान फार्मासिस्ट स्वास्थ्य यूनिट के नेमी कार्य करते हैं उदाहरणार्थ रोगियों की हाजिरी लगाना, उनका साधारण उपचार करना, आपातकाल में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना तथा रोगी को सही स्थान बताने अथवा स्वास्थ्य यूनिट के बुलाने आदि के रूप में अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता कार्य करना।

कभी कभार ही, फार्मासिस्ट चिकित्सा आउटपोस्ट को सम्हालते हैं। तब वे रोगियों को प्राथमिक चिकित्सा करते हैं तथा साधारण नेमी उपचार भी करते हैं।

(ख) जी नहीं। रेलवे फार्मासिस्टों को निम्नलिखित ग्रेड दिये जाते हैं :

फार्मासिस्ट ग्रेड 'बी'	330-480 रुपये
फार्मासिस्ट ग्रेड 'ए'	330-560 रुपये
	425-640 रुपये
प्रवरण ग्रेड फार्मासिस्ट	425-640 रुपये
फार्मासिस्ट-एवम्-भण्डारपाल	455-700 रुपये
	550-750 रुपये

विगत में इन ग्रेडों को संशोधित किया गया था। तथा वेतन आयोग और सरकार द्वारा विशेषकर सम्पूर्ण संवर्ग के लिए विभिन्न ग्रेडों के प्रतिशतता वितरण पर विचार किया गया था।

(ग) जी नहीं। फार्मासिस्ट रेलवे चिकित्सा विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है।

(घ) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, विगत में फार्मासिस्टों के वेतनमानों तथा ओहदे में सुधार करने के लिए दोष निवारक उपाय किये थे। ये उपाय चिकित्सा विभाग तथा रेलों के कर्मचारियों की सभी अन्य कोटियों के साथ-साथ जारी रखे जायेंगे। प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि रेलों में फार्मासिस्टों के वेतनमान तथा उनका ओहदा मुख्यतः सिविल साइड से कार्यरत फार्मासिस्टों के वेतनमान तथा ओहदे पर आधारित है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश

9063. **श्री एम० कन्डास्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में केन्द्रवार/स्कूलवार/वर्षवार कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(ख) उनमें से कितने ग्रामीण छात्र थे, कितने पब्लिक स्कूलों के छात्र थे;

(ग) विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों के कितने उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया था तथा दाखिल किए उम्मीदवारों का केन्द्र-वार/स्कूलवार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) दाखिल किए गए उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति दी गई ;

(ङ) उनमें से कितने उम्मीदवार अध्ययन छोड़कर चले गए; और

(च) यदि हां, तो पढ़ाई छोड़ जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम वार दाखिलों का ब्यौरा दर्शानिवाला **विवरण** संलग्न है। विवरण में उल्लिखित दाखिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को दर्शाया गया हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4017/82]

(ख) विश्वविद्यालय ग्रामीण अथवा पब्लिक स्कूल की पृष्ठ भूमि के आधार पर छात्रों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान, दाखिल किए गए छात्रों में से उन छात्रों की संख्या, जिन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं तथा उन छात्रों की संख्या जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था, एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

सौराष्ट्र मेल का डीजलीकरण

9064. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र मेल में कोयला इन्जन के स्थान पर डीजल इंजन लगाने तथा गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए कोचों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस समय सौराष्ट्र मेल बम्बई सैन्ट्रल और अहमदाबाद के बीच बिजली रेल इंजन से तथा अहमदाबाद और हापा के बीच भाप रेल इंजन से चलती है। लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण, डीजल रेल इंजनों, जिनकी आवश्यकता अनिवार्य माल यातायात की ढुलाई के लिए भी पड़ती है; उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है। अतिरिक्त डीजल रेल इंजन उपलब्ध हो जाने पर इसी प्रकार की अन्य मांगों के साथ-साथ अहमदाबाद और हापा के बीच सौराष्ट्र मेल को डीजल रेल इंजन से चलाने तथा इसमें 5/6 सवारी डिब्बे और लगाने के बारे में विचार किया जायेगा।

मुनाबाओ खोखारोपार रेल मार्ग

9065. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुनाबाओ (भारत) खोखारोपार (पाकिस्तान) रेल मार्ग कब बन्द किया गया और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस मार्ग को पुनः खोलने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच कई बार वार्ता हुई है ;

(ग) यदि हां, तो ये वार्तायें कब हुई और उनके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) क्या यह सच है कि यह मार्ग पंजाब में बाघा मार्ग की तुलना में राजस्थान, मध्यप्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और केरल राज्यों के लिए कम खर्चीला है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद मुनाबाओं-खोखरोपार मार्ग को बन्द कर दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दक्षिणी पाकिस्तान की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह मार्ग छोटा पड़ता है।

नालागोला नदी पर एक पुल के लिए वित्तीय सहायता

9066. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को उत्तरी बंगाल में बलुरघाट और मालदा के बीच दूरी को कम करने के लिए नालागोला नदी पर पुल के निर्माण के बारे में केन्द्र की मंजूरी और वित्तीय सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) चूंकि यह स्थान भारत बंगलादेश सीमा के निकट है, क्या सरकार ने इस मामले को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए राज्य को केन्द्र द्वारा दी गयी मंजूरी तथा वित्तीय सहायता के बारे में लिए गए निर्णय के बारे में ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) : छठी योजना (1980-85) के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

महिलाओं पर राष्ट्रीय समिति

9067. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं पर राष्ट्रीय समिति को भंग कर दिया है;

(ख) क्या इस समिति ने इसके कार्यकाल के दौरान दिए गए किसी कार्य को पूरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति, जिसे जनवरी, 1978 में पुनर्गठित किया गया था, का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसका पुनर्गठन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति के कार्य निम्नलिखित थे :—

1. भारत की महिलाओं के प्रति होने वाले आर्थिक और सामाजिक अन्याय, निर्योग्यताओं और भेद-भावों को यथा संभव दूर करने के लिए आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपायों के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देना; महिलाओं को पुराने बन्धनों को तोड़ने योग्य बनाने के लिए तरीकों का सुझाव देना; उन्हें समानता का अधिकार मांगने योग्य बनाना ताकि प्रत्येक भारतीय महिला अपने सामर्थ्यों का विकास कर ले और राष्ट्र की प्रगति के लिए अपना योगदान दे सके; तथा

2. इसके अनुसरण में बनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।

समिति ने अपने कार्यकाल के दौरान चार संकल्प स्वीकार किए थे, जिन में से एक महिलाओं के लिए कार्य योजना के समर्थन के सम्बन्ध में था। एक अन्य संकल्प में समिति ने भारत सरकार के सभी विभागों से कहा था कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी योजनाओं और नीतियों की समीक्षा करें कि उनका महिलाओं के लिए अवसरों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा वे सक्रिय रूप से उनकी रक्षा करें और उन्हे बढ़ावा दें।

तिरुवल्ला, रेलवे स्टेशन का विस्तार

9068. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुवेन्द्रम डिवीजन में तिरुवल्ला छेंगनुर, मावेलीक्कारा और कयमकुलम रेलवे स्टेशनों के विस्तार के लिए लोगों से मिले अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) जनरल मैनेजर, दक्षिण रेलवे द्वारा किन-किन निर्माण कार्यों की सिफारिश की गई है ; और

(ग) चालू वर्ष में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निम्नलिखित से तिरुवनन्तपुरम मण्डल में स्थित तिरुवेल्ला, चेंगानूर और कायमकुलम रेलवे स्टेशनों के विस्तार/सुधार के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं (1) चेंगनूर की रेल उपयोगकर्त्ता एसोसियेशन (2) मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी (आई), कांग्रेस हाउस अल्लप्पी (3) सेन्ट्रल ट्रावनकोर रेल उपयोगकर्त्ता एसोसियेशन, लोब्रीना अंगादिकल चेंगानूर, केरल (4) ग्राम विगासना पैरा समिति कालीस्तर, चेंगलूर (5) पेसेंजर्स एसोसियेशन तिरुवल्ला (6) श्री पी० पी० थामस, सदस्य, केरल विधान सभा ; और (7) प्रोफेसर पी० जे० कुरियन, संसद् सदस्य (लोक सभा), नयी दिल्ली।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	स्टेशन का नाम	महाप्रबन्धक : दक्षिण रेलवे द्वारा स्वीकृत/प्रस्तावित निर्माण-कार्यों का ब्यौरा और उनकी प्रगति	
1.	तिरुवल्ला	(i) एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था करना	—कार्य पूरा हो गया है।
		(ii) प्लेट फार्म पर छत की व्यवस्था करना	—कार्य पूरा हो गया है।
		(iii) प्लेटफार्म को बड़ी लाइन के मानक के बराबर ऊंचा करना	—कार्य प्रगति पर है।
		(iv) स्टेशन भवन के ढांचे में परिवर्तन करना	—कार्य की स्वीकृति दे दी गयी है और कार्य शुरू किया जा रहा है।
2.	चेंगानूर	(i) प्लेटफार्म नं० 2 को चौड़ा करना, ऊंचा करना और छत डालना	—कार्य प्रगति पर है।
		(ii) स्टेशन भवन के ढांचे में परिवर्तन करना-एर्णाकुलम-कोलम तिरुवन्तपुरम सैन्ट्रल आमान परिवर्तन योजना के अन्तर्गत	—कार्य पूरा हो गया है।
3.	मावलीकारा	(i) यात्री प्लेटफार्म नं० 1 को बड़ी लाइन के मानक तक ऊंचा उठाना	—कार्य लगभग पूरा होने को है।
		(ii) मुख्य प्लेटफार्म पर छत का विस्तार और प्लेटफार्म नं० 2 पर नये सिरे से छत की व्यवस्था करना	—कार्य प्रगति पर है।
		(iii) ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करना	—निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(1)	(2)	(3)	
		(iv) स्टेशन भवन का सुधार करना	—इस कार्य को 1982-83 के बजट में सम्मिलित किया गया है और इस पर काम शुरू किया जा रहा है।
4.	कायमकुलम	(i) गाड़ी को 18 बोगियों को खड़ा करने के लिए प्लेटफार्म का विस्तार करना	—कार्य पूरा हो चुका है।
		(ii) मौजूदा रेल लाइन के स्तर के प्लेटफार्म नं० 2 को बड़ी लाइन मानक के प्लेटफार्म के बराबर ऊंचा करना	—कार्य प्रगति पर है।
		(iii) यात्रियों के लिए मौजूदा छत का विस्तार	—कार्य प्रगति पर है।
		(iv) पीने के पानी के प्रबन्धों में सुधार करना-पानी के नल लगाने की व्यवस्था करना	—कार्य पूरा हो चुका है।

चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स की अप्रयुक्त क्षमता

9069. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स में अप्रयुक्त क्षमता, जो कर्मचारियों की सेवा शर्तों, रोजगार की सम्भाव्यता तथा सहायक उद्योगों की, जो चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स को माल की सप्लाई करते हैं, पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में 12 मार्च, 1982 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां; लेकिन क्षमता के निष्क्रय हो जाने से कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस पत्र में, धन की तंगी और कारखाने की उत्पादन क्षमता के निष्क्रय हो जाने के कारण चितरन्जन रेल इन्जन कारखाने में रेल इन्जनों के उत्पादन के कार्यक्रम में गिरावट आ जाने पर चिन्ता व्यक्त की गई है ।

(घ) अत्यधिक क्षतिग्रस्त बिजली रेल इन्जनों की मरम्मत करके और रेल इन्जनों के अधिक कुशल अनुरक्षण के लिए फालतू पुर्जों के निर्माण में तेजी ला कर निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों में परिवर्तन लाने के उपाय किये गये हैं । छठी योजना में चल स्टाक के धन के आवंटन में वृद्धि करने के लिए योजना आयोग से भी अनुरोध किया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद और इलाहाबाद के बीच एक्सप्रेस रेल गाड़ी

9070. **श्री जयराम वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे फैजाबाद और इलाहाबाद के बीच केवल तीन रेल सेवायें हैं और ये सभी यात्री गाड़ियां हैं तथा इनके कोचों से भी स्थिति खराब है; और

(ख) क्या इस लाइन पर लम्बी यात्रा वाले यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फैजाबाद और इलाहाबाद के बीच तीन जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती हैं। इन गाड़ियों में डिब्बों की संख्या सन्तोषजनक है।

(ख) इस खण्ड पर एक्सप्रेस गाड़ी चलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स श्रमिकों से ज्ञापन

9071. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों तथा श्रमिकों ने चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स के जनरल मैनेजर को 19 जनवरी, 1982 को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में कौन-कौन से मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं ;

(ग) सरकार द्वारा उक्त ज्ञापन पर क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

एसोसिएशन ने जो मांगें की हैं उनमें से मुख्य-मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

1. प्रशिक्षित ट्रेड एप्रेंटिसों को रोजगार दिया जाये।

2. ट्रेड एप्रेंटिसों की तत्काल भर्ती और तकनीकी स्कूल में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

3. अनुशासन और अपील नियमों के नियम 14 (2) के अधीन नौकरी से हटाने, सेवा में व्यवधान, काम नहीं तो दाम नहीं आदि के रूप में श्रमिकों के उत्पीड़ने में आजकल वृद्धि हो रही है।

4. मंहगाई भत्ते आदि को मिलाए जाने के फलस्वरूप पैन्शनीय लाभों सहित मंहगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों का तत्काल नकद भुगतान।

वर्तमान नियमों और वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन मांगों के बारे में विचार किया है और आवश्यक कार्यवाही की गयी है। वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए किसी भी रेल कर्मचारी को उत्पीड़ित नहीं किया जाता है। भूल-चूक के विशिष्ठ मामलों में ही, अनुशासन और अपील नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुशासन करने के बाद, किसी कर्मचारी

के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। स्थानान्तरण प्रशासनिक हित में किये जाते हैं, न कि दण्डात्मक रूप में। अवैध रूप से काम रोकने में शामिल होने पर सेवा में व्यवधान प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर माफ कर दिया जाता है। एप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अधीन एप्रेंटिसों के प्रशिक्षण की योजना, जिसे अप्रैल, 1977 में लम्बित कर दिया था, को 17-9 1981 से पुनः आरम्भ कर दिया है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दूसरा प्रवेश द्वार

9072. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के चालू बजट के अनुसार दिल्ली जंक्शन पर दूसरे प्रवेश द्वार के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजधानी में एशियाई खेल शुरू होने से पूर्व दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की कोई सम्भावना नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्लेट फार्म नं० 11-13, 3-5, 1-2 तथा अन्य प्लेटफार्मों पर काफी भीड़-भाड़ रहती है और लम्बी दूरी की अनेक रेलों की बोगियां इन प्लेटफार्मों पर आती जाती हैं और यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली जंक्शन स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 20 से जुड़े खाली प्लेटफार्म संख्या 14 का स्थान ऐसा है जहां लम्बी दूरी की गाड़ियों को स्थान दिया जा सकता है ; और

(ङ) लम्बी दूरी की गाड़ियों को दिल्ली जंक्शन स्टेशन के खाली प्लेटफार्म संख्या 14 और 20 पर न बदले जाने के विस्तृत कारण क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक राज्य में स्मारकों का संरक्षण

9073. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में ऐतिहासिक महत्व और वास्तुशिल्प सौन्दर्य के ऐसे कितने स्मारक हैं, जिन्हें आर्कलिजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों को संरक्षण के लिए कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) संरक्षण सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रविष्टियों के अनुसार, कर्नाटक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित घोषित किये गए स्मारकों की संख्या 482 है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रदान की गई रकमें निम्नलिखित है :—

1979-80	28,96,000 रु०
1980-81	24,18,000 रु०
1981-82	22,56,000 रु०

इन रकमों में वार्षिक रखरखाव, संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक उपचार और स्मारकों के आस-पास के क्षेत्र के भू-दृश्य निर्माण कार्य का व्यय भी सम्मिलित है।

मेडिकल कालेजों के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस

9074. **श्री रामविलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि मेडिकल कालेजों के कई प्रोफेसर और अन्य शिक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन सभी ने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त की है ;

(ग) इससे छात्रों के अध्ययन पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या सरकार का देश में इस प्रकार की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ राज्यों के मेडिकल कालेजों के अध्यापकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण और अशिक्षण दोनों प्रकार के सदस्यों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस मामले में समुचित निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है जिन्हें भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त सलाह दी हुई है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रिंसिपलों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति

9075. **श्री मंगलराम प्रेमी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 1966-70 के दौरान 21 मई, 1970 से पहले द्वितीय श्रेणी की सेवा में तदर्थ आधार पर 66 प्रिंसिपलों की नियुक्ति की थी—ये पद किस तारीख से प्रथम श्रेणी के पदों के रूप में माने गये थे ;

(ख) इनमें से कितनी नियुक्तियां 27 मई, 1970 से पहले गठित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर थीं ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनमें से कुछ नियुक्तियां पिछले 12-15 वर्षों से लगातार चल रही है, ये तदर्थ नियुक्तियां कितने और समय तक चलेंगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, उप-प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता सूची को, उच्च—न्यायालय में लम्बित पड़ी समादेश—याचिकाओं पर निर्णय लिये जाने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जाएगा तथा प्रधानाचार्यों के पदों में नियमों के लिए सभी पात्र उप-प्रधानाचार्यों के मामले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की अध्यक्षता के अन्तर्गत नियमित विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्तुत किये जाएंगे ।

ऐसे वाइस चांसलर/प्रो-वाइस चांसलर/रेक्टरों की संख्या जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं

9076. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों प्रो-वाइस चांसलरों और रेक्टरों में से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ;

(ख) उनका प्रतिशत क्या है ;

(ग) क्या सरकार विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ संकाय पदों पर नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) इस समय कोई नहीं।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के पद से ऊपर के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए इस समय कोई आरक्षण नहीं है। विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं का पालन करते हैं।

बम्बई और मद्रास पत्तन न्यासों द्वारा किया गया व्यय

9077. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और मद्रास पत्तन न्यासों द्वारा वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान, वर्षवार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन पत्तन न्यासों द्वारा उक्त अवधि में प्रचार के लिए पत्तनवार और वर्षवार उपयोग में लाये गए दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभित उन संवाददाताओं का ब्यौरा क्या है जो नई दिल्ली तथा अन्य नगरों में पी० आई० वी० के अधिकारियों के मध्यम से इन पत्तन न्यासों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रेस रिलीजों की नियमित डाक-सूची में हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1979-80, 1980-81 और 1981-82 वर्ष के दौरान बम्बई और मद्रास पत्तनों द्वारा परिचालन खर्च निम्नलिखित है :—

पत्तन के नाम	1979-80 (वास्तविक)	1980-81 (वास्तविक)	1981-82 (संशोधित) अनुमान
बम्बई	48,86,34,102 रुपये	57 88,06,690 रुपये	69,46,44,000 रुपये
मद्रास	22,10,56,018 रुपये	26,01,06,127 रुपये	29,44,67,700 रुपये

(ख) उन प्रकाशनों की सूची, जिसमें बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान विज्ञापन प्रकाशित करवाया :—

1. दैनिक, बम्बई।
2. फ्री प्रेस जरनल, बम्बई।
3. हिन्दू, मद्रास।
4. हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।

5. इंडियन एक्सप्रेस, बम्बई ।
6. इंडियन शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट न्यूज, बम्बई ।
7. स्टेट्समैन, कलकत्ता ।
8. टाइम्स आफ इंडिया, बम्बई ।
9. इंडियन ट्रेड जरनल, नई दिल्ली ।
10. मेरिन टाइम्स, बम्बई ।
11. अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता ।
12. लोकसत्ता, बम्बई ।
13. महाराष्ट्र टाइम्स, बम्बई ।
14. नवकल, बम्बई ।
15. हिन्दुस्तान, बम्बई ।
16. बम्बई समाचार, बम्बई ।
17. नवशक्ति, बम्बई ।
18. जन्मभूमि, बम्बई ।
19. कोमी आवाज, बम्बई ।
20. सकल, पूना ।
21. संज तरुण भारत, बम्बई ।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान विज्ञापन के लिए प्रयोग किए गए दैनिक समाचार और आवधिक समाचारों के नाम :—

1. इस्टर्न एकोनोमिस्ट, बम्बई ।
2. मैरिन टाइम्स पब्लिकेशन (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई ।
3. लायड्स लिस्ट, लन्दन ।
4. इंडस्ट्रीयल हैराल्ड वीकली, मद्रास ।
5. इंडियन पोर्ट्स, कलकत्ता (इंडियन पोर्ट्स एसोशियन द्वारा प्रकाशित)
6. हिन्दू, मद्रास ।
7. इंडियन एक्सप्रेस ।
8. मेल, मद्रास ।
9. दिनमानी, मद्रास ।

10. डैली थंथी, मद्रास ।
11. लोक उद्योग आफ द स्टेंडिंग कान्फ्रेंस आन पब्लिक इंटरप्राइजेज, नई दिल्ली ।
12. इंडियन वर्कर इंटक, नई दिल्ली ।
13. इंडस्ट्रीयल इमेज, नई दिल्ली ।
14. अलाय ओसाय, मद्रास ।
15. नेशनल हेराल्ड, नई दिल्ली ।
16. मक्कल कुराल, मद्रास ।
17. दिनकरन, मद्रास ।
18. एटक (31वी वार्षिक कान्फ्रेंस, नई दिल्ली)
19. कोमर्स, बम्बई ।
20. मोलि, मद्रास ।
21. स्पोर्ट्स स्टार, हिन्दू, मद्रास ।
22. इंडियन शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग, बम्बई ।
23. एक्सपोर्ट मिरर, मद्रास ।
24. इंटरनल इंडिया, नई दिल्ली ।
25. बिजनेस स्टैंडर्ड, कलकत्ता ।
26. इंडस्ट्रीयल एकोनोमिस्ट, मद्रास ।
27. इंडियन शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट न्यूज, बम्बई ।
28. नवज्योति, वार्षिक ।
29. दिनमालर, मद्रास ।
30. आंदे, बम्बई ।

(ग) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रेस रिलीज बम्बई में पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारियों द्वारा नहीं दिए जाते । बम्बई पोर्ट ट्रस्ट बम्बई से पत्र सूचना कार्यालय के सूचना अधिकारी सहित इसकी सूची में दर्ज लगभग 57 व्यक्तियों को अपनी प्रेस रिलीजे भेजता है । सूची में उल्लिखित व्यक्ति केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त संवाददाता है या नहीं इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता ।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित 'प्रेस मीट्स' के लिए स्थानीय पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया जाता है जो 37 व्यक्तियों की सूची रखता है ।

चण्डीगढ़ में रक्त आधान केन्द्र

9078. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चण्डीगढ़ में रक्त आधान केन्द्र स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : इस मामले पर 6 फरवरी, 1982 को उत्तरी क्षेत्र की परिषद की बैठक में विचार किया गया। इस परिषद में पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का राज्य और संघशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ शामिल हैं।

महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में समिति के सुझावों को लागू करने की समिति

9079. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1975 में भारत में महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में गठित समिति के सुझावों/सिफारिशों को लागू करने के लिए एक समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है समिति के सदस्यों के नाम तथा समिति के निदेश पद आदि क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में गठित समिति की सिफारिश की जांच एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी। भारत में महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित समिति ने इस देश में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत जांच की थी तथा इसने अपनी सिफारिशों में महिलाओं के विकास हेतु आवश्यक प्रयत्नों और उपायों का समन्वय करने और उन्हें तेज करने के लिए एक राष्ट्रीय मशीनरी की आवश्यकता पर बल दिया था। भारत में स्थापित की गई राष्ट्रीय मशीनरी में महिलाओं के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय समिति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में महिला कल्याण और विकास ब्यूरो शामिल हैं। महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति तथा महिला कल्याण और विकास ब्यूरो के कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठन पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(घ) भारत में महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई 52 सिफारिशों में से बहुत सी सिफारिशें लम्बी अवधि की हैं और उनका सम्बन्ध वास्तव में चल रहे कार्यक्रमों से है।

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कुछ सिफारिशों को संशोधित किया तथा कुछ को स्वीकार करने की सिफारिश नहीं की गई। कुछ सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं तथा कुछ को कार्यान्वित किया जा रहा है। कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों पर है। इन सिफारिशों के विस्तृत सामाजिक तात्पर्य हैं तथा इसलिए उनके वास्ते स्वयंसेवी एजेन्सियों और सामुदायिक संगठनों की सक्रिय सहायता आवश्यक है।

विवरण

महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति के कार्य

(क) भारत की महिलाओं के प्रति होने वाले आर्थिक और सामाजिक अन्याय, निर्योग्यताओं और भेदभावों को यथासम्भव दूर करने के लिए आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपायों के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देना ; महिलाओं को पुराने बन्धनों को तोड़ने योग्य बनाने के लिए तरीक़ों का सुझाव देना ; उन्हें समानता का अधिकार मांगने योग्य बनाना ताकि प्रत्येक भारतीय महिला अपने सामर्थ्यों का विकास करले और राष्ट्र की प्रगति के लिए अपना योगदान दे सके; तथा

(ख) इसके अनुसरण में बनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।

महिला कल्याण और विकास ब्यूरो के कार्य

महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए उपायों का समन्वय करने तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों को शुरू करने के लिए एक संयुक्त सचिव के कार्यभार के अधीन एक महिला कल्याण और विकास ब्यूरो भारत सरकार में एक केन्द्र बिन्दु है। इस ब्यूरो के कार्य निम्नलिखित हैं :

(1) महिला विकास से सम्बन्धित मामलों के बारे में आंकड़े एकत्रित करना तथा जानकारी के सम्बन्ध में क्लीयरिंग हाउस के रूप में काम करना।

(2) कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, उद्योग, श्रम, कृषि और ग्रामीण विकास, वाणिज्य, बैंकिंग इत्यादि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों को चलाने के लिए इन मंत्रालयों के साथ समन्वय और सहयोग करना ;

(3) इस देश में महिलाओं के कल्याण और विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करना ;

(4) महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समन्वय करना ;

(5) राष्ट्रीय समिति, संचालन समिति तथा विशेषज्ञ दलों को जानकारी देना ;

(6) विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करके तथा राज्यस्तर पर निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी करके भारत में महिलाओं के स्तर के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट के बारे में अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करना।

(7) महिलाओं के लिए कार्य योजना में वित्तीय और भौतिक लक्ष्य निर्धारित तथा उसे इस देश की पंचवर्षीय योजना का भाग बनाना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(8) महिला कल्याण और विकास के क्षेत्र में बहु-पक्षीय एजेन्सियों और संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों के साथ सम्पर्क करना।

जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय से पी० एच० डी० एम० फिल० उपाधि प्राप्त व्यक्ति

9080. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से दी गई पी० एच० डी० और एम० फिल० उपाधियों के बारे में 27 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) से (च) में मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह जानकारी कब तक एकत्र की जाएगी और उसे सभा पटल पर कब रखा जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लिमका पेय का विज्ञापन

9081. **श्री के० लकप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री लिमका पेय के विज्ञापन के बारे में 19 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्लेषण का प्रतिवेदन मिलने के बाद क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

जनसंख्या सलाहकार परिषद

9082. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी**
श्री हरिहर सोरन
श्री पियूष तिरकी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार, परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग करने हेतु, एक उच्चस्तरीय जनसंख्या परामर्शदात्री परिषद का गठन करने का है और इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद के सदस्य कौन-कौन होंगे ;

(ग) परिषद का कार्य क्या होगा ; और

(घ) परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री की अध्यक्षता में एक जनसंख्या सलाहकार परिषद का गठन करने का विचार है जिसमें जनसंख्या नियन्त्रण से सम्बन्धित विषयों में प्रसिद्ध कुछ व्यक्ति सदस्य होंगे ताकि देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जा सके और नए विचार तथा कार्यनीतियां भी, जो उचित हो, शुरू की जा सके ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और सफल बनाने सम्बन्धी कार्यनीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(क) "छोटे परिवार के सिद्धान्त" को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा ।

(ख) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा छोटे परिवार की धारणा के सम्बन्ध में जागरूकता और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किए जायेंगे ।

(ग) प्रत्येक दम्पत्ति को उसके मन भाता तरीका चुनने की छूट दी जाएगी ।

(घ) परिवार कल्याण की सेवायें और सामग्री लोगों को घरों के यथासम्भव निकट प्रदान की जाएगी ।

(ङ) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक आर्थिक विकास प्रयत्नों का एक अभिन्न अंग बना रहेगा ।

(च) महिला साक्षरता की सुविधाओं और इसको तेजी से बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा ।

(छ) स्कूलों तथा कालेजों में तथा बाहर युवाओं की जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा की जानकारी दी जाएगी । यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागों/एजेन्सियों तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित अखिल कार्यकर्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारम्भ किया जाएगा ।

(ज) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्नतम स्तर पर ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाएगा और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जायेगा ।

(झ) लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जायेगा ।

(ञ) कुछ राज्य/संघ शासित क्षेत्र काम में अन्यों से आगे निकल गये हैं और राज्यों के बीच भिन्नताएं हैं, इसलिए चुनिंदा क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ।

(ट) सभी स्तरों पर घनिष्ठ मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी । राज्य सरकारों से परामर्श करके प्रशासनिक तन्त्र को ठीक करने, और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने के उपाय किए जायेंगे ।

लेवल क्रासिंग पर निर्माण कार्य में राज्य सरकार की भागीदारी

9083. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल लेवल/क्रासिंग पर निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर डालने का क्या औचित्य है ;

(ख) रेल लाइनों पर यह निर्माण विभाग द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मन्त्रालय का विचार असामान्य विलम्ब को दूर करने के लिए नीति में परिवर्तन करने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) समपार की व्यवस्था करना एक सुविधा सम्बन्धी कार्य है जिसकी जरूरत तभी पड़ती है जब या तो रेलवे लाइन सार्वजनिक सड़क से होकर अथवा सार्वजनिक सड़क रेलवे लाइन से होकर गुजरती है। भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 11 के अन्तर्गत, रेल प्रशासन को रेलवे लाइन बिछाते समय उस भूमि को इस्तेमाल में, जिस पर रेल लाइन बिछायी जाती है, रेलवे द्वारा पैदा की गयी बाधाओं को दूर करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सुविधा सम्बन्धी सभी कार्यों की व्यवस्था करनी होती है तथा उनका स्थायी रूप से अनुरक्षण करना होता है। रेल अधिनियम की धारा 11 (3) (ख) के अनुसार रेलवे लाइन बिछाने के बाद किसी क्षेत्र के विकास के कारण समपार आदि जो निर्माण-कार्य करने जरूरी हों, उनके लिए रेलें जिम्मेदार नहीं होती।

इन परिस्थितियों में, किसी क्षेत्र विशेष में सभी भावी विकास कार्यों के कारण अपेक्षित सभी नये समपारों की व्यवस्था करने के लिए रेलें वित्तीय दायिता स्वीकार नहीं कर सकतीं।

नये किस्म के पासपोर्ट जारी करना

9084. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालसाजी समाप्त करने के लिए उनके मन्त्रालय ने कुछ नये किस्म के पासपोर्ट जारी किए है ;

(ख) यदि हां, तो यह नये किस्म के पासपोर्ट किस किस्म के हैं ; और

(ग) ऐसे क्या कारण थे जिससे सरकार को ऐसे पासपोर्ट जारी करने पड़े ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एक नई किस्म की पासपोर्ट पुस्तिका जारी करने का विचार है, जिससे जालसाजी की सम्भावनाओं के समाप्त हो जाने की आशा है।

(ख) इन पासपोर्टों में स्वयं चिपकने वाले पदार्थ की परत होगी, जोकि उस पृष्ठ के आवरण के तौर पर रहेगी, जिस पर धारक का फोटो और उसका व्यक्तिगत विवरण होगा।

(ग) पासपोर्ट का मौजूदा डिजाइन आजादी के पहले से चला आ रहा था और इसके स्थान पर एक नई किस्म की पासपोर्ट पुस्तिका की जरूरत महसूस की गई, जोकि रखने में अधिक सुविधाजनक, छोटी और टिकाऊ हो।

पासपोर्ट पुस्तिका के नये डिजाइन को तैयार करते समय स्वयं चिपकने वाले पदार्थ की परत की विशेष व्यवस्था करने का भी निर्णय किया गया। ऐसा करना जरूरी हो गया था क्योंकि इस बारे में शिकायतें मिली थी कि कुछ अपराधी तत्व, पासपोर्ट के धारक के फोटो के स्थान पर दूसरा फोटो लगाकर और प्रविष्टियों में अवैध रूप से परिवर्तन कर पासपोर्टों का दुरुपयोग कर लेते हैं।

वैगनों को रोके रखना

9085. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपयोगकर्ता संगठनों विशेष रूप से इस्पात संयंत्रों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा वैगनों को रोके रखने के कारण रेलवे राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के इस्पात संयन्त्रों ने विलम्ब शुल्क का भुगतान करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे अधिकारियों द्वारा वैगनों के बेहतर उपयोग के लिए अपने ही हित में इस स्थिति से निबटने और जहां कहीं भी वैगनों को रोके रखा जाता है उसे हतोत्साहित करने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल चढ़ाने-उतारने के स्थानों पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमेय निशुल्क समय से अधिक समय तक माल डिब्बों को रोके रखने से कुल लदान पर कुछ हद तक अवश्य प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप रेलवे राजस्व की हानि होती है।

(ख) और (ग) इस्पात कारखाने 15 फरवरी, 1981 से लागू बढ़ी हुई दरों पर बिलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस मामले पर रेल मन्त्रालय और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के प्रतिनिधि इस मामले की जांच करने तथा बढ़ी हुई दरों पर विलम्ब शुल्क के बकायों का रेलों को भुगतान करने के लिए सहमत हो गये हैं।

खरगांव (मध्य प्रदेश) जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

9086. **श्री सुभाष यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के खरगांव जिले के कितने तथा कौन से स्थानों पर प्रौढ़ शिक्षा स्कूल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है ; और

(ग) क्या उस राज्य को उक्त अवधि में इस कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1982-83

से मध्य प्रदेश के खरगांव जिले के लिए 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संस्वीकृत किया गया है। केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थानों का पता लगाया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में दाखिल व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष		दाखिला
1979-80	—	1,76,281
1980-81	—	2,63,808
1981-82 (31-12-81 तक)	—	2,76,175

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता निम्नलिखित हैं :

वर्ष		वित्तीय सहायता की राशि
1979-80	—	93,08,950.00 रु०
1980-81	—	23,12,000.00 रु०
1981-82	—	77,72,761.00 रु०

जी० पी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली में रक्त-आधान की व्यवस्था

9087. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली में कोई रक्त बैंक नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी रोगी की आपात अवस्था अथवा चिन्ताजनक स्थिति में उसके लिए रक्त का प्रबन्ध जय प्रकाश नारायण अस्पताल से करना पड़ता है, जोकि पन्त अस्पताल से लगभग 1½ फर्लांग दूर है तथा उसके बाद सरकारी औपचारिकताएँ पूरी करने में 20 मिनट या इससे भी अधिक समय लगता है ; और

(ग) क्या सरकार का पन्त अस्पताल में गम्भीर हालत वाले रोगियों के लिए रक्त-आधान की व्यवस्था करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल एक उच्च विशेषज्ञतायुक्त (सुपर स्पेशिलिटी) रेफरल अस्पताल है जिसमें कोई आपत्ति और इमर्जेन्सी विभाग नहीं है। अधिकतर सामान्य सर्जरी के लिए रक्त की आवश्यकता होती है जिसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है। आपसी उपाय के रूप में बहुत ही कम मामलों में इसकी जरूरत पड़ती है जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से मंगा लिया जाता है जो उसी परिसर में केवल 300 गज की दूरी पर ही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कार्य अध्ययन संगठन

9088. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड तथा जोनल रेलों में दक्षता/कार्य अध्ययन संगठन है ;

(ख) क्या यह संगठन कार्य सम्बन्धी अध्ययन करता है तथा पदों एवं सम्पत्ति को वापस करके खर्चों में कमी का सुझाव देता है;

(ग) 1973-74 से आज तक वर्षवार वापस किए गए पदों के सम्बन्ध में इनकी उपलब्धियां क्या है तथा वर्ष तथा रेलवेवार कुल कितनी बचत हुई है;

(घ) क्या इस संगठन ने कभी इस प्रकार का कोई अध्ययन किया है जिनमें राजपत्रित पदों को वापस किया जाना है ;

(ङ) वर्ष 1973-74 से अब तक वर्षवार कुल कितने राजपत्रित पदों को वापस किए जाने का विचार है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) कार्य अध्ययन करने का उद्देश्य केवल मात्र पदों/परिसम्पत्तियों को उर्ध्वापित करना नहीं है अपितु कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से बाधाओं का पता लगाना तथा इन पर काबू पाने के लिये उपाय सुझाना है।

(ग) से (च) ऐसे संगठनों द्वारा केवल मात्र पद अर्ध्वापित करने अथवा कर्मचारियों की किसी श्रेणी विशेष के लिए पद अर्ध्वापित करने अथवा पद सृजित करने के लिए किसी पुर्वाग्रह को लेकर कार्य अध्ययन नहीं किये जाते हैं। कार्य अध्ययनों में समायोजन/अभ्यपूर्ण के लिए प्रस्तावित पदों की संख्या और कोटि का पता लगाना अथवा परिणामस्वरूप उनकी संख्या कम करना व्यावहारिक नहीं है। चूंकि इस प्रकार के अध्ययनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ विभिन्न क्षेत्रों/विभागों को होते है, इसलिए ऐसे कार्य अध्ययनों के परिणामस्वरूप प्राप्त प्रत्यक्ष अथवा अनुवर्ती मितव्ययिता का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

"नाविकों के आश्रितों को पेंशन तथा अन्य लाभों की अदायगी"

9089. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नाविकों के आश्रितों को पेंशन तथा अन्य लाभों की अदायगी के बारे में फार्वर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में किए गए उल्लेखानुसार उक्त प्रणाली का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त प्रणाली के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार को सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, नई दिल्ली के मंत्री श्री एम० के० पंडे का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ सेवा निवृत नाविकों और नाविकों की विधवाओं के साथ सी फेयरर्स वेल्फेयर फंड सोसायटी बम्बई द्वारा दुर्व्यवहार और भेद भाव बरतने के बारे में फार्वर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया, कलकत्ता की शिकायत भेजी गई है। इसमें जिन 41 मामलों की सूची दी गई है उनमें से 17 आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया जा चुका है और अनुग्रहपूर्ण धनराशि की अदायगी के आदेश दिये जा चुके हैं। दो आवेदन पत्र पढ़ने में नहीं आते हैं और ये घरेलू व्यापार क्षेत्र के हैं। 22 मामलों का पता पूरा-पूरा ब्यौरा नहीं होने के कारण नहीं लग सका है। इन 22 मामलों का ब्यौरा फार्वर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया से मांगा गया है। इस संस्था से अभी कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। सी फेयरर्स वेलफेयर फंड सोसायटी स्वयं कोई पैंशन योजना नहीं चलाती है। इसके अभिवेदन के अलावा मौजूदा पद्धति के बारे के कोई अभिवेदन या सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है।

सभी स्कीमों के तहत अदायगी अनुग्रहपूर्ण सहायता के रूप में होती है जैसे सेवा निवृत नाविकों, अपंग नाविकों या मृत नाविकों के आश्रितों को 10 वर्षों तक मासिक अनुग्रहपूर्ण आर्थिक सहायता विदेश जाने के लिए रजिस्टर्ड मृत नाविकों की विधवाओं/आश्रितों को 3000 रुपये की अनुग्रहपूर्ण तदर्थ अदायगी, घरेलू व्यापार के लिए रजिस्टर्ड मृत नाविकों की विधवाओं/आश्रितों को गुणदोष के आधार पर दो हजार रुपये (2000/-रु०) की विशेष सहायता, सेवारत भारतीय नाविकों के बच्चों को शैक्षिक छात्र वृत्ति जो प्रति नाविकों को एक बच्चे तक के लिए हाई स्कूल स्तर से दी जाती है।

(ग) सोसायटी की सभी स्कीम सन्तोषप्रद रीति से चल रही हैं।

(घ) नौवहन महानिदेशक द्वारा सीमेंस वेल्फेयर फंड सोसायटी को इस बात के निदेश

दिये गये हैं कि वह नाविकों/विधवाओं को अनुग्रहपूर्ण सहायता के मामलों पर शीघ्र निर्णय लिया करें।

"ग्रामीण विकास" विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना

9090. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों को इस समय ग्रामीण जीवन और इसकी समस्याओं तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं की कोई जानकारी नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण विकास के विषय के पाठ्यक्रम में शामिल करने तथा युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में संकोच दूर करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों में ग्रामीण विकास सम्बन्धी विषयों की पर्याप्त सामग्री होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यक्रमों की पुन: संरचना की योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को ग्रामीण पर्यावरण और समाज की विकासात्मक आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाया जाए।

ए० ए० सी० और ए० सी० एस० आर० कन्डक्टर्स

9091. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग ने दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य लाईन पर पाली जिले में हरिपुर रेलवे स्टेशन पर लघु उद्योग द्वारा निर्मित किये जाने वाले ए० ए० सी० और ए० सी० एस० आर० कन्डक्टर्स की बुकिंग कब बन्द की थी और उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इन लघु उद्योगों ने बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध उनको और मंत्रालय को कोई शिकायत भेजी है और यदि हां, तो कब और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पश्चिम रेलवे ने हरिपुर स्टेशन की माल यातायात की बुकिंग के लिए 10-4-1982 से बन्द करने की अधिसूचना जारी की थी। बहरहाल, व्यापारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस स्टेशन को माल यातायात की बुकिंग के लिए बन्द करने के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया है।

स्टेशन अधीक्षक टूंडला के अधीन महिला चपरासियों की नियुक्ति

9092. **श्री बालासाहिब पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेशन अधीक्षक टूंडला के अधीन कार्यरत महिला चपरासियों को स्टेशन अधिक्षक के कार्यालय में तैनात न करके अन्य जगह तैनात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी महिला चपरासी हैं, जो स्टेशन अधीक्षक के अधीन आदेश पर अपने निजी कार्यालय में कार्य न करके अन्य जगह कार्य कर रही हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि टूंडला स्टेशन पर पुरुष-चपरासियों की कार्यालय में तैनाती कर रखी है, जबकि महिला चपरासियों की नहीं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) टूंडला में केवल एक ही महिला चपरासी उपलब्ध है और वह टूंडला स्टेशन पर तार कार्यालय में कार्यरत है। यह कार्यालय भी स्टेशन अधीक्षक, टूंडला, के नियन्त्रण में है। उसे इस कार्यालय में प्रशासनिक हित में तैनात किया गया था क्योंकि किसी पुरुष चपरासी की तुलना में, जो विभिन्न कैबिनों, यार्डों, माल-गोदामों, नियन्त्रण कार्यालयों, मंडलीय कार्यालय अधीक्षक के कार्यालय तथा टूंडला क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों में आसानी से आ जा सकता है, महिला चपरासी की कुछ सीमाएँ होती है।

"मिनीकोय पर आधुनिकतम समुद्री रेडियो संकेतक"

9093. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशगृह और प्रकाशपोत विभाग ने मिनीकोय में विकसित नौचालन सहायता प्रदान करने के लिए तथा उस क्षेत्र में, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर जलपोतों के सुरक्षित आने जाने को सुनिश्चित करने के लिये 15.65 लाख रुपये की लागत से एक आधुनिकतम समुद्री रेडियों संकेतक की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सभी प्रकार के मौसमों में अपनी ठीक-ठीक स्थिति का निर्धारण करने के लिए जलपोतों को इससे कितनी सहायता लेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) रेडियो संकेतक उपकरण जो पूर्ण रूप से ट्रांजिस्टराइज्ड है, आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित है और इसका रेंज 400 कि०मी० है।

(ग) यह नए रेडियो संकेतक उपकरण नौवहन नौचालन के क्षेत्र में दिशा का पता लगाने में सहायता करता है। इससे और पेरियार दीपघर में पहले से ही लगे रेडियो संकेतक से जहाजों

को हर तरह के मौसम में 400 कि०मी० तक के रेंज में अपनी ठीक दिशा का निर्णय करने में सहायता मिलेगी।

रेलवे की कृषि के अधीन भूमि

9094. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास कितना भू-क्षेत्र है तथा उसका जोनवार जिन कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसमें से कितना क्षेत्र कृषि योग्य है और वास्तव में कितने क्षेत्र का खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) रेल लाइनों के साथ की भूमि तथा बंगलों की चारदीवारी में आई हुई भूमि को खेती के लिए किन शर्तों पर ठेके पर दिया जाता है और उससे रेलवे को जोनवार, प्रतिहेक्टर औसतन कितनी आय होती है ;

(घ) क्या आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस भूमि का उचित उपयोग करने के सम्बन्ध में सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ङ) क्या कुछ ऐसी भूमि भी है जिसका वास्तव में कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है परन्तु उससे रेलवे को आय नहीं होती है ; और

(च) क्या सरकार जानती है कि गोरखपुर में रेल अधिकारियों के बड़े बंगलों की चारदीवारी में आने वाली भूमि में नियमित रूप से खेती की जाती है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में संरक्षण कर्मचारियों की कमी

9095. **श्री सूरज भान** : क्या शिक्षा मन्त्री ए० एस० आई० दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, औरंगाबाद के वार्षिक बजट के बारे में 17 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, औरंगाबाद में संरक्षण कर्मचारियों की कमी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए अब तक कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ; और

(ग) इस क्षेत्र के लिए वर्ष 1982-83 के लिए आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) दक्षिण-पश्चिमी मंडल में 17 दिसम्बर, 1981 को संरक्षण कर्मचारियों के खाली पदों से सम्बन्धित ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(i) संरक्षण सहायक ग्रेड I	4
(ii) संरक्षण सहायक ग्रेड II	4
(iii) केयर टेकर	2

(ख) हाल ही में, निम्नलिखित रिक्तियां भरी गई हैं :—

(i) संरक्षण सहायक ग्रेड II	3
(ii) केयर टेकर	2

(इन दो पदों मे से एक पर जिस व्यक्ति ने नियुक्ति के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है, उसे अभी कार्यभार ग्रहण करना है।)

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष में दक्षिण-पश्चिमी मंडल, औरंगाबाद के लिए आबंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि इस प्रकार है :—

(i) विशेष मरम्मत	—	8.00 लाख रुपए
(ii) वार्षिक मरम्मत	—	5.5 लाख रुपए

तमिलनाडु में पनबम सड़क रेल पुल

9096. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में पनबम सड़क रेल पुल की प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पनबम में रेल पुल पहले ही मौजूद है। रेल-एवं-सड़क पुल का वहां कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दानापुर डिवीजन में दैनिक मजदूर

9097. **श्री कुँवर राम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर डिवीजन में नियमित वेतनमान के लिए योग्य अथवा नियमित सेवा में शामिल किए जाने के लिए कितने दैनिक मजदूर पात्र हैं ; और

(ख) उनकी सेवाएं कब तक नियमित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अठारह।

(ख) जैसे ही नियमित रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उन्हें नियमित कर दिया जायेगा।

बन्दमुंडा के निकट ऊपरि पुल

9098. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में राउरकेला के निकट बंदमुंडा के पास एक ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रलाय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उड़ीसा सरकार ने फरवरी, 1982 में दक्षिण पूर्व रेलवे को सूचित किया था कि वह बोंडामुंडा में एक ऊपरी सड़क पुल की लागत में भागीदारी के आधार पर निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। बहरहाल, राज्य सरकार की ओर से रेलवे को इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

कोयला वैगनों का भरा जाना

9099. **श्री तारिक अनवर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान प्रति माह कोयले के औसतन कितने वैगन भरे गये ;

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान प्रतिमाह, प्रति बिजली घर विद्युत क्षेत्र को कितने कोयला वैगन सप्लाई किए गए और बिजली घरों को तदनुरूप मासिक मांग कितनी थी ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा अपने प्रयोग हेतु प्रति माह कितने कोयला वैगन प्राप्त हुए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में हर महीने प्रतिदिन कोयले से लादे गये माल-डिब्बों की औसत दैनिक संख्या नीचे दी गयी है :—

(आंकड़े चौपहियों में)

महीना	1979-80	1980-81	1981-82
अप्रैल	8885	8876	9951
मई	8396	8536	9.15
जून	8635	8618	9384
जुलाई	8836	8577	9579
अगस्त	8723	8222	9840

(1)	(2)	(3)	(4)
सितम्बर	8865	8261	10039
अक्तूबर	8533	8582	10121
नवम्बर	8620	8749	10478
दिसम्बर	9068	9447	10667
जनवरी	8968	9643	10969
फरवरी	9291	10063	11256
मार्च	9251	10265	11080

(ख) बिजली घरों को कोयले की सप्लाई स्थायी लिकेज समिति द्वारा निश्चित लिकेज और केन्द्रीय सरकार द्वारा बताये गये मार्ग-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। दिसम्बर, 1980 से कोयले के लदान में सुधार होना शुरू हुआ। बिजली घरों को कोयले की सप्लाई में भी वृद्धि की गई, जैसाकि नीचे के ब्यौरे से पता चलेगा। वास्तव में, जनवरी, फरवरी और मार्च, 1982 के दौरान, बिजली घरों के लिए कोयले का दैनिक औसत लदान प्रतिदिन 4250 माल-डिब्बों के लक्ष्य से अधिक हुआ है।

(आंकड़े चौपाहियों में)

महीना	1979-80	1980-81	1981-82
अप्रैल	2775	3299	3936
मई	2715	3197	3585
जून	2806	3195	3710
जुलाई	2828	2906	3703
अगस्त	2669	2526	3744
सितम्बर	2861	2683	4103
अक्तूबर	2680	3059	3977
नवम्बर	2733	3197	3983
दिसम्बर	2860	3522	4185
जनवरी	3913	3643	4365
फरवरी	3323	3974	4506
मार्च	3287	3831	4438

(ग) रेलवे के इस्तेमाल के लिए कोयले से लादे गये माल-डिब्बों की दैनिक औसत संख्या नीचे दी गई है :—

महीना	1979-80	1980-81	1981-82
अप्रैल	1463	1493	1382
मई	1452	1424	1295
जून	1525	1479	1433
जुलाई	1511	1523	1308
अगस्त	1437	1546	1290
सितम्बर	1414	1411	1306
अक्तूबर	1378	1393	1249
नवम्बर	1540	1459	1275
दिसम्बर	1514	1486	1373
जनवरी	1491	1431	1307
फरवरी	1679	1445	1291
मार्च	1565	1245	1308

श्रेणी एक के अधिकारी

9100. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल में फरवरी, 1982 को श्रेणी एक के कितने अधिकारी थे;

(ख) भारतीय रेल के मैकेनिकल इन्जीनीयरिंग विभाग में श्रेणी एक के कितने अधिकारी हैं; और

(ग) इन श्रेणी एक के अधिकारियों की न्यूनतम आवश्यक योग्यता क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सीधी भर्ती के लिए

(i) लेखा, यातायात, कार्मिक विभागों और रेलवे सुरक्षा बल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।

(ii) सिविल इन्जीनियरी, यांत्रिक इन्जीनियरी, सिगनल इन्जीनियरी, बिजली इन्जीनियरी और भण्डार विभागों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्जीनियरी में डिग्री अथवा समनुल्य।

(iii) चिकित्सा विभाग के लिए सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारियों के लिए चिकित्सा/शल्य चिकित्सा शास्त्र की डिग्री तथा मण्डल चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर अर्हता और सम्बन्धित विषयों का अनुभव वर्ग "ख" (श्रेणी—II) से वर्ग "क" (श्रेणी—I) में पदोन्नति के लिए कोई विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित नहीं हैं।

लक्ष्य से अधिक माल ढुलाई

9101. **श्री जगदीश टाईटलर** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुत अधिक माल ढुलाई का आश्वासन दिया गया है, जो इस वर्ष अनुमानित लक्ष्य पचास लाख टन से अधिक था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भाड़ा प्रभार में वृद्धि करने की आवश्यकता है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां 1981-82 के दौरान राजस्व अर्जक यातायात का लदान 2150 मी० टन के मूल लक्ष्य जिसे बाद में संशोधित करके 2200 मी० टन कर दिया गया था की तुलना में लगभग 2204 मी० टन हुआ।

(ख) रेलों के संचालन व्यय में हुई वृद्धि जोकि रेल परिवहन के लिए साधन और सामग्री की लागतों में वृद्धि हो जाने के कारण हुई को पूरा करने के लिए भाड़ा दरों में वृद्धि की गयी है। यदि रेल परिवहन के लिए साधन और सामग्री की लागतों में वृद्धि होती है तो रेल की भाड़ा दरों में वृद्धि की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

विद्या विहार स्टेशन के समीप सड़क ऊपरि पुल का निर्माण

9102. **डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का मध्य रेलवे, बम्बई में विद्या विहार स्टेशन के समीप एक सड़क ऊपरि पुल के निर्माण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पुल के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मध्य रेलवे, बम्बई, में विद्या विहार स्टेशन के निकट "निक्षेप" कार्य के रूप में एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के बारे में बम्बई नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस निर्माण-कार्य के नक्शों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) फिलहाल यह बता पाना सम्भव नहीं है कि यह पुल कब तक बन जायेगा।

रेलवे स्कूल

9103. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक रेलवे स्कूल हैं और उनकी जोनवार संख्या क्या है ;

(ख) रेलवे द्वारा स्कूलों पर कितना व्यय किया जाता है ;

(ग) वर्ष 1978, 1979, 1980 और 1981 में दक्षिण-पूर्वी रेलवे स्कूलों रेलवे में राशि खर्च हुई ;

(घ) उक्त वर्ष में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने पर कितनी प्रथम डिवीजन प्राप्त की ; और

(ङ) क्या प्रत्येक जोन में रेलवे का शिक्षा अधिकारी है और यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों में शिक्षा में कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें (दक्षिण रेलवे और चितरन्जन रेल इन्जन कारखाने से सम्बन्धित सूचना को छोड़कर) अपेक्षित सूचना दी गयी है। दक्षिण रेलवे और चितरन्जन रेल इन्जन कारखाने के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

(क), (ख) और (घ) :—

रेलवे	स्कूलों की संख्या		व्यय	प्रथम श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या							
				माध्यमिक				उच्चतर माध्यमिक			
	उच्च	उच्चतर माध्यमिक		1978	1979	1980	1981	1978	79	80	81
मध्य	4	2	6,08,453	14	13	23	32	—	1		12
पूर्व	7	1	39,64,000	128	147	203	118	19	11	24	30
उत्तर	2	1	25,35,380.22	23	23	34	23	9	17	15	9
पूर्वोत्तर	1	2	24,70,000	83	63	70	74	11	85	30	11
पूर्वोत्तर सीमा	3	4	44,02,170.64	67	77	28	74	1	1	4	11
दक्षिण-मध्य	14	—	65,75,437	95	135	184	197	—	—	—	—
दक्षिण-पूर्व	7	9	1,38,17,000	83	105	137	122	35	19	45	43
पश्चिम	2	3	21,29,582	10	16	21	12	26	27	19	30
डी० रे० का०	—	1	12,87,269.56	—	—	—	—	47	15	68	35

(ग) 1978 रु० 1,42,05 000.00

1979 रु० 1,31,73,000 00

1980 रु० 1,59,35,000.00

1981 रु० 1,90,89,000.00

(ङ) जी नहीं ।

छपड़ा-बाराबंकी रेल लाइन में सुधार होना

9104. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री 31 सितम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 277 में उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार छपड़ा-गोरखपुर, बराबंकी ब्रोड गेज लाइन की स्थिति में सुधार करने में कहां तक सफल हुई है और इस लाइन पर रेल यातायात की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी स्थिति में अपेक्षित सुधार कब तक हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या छपड़ा-बराबंकी रेल लाइन की स्थिति अब भी पहले की तरह है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या छपड़ा अथवा गोरखपुर से हावड़ा तक सीधी रेल गाड़ी चालू की जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गोरखपुर-बराबंकी लाइन, जिसका हाल ही में आमान-परिवर्तन किया गया है, की दशा में सितम्बर, 1981 से सुधार हो गया है और अधिकतम अनुमेय रफ्तार 50 कि० मी० प्रति घन्टे से बढ़ाकर 80 कि० मी० प्रति घंटा कर दी गयी है। लाइन की दशा में सुधार हो जाने के परिणामस्वरूप यातायात में भी सुधार हुआ है। इस समय छपरा-भटनी खंड पर बड़ी लाइन की पांच जोड़ी, भटनी-गोरखपुर खंड पर 6 जोड़ी और गोरखपुर लखनऊ खंड पर पांच जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं। इसके अलावा, छपरा-गोरखपुर खंड पर 4 जोड़ी तथा गोरखपुर लखनऊ खंड पर 3 जोड़ी माल गाड़ियां भी चल रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) फिलहाल छपरा अथवा गोरखपुर और हावड़ा के बीच कोई सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीकानेर-रतनगढ़ रेल लाइन में मब स्टेशन

9105. **श्री दौलतराम सारण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन में विग्गा और पारसों के बीच 368 कि० मी० पर रमासरा में एक नया स्टेशन की स्थापना करने के लिए विग्गा पंचायत ने बीकानेर डिवीजन्स रेलवे के मैनेजर को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या उसके कई गांव लाभान्वित होंगे और यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किया जायेगा और सब स्टेशन अपना कार्य कब शुरू कर देगा ;

(ग) क्या सादुलपुर-हनुमानगढ़ रेल लाइन में पहारसोर हाल्ट स्टेशन को एक पूरा दर्जे का स्टेशन बनाने के लिए लम्बे समय से मांग हो रही है और यदि हां, तो इस स्टेशन को कब तक एक पूरे दर्जे का स्टेशन बनाया जायेगा;

(घ) क्या सादुलपुर-चुरु रेल लाइन पर एक डाकुवा सब स्टेशन तथा सरदारशहर रतनगढ़ रेल लाइन पर एक सजनसार विश्राम स्टेशन प्रदान करने के लिए कोई मांग है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन स्टेशनों को कब तक स्वीकृत किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बीकानेर-रतनगढ़ लाइन पर विग्गा और परसनेऊ स्टेशनों के बीच पोल नं० 368/8 पर रामसरा गांव में एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है, लेकिन इसे परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है। इसके अलावा, विग्गा और परसनेऊ स्टेशनों के बीच खोले गये सीतल नगर हाल्ट से उस क्षेत्र के लोगों की यात्रा सम्बन्धी आवश्यकताएं पर्याप्त ढंग से पूरी हो रही हैं।

(ग) पहाड़सर हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी, लेकिन इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

(घ) और (ङ) डोकवा हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था पहले ही कर दी गयी। जहां तक साजनगर हाल्ट खोलने का सम्बन्ध है, इसकी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और उत्तर रेल प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा रही है।

"नेताजी सुभाष बोस डाक के डी-शेड का विकास"

9106. **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष डाक के डी-शेड के विकास की सरकार की कोई योजना है जिसका बहुत बड़ा भाग असुरक्षित है और उसमें बिजली पानी और मल निकासी जैसी न्यूनतम सुविधाएं नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) नेताजी सुभाष डाक के डी-शेड के पीछे के क्षेत्र का विकास किया गया है और कलकत्ता से परिचालित होने वाली विभिन्न कंटेनर लाइन्स को आवंटित कर दिया गया है। नेताजी सुभाष डाक एक्सटेंशन एरिया को भी जो रोड के निकट हैं कंटेनरों के स्टेकिंग, स्टोरेज और हेंडलिंग के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

भारतीय रेड क्रास सोसायटी द्वारा महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा से वाहनों की खरीद

9107. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेड क्रास सोसायटी ने चल डिस्पेंसरियों के लिए महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा से कितने वाहन खरीदे और प्रति वाहन किस दर से खरीदा है और उन राज्यों के नाम क्या है जिन्हें ये गाड़ियां भेजी गई ;

(ख) क्या इण्डियन रेड क्रास सोसायटी ने गाड़ियां खरीदने से पहले विभिन्न कम्पनियों से टेंडर मांगे थे ;

(ग) यदि हां, तो टेंडर भेजने वाली कम्पनियों के नाम क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो टेंडर न मंगाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 1. भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने यह बताया है कि मोबाइल डिस्पेंसरियां बनाने के लिए बीस गाड़ियां खरीदी गई थीं ।

II. इन गाड़ियों के खरीदे जाने की तारीख/महीना :

गाड़ियों की संख्या	जिस तारीख/महीने में मुख्यालय से प्राप्त हुई ।
2	18.8.80
2	14.9.80
1	20.9.80
1	1.10.80
1	22.10.80
1	30.10.80
1	1.11.80
2	17.12.80
1	19.12.80
1	12.1.81
1	20.1.81
1	11.2.81
2	16.3.81
1	19.3.81
2	23.5.81
20	

III. जिन रेड क्रास राज्य शाखाओं को ये गाड़ियां नियत की गई उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	नियत की गई गाड़ियों की संख्या
असम	4
बिहार	4
हरियाणा	3
उड़ीसा	1
पंजाब	2
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	3
	20

ये गाड़ियां पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की स्वीकृत सरकारी दरों पर खरीदी गई थीं ।

(ख) और (ग) मैटाडोर, हिन्दुस्तान डोजल स्टैंडर्ड और महिन्द्रा जैसी विभिन्न प्रकार के वाहनों का कहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उपयोग हो सकता है, इस सम्बन्ध में उनकी विशिष्टताओं, तकनीकी विवरणों और अन्य विवरणों की जांच की गई । समस्त पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा निर्मित 7.00× 15.8 प्लाई टायरों सहित डीजल इन्जिन वाला सी० ओ० डब्ल्यु० आर० एच० डी० 104 डब्ल्यु० वी०, से युक्त फारवर्ड कंट्रोल वाले ट्रक चेसिस के एफ० सी०-360 डी० माडल को उन इलाकों को देखते हुए जिनमें डिस्पेंसरियां खोली जानी हैं, डिस्पेंसरी वाहन बनाने के लिए उपयुक्त समझा गया । तदनुसार परीक्षण के आधार पर जुलाई 1980 में पहले पहले ऐसे दो वाहनों के आर्डर दिये गये 120 वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेष वाहन बाद में खरीदे गये ।

ये गाड़ियां दिल्ली में कम्पनी के एकमात्र एजेन्ट से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की स्वीकृत सरकारी दरों पर प्राथमिकता के आधार पर खरीदी गई थीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

"सेंटल कौंसिल रिजनल रिसर्च यूनिट आफ युनानी मेडिसन हैदराबाद/कलकत्ता में कथित कुप्रबन्धक

9108. श्री भीखा भाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 जुलाई 1981 को बंगाल से निकलने वाले आनन्द बाजार पत्रिका में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो "सेंटल कौंसिल रिजनल रिसर्च यूनिट आफ यूनानी मेडिसिन" हैदराबाद/कलकत्ता द्वारा ल्यूकोडर्मा (विटलिगो/बरास) का इलाज करने के लिए वकुची के खतरनाक प्रभावों के बारे में सम्बन्धित क्षेत्रीय अनुसंधान, संस्थान, कलकत्ता और हर्बलक्योर हैदराबाद में मिरगी के इलाज के बारे में हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो मंत्रालय ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सेंट्रल कौंसिल रिजनल रिसर्च यूनिट आफ यूनानी मेडिसिन के कार्यकरण तथा इसमें की गई नियुक्तियों तथा ल्यूकोडर्मा/मिरगी के इलाज में प्रयुक्त दवाइयों के प्रभावीपन अथवा अन्य बातों की जांच करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है या करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा यह समिति अपनी रिपोर्ट कब और किस समय तक दे देगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) ल्यूकोडर्मा का इलाज करने के लिए केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा कचुकी के कथित प्रयोग के खतरनाक प्रभावों के बारे में "ट्बंल क्योर" हैदराबाद में 15 जुलाई, 1981 को छपे समाचार का सरकार को पता है। वैसे, "आनन्द बाजार पत्रिका", कलकत्ता (बंगाली) में 15 जुलाई, 1981 को मिरगी ल्यूकोडर्मा के इलाज के बारे में कोई समाचार छापा नहीं लगता है।

(ख) ल्यूकोडर्मा का समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं लगता क्योंकि इस संस्थान द्वारा ल्यूकोडर्मा के रोगियों को जो औषधि और औषधियों के विभिन्न घटक दिये जा रहे हैं उनकी परिषद ने अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं दी है।

(ग) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ल्यूकोडर्मा के अनुसंधान कार्य का लगातार मूल्यांकन करती आ रही है। अनुसंधान परिषद में सभी नियुक्तियां अनुमोदित नियमों में अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाती है। आधुनिक

चिकित्सा पद्धति के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने इस संस्थान का दौरा किया है और उन्होंने हैदराबाद के संस्थान में ल्यूकोडर्मा पर किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसाकि उपर्युक्त (ग) में बताया गया है।

देशी चिकित्सा प्रणाली हेतु परामर्शदाता के पद के लिये विज्ञापन रद्द किया जाना

9109 **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रालय के अधीन देशी चिकित्सा प्रणाली हेतु परामर्शदाता के पद के लिए विज्ञापन को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) भर्ती नियमों के अनुसार सलाहकार (भारतीय चिकित्सा पद्धति) का पद संघ लोक सेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। इस पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को एक पत्र भेजा गया था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह पद विधिवत विज्ञापित भी कर दिया गया था। तथापि, 3000 रुपये (नियत) वेतन पर विशेष आयुक्त (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के एक पद के उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप, जिसे भरने की कार्यवाही चल रही है तथा सलाहकार (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के पद का नाम बदलकर सलाहकार (आयुर्वेद एवं सिद्ध) रखने के फलस्वरूप सलाहकार (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के पद के भर्ती नियमों को संशोधित करने के निर्णय को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया था कि वे इस पद को भरने के लिए आगे कार्यवाही न करें।

सतर्कता निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार

9110. **श्री छांगुर राम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या कुछ पार्सल क्लर्कों ने अक्तूबर 1981 में उत्तर रेलवे के एक सर्तकता निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे एक भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले की विस्तृत जांच करने से रोका था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल प्रशासन के सम्बन्धित निरीक्षक से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। कोई हाथापाई नहीं हुई, लेकिन पार्सल कार्यालय, नई दिल्ली, के कुछ कर्मचारियों द्वारा उत्तर रेलवे के एक सतर्कता निरीक्षक का घेराव किया गया और उसे गालियां दी गयीं।

बाद में की गयी अनेक सतर्कता जांचों के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

(ख) जी हां।

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

भूटान से प्राप्त "हरबेरियम शीट"

9111. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान से बहुत बड़ी संख्या में "हरबेरियम शीट" प्राप्त की गई है ;

(ख) मन्त्रालय में एस० आर० ओ० (अब सेवा निवृत्त) ने कितनी "हरबेरियम शीट" प्राप्त की है ;

(ग) क्या इन शीटों का अनुरक्षण और वर्गीकरण उचित ढंग से किया गया है ;

(घ) क्या कुछ शीटों को कीड़ों ने खा लिया है ; और

(ङ) इन शीटों का किस स्थान पर निरीक्षण किया जा सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) पौधों के लगभग 1300 समूह एकत्र किए गए थे जिनमें से उन्होंने 300 अच्छी तरह से माउंट की गई हरबेरियम शीटें तैयार की थीं।

(घ) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ये हरबेरियम शीटें केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् के डाक्यूमेंटेशन सेंटर, डी-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

सेन्ट्रल कौंसिल और रिसर्च इन यूनानी मेडीसीन में निदेशक का पद

9112. **श्री चतुर्भुज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनानी औषधियों में अनुसंधान केन्द्रीय परिषद में एक ही व्यक्ति निदेशक तथा उप-सलाहकार का पद सम्भाले हुए हैं ;

(ख) दोनों पदों की ड्यूटियां, कार्य तथा उत्तरदायित्व क्या हैं तथा उनके लिए क्या योजनाएं अपेक्षित हैं ; और

(ग) क्या इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर जिनके साथ महत्वपूर्ण कार्य जुड़े हुए हैं ; दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद में उप-सलाहकार का कोई पद नहीं है। किन्तु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के उप-सलाहकार (यूनानी) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के उप-सलाहकार (यूनानी) यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए नीतियां तैयार करने में सलाह देते हैं जबकि केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक, अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं और परिषद के विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के समन्वय, नियोजन और कार्यकरण के लिए उत्तरदायी हैं। दोनों पदों के लिए अपेक्षित अर्हताएं संलग्न विवरण-एक और दो में दी गई हैं।

(ग) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद को पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है और उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

विवरण-एक

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं

आवश्यक

(क) *किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक संकाय या बोर्ड से यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की डिग्री (या समकक्ष) या कम से कम चार वर्ष का डिप्लोमा।

(ख) *यूनानी चिकित्सा पद्धति में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 18 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव जिसमें से 12 वर्षों का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्था/कालेज/विश्वविद्यालय में अनुसंधान/शिक्षण का हो।

या

(क) *किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक संकाय या बोर्ड से यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रथम या दूसरी श्रेणी की डिग्री या कम से कम चार वर्ष का डिप्लोमा।

(ख) *यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रथम या दूसरी श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री या कम से कम दो वर्षों का डिप्लोमा सर्टिफिकेट।

(ग) यूनानी चिकित्सा पद्धति में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 18 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव जिसमें से 10 वर्षों का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्था/कालेज/विश्व-विद्यालय में अनुसंधान/शिक्षण का हो।

वांछनीय

किसी उत्तरदायी पद पर 7 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।

टिप्पणी : अंग्रेजी और उर्दू/फारसी/अरबी का ज्ञान आवश्यक।

*नोट : (i) 60 प्रतिशत और इससे अधिक अंक के बराबर प्रथम श्रेणी की डिग्री हैं।

(ii) 50 प्रतिशत और इससे ऊपर किन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक द्वितीय श्रेणी की डिग्री के बराबर है।

विवरण-दो

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-सलाहकार (यूनानी) पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं

आवश्यक

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सांविधिक संकाय/बोर्ड/परिषद आदि से यूनानी में डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष अर्हता।

2. किसी यूनानी अस्पताल/औषधालय में उत्तरदायी पद या किसी मान्यता प्राप्त संस्था या यूनानी विषयों की अनुसंधान प्रयोगशाला/संस्था में यूनानी विषयों के शिक्षण का 12 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव।

3. अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू का अच्छा ज्ञान।

(उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य पाए जाने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं। विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं शिथिलनीय हैं।

वांछनीय

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सांविधिक/संकाय/बोर्ड/परिषद आदि से यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

सरकारी मेडिकल डिपो से औषधियों की खरीद

9113. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या मद्रास का सी० जी० एच० एस० विभाग जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय सरकार के वर्तमान आदेशों में निहित है इसके अनुसार औषधियों की अपनी पूरी मांग सरकारी मेडिकल स्टोर डिपु मद्रास से नहीं खरीदता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सी० जी० एच० एस० मद्रास के लिए बजट का जो आबंटन किया गया है उसकी तुलना में गत 3 वर्षों के दौरान सी० जी०एच० एस० औषधालयों ने सरकारी मेडिकल स्टोर डिपु से कितनी मूल्य की औषधियां खरीदी और कितनी स्थानीय खरीद के द्वारा खरीदीं ;

(ग) यदि सरकारी मेडिकल स्टोर डिपु से खरीदी गई औषधियों का मूल्य कम है तो मन्त्रालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सी० जी० एच० एस० मद्रास को क्या अनुदेश दिए हैं ;

(घ) क्या और अधिक संख्या में सी० जी० एच० एस० औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो किन स्थानों पर और किन तिथियों को खोले जायेंगे ; और

(ङ) क्या सी० जी० एच० एस०, औषधालयों के पास रोगियों को औषधियां दिए जाने से पूर्व उनकी जांच करने की कोई सुविधाएं नहीं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मद्रास द्वारा सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास तथा अन्य स्रोतों से औषधियां खरीदी जाती हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मद्रास के लिए सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास से और स्थानीय रूप से खरीदी गई औषधियों के मूल्य के साथ उसके लिए आबंटित किये गये बजट का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार से मंगाई गई औषधियां	स्थानीय रूप से खरीदी गई औषधियां	बजट आबंटन
1979-80	86,770 रुपये	5,129 रुपये	11,20,000 रुपये
1980-81	300,188 रुपये	20,530 रुपये	18,45,000 रुपये
1981-82	89,389 रुपये	401,752 रुपये	23,00,000 रुपये

इसके अलावा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के जरिये भी औषधियां खरीदी गई।

(ग) ये औषधियां पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय और चिकित्सा सामग्री भण्डार के जरिये खरीदी जाती हैं और इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने का कोई विचार नहीं है।

(घ) मद्रास में एक अतिरिक्त औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। लेकिन यह कहां और कब खोला जाएगा इसका निर्णय इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

(ङ) मुख्यत: औषधियों के गुणपरक नियन्त्रण की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य औषध नियन्त्रक की होती है और इसे औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उत्पादन स्थल पर किया जाता है। वैसे सुरक्षा के एक और उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अनुमोदित प्रयोगशालाओं/परीक्षण केन्द्रों के जरिये भी दवाइयों का खास-खास परीक्षण करा लेती हैं।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो की बायोलैब में औषधों का परीक्षण

9114. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, गोहाटी और करनाल द्वारा सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की बायोलैब प्रयोगशाला के निदेशक के पास उस अवधि में कौन सी मदें वर्षवार और डिपोवार भेजी गई जब से निदेशक ने निदेशक पद का कार्य सम्भाला और उसका क्या ब्यौरा है ;

(ख) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की बायोलैब में परीक्षण करने का क्या मानदण्ड है ;

(ग) उपरोक्त अवधि में इस बायोलैब के कृषि विज्ञान तथा जीव विज्ञान स्कंधों में परीक्षा की गई और परिणाम प्रस्तुत की गई मदें क्या थीं ;

(घ) इस बायोलैब में बहुत विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इसमें सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई और क्या इस विलम्ब के लिए उत्तर-दायित्व निश्चित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद

9115. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री इलाहाबाद में रेलवे साइकिल स्टैंड द्वारा सामान हैंडलिंग करने का ठेका के बारे में 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5553 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद का इलाहाबाद माल शेड एक विशेष कार्यकरण के क्षेत्र में कार्यकरण पूरे अनुबन्ध काल में असन्तोषजनक रहा तो उनको पार्सल हैंडलिंग का ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं, जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का काम है ; और

(ख) किस आधार पर प्रतिमाह 32,077.50 रुपया दर निश्चित की गयी है जबकि यात्री भाड़ा दरों और अन्य दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है तथा 'वास्तविक कामगारों' की पूर्व मजदूर सहकारिता समिति एकमुश्त 17,999.86 रुपये मासिक के भुगतान पर यह काम कर रही थी।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इलाहाबाद जंकशन पर पार्सल हैंडलिंग ठेका जोकि उस समय मैसर्स रेलवे सहकारी श्रम संविदा समिति लि०, ट्रंडला के पास था, के नवीकरण के समय यह निर्णय किया गया था कि इस ठेके को किसी स्थानीय सहकारी समिति को देना बेहतर होगा, और इसलिए यह कार्य मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लि०, इलाहाबाद को दिया गया था।

(ख) पहले का ठेका एक मुश्त राशि के आधार पर 17999.85 प्रति मास के आधार पर था। किन्तु, यह नोटिस में आया कि श्रमिक 8 घन्टे प्रति पारी की बजाय 12-12 घण्टों की 2 पारियों में कार्य कर रहे थे जिस पर श्रमिक प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आपत्ति की गयी थी। पिछले वर्षों की तुलना में भी 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसलिए, श्रमिकों की संख्या बढ़ायी गयी और ठेका मौजूदा दैनिक मजूरी दर पर 32077.50 रुपये की एक मुश्त दर पर तय किया गया था।

कानपुर में साइकिल स्कूटर ठेका

9116. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री कानपुर तथा इलाहाबाद स्टेशनों पर साइकिल स्टैंड के बारे में 17 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1979 से मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड ; इलाहाबाद को कानपुर में जो साइकिल/स्कूटर का ठेका दिया गया है उस ठेके की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या लाइसेंस धारक के पक्ष में उन्हीं शर्तों और दरों पर और दो सालों के लिए पुन: ठेका देने के बारे में समझोते में एक धारा है ;

(ग) यदि नहीं, तो ठेका आगे बढ़ाने के क्या कारण हैं जबकि समिति रेलवे की बकाया धनराशि को जमा करने में अनुबन्ध काल के दौरान और उसके बाद भी सदैव दोषी रही है ; और

(घ) क्या यह सच है कि मन्त्रालय के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण मंडलीय अधिकारी अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही नहीं कर सके ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कानपुर में साइकिल/स्कूटर स्टैंड का ठेका निविदाओं के आधार पर 1-2-79 से 2 वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लि०, इलाहाबाद, को दिया गया था और इस सिलसिले में जो करार किया गया था, उसमें लाइसेंस शुल्क के भुगतान, साइकिलों, आटो साइकिलों, स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों के पार्किंग प्रभारों की दरों के बारे में शर्तें तथा उक्त ठेके के अन्य ब्यौरे दिये गये थे। करार में ठेके की समयावधि बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक संसद सदस्या के माध्यम से, जिसने यह सिफारिश की थी कि सन्तोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर समिति के ठेके की समयावधि बढ़ा दी जाये, प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया कि 1-2-1981 से 2 वर्ष की अवधि के लिए ठेके का नवीकरण कर दिया जाये।

(घ) जी नहीं।

दिल्ली रिंग रेलवे

9117. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी की रिंग रेलवे के बारे में उसके मार्ग सहित रेल गाड़ियों की बारम्बारता और अनुमानित यातायात का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : रेलों ने रिंग रेलवे पर विद्युतीकृत दैनिक यात्री सेवाएं शुरू करने की योजना बनायी है। इस परियोजना पर 35 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे 30-6-1982 तक पूरा करने की योजना बनायी गयी है। बिजली गाड़ी सेवाएं शुरू हो जाने पर इनसे सरोजनी नगर, सफदरजंग, चाणक्यपुरी, सरदार पटेल मार्ग, बरार स्क्वेयर, नारायण विहार, पटेल नगर, दया बस्ती, सदर बाजार, मिंटो ब्रिज, तिलक ब्रिज तथा प्रगति मैदान स्टेशन सेवित होंगे। व्यस्त अवधि के दौरान प्रात: और सायं व्यस्त दिशा की ओर 15 मिनट की तथा गैर-व्यस्त दिशा की ओर 30 मिनट की सेवाएं उपलब्ध हो जायेंगी। इसके अलावा, यह स्केलटन सेवा शकूरबस्ती से दिल्ली और दिल्ली से तुगलकाबाद तथा इनकी विपरीत दिशा में भी चलेगी। उपनगरीय बिजली गाड़ी सेवाएं प्रारम्भ हो जाने पर रेलवे द्वारा प्रतिदिन 2.7 लाख यात्रियों की निकासी की जायेगी।

साहित्य एकादमी द्वारा किया गया काम

9118. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी अनेक वर्षों से देश में साहित्य को प्रोत्साहन

देने की दिशा में अग्रणी रहने में विफल रही है क्योंकि यह अन्य लोगों द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य की तुलना में अपने ही सदस्यों के कार्य को ख्याति देती है और उन्हें वरीयता देती है ;

(ख) क्या खोसला आयोग ने भी सुझाव दिया था कि पुस्तकों के चयन में अकादमी द्वारा हेराफेरी की गई है ;

(ग) क्या अकादमी ने इस आशय के लिए कोई नियम निर्धारित किया है कि अकादमी की पुस्तकों का एक पृथक समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिये ।

(घ) उन पुस्तकों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जो अकादमी के सदस्यों द्वारा लिखी गई हैं; और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक लेखक को वर्षवार कितनी राशि पुरस्कारस्वरूप मिली ; और

(ङ) वर्तमान कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : **(क)** जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) **विवरण** संलग्न है ।

(ङ) साहित्य अकादमी के अनुसार, वर्तमान प्रक्रिया सन्तोषजनक है ।

विवरण

(घ) 1979 से 1981 तक के पुरस्कारों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है ; जो विभिन्न साहित्य अकादमी भाषा सलाहकार बोर्डों के सदस्यों को दिये गये हैं। पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये है ।

1979

घोषित पुरस्कार : 22, 22 भाषाओं में एक-एक । सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को दिये गए पुरस्कार निम्नलिखित भाषाओं में थे :

(1) **असमी** : श्री भाबेन बरुआ को उनकी **सोनाली जहाज** कविताओं के संग्रह के लिए ।

(2) **कश्मीरी** : डा० मरघूब बनीहाली को उनकी **परताविस्तान** कविताओं के संग्रह के लिए ।

(3) **कोंकणी** : डा० आर० बी० पण्डित को उनकी **डोरिया गजोता** कविताओं के संग्रह के लिए ।

(4) **मणिपुरी** : श्रीमती एम० के० बिनोदिनी देवी को उनके उपन्यास **बोरोसाहेब ओंकबी सनातोम्बी** के लिए ।

1980

घोषित कुल पुरस्कार : 19, 19 भाषाओं में एक-एक। सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को दिए गए पुरस्कार निम्नलिखित भाषाओं में थे :

(1) **असमी** : श्री जोगेश दारा को उनकी **पृथीवीर आमुख** नामक छोटी-छोटी कहानियों के लिए।

(2) **भारतीय अंग्रेजी** : प्रो० के० आर० श्रीनिवास अयेंगर को **आन दि मदर** अरविंद आश्रम की माता की जीवनी के लिए

(3) **कन्नड़** : श्री गोरूर रामास्वामी को उनकी **अमरिकाडेल्ली गोरूरु ट्रावेलोग** के लिए।

(4) **कोंकणी** : प्रो० मनोहर सार देसाई को **पिम्पोलिम** कविताओं की पुस्तक के लिए।

(5) **पंजाबी** : श्री सुखयालवीर सिंह हसरत को **सूरज ते केहकाशन** कविताओं की उनकी पुस्तक के लिए।

(6) **राजस्थानी** : श्री रामेश्वर दयाल श्रीमाली को **म्हारो गांव** कविताओं की उनकी पुस्तक के लिए।

(7) **सिन्धी** : श्री कृष्ण खटवानी को उनके **याद किक प्यार जी** उपन्यास के लिए।

1981

घोषित कुल पुरस्कार : 21, 21 भाषाओं में एक-एक सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को दिए गए पुरस्कार निम्नलिखित भाषाओं में थे :

(1) **कन्नड़** : श्री चेन्नावीरा कनावी को उनकी **जीवधावानी** कविताओं के संग्रह के लिए।

(2) **कश्मीरी** : श्री मोती लाल साकी को उनकी **मनसार** कविताओं के संग्रह के लिए।

(3) **कोंकणी** : श्री बी० बी० बोरकर को उनकी **सांसई** कविताओं के संग्रह के लिए।

(4) **पंजाबी** : प्रो० वी० एन० तिवारी को उनकी **फुटपाथ टू गराज तक** कविताओं के संग्रह के लिए।

परिवार नियोजन के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग

9119. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले के डोगरिया कोंढो ने कुछ जड़ी-बूटियों के प्रयोग से अनचाहे बच्चे पैदा होने की समस्या पर सफलतापूर्वक समाधान ढूंढ लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह जड़ी-बूटी काफी लम्बें अर्से से प्रयोग में आ रही है और इसके प्रभाव की जांच कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस जड़ी-बूटी के बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए प्रयास किये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) : (क) से (ग) अनचाहे बच्चों को रोकने के लिए उड़ीसा के कोरापुट जिले के डोगरिया कोढो जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते हैं इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । वैसे, उड़ीसा के गंजम जिले में रहने वाले सौरा जनजाति के लोग **प्लम्बागो रोजिया** पौधों का एक गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग करते हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार यह पौधा चार मास तक के गर्भ को समाप्त करने की क्षमता रखता है । आजकल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा पशुओं में इस पौधे की विषाक्तता पर अध्ययन किए जा रहे हैं । इसके बाद मनुष्यों में इसके क्लिनिकल परीक्षण करने का निश्चय किया जाएगा ।

फार्मास्युटिक फैक्टरी की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

9120. **श्री एम० थाझाई करुणानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे मदें कौन-कौन सी हैं जिनका निर्माण गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से सम्बद्ध फार्मास्युटीकल फैक्टरी में विद्यमान सुविधाओं और मशीनों के साथ किया जा सकता है ;

(ख) क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान फैक्टरी सैक्शनों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग किया गया था, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) चिकित्सा सामग्री भण्डार फैक्टरी, मद्रास जिन मदों का उत्पादन कर सकती है उनका एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध "क") । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4018/82]

(ख) चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास स्थित फैक्टरी में छः अनुभाग हैं अर्थात् भाप अनुभाग आइंमेंट (मरहम), टिकिया अनुभाग, पट्टी अनुभाग, पाउडर अनुभाग और टिन्कघर अनुभाग पिछले पांच वर्षों के दौरान भाप अनुभाग को छोड़कर शेष सभी अनुभागों का उत्पादन स्थापित क्षमता से कम रहा । वैसे, वर्ष 1977-78 और 1981-82 के दौरान भाप अनुभाग का उत्पादन न्यूनाधिक तौर पर अपेक्षित स्तर अथवा अनुकूलतम स्तर से भी अधिक था किन्तु अन्य वर्षों में यह उत्पादन स्थापित क्षमता से कम था।

समय-समय पर ऐल्कोहल सही आकार के डिब्बों, तकनीकी सामग्री, साफ्ट-पैराफिन तारपीन के तेल की कमी, पट्टियों के मानक कपड़े की अनुपलब्धता, बिजली का बार-बार जाना आदि इस कमी के मुख्य कारण थे।

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपचारी उपाए किए गये :—

1. डिस्टिलरियों से आग्रह किया गया है कि वे ऐल्कोहल की आवंटित मात्रा नियमित रूप से सप्लाई करें।

2. डिब्बों के सप्लायरों से आग्रह किया गया है कि वे टिन के बने डिब्बे सही समय पर सप्लाई करें।

3. पट्टियों के मानक कपड़े की खरीद का मामला आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के साथ लगातार उठाया जा रहा है।

इन उपायों के फलस्वरूप पट्टी अनुभाग को छोड़कर शेष सभी अनुभागों में उत्पादन बढ़ जाने की आशा है।

मद्रास में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के पोलीक्लीनिक

9121. **श्री एम० थाभ्काई करुणानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सिटी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक पोली क्लीनिक की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त पोलीक्लीनिक की स्थापना की दिशा में कोई कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मद्रास में एक पोलिक्लीनिक खोलने के लिए विशेषज्ञों परिचिकित्सा और अन्य कर्मचारियों के विभिन्न पदों के सृजन की मंजूरी जारी कर दी गई है। उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यों ही स्थान उपलब्ध हो जाएगा पोलिक्लिनिक खोल दिया जाएगा।

मधुमेह की बीमारी

9122. **श्री समीबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में मधुमेह की बीमारी के बढ़ने की जानकारी है ;

(ख) क्या इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) इस रोग की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोकथाम तथा हल करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि देश में मधुमेह का प्रकोप बढ़ गया है। वैसे, सरकार जानती है कि नगरीकरण के साथ-साथ मधुमेह रोग में वृद्धि होती है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में 1972 से 1975 के दौरान देश के छः अलग-अलग केन्द्रों में 34,194 व्यक्तियों पर एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से पता चला कि मधुमेह का प्रकोप नगर में 2.1 प्रतिशत और देहाती इलाकों में 1.5 प्रतिशत था।

(ग) कोई विशेष उपाय सोचे नहीं गए है।

इलाहाबाद से और इलाहाबाद के लिए पार्शल की बुकिंग पर प्रतिबन्ध

9123. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध-कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद से और इलाहाबाद के लिए पार्सलों की बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था तथा उक्त प्रतिबन्ध किस तारीख से लागू हुए थे ;

(ख) भार यातायात की उक्त हानि के कारण रेल प्रशासन को कितनी वित्तीय हानि हुई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि रेल प्रशासन ने मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा समिति लिमिटेड, इलाहाबाद की अर्द्ध कुम्भ मेले को अवधि के दौरान केवल पार्सलों के उतारने-चढ़ाने के कार्य के लिए कुल मिलाकर 32,077 रुपये 50 पैसे की मासिक अदायगी की थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो सामान्य भार यातायात के उतारने-चढ़ाने की अदायगी की तुलना में इस संस्था की कितनी अधिक अदायगी की गयी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ। इतर रेलों से आवक पार्सलों पर 10-1-82 से 31-1-82 तक, स्थानीय पार्सलों पर 15-1-82 से 31-1-82 तक और ब्रेक-यानों में माल पर 20-1-82 से 31-1-82 तक प्रतिबन्ध लगाया गया था।

(ख) इस कारणवश कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि इस अवधि के दौरान यात्री यातायात से हुई अधिक आमदनी के कारण यह कहीं अधिक सन्तुलित हो गयी।

(ग) ठेके की अवधि के दौरान सहकारी समिति को 32,077.50 रुपये की स्वीकृत

मासिक दर पर एक-मुश्त भुगतान किया जाता है, किसी माह विशेष के दौरान सम्हाले गये यातायात की मात्रा चाहे कुछ भी हो।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में कार पार्किंग ठेका

9124. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री कानपुर में कार पार्किंग ठेके के बारे में 26 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 716 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हुए टेंडरों पर इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस पार्टी को ठेका दिया गया है और उसने किस तारीख से कार्य शुरू कर दिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। 12-4-1982 को नये टेंडर आमन्त्रित किये गये थे और इन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिगनल और दूर संचार विभाग में छुट्टी रिजर्व कर्मचारी

9125. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगनल और दूर संचार विभाग में छुट्टी रिजर्व और प्रशिक्षणार्थी रिजर्व कर्मचारियों की श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कार्य कर रहे छुट्टी रिजर्व और प्रशिक्षणार्थी रिजर्व कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उत्तर-उत्तर पूर्व, पश्चिम, उत्तर-सीमान्त और पूर्वी रेलवे में निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार इनकी आवश्यकता है ; और

(ग) यदि इनमें कोई कमी है तो इसे कब पूरा किया जाना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी है।

परिवार नियोजन क्लीनिक

9126. **श्री अनन्त रामलु मल्लु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1982 को देश में परिवार नियोजन क्लीनिकों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने क्लीनिकों की स्थापना की गई साथ ही साथ इस प्रकार के उन क्लीनिकों की संख्या कितनी है जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) पहली अप्रैल, 1982 को देश में अन्य सेवाओं के साथ-साथ परिवार नियोजन की सलाह और सेवाएँ देने वाले 66635 केन्द्र कार्य कर रहे थे, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	5408
(ii) ग्रामीण उप-केन्द्र (आंकड़े अनन्तिम हैं)	59511
(iii) नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र	
(क) टाइप—I (10,000 से 25,000 जनसंख्या)	457
(ख) टाइप—II (25,000 से 50,000 जनसंख्या)	198
(ग) टाइप—III (50,000 और उससे अधिक)	852
(घ) केन्द्रीय सरकार संस्थाओं में नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र	209

(ख) आन्ध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे 293 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की गई और छठी योजना के दौरान कुल 1174 केन्द्र खोले जाने की संभावना है।

भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद और यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद में अवैतनिक व्यक्ति

9127. **श्री चतुर्भुज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद के और यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद मूल निकाय भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद में अवैतनिक व्यक्ति नियुक्त न करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के बावजूद आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद और यूनानी में कितने अवैतनिक व्यक्ति कार्यरत हैं और जबकि आयुर्वेदिक और सिद्ध चिकित्सा में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद की वर्तमान शासी निकाय ने भी यह निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध तथा यूनानी शिक्षा पद्धति की केन्द्रीय परिषदों के शासी निकायों ने भी अवैतनिक व्यक्तियों को नियुक्त न करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस समय केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के अधीन 57 अवैतनिक व्यक्ति और केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन 28 अवैतनिक व्यक्ति इन परिषदों के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बद्ध हैं।

आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद तथा यूनानी औषधि में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद में तदर्थ कर्मचारी

9128. **श्री चतुर्भुज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद तथा यूनानी औषधि में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और कितने कर्मचारियों को बाद में नियमित किया गया ; और

(ग) कितने कर्मचारियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पीत ज्वर

9129. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चे पीत ज्वर से पीड़ित होने की कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

टीटलागढ़ हावड़ा सवारी गाड़ी को पुनः चलाना और हावड़ा राउरकेला एक्सप्रेस को टीटलागढ़ तक बढ़ाया जाना

9130. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वर्षों से टीटलागढ़ से हावड़ा तक चलने वाली सवारी रेल गाड़ी को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और पश्चिम उड़ीसा के इन लोगों की मांग पूरी करने के लिए इस रेल गाड़ी को पुनः चलाने अथवा हावड़ा राउरकेला एक्सप्रेस रेल गाड़ी को टीटलागढ़ तक बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह टीटलागढ़ हावड़ा सवारी रेलगाड़ी के पुनः चलाने को अन्तिम रूप देने तक हावड़ा राउरकेला एक्सप्रेस रेल गाड़ी को टीटलागढ़ तक बढ़ा दें ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हवड़ा-टीटलागढ़ सवारी गाड़ी, जो 1-4-1965 से 31-3-1967 तक चलायी गयी थी, को बन्द करने के कारणों का इस समय कोई पता नहीं है। इस गाड़ी को फिर से चलाना न तो औचित्यपूर्ण है और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक है।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य सरकार ने केवल 5/6 हवड़ा-राउरकेला एक्सप्रेस का टिटलागढ़/झारसुगुडा तक विस्तार करने का अनुरोध किया है। यह केवल तभी व्यावहारिक है यदि राउरकेला-झारसुगुडा खण्ड पर इस समय चलने वाली 331/332 टिटलागढ़-राउरकेला सवारी गाड़ी को रद्द कर दिया जाये। उड़ीसा राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई है।

हावड़ा और भुवनेश्वर के बीच डे लाइट सुपरफास्ट ट्रेन

9131. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने अपनी निगमित योजना में दक्षिण पूर्व रेलवे में हावड़ा और भुवनेश्वर के बीच डे लाइट सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में यात्री यातायात तेजी से बढ़ रहा है ;

(ग) क्या यह रेल गाड़ी सुबह 5 बजे चलकर हावड़ा 11 बजे पहुंचेगी और हावड़ा से अपराह्न 4.30 बजे चलकर भुवनेश्वर में रात को 10.30 बजे पहुंचेगी ; और

(घ) यदि हां, तो सही तारीख क्या है जब यह प्रस्तावित रेल गाड़ी शुरू हो जायेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) मार्ग में लाइन क्षमता सम्बन्धी कठिनाइयों और कोचिंग स्टाक तथा बिजली जैसे संसाधनों की कमी एवं हावड़ा में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण, फिलहाल हावड़ा और भुवनेश्वर के बीच दिन में चलने वाली एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाना संभव नहीं है।

कोणार्क एक्सप्रेस की गति घटाना

9132. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर और सिकन्दराबाद के बीच कोणार्क एक्सप्रेस की गति 100 कि० मी० से घटाकर 90 किलोमीटर कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों से सुपरफास्ट का किराया अब तक लिया जा रहा है ;

(ग) क्या रेलवे मन्त्रालय को उड़ीसा सरकार से इस बारे में कोई पत्र मिला है कि वह गति घटाने के बाद सुपरफास्ट का किराया न ले ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे मन्त्रालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां, 20-1-1981 से अधिकतम अनुमेय रफ्तार 100 कि० मी० प्रति घंटा से घटाकर 88 कि०मी० प्रति घंटा कर दी गयी थी। लेकिन, सिकन्दराबाद वाल्तेरू खंड पर इसकी अतिकतम अनुमेय रफ्तार 10-3-82 से पुनः 100 कि०मी० कर दी गयी है, परन्तु वाल्तेरू-भुवनेश्वर खंड पर रफ्तार 88 कि०मी० प्रति घंटा है।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) इस गाडी में यात्रा करने के लिए जो पूरक प्रभार लगाया गया है, उसे समाप्त न करने का विनिश्चय किया गया।

उड़ीसा में कुष्ठ केन्द्र

9133. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने और इनके अनुरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) इस अवधि के दौरान उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले के हाथीबाड़ी कुष्ठ केन्द्र को कितनी राशि आवंटित की गई ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के किन अन्य कुष्ठ केन्द्रों को वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार का वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुष्ठ केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट आबंटन का राज्यवार ब्यौरा **अनुबन्ध I, II और III** में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 4019/82]

(ख) उड़ीसा स्थित हाथीबाड़ी कुष्ठ केन्द्र को हिन्द कुष्ठ निवारण संघ द्वारा राज्य सरकार की सहायता से चलाया जा रहा है। हाथीबाड़ी में कुष्ठ गृह खोलने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। उस प्रस्ताव के चिकित्सीय पक्ष के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता, जिसकी सूचना राज्य सरकार को भी दी जा चुकी है, इस प्रकार है :—

अनावर्ती—3.52 लाख रुपये रोगियों को अस्थायी रूप से भरती करने के लिए बीस-बीस पलंगों वाले दो वार्डों की स्थापना के लिए।

आवर्ती— 2.44 लाख रुपये उक्त वार्डों को चलाने और उनके रख-रखाव के लिए।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम से सम्बद्ध स्वैच्छिक एस० ई० टी० योजना में भाग लेने के लिए उड़ीसा से किसी भी स्वैच्छिक संगठन ने आवेदन नहीं किया है। वैसे, राधाकांतपुर कुष्ठ संघ से एक आवेदन मिला है जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(घ) हाँ। ब्यौरा **अनुबन्ध 4** में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4019/82]

रक्षित विद्युत संयंत्र

9135. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना से सम्बन्धित उनके मंत्रालय के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को ऊर्जा मन्त्रालय की आपत्ति के कारण त्याग दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या रेलवे को अपने विभिन्न प्रतिष्ठानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 156 मैगावाट बिजली की जरूरत होती है ; और

(च) यदि हां, तो क्या इतनी क्षमता के रक्षित विद्युत संयंत्र से उनके मंत्रालय को काफी हद तक मदद मिलेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) वित्तीय कठिनाइयां ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, इस प्रस्ताव को ऊर्जा मन्त्री के विचारार्थ नहीं भेजा गया था ।

(ङ) और (च) जी हां । रेलों के निजी बिजली घर बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि रेलों को बिजली की सप्लाई में सुधार लाया जा सके ।

टाइपिस्टों को मशीन पर काम करने का भत्ता

9136. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे में काम कर रहे टाइपिस्टों की ओर से उन्हें मशीन पर काम करने का भत्ता प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है कि जोनल रेलवे में टेलीफोन आपरेटरों, टेलीप्रिंटर आपरेटरों और कम्पोमीटर आपरेटरों को मशीन पर काम करने का भत्ता प्रदान किया जाता है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदनों पर विचार किया गया, लेकिन टाइपिस्टों को मशीन चलाने के लिए भत्ता देना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, क्योंकि तीसरे वेतन आयोग ने सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए टाइपिस्टों के लिए वेतनमानों की सिफारिश की थी ।

मैट्रिकुलेट ट्रेसर

9137. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के खंड एक के पृष्ठ 153-54 पर पैरा 79 से 81 में सिफारिश की है कि मैट्रिक-पास ट्रेसरों और ड्राफ्ट्समेनशिप में डिप्लोमाधारी कर्मचारियों को 330-560 रुपये (पुनरीक्षित वेतनमान) दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है और रेल मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि ड्राक्टसमेनशिप में डिप्लोमा या इसके समतुल्य अर्हता रखने वाले सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों को 330-560 रुपये के वेतनमान में रखा जाये। यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और जो ड्राफ्टसमेन पहले 150-240 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में थे, उन्हें 330-560 रुपये का संशोधित वेतनमान आबंटित कर दिया गया है।

रेलों पर ट्रेसरों के लिए ड्राफ्टसमेनशिप का डिप्लोमा रखना अपेक्षित नहीं है और वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्हें 260-400 रुपये का संशोधित वेतनमान दिया गया है।

केसर की काश्त

9138. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत के अमलगेमैटिंग एकक में इस समय केसर की काश्त की जा रही है ;

(ख) यह कब से जारी है ;

(ग) उक्त परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(घ) अब तक कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ङ) क्या उक्त केसर जम्मू व काश्मीर में पैदा होने वाले केसर से अच्छा है ; यदि हां, तो किस सीमा तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख की जायेगी।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी डाक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की अदायगी न किया जाना

9139. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, आयुर्वेदिक विश्व-विद्यालय, जामनगर, स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा पद्धति सलाहकार निदेशालय में कार्यरत भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रेक्टिशनरों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सालयों के आयुर्वेदिक डाक्टरों को प्रेक्टिस बन्दी भत्ता अदा किया जाता है ; और

(ख) सी० पी० आर० आई० एस० एण्ड एच०, सी० सी० आर० ए० एस० तथा सी०

सी० आर० यू० एम० के प्रशासी निकायों द्वारा बार-बार अनुमोदित किये जाने के बावजूद भी आयुर्वेद तथा यूनानी डाक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अदा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध और यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषदों के क्लिनिकल पदों के लिए प्रैक्टिस-बंदी भत्ता पहली जनवरी, 1982 से पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। सरकार इन परिषदों के शेष गैर क्लिनिकल पदों को भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

रेल गाड़ियों में चोरियों के कारण हुई हानि

9140. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में रेल गाड़ियों में चोरियों के कारण रेलवे की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) डीविजन-वार इस कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1981-82 दौरान (फरवरी 1982 तक), रेल गाडियों से माल की चोरी के कारण रेलों को कुल 2,69,71,130 रुपये की हानि हुई।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1981-82 दौरान (फरवरी 1982 तक) माल गाड़ियों से चोरी के कारण हुई मंडल-वार हानि

मध्य रेलवे		उत्तर रेलवे	
मंडल	हानि की राशि (रु०)	मंडल	हानि की राशि (रु०)
		दिल्ली	10,41,832
बम्बई	10,45,896	फिरोजपुर	8,38,275
भुसावल	3,46,342	बिकानेर	98,003
नागपुर	89,859	जोधपुर	1,825
जबलपुर	1,02,180	मुरादाबाद	6,50,042
झांसी	3,22,367	लखनऊ	2,29,817
शोलापुर	88,994	इलाहाबाद	8,83,439
जोड़	19,86,638	जोड़	37,29,233

पूर्व रेलवे

मंडल	हानि की राशि
हावड़ा	58,99,850
सियालदह	32,37,444
आसनसोल	11,14,836
धनबाद	2,37,935
दानापुर	81,15,916
मुगलसराय	3,58,212
जोड़	1,16,64,163

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

कटिहार	1,74,415
अलीपुरद्वार जंक्शन	1,01,517
लमडिंग	1,41,870
जोड़	4,17,802

दक्षिण मध्य रेलवे

सिकन्दराबाद	1,58,978
हैदराबाद	1,09,135
गुन्तकल्लु	1,30,185
हुबली	1,03,537
बिजयवाडा	2,94,192
जोड़	7,96,027

पूर्वोत्तर रेलवे

मंडल	हानि की राशि
इजज्त नगर	5,450
लखनऊ	16,370
वाराणसी	25,514
सोनपुर	46,577
समस्तीपुर	3,100
जोड़	97,011

दक्षिण रेलवे

मद्रास	2,24,047
मैसूर	2,33,004
बेंगलूरू	40,500
तिरुच्चिरापल्ली	15,340
मदुरै	4,277
पालघाट	79,690
तिरुवनन्तपुरम	1,00,406
जोड़	6,97,264

दक्षिण पूर्व रेलवे

आंद्रा	9,49,833
खड़गपुर	24,05,683
खुर्दा रोड	10,24,719
वाल्तेरू	2,68,019
चक्रधरपुर	12,51,140
बिलासपुर	86,933
नागपुर	1,12,469
जोड़	60,98,796

पश्चिमी रेलवे

मंडल	हानि की राशि (रु०)	
बम्बई	2,47,978	
बडोदरा	7,04,249	
रतलाम	2,04,520	
कोटा	1,94,269	
अजमेर	20,861	सभी रेलों के सम्बन्ध में
जयपुर	57,636	कुल योग 2,69,71,130 रु०
राजकोट	38,050	
भावनगर	16,603	
जोड़	14,84,166	

महल गाड़ी को वाणिज्यिक रूप में लाभप्रद बनाने के लिए उठाये गये कदम

9141. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महल गाड़ी के लिए पर्यटकों से कितना किराया वसूल किया जायेगा ;

(ख) यह गाड़ी किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी तथा इस गाड़ी का चलन-समय क्या होगा ;

(ग) क्या महल गाड़ी को चलाया जाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस गाड़ी के वाणिज्यिक रूप में लाभप्रद बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पहियों पर महल पर दो दिन/3 रात यात्रा क्रम के लिए किराया 3525/-रु० और 6 दिन/सात रात यात्रा क्रम के लिए किराया 8225/-रु० होगा।

(ख) इस गाड़ी का कार्यक्रम रात्रि में चलने और पर्यटन स्थलों पर एक दिन ठहरने का बनाया गया है। दो दिन/तीन रात यात्रा-क्रम में आगरा और जयपुर में ठहरना शामिल है और छः दिन/सात रात यात्रा-क्रम में जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा में ठहरने का समय शामिल है।

(ग) और (घ) इस परियोजना के वित्तीय अर्थ-क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य दर-सूची दरों के अनुसार किराये निर्धारित किये गये है। फिर भी इसकी अर्थ-सक्षमता का यथार्थ मूल्यांकन केवल इस गाड़ी का चालन शुरू होने के पश्चात ही उपलब्ध हो पायेगा।

"देश में सड़क दुर्घटनायें"

9142. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई अथवा कितने व्यक्ति विक्लांग हुए ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कराई गयी जांच के बारे में स्वतन्त्र विशेषज्ञ ऐजेंसी द्वारा दी गई रिपोर्टों को भेजने हेतु कहा है ;

(ग) यदि हां, तो कितने राज्यों ने ये रिपोर्ट भेज दी है और उनके निष्कर्ष क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगमों तथा सार्वजनिक एवं निजी कैरियरों के वाहनों के रख रखाव की जांच करने सड़क सुरक्षा तथा दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिये विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय जांच तन्त्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ङ) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा आयुक्त (कमिश्नर फार रोड सेटफी) के स्वतन्त्र पद का सृजन करने हेतु राज्यों को निर्देश दिये हैं ; और

(च) यदि हां, तो कितने राज्यों में इस पद का सृजन किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क) वर्ष	दुर्घटनाओं की सं०	मृत व्यक्तियों की सं०	घायल व्यक्तियों की सं०
1978	1,44,229	21,811	99,413
1979	1,42,171	22,595	1,02,916
1980	1,47,651	24,085	1,13,670

(ख), (ग), (ङ) और (च), 25 और 26 सितम्बर 1981 को हुई परिवहन विकास परिषद की बैठक में राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को एक सुझाव दिया गया था कि सभी गंभीर दुर्घटनाओं के मामले में राज्य सरकार विस्तृत जांच करवाये और यह अच्छा होगा कि दुर्घटनाओं के कारणों का पता विशेषज्ञों की सक्रिय सहायता से किसी बाहरी एजेंसी द्वारा लगाया जाय और राज्य के सड़क सुरक्षा के आयुक्त के पद पर किसी अत्यन्त वरिष्ठ अर्थ-न्यायिक व्यक्ति को अनामित किया जाए।

इन सुझावों का परिषद की बैठक में स्वागत किया गया जिसमें सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के परिवहन मंत्री सदस्य के रूप में उपस्थित थे। उन लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

(घ) जी नहीं।

भारतीय हाकी संघ के अध्यक्ष द्वारा किए गए दौरे

9143. **श्री चतुर्भुज :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत हैसियत से खेलकूद आयोजन में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश पाने के हकदार हैं ;

(ख) भारतीय हाकी फेडरेशन के अध्यक्ष को गत 12 महीनों के दौरान कितनी छुट्टियां दी गयीं ;

(ग) क्या उन्होंने परिवार सहित विदेशों के दौरे करने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त की थी, क्या वह अपनी पत्नी को कराची, लाहौर और सियालकोट ले गए थे, यदि हां, तो किस लिए और सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ; और

(घ) भारतीय हाकी संघ के अध्यक्ष के रूप में तथा अपने व्यक्तिगत रूप में उन्होंने भारत तथा विदेशों के कितने दौरे किए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) माननीय संसद सदस्य शायद उन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का उल्लेख कर रहे हैं जो विभिन्न खेल संगठनों में पदाधिकारी हैं । विशेष आकस्मिक अवकाश की ग्राह्यता के सम्बन्ध में मौजूदा निर्देशों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के वरिष्ट अथवा कनिष्ठ कर्मचारियों को राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल—प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लेने के लिए अथवा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रही टीमों के प्रशिक्षण अथवा संचालन में रत कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है । फिर भी, कोई भी सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से खेल प्रतियोगिताओं अथवा खेलों में भाग लेने के लिए, विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने का पात्र नहीं है ।

(ख) और (ग) सम्बन्धित संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकरण से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) सम्बन्धित व्यक्ति ने भारतीय हाकी संघ के अध्यक्ष के रूप में पिछले बारह महीनों के दौरान विदेशों के सात दौरे किए । देश के अन्दर ही दौरे करने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों के पदाधिकारियों को इस मन्त्रालय से स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है ।

दिल्ली में हुए विश्व पुस्तक मेले में प्रदर्शित पुस्तकें

9144. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया था ; और

(ख) उसमें मुख्यत: किन-किन श्रेणियों की पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रदर्शित पुस्तकों में प्राय: सभी प्रकार की प्रमुख पुस्तकें थीं जिनमें पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ कृतियां, कला सम्बन्धी पुस्तकें, लोक साहित्य, धार्मिक, जीवनी, सामान्य पुस्तकें, शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषय, कथा साहित्य, बाल पुस्तकें आदि सम्मिलित थी ।

स्वर्गीय श्री संजय गांधी के प्रति अवमानजनक उद्धरण प्रकाशित करने सम्बन्धी जांच

9145. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के नवीनतम संस्करण में स्वर्गीय श्री संजय गांधी के बारे में एक गलत चित्र सहित अवमानजनक उद्धरणों के प्रकाशन मामले में कोई जाँच करा ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास से कहा गया है कि वह "ब्रिटानिका इयर बुक" के नवीनतम संस्करण में स्वर्गीय श्री संजय गांधी के सम्बन्ध में अनादरपूर्ण उल्लेख करने और गलत चित्र प्रकाशित करने का मामला इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के प्रकाशकों के साथ उठाएं । राजदूतावास से यह भी कहा गया है कि इन उल्लेखों के कारण भारतीय संसद में जो भावनात्मक उत्तेजना पैदा हुई है उससे भी प्रकाशकों को अवगत करा दिया जाए ।

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी भाषायें

9146. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी भाषओं के क्या नाम हैं जिन्हें साहित्य अकादमी ने मान्यता प्रदान की है ; और

(ख) इन विदेशी भाषाओं को मान्यता देने हेतु अकादमी ने किन मानदण्डों का अनुसरण किया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) कोई नहीं, सिवाय अंग्रेजी के, जिसका उपयोग संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है ।

बच्चों में अन्धता

9147. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषक्ता संस्थान हैदराबाद ने बच्चों में अन्धता के रोग पर नियन्त्रण पाने हेतु, बच्चों को छः छः मास बाद खिलाये जाने वाली विटामिन "ए" की एक दवा का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक से पांच वर्ष तक के एक करोड़ बच्चों को उक्त दवा दी जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो कब तक और किन-किन राज्यों में, और

(घ) देश के किस राज्य में अन्धता की दर सबसे अधिक है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से कारण होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने मार्गदर्शी अध्ययनों के पश्चात यह कार्यक्रम चलाया था।

(ख) और (ग) यह कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रमों के रूप में देश भर में चलाया जा रहा है। छठी योजना अवधि में हर वर्ष 2.5 करोड़ बच्चों को कवर करने का लक्ष्य है।

(घ) 1979 के दौरान 10 राज्यों में राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद (भारतीय आयु-विज्ञान अनुसंधान परिषद) के तत्वावधान में राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरों द्वारा किए गये सर्वेक्षणों से यह मालूम हुआ है कि स्कूल पूर्व आयु के बच्चों में विटामिन "ए" की कमी, जिससे दृष्टिहीनता हो सकती है, 0.6 से 8.9 प्रतिशत थी। ऐसी कमी की अधिकतम घटनायें उड़ीसा राज्य में थीं जहां यह दर 8.9 प्रतिशत थी।

"संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से नौवहन विशेषज्ञ"

9148. **श्री पी० एम० सईद** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मन्त्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से नौवहन विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नौवहन उद्योगों का विकास करने हेतु कई उपायों की सिफारिश और उनकी क्रियान्विति की निगरानी करने के लिए मन्त्रालय ने एक विकास कक्ष स्थापित किया है ;

(ग) मंत्रालय द्वारा इन उपायों की क्रियान्विति के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में नौवहन उद्योगों में विकास सम्बन्धी जरूरतों को नौवहन मंत्रालय किस हद तक पूरा कर पायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार मौजूदा यार्डों के अध्ययन करने और उनके और अधिक विकास के उपाय सुझाने के लिए तीन वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से विशेषज्ञ प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।

(ख) जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योगों के लिए विकास पक्ष की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) फिशिंग वेसेल और फ्लोटिंग क्राफ्ट उद्योग के विकास के लिए क्रियान्विति योजना और जहाज मरम्मत सुविधाओं के लिए 15 वर्षीय प्रगति योजना निर्माणाधीन है । सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापट्टनम के विस्तार और आधुनिकीकरण की स्कीम को अनुमोदित की है । इन योजनाओं के कार्यान्वयन से देश के उपभोक्ता उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावना है ।

पिछड़े, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां

9149. **श्री अनन्त रामुल्लु मल्लु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में खोले गये अस्पतालों व डिस्पेंसरियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आगामी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खोले जाने वाले अस्पतालों व डिस्पेंसरियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बन एम०जोशी) : (क) पहली जनवरी, 1981 को देश के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया है ।

(ख) और (ग) अस्पताल और औषधालय खोलना विशुद्ध रूप से राज्य क्षेत्र का काम है और भारत सरकार न तो इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित करती है और न ही कोई वित्तीय सहायता देती है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अस्पताल	औषधालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	169	584
2.	असम	35	402
3.	बिहार	19	986
4.	गुजरात	30	380
5.	हरियाणा	6	152

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	हिमाचल प्रदेश	19	178
7.	जम्मू व कश्मीर (1.1.78)	2	621
8.	कर्नाटक	47	1127
9.	केरल (1.1.79)	595	710
10.	मध्य प्रदेश	64	529
11.	महाराष्ट्र (1.1.80)	98	1143
12.	मनीपुर	13	56
13.	मेघालय	1	57
14.	नागालैण्ड	29	74
15.	उड़ीसा (1.1.80)	144	225
16.	पंजाब	104	1091
17.	राजस्थान	23	774
18.	सिक्किम	4	6
19.	तमिलनाडु	95	304
20.	त्रिपुरा	5	113
21.	उत्तर प्रदेश	83	1110
22.	पश्चिम बंगाल	98	275
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	10	59
24.	अरुणाचल प्रदेश (1.1.79)	16	24
25.	चंडीगढ़	शून्य	3
26.	दादर व नगर हवेली	1	6
27.	दिल्ली	2	75
28.	गोवा दमन व दीव (1.1.80)	22	32
29.	लक्षद्वीप	2	2
30.	मिजोरम	6	20
31.	पाण्डिचेरी	1	23
	योग	1743	11141

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की दक्षिण जोनल बैठक

9150. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की दक्षिण जोनल बैठक ने महाप्रबन्धक, दक्षिण रेलवे मद्रास के कार्यालय के सामने 48 घण्टे का अनशन सत्याग्रह करने का निर्णय किया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : उत्पीड़न को समाप्त करने, 10 घन्टे की ड्यूटी के नियमों को कार्यान्वित करने, अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम को निरस्त करने, आदि मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए, दक्षिण क्षेत्र की गैर-मान्यता प्राप्त आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के 5 सदस्यों ने 24-3-1980 को 10.45 बजे से 48 घण्टे की भूख हड़ताल की थी। मौजूदा नियमों और वित्तीय कठिनाइयों की परिधि के भीतर इन सभी मांगों पर विचार किया गया है तथा यथावश्यक कार्रवाई की गयी है।

नैतिक शिक्षा सम्मेलन

9151. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 से 13 जुलाई, 1981 के दौरान लखनऊ में आयोजित हुए प्रथम राष्ट्रीय नैतिक शिक्षा सम्मेलन ने केन्द्र सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) लखनऊ के सिटी माण्टेसरी स्कूल ने लखनऊ में 11 से 13 जुलाई, 1981 तक एक "राष्ट्रीय नैतिक शिक्षा सम्मेलन" आयोजित किया। उक्त सम्मेलन में पारित संकल्पों की एक प्रति, आयोजकों से प्राप्त हुई थी। इस सम्मेलन में, शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह भी सुझाव दिया गया कि जबकि नैतिक शिक्षा में धार्मिक सिद्धान्तों तथा विशिष्ट धर्मविश्वासों का शिक्षण शामिल नहीं होना चाहिए, किन्तु सभी महान धर्मों की सामान्य नैतिक शिक्षाएं इसमें शामिल होनी चाहिए।

सरकार का दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है कि छात्रों के चरित्र का निर्माण तथा मूल्यों का शिक्षण, शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

101/102 तथा 151/152 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों का विलम्ब से चलना

9152. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1982 तथा 18 मार्च, 1982 के मध्य किस-किस तारीख को हावड़ा-

नई दिल्ली तथा नई दिल्ली-हावड़ा और नई दिल्ली-बम्बई तथा बम्बई-नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ियां अपने गन्तव्य स्थानों पर समय से पहुंची थीं ;

(ख) किन-किन तारीखों को ये विलम्ब से पहुंचीं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) वे तिथियां जिनको 101/102 हावड़ा नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और 151/152 बम्बई सेन्ट्रल-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गन्तव्य स्थानों पर विलम्ब से अथवा सही समय पर पहुंची और साथ ही 1 फरवरी से 18 मार्च, 1982 तक की अवधि के दौरान उनके विलम्ब से चलने के कारण नीचे दिये गये हैं :—

गाड़ी का नं० और विवरण	जिन तिथियों को गन्तव्य स्थल पहुंची		विलम्ब से चलने के कारण
	सही समय	विलम्ब से	
(1) 101 हावड़ा नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	6 फरवरी, 1982	2,9, 13, 16, 20 23,27 फरवरी और 2, 6, 9, 13 और 16 मार्च, 1982	खराब मौसम, माल गाड़ी को विभक्त करना, बम फैंकना, इन्जीनियरी, प्रति बन्ध, शिपेपरि उपस्करों की खराबी, सिगनल की खराबी, खण्ड पर आगे जाने वाली गाड़ियां।
(2) 102 नयी दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस	7,11,14,21 फरवरी और 4, 14 और 18 मार्च, 1982	4,8, 25, 28 फरवरी और 7 मार्च, 1982	खतरे की जंजीर खींचने, होज पाइप अलग करना, शिरोपरि उपस्कर, तोड़-फोड़, इंजन/ सिगनल की खराबी, सतर्कता पूर्वक ड्राइव करना।
(3) 151 बम्बई सेंट्रल-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	4, 22 फरवरी और 11 मार्च, 1982	1,8,11,15, 18,25 फरवरी और 1,4,8,15 और 18 मार्च, 1982	निजामुद्दीन स्टेशन पर आन्दोलन की प्रतिक्रिया, खतरे की जंजीर खींचना, सिगनल की खराबी, रेल, इंजनों की खराबी, परिचालनिक कारक और इन्जीनियरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध।

(1)	(2)	(3)	(4)
(4) 152 नयी दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस	2,5,9,12,19 23, 26 फरवरी और 2,5,9 और 16 मार्च, 82	16 फरवरी और 12 मार्च, 82	दुर्घटना की प्रतिक्रिया पेनल की खराबी, खतरे की जंजीर खींचना

(ग) क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों के स्तर पर और रेलवे बोर्ड में इन गाड़ियों के समय-पालन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और इनका समय से चलना सुनिश्चित करने के लिए परिहार्य स्कौनियों के मामलों में कार्रवाई की जाती है।

लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण

9153. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेल/एक्सप्रेस ट्रेन और एक विद्युत महानगरीय लोकल ट्रेन के एक औसत डिब्बे द्वारा प्रतिदिन (1) कितने यात्री ले जाये गये और (2) यात्रा की दूरी तथा घंटों और साथ-साथ ही प्रति डिब्बे से प्रतिदिन हुई आय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) दोनों मामलों में कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्चे सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) यदि लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण को अपनाया जाता है तो दोनों मामलों में प्रति किलोमीटर लिये जाने वाले किरायों में क्या अनुपात होगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चूंकि मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के सम्बन्ध में आंकड़े अलग से संकलित नहीं किये जाते, इसलिए ई० एम० यू० कर्षित गाड़ियों से भिन्न उपनगरीय यातायात सहित अनुपनगरीय यातायात और बिजली गाड़ी यूनिटों से सम्बन्धित सबसे बाद के वर्ष अर्थात 1980-81 के तुलनात्मक आंकड़े जितने उपलब्ध हैं, नीचे दिये गये हैं :

		ई० एम० यू० कर्षित गाड़ियों से भिन्न उपनगरीय यायायात सहित अनुपनगरीय यातायात	बिजली गाड़ी यूनिट
प्रति डिब्बा ढोये गये यात्री	बड़ी लाइन	70	133
	मी० ला०	59	113
प्रति डिब्बा प्रतिदिन दूरी	ब० ला०	314	329
(कि० मी०)	मी० ला०	186	313
प्रति डिब्बा प्रतिदिन आय	ब० ला०	975	984
(रुपयों में)	मी० ला०	454	704

(ख) मेल और एक्सप्रेस तथा बिजली गाड़ियों के कर्मचारियों के वेतन तथा परिचालन की लागत के अन्य घटकों पर होने वाले खर्च आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

(ग) किराया निर्धारित करने के लिए लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण की नीति नहीं अपनाई जाती । वास्तव में, परिचालन की लागत यद्यपि एक आमान से दूसरे आमान की लाइन पर और एक खण्ड से दूसरे खण्ड पर अलग-अलग होती है, फिर भी प्रभारित किराये एक समान होते हैं ।

एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को छात्रवृत्तियां

9154. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रमण्डलीय देशों में जाने पर एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्र मण्डलीय देशों को गए डाक्टरों की संख्या कितनी है ; और

(घ) उनको छात्रवृत्ति किन शर्तों पर दी गई थी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

बलूच तट पर अमरीकी नौसेना और हवाई सेना तैनात करने के लिए पाक-अमरीकी गुप्त समझौता

9155. **श्री आर० आर० भोले** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी नौसेना और हवाई सेना तैनात करने के लिए पाकिस्तान ने बलूच तट का एक भाग देने का गुप्त समझौता अमरीका के साथ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें देखी हैं । पाकिस्तान सरकार ने इन खबरों का खण्डन किया है ।

(ख) सरकार किसी भी देश में विदेशी अड्डे/सुविधायें स्थापित किए जाने के विरुद्ध है। सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर निरन्तर निगाह रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर असर पड़ता हो ।

नैनीताल एक्सप्रेस की टनकपुर थ्री टायर बोगी में पीलीभीत स्टेशन का कोटा

9156. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनीताल एक्सप्रेस की टनकपुर थ्री टायर बोगी में पीलीभीत स्टेशन का कोटा भी आरक्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके परिणामस्वरूप टनकपुर और पिथौरागढ़ के यात्रियों को हुई असुविधार पर विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) लखनऊ-टनकपुर थ्रू 3-टियर शयनयान में टनकपुर के लिए 30 शायिकाओं का जो कोटा मुहैया किया गया हैं, उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है । अतः इस सवारी डिब्बे में पीलीभीत स्टेशन का कोटा आवंटित किये जाने के कारण, टनकपुर और पिथौरागढ़ के यात्रियों को कोई असुविधा होने की सम्भावना नहीं है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में इन्टरमीडिएट विज्ञान कक्षाएं

9157. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश लेंसडाउन और रानीखेत नगरों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों में इन्टरमीडिएट विज्ञान कक्षाओं को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य को और पहाड़ी क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए वहां यदि आवश्यक नियमों में छूट देकर भी, इन केन्द्रीय विद्यालयों में इन्टर विज्ञान कक्षाओं को पुनः शुरू किए जाने हेतु अनुदेश जारी करेंगे ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री० पी० के थुंगन) : (क) और (ख) लेंसडाउन स्थित केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) ने जमा दो स्तर (कक्षा XI और XII) पर विज्ञान विषयों के लिए कभी संस्वीकृति नहीं दी है । अत: विज्ञान कक्षाएं बंद करने का प्रश्न नहीं उठता । रानीखेत स्थित केन्द्रीय विद्यालय में विज्ञान कक्षाएं बन्द नहीं की गयी हैं ।

(ग) लेंसडाउन स्थित केन्द्रीय विद्यालय में जमा दो स्तर पर विज्ञान कक्षाएं संस्वीकृत की जा सकती है बशर्ते कि अगले शैक्षिक सूत्र में दाखिले के लिए पात्र छात्रों की अपेक्षित संख्या (20) उपलब्ध हो ।

रुद्रप्रयाग और कर्ण प्रयाग में आउट एजेंसी

9158. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के रुद्र प्रयाग (पौढ़ी) और कर्ण प्रयाग (चमोली) नगरों में कोई रेलवे आउट एजेंसी नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए इन नगरों के लिए आउट एजेंसियां मंजूर करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो किस समय तक ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग में इस समय कोई आउट एजेंसी नहीं है ।

(ख) और (ग) रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग में कोई आउट एजेंसी खोलना सम्भव नहीं पाया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सहित कोई भी योग्य ठेकेदार इस काम को करने का इच्छुक नहीं है ।

"मार्ग संख्या 910 पर व्यवस्थता के घण्टों में बसों के ट्रिप बढ़ाना"

9159. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही बस मार्ग संख्या 910 की बसों में व्यस्तता के घंटों में भारी भीड़ होती है और बसें पश्चिमपुरी जनता क्वार्टर्स के स्टाप पर ही ठसाठस भर जाती है जिससे इस मार्ग के बीच स्टापों से जाने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं रहता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस रूट की प्रातः कालीन और सायंकालीन ट्रिप्स में वृद्धि करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जनता क्वार्टर्स स्टांप से रूट संख्या 910 पर चलाई जा रही बसें जिसमें विशेष ट्रिप्स भी शामिल है, यातायात क्षमता की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है । 25.1.82 को एक सर्वेक्षण किया गया था । मौजूदा बस सेवाओं को लगभग सन्तोषप्रद पाया गया और जनता क्वार्टर्स के स्टाफ को छोड़ने के बाद बसों में काफी जगह थी और मार्ग के बीच से जाने वाले यात्री चढ़ सकते थे ।

"9 परसेंट चिल्ड्रन सफर फ्राम हियरिंग डिफैक्टस" शीर्षक समाचार

9160. **श्री हरिनाथ मिश्र**
श्री के० प्रधानी } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में "9 परसेंट चिल्ड्रन सफर फ्राम

हियरिंग डिफेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया हेतु निदेशक डा० यू० कोको ने बच्चों में बहरेपन को रोकने, इसका जल्दी पता लगाने और व्यवस्था करने हेतु सामुदायिक-मूलक नीतियां तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है ;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक ने यह कहा है कि इस समस्या के विस्तार का पता इस तथ्य से उजागर हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में 9 प्रतिशत बच्चे श्रवण सम्बन्धी क्षीणता के शिकार हैं ; और

(घ) निवारणात्मक और उपचारात्मक दोनों दृष्टियों से इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) हां।

(ख) हां।

(ग) हां।

(घ) स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष और महिला) के मैनुअल और स्वास्थ्य गाइड के मैनुअल में कानों की पीड़ा के बारे में हिदायतें दी गई हैं। (i) लोगों को कानों के संक्रमण अथवा चोट की रोकथाम के बारे में शिक्षित करना (ii) कानों को प्रभावित करने वाली छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करना (iii) ऐसे रोगियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर के पास शीघ्र भेजने की आवश्यकता के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुनियादी और सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती है । इन कार्यकर्ताओं को कानों को प्रभावित करने वाली छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने के लिए कुछ साधारण दवाइयां भी दी जाती हैं। स्वास्थ्य गाइडों को कानों की पीड़ी का साधारण इलाज करने के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इन्हें इन रोगियों को उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शीघ्र भेजने की आवश्यकता के बारे में भी बतलाया जाता है।

"रसायनों का गायब होना"

9161. **डा० वसंत कुमार पण्डित**
श्री एन० ई० होरो
श्री लक्ष्मण मलिक
श्रीमती संयोगिता राणे } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एन्टीबायोटिक्स के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले 20 लाख

रुपये मूल्य के रसायनों के दो टन के डिब्बे, जिन्हें इटली में जहाज पर लादा गया था और 2 फरवरी 1982 को बम्बई बन्दरगाह पर प्राप्त किया गया था पूरी तरह खाली पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो जहाज पर इनके लदान परिषण पार्टियों के नाम तथा उन परिस्थितियां, जिनमें ये खाली पाए गए का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या रसायनों के गायब होने के सम्बन्ध में जांच कराई गई है ; और

(घ) जांच के परिणाम क्या रहे और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री विरेन्द्र पाटिल) : (क) सी० टी० आई० यू० 305589-8 संख्या का कंटेनर जिसमें तथाकथित सूचना के अनुसार 33.35 लाख रुपये का (सीमा शुल्क शामिल) 2,000 कि० ग्राम एमोक्सीलिन ट्राइहाइड्रीट था, बम्बई डाक से 2.3.1982 को डिस्चार्ज किया गया था। जब यह कंटेनर क्लीयरिंग एजेंटों द्वारा खोला गया तो यह खाली पाया गया।

(ख) उक्त कंटेनर इटली के लेघोर्न पत्तन पर हिलेनिक एवेयर नाम के जहाज पर लादा था और बाद में इसे शारजाह में रेगुलुस जहाज पर उतार कर लादा गया। यह कंटेनर मैसर्स भारत आक्सीजन एण्ड ए० सी० टी० लीन, कम्पनी बम्बई का था और उनके क्लियरिंग एजेंट मैसर्स थावरदास वाडुमल थे।

बम्बई सीमा शुल्क ने इस कंटेनर पर अपनी सील लगाई और इसके बाद इस कंटेनर को बम्बई पत्तन के मैंगनीज और डिपों में 6.3.1982 को भेज दिया गया था। जब क्लीयरिंग एजेंट के प्रतिनिधि ने सीमा शुल्क की जांच हेतु कंटेनर खोला तो कंटेनर खाली पाया गया जबकि सील ठीक पाई गई थी।

(ग) और (घ) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने शीघ्र ही इस मामले की पुलिस को सूचना दी और उसी दिन से इसकी खोज का काम चालू हो गया। अब तक पुलिस ने जो जांच की है वह यह है कि चूंकि सीमा शुल्क की सील ठीक पाई थी इसलिए बम्बई डाक पर इस प्रकार की चोरी की संभावना नहीं थी। अन्तिम जाँच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

महल गाड़ी का प्रथम चालन

9162. **बा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिष्ठित महल गाड़ी ने अब तक कितने और किन स्टेशनों के चक्कर लगाये हैं ;

(ख) जनवरी, 1982 से आगे तक दिल्ली से इसकी पहली यात्रा तथा वापसी बेचे गये टिकटों और अन्य आय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने सरकारी अधिकारियों, प्रेस अतिथियों, आमन्त्रित व्यक्तियों ने मुफ्त यात्रा की तथा विदेशी पर्यटकों की क्या प्रतिक्रिया रही ; और

(घ) क्या किसी केन्द्रीय अथवा राज्य मन्त्री, उप मन्त्री संसद सदस्य अथवा विधायकों को पहली या बाद की किसी यात्रा के लिए अतिथियों के रूप में आमन्त्रित किया गया था ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 26 जनवरी और 31 मार्च, 1982 के बीच पाहयों पर महल द्वारा पांच प्रोत्साहन यात्राएं आयोजित की गयी थीं। इन यात्राओं में आगरा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर स्टेशनों को शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) 26 जनवरी, 1982 को इस गाड़ी के उद्घाटन चालन में जयपुर, आगरा और जैसलमेर शामिल थे। उद्घाटन चालन में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय माध्यमों, दूर-दर्शन दलों के 48 प्रतिनिधियों, जिनमें आठ पर्यटक अधिकारी भी शामिल थे, ने यात्रा की थी। उद्घाटन चालन में किराया देकर चलने वाले यात्रियों से टिकटों की बिक्री से 10,000 रु० की आमदनी हुई थी।

(घ) जी नहीं।

महिला नसबन्दी आपरेशनों के लिए "लेप्रोस्कोपिक" पद्धति

9163. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला नसबन्दी आपरेशनों के लिए "लेप्रोस्कोपिक" पद्धति उपलब्ध कराने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या प्रथम चरण में प्रत्येक जिला अस्पताल को "लेप्रोस्कोपिक" उपकरण दिये गये हैं ;

(ग) इस पद्धति को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कब लागू किया जायेगा ; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश स्थित राजगढ़, गुना, विदिशा, उज्जैन, शाह जहांपुर और ग्वालियर के जिला अस्पतालों को "लेप्रोस्कोप" उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) लेप्रोस्कोपिक नसबन्दी आपरेशन की सुविधाएं पहले ही देश के विभिन्न भागों में प्रदान की जा रही हैं। तथापि, सरकार लेप्रोस्कोपिक नसबन्दी को देश में प्रचलित महिला नसबन्दी आपरेशन के तरीकों में से एक तरीका मानती है। इसके अलावा, सरकार, नसबन्दी के किसी एक खास तकनीक को दूसरे की अपेक्षा बढ़ावा नहीं देती।

(ख) लेप्रोस्कोपिक नसबन्दी आपरेशन सम्बन्धी सुविधाएं जरूरतों और प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न स्थानों में प्रदान की जा रही है।

(ग) लेप्रोस्कोपिक नसबन्दी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके लिए सर्जन का अनुभवी, प्रशिक्षित और कार्यकुशल होना अपेक्षित है। इसके अलावा जो उपकरण इस्तेमाल किये जाते हैं वे नाजुक और महंगे होते हैं और देश में उनकी मरम्मत करने के साधन भी सीमित हैं। अतः इस प्रक्रिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि देश के कुछ भागों में, इस प्रयोजन के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिविर लगाये जा सकते हैं और लगाये जाते हैं।

(घ) केन्द्र सरकार ने अभी तक देश के किसी भी जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक उपकरण नहीं दिये हैं। फिर भी इसकी काफी सम्भावना है कि राज्य सरकारों ने देश के कुछ जिला अस्पतालों में लेप्रोस्कोपिक सप्लाई किये होंगे।

नौवहन उद्योग को पुनः सक्षम बनाने के लिए की गई कार्यवाही

9164. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौवहन उद्योग पर निरन्तर निगरानी रख रही है और इसे स्वस्थ बनाये रखने के लिए किसी आवश्यक सहायता देने के लिये निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1981 के दौरान नौवहन उद्योग की अनिश्चित स्थिति के बारे में केन्द्रीय मन्त्रालय चिंचित था जिसका कारण 1981 की अन्तिम तिमाही में हुई मन्दी था ; और

(ग) यदि हां, तो नौवहन उद्योग को पुनः सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और उठाये गये इन कदमों से नौवहन उद्योग का कार्य-निष्पादन किस सीमा तक सुधरा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) शिपिंग फ्रेट मार्किट में मौजूदा मन्दी से सरकार अवगत है। नौवहन विकास निधि समिति और नौवहन महानिदेशक इण्डियन शिपओनर्स एसोशियन से प्राप्त अभिवेदन का अध्ययन करेंगे और सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। सरकार उस पर गुणदोष के आधार पर उचित कार्यवाही करेगी।

केन्द्रीय विश्व विद्यालय के संकाय में कार्य कर रहे देशीकृत नागरिक

9165. **श्री रशीद मसूद :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्व विद्यालयों के संकाय में कितने देशीकृत नागरिक कार्य कर रहे हैं/कर रहे थे ;

(ख) वे भारतीय नागरिक कब बने थे ;

(ग) इन शैक्षिक व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है वे किस पद पर हैं और उनकी नियुक्ति की तारीख क्या है ;

(घ) क्या उनके कोई सम्बन्धी इसी संस्था में नियुक्त हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; वे किस पद पर हैं और उनकी नियुक्ति की तारीख क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) कुछ केन्द्रीय विश्व विद्यालय पिछले कुछ दशकों से कार्य कर रहे हैं। इसलिये अपेक्षित फार्म में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि यह सूचना किसी विशिष्ट विश्वविद्यालय के बारे में किसी अलग प्रश्न द्वारा अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए पूछी जाती है तो सूचना भेजने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के पास परीक्षा फार्मों आदि का केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध होना

9066. **श्री चतुर्भुज**
श्री त्रिलोक चन्द } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के परीक्षा फार्म, प्रवेश फार्म, पाठ्यक्रम की पुस्तिकाएं केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि दिल्ली में हिन्दी क्षेत्रीय और राजभाषा है लेकिन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हिन्दी में अथवा द्विभाषिक रूप में सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रबन्ध नहीं किए हैं ;

(ग) हिन्दी अथवा द्विभाषिक रूप में यह सामग्री कब तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है और इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जनहित के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज द्विभाषी रूप में किए गए हैं। अन्य फार्म भी हिन्दी में अनुवाद किए जा रहे हैं।

तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बड़ी संख्या में स्कूल चला रहा है जोकि सारे देश में तथा देश से बाहर भी फैले हुए हैं। इसी कारण पाठ्यचर्या अंग्रेजी में

निर्धारित है और ये मुख्यत: स्कूलों में प्रयोग के लिए ही हैं। तथापि, बोर्ड को राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा इस बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली में प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण सामग्री/फार्म मार्च, 1983 के अन्त तक हिन्दी/द्विभाषिक रूप में उपलब्ध हो जाएंगे।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में जनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

9167. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में अनुसुचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) उनके उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में 1.1.1981 की यथा स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता निम्नलिखित हैं :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वर्ग "क"	1.4	0.18
वर्ग "ख"	2.5	0.43
वर्ग "ग"	10.2	0.9
वर्ग "घ" (सफाई वालों को छोड़कर)	23.2	3.3
वर्ग "घ" (सफाई वाला)	100.0	कुछ नहीं

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन कर रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में आरक्षण आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक सेल स्थापित किया गया है।

परीक्षा केन्द्रों में छात्रों द्वारा नकल किया जाना

9168. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केन्द्रों के कुछ परीक्षा केन्द्रों पर 19 मार्च, 1982 को छात्रों को बड़े पैमाने पर नकल किए जाते हुए पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों में पाइलट नौकाये

9169. **श्री विलास मुत्तेमदार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन में आने वाले माल वाहक जहाजों को पत्तन में सुरक्षापूर्वक लाने के लिए कितनी पाइलट नौकायें हैं और इनमें से कितनी नौकायें नई है और कितनी पुरानी हैं ;

(ख) क्या इनमें से सभी नौकायें काम करने की अच्छी स्थिति में हैं ; और

(ग) इस बारे में अन्य प्रमुख पत्तनों की स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) हर पत्तन के बारे में अलग-अलग सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। विवरण में पुरानी या नई जैसा वर्गीकरण पायलट नौका की 30 वर्ष की औसत आयु के आधार पर किया गया है।

विवरण

बड़े पत्तनों में पायलट नौकाओं की संख्या का विवरण

पत्तन का नाम	पायलट नौकाओं की संख्या	नई या पुरानी	क्या काम करने की हालत में है	टिप्पणी
बम्बई	5	दो नई और तीन पुरानी	हां	लांच और मांच खरीदे जा रहे हैं ?
कलकत्ता	11	एक पुरानी और बाकी नई	दस काम करने की हालत में हैं।	एक पुरानी मोटर बोट की मरम्मत हो रही है।
कोचीन	2	दोनों नई	हां	दो पायलट लांच खरीदे जा रहे हैं।
कांडला	2	दोनों पुरानी	हां	एक पायलट वोट खरीदी जा रही है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मद्रास	3	दो नई और एक पुरानी	हां	एक पुरानी पायलट लांच को बदले जाने के लिए एक नये पायलट लांच खरीदने का प्रस्ताव है।
मार्मुगाव	2	दोनों पुरानी	हां	एक पायलट लांच खरीदा जा रहा है।
परादीप	2	दोनों नई हैं	हां	एक पायलट लांच खरीद जा रहा है।
न्यू मंगलौर	1	नई	हां	—
ट्टीकोरिन	1	नई	हां	दो पायलट लांच खरीदे जा रहे हैं।
विशाखापत्तनम्	4	दो नई और दो पुरानी	हां	पुरानी लांचों को बदलने के लिए दो लांच खरीदे जा रहे हैं।

टिप्पणी :—जब कभी आवश्यकता होती है तब पायलट लांचों के साथ-साथ पायलटों को मालवाही जहाज में लाने और इन जहाजों तक ले जाने के लिए ठगों और सर्वे की लांचों का भी इस्तेमाल किया जाता है।

उच्च मैडिकल शिक्षा के लिए व्यवस्था

9170. **श्री वलिस मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था न होने के कारण विदेशों में आ रहे कर्नाटक डाक्टरों के बारे में सरकार के पास कोई वार्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं ; और

(ख) नागपुर मैडिकल कालेज के रूप में चिकित्सा विज्ञान संस्था की स्थापना करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार की योजना कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) उच्च शिक्षा के लिये विदेश जाने वाले भारतीय स्नातक डाक्टरों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। निर्धारित विषयों की विशेषताओं को छोड़कर अन्य के बारे में देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि नागपुर मैडिकल कालेज के अंग के रूप में एक आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने की योजना के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा 1983-84 के दौरान विचार किया जायेगा और सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इसके पूरा हो जाने की आशा है।

जल प्रदूषण से महामारी रोग

9171. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रदूषण से उत्पन्न हुए कितने रोग हैं जो सरकार द्वारा महामारी के रूप में माने गये हैं ; और

(ख) किसी रोग को महामारी मानने के क्या मानदंड हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आमतौर पर जो रोग जल के जरिये फैलते हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) **जीवाणुज**

(क) हैजा;

(ख) दण्डाणुज अतिसार

(ग) टाइफाइड ज्वर

(2) **प्रोटोजुआ**

(क) अमीबी पेचिश

(3) **विषाणुज**

(क) विषाणुज यकृतशो

(ख) पोलियो।

(4) **कृमि-सम्बन्धी**

(क) गिन्नी-कृमि रोग

(ख) केचुआ (गोल कृमि)

(5) प्रवाहिका संबंधी रोग

जब परिस्थितियां रोग के फैलने के अनुकूल हों उस समय इनमें से कोई भी रोग महामारी का रूप ले सकता है।

(ख) बीमारी का एक ही कारण होना और किसी क्षेत्र अथवा समुदाय में सामान्यतया से अधिक रूप में रोग होना महामारी के आम लक्षण हैं।

पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मन्दिर के रखरखाव के लिए उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता

9172. **श्री के० प्रधानी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मन्दिर के रखरखाव और मरम्मत के लिए उड़ीसा सरकार को वर्ष 1980-81 और 1981-82 में केन्द्रीय सहायता की कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ख) वर्ष 1982-83 में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ;

(ग) क्या भगवान जगन्नाथ के मन्दिर के अनुरक्षण के लिये चालू वित्तीय वर्ष में आवंटन की धनराशि बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मन्दिर की मरम्मतें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जातीं हैं, क्योंकि यह मन्दिर केन्द्र द्वारा संरक्षित संस्मारक है। इसके रख-रखाव और परिरक्षण हेतु 1980-81 और 1981-82 में क्रमश: 1,86,176 रुपये और 1,99,982 रुपये की धनराशि मुहैया की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस मन्दिर की मरम्मत के लिए 1,53,420 रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। यदि आवश्यक हुआ तो यह धनराशि बढ़ा दी जाएगी।

उड़ीसा में कुष्ठ रोग

9173. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा में कुष्ठ रोग के बारे में कोई अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को दिए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसी केन्द्रीय योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत उस राज्य में कुष्ठ रोगियों का उपयुक्त उपचार किया जा सके ; और

(घ) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित पुनर्वास की व्यवस्था करने के बारे में गम्भीरता से विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार को राज्य की कुष्ठ रोग सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी है और इस रोग को समाप्त करने के लिए राज्य में अनेक कुष्ठ रोग यूनिटें स्थापित की गई हैं।

(ख) 1981-82 और 1982-83 के लिये नियत की गई वित्तीय सहायता और लक्ष्य विवरण में दिये गये हैं।

(ग) इस राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम पहले से ही चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत इस रोग का शीघ्र पता लगाने और रोगियों का नियमित रूप से इलाज करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों का चिकित्सा/शल्य चिकित्सीय पुर्नस्थापन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुष्ठ रोग पुर्नस्थापन संवर्धन यूनिट भी खोलना शामिल है। कुष्ठ रोगियों के सामाजिक और आर्थिक पुर्नस्थापना का काम समाज कल्याण विभाग देखता है जो "अपाहिजों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना" नामक एक योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुर्नवास सम्बन्धी सेवाओं को बढ़ावा दे सकें।

विवरण

उड़ीसा राज्य के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नियत किये गये भौतिक लक्ष्य और वित्तीय सहायता का विवरण

क्रम संख्या	भौतिक लक्ष्य	1980-81	1981-82	1982-83
1.	नगरीय कुष्ठ केन्द्र	1	5	1
2.	अस्थाई अस्पतालीकरण वार्ड	2	2	1
3.	स्वयंसेवी कुष्ठ पलंगों का रख-रखाव	200	400	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	जोनल कुष्ठ यूनिट	2	—	—
5.	गैर-चिकित्सा सुपरवाइजर	2	5	8
6.	वाहनों को बदलना	1	1	—
7.	माइक्रोस्कोपों को बदलना	1	2	2
8.	कुष्ठ नियन्त्रण यूनिटों का निर्माण	2	2	1
9.	अस्थाई अस्पतालीकरण वार्डों का निर्माण	1	1	—
10.	सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्र	—	5	—
11.	नगरीय कुष्ठ केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना	—	1	1
12.	कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना	—	1	—
13.	सांख्यिकी सहायक	—	1	—
14.	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी	—	2	—
15.	शल्य चिकित्सा यूनिट का पुनर्निर्माण	—	1	—
16.	महामारी निगरानी उपचार	—	—	1
17.	कुष्ठ नियन्त्रण यूनिट	—	—	1
18.	बजट प्रावधान	—	—	1
19.	जिला कुष्ठ रोग यूनिट का दर्जा बढ़ाना	—	1	—

बजट प्रावधान

क्रम संख्या	वर्ष	नकद	सामान	योग	
1.	1980-81	4.35	7.20	11.55	(50 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा)
2.	1981-82	27.00	9.00	36.00	(100 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा)
3.	1982-83	20.00	10.00	30.00	तदैव

एडवोकेटों/पैनल के वकीलों की संख्या

9174. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रेलवे में अदालती मामलों सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिए तथा समय-समय पर कानूनी सलाह देने के लिए कितने-कितने एडवोकेटों/पैनल के वकीलों की नियुक्ति कर रखी है, (जोनवार और डिवीजनवार) उनके कार्यालय कहां-कहाँ स्थित हैं ;

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान उन्होंने कितने-कितने मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की तथा इन वर्षों में, वर्षवार उन्होंने कितने-कितने मामलों में सलाह दी ;

(ग) उपरोक्त अवधि में जोनवार और डिवीजनवार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी ;

(घ) उनकी उपरोक्त सेवा के बदले में उन्हें किस दर से भुगतान किया गया ; और

(ङ) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान ऐसे एडवोकेटों की संख्या में स्वतः वृद्धि के लिए कोई योजना बनायी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों से सांख्यिकीय सूचना मंगायी गयी है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वकील की नियुक्ति से सम्बन्धित सामान्य शर्तें अनुबन्ध I के रूप में संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4020/82]

(ङ) सरकार ने अगले पाँच वर्षों के दौरान रेलवे एडवोकेटों की संख्या में स्वतः वृद्धि करने की कोई योजना नहीं बनाई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के सर्कलों के नाम/क्षेत्र

9175. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के सर्कलों के नाम और क्षेत्र क्या-क्या हैं ;

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के विभिन्न सर्कलों के अन्तर्गत कुल कितने पुरातत्व स्मारक हैं ;

(ग) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान (सर्कल-वार) इन स्मारकों पर कुल कितनी-धनराशि खर्च की गई ;

(घ) उक्त अवधि में दौरान स्मारकों की सूची में कितने और स्मारक जोड़े गए ;

(ङ) विद्यमान सूची में स्मारकों को (स्मारक की श्रेणी का उल्लेख करते हुए) शामिल करने के लिए क्या मानदंड तैयार किए गए हैं/बनाए गए हैं ; और

(च) क्या तैयार किए गए मानदण्ड की एक प्रति सभापटल पर रखी जाएगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडलों के नाम और उनके क्षेत्र, अधिसूचना की प्रविष्टियों के अनुसार सुरक्षित संस्मारकों और स्थलों की कुल संख्या, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान मंडलवार किये गये व्यय आदि का विवरण संलग्न है ।

(घ) केन्द्र द्वारा सुरक्षित संस्मारकों और स्थलों की सूची में छः और संस्मारक और स्थल जोड़े गये हैं ।

(ङ) और (च) सौ वर्ष से अधिक प्राचीन संस्मारकों और पुरातात्विक, ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पी महत्व की दृष्टि से अपनी उत्कृष्टता के कारण राष्ट्रीय महत्व के माने जाने वाले संस्मारकों का सुरक्षण प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अन्तर्गत किया जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	मंडल का नाम	मंडल का क्षेत्र	संस्मारकों और स्थलों की सं०	*व्यय		
				1979-80	1980-81	1981-82
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
1.	दिल्ली मंडल, दिल्ली	(i) दिल्ली (ii) राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले (iii) हरियाणा का गुड़गांव जिला	207	16,51,600	13,81,900	14,88,900
2.	उत्तर-पश्चिमी मंडल, श्रीनगर	(i) जम्मू और कश्मीर (ii) पंजाब (iii) हरियाणा (गुड़गांव जिले को छोड़कर) (iv) हिमाचल प्रदेश और (v) चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र	178	14,75,000	8,44,500	7,000,00
3.	पश्चिमी मंडल वडोदरा	(i) गुजरात (ii) राजस्थान (अलवर और भरतपुर जिलों को छोड़कर) (iii) दमन और दीव (iv) दादर और नगर हवेली	322	11,19,500	6,75,500	14,45,400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
4.	मध्य-पूर्वी मंडल पटना	(i) बिहार और (ii) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, यथा गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बाराबंकी, राय-बरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर और बांदा	301	6,74,600	5,62,200	9,46,500
5.	उत्तरी मंडल, आगरा	उत्तर प्रदेश, क्रम सं० 4 के सामने निर्दिष्ट पूर्वी जिलों को छोड़कर	547	9,04,200	7,01,900	8,47,500
6.	पूर्वी मंडल, कलकत्ता	(i) पश्चिमी बंगाल (ii) असम (iii) नागालैंड (iv) उड़ीसा (v) मणिपुर (vi) त्रिपुरा (vii) मेघालय (viii) मिजोरम (ix) अरुणाचल प्रदेश और (x) सिक्किम	244	3,84,800	1,44,100	5,77,600
7.	मध्य मंडल, भोपाल	मध्य प्रदेश	317	15,16,800	8,82,700	9,35,000
8.	दक्षिण-पश्चिमी मंडल, औरंगाबाद	(i) महाराष्ट्र और (ii) गोआ	303	6,16,500	5,31,000	7,25,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
9.	दक्षिण पूर्वी मंडल हैदराबाद	(i) आंध्र प्रदेश और (ii) कर्नाटक के रायचूर, गुलबर्ग और बीदर जिले	148	7,54,500	11,18,500	6,56,900
10.	मध्य-दक्षिणी मंडल बंगलौर	कर्नाटक, क्रम सं० 9 के सामने निर्दिष्ट जिलों को छोड़कर	484	11,69,200	11,60,200	10,77,400
11.	दक्षिण मंडल मद्रास	(i) तमिलनाडु (ii) केरल (iii) पांडिचेरी और (iv) कराइकल	432	15,01,300	15,00,900	11,60,700

* इस व्यय में रसायन शाखा और उद्यान कृषि शाखा द्वारा संस्मारकों के रासायनिक परिरक्षण और उद्यान कृषि सम्बन्धी विकास पर खर्ची गई राशि सम्मिलित नहीं हैं।

रेलवे संस्थान

9176. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 मार्च, 1981 को और 1 मार्च, 1982 को रेलवे प्रशासन द्वारा (रेलवेवार और राज्यवार) कौन-कौन से स्कूल, कालेज और अन्य संस्था चलायी जा रही थीं ;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी संस्थाओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिनांक 1 मार्च, 1981 और 1 मार्च, 1982 को इन संस्थाओं में काम कर रहे शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की संख्या क्या-क्या थी ;

(घ) दिनांक 1 मार्च, 1981 को और 1 मार्च, 1982 को इन संस्थाओं में (श्रेणीवार) कितने-कितने छात्र पढ़ रहे थे ; और

(ङ) गत चार वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टेशनों पर खाद्य सामग्री का बेचा जाना

9177. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 से 1982 तक की अवधि के दौरान रेलवे स्टेशनों पर खाद्य सामग्री और अन्य पदार्थों को बेचने अथवा खान-पान की व्यवस्था करने सम्बन्धी बिक्री करने के लिए ठेके अथवा विक्रय सम्बन्धी लाइसेंस आदि के नवीनीकरण/प्रदान करने के बारे में रेल मन्त्रालय, रेलवे बोर्ड, जोनल एण्ड डिवीजनल मैनेजरों या अन्य अधिकारियों द्वारा कोई मार्गदर्शी निर्देश, परिपत्र, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार की सूचनायें जारी की गई है, यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इन कागज पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) खान-पान/वेंडिंग के बारे में क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को नीति सम्बन्धी अनुदेश समय-समय पर रेल मन्त्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं, जिनमें मार्ग-दर्शक सिद्धान्त और निदेश होते हैं और क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों द्वारा ये अनुदेश अपने-अपने मंडल कार्यालयों को भेज दिये जाते हैं । चूंकि ये अनुदेश सर्वथा प्रशासनिक किस्म के होते हैं, इसलिए इन्हें सभा-पटल पर रखना अपेक्षित नहीं है ।

अहमदाबाद-बड़ौदरा के बीच उपनगरीय गाड़ियां

9178. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत अहमदाबाद-बम्बई सेन्टर पर अहमदाबाद-बड़ोदरा के बीच सभी गाड़ियां खचाखच भर के चलती हैं ;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे पर अहमदाबाद-बम्बई के बीच चलने वाली गाड़ियों में आरक्षण के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची है तथा लोगों को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ग) क्या इस सेक्टर में बम्बई सेन्ट्रल से साबरमती तक विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है तथा बिजली के इन्जनों का प्रयोग शुरू हो गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार दैनिक यात्रियों के लिए प्रथम चरण में अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच बिजली की उपनगरीय गाड़ियों को चलाना शुरू करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) विरार-सूरत-बड़ोदरा-अहमदाबाद खंड पर लाइन क्षमता एवं टर्मिनल सुविधाओं के विकास और बिजली गाड़ियों की तरह के चल स्टाक आरम्भ करने के लिए एक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और आशा है कि इसे अन्तिम रूप देकर 1982 के अन्त तक यह काम पूरा कर लिया जायेगा । रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच कर लिये जाने के बाद इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जायेगी ।

नाडियाड-मोडासा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

9179. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाडियाड-मोडासा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को बदलने की प्रस्तावित परियोजना में विलम्ब क्यों हो रहा है ; और

(ग) इस परियोजना के लिए वर्ष 1982-83 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा बड़ी लाइन के कब तक बिछ जाने और यातायात के लिए खुल जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों, जो प्राथमिकता के आधार पर चल रही परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त नहीं है, की अत्यधिक तंगी के कारण, अभी तक इस परियोजना में कोई विशेष प्रगति करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(ग) 1982-83 के दौरान इस परियोजना के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। धन की उपलब्धता के अनुसार काम आगे बढ़ रहा हैं। अतः फिलहाल यह कह पाना सम्भव नहीं है कि यह लाइन कब तक तैयार हो जायेगी और इसे यातायात के लिए कब खोला जायेगा।

छठी योजना के दौरान चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा 349 विद्युत इन्जनों का बनाया जाना

9180. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 349 विद्युत इन्जन बनाने का अनुरोध किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने सम्बन्धित सामग्री (रोलिंग स्टाक) के लिए कितनी धनराशि आवंटित की थी ; और

(ग) क्या धनराशि की कमी के कारण चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) चल-स्टाक, जिसमें रेल इन्जन एवं माल डिब्बे, सवारी डिब्बे, बिजली गाड़ी डिब्बे और अन्य वाहन शामिल हैं, की खरीद के लिए योजना आयोग द्वारा 2100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी थी।

(ग) चितरन्जन रेल इन्जन कारखाने में रेल इन्जनों के उत्पादन का कार्यक्रम कुछ इस तरह बनाया गया है जिससे कि उनका उत्पादन धन की उपलब्धता एवं यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके।

दिल्ली रिंग रेलवे मे जोड़े जाने वाले स्टेशन

9181. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'एशियाड 82' के दौरान परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रिंग रेलवे का विद्युतीकरण करने का है और यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा तथा इससे कौन-कौन से स्टेशनों को जोड़ा जायेगा ;

(ख) क्या किशनगंज और दयाबस्ती स्टेशनों के बीच एक 'हाल्ट-स्टेशन' बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या हजारों रेल कर्मचारियों ने यह अनुरोध किया है कि सराय रोहिल्ला स्टेशन के समीप दयाबस्ती और किशनगंज स्टेशनों के बीच एक 'हाल्ट स्टेशन' की स्थापना की जाये ;

(घ) यदि हां, तो यह 'हाल्ट स्टेशन' कब तक स्थापित हो जायेगा ;

(ङ) इस रिंग रेलवे पर, इसका विद्युतीकरण होने से पहले कौन-कौन से और 'हाल्ट्स' बनाये जायेंगे ; और

(च) क्या ऐसी गाड़ियां चलाने के लिए रिंग रेलवे पर पैदल चलने के कुछ कम ऊंचे उपरि-पुलों का निर्माण भी किया जायेगा और यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित होंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, 30.6.1982 तक इस लाइन के पूरा हो जाने की संभावना है और यह निम्नलिखित स्टेशनों को जोड़ेगी :—

निजामुद्दीन, लाजपतनगर, सेवानगर, लोदी, कालोनी, सरोजनी नगर, सफदरजंग, चाणक्य पुरी, एस० पी० मार्ग, बरार स्क्वायर, नारायण विहार, कीर्तिनगर, पटेलनगर, दयाबस्ती, दिल्ली किशनगंज, सदरबाजार, नयी दिल्ली, मिन्टोब्रिज, तिलक ब्रिज, प्रगति मैदान, दिल्ली मेन, शकूरबस्ती, ओखला और तुगलकाबाद ।

(ख), (ग) और (घ) दिल्ली किशनगंज और दयाबस्ती स्टेशनों के बीच फुटबाल मैदान के निकट एक हाल्ट स्टेशन खोले जाने का प्रस्ताव मिल चुका है और महानगर परिवहन परियोजना के समन्वय के साथ परामर्श करके उत्तर रेलवे द्वारा इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

(ङ) प्रगति मैदान

(च) जी नहीं ।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान

9182. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना के बाद कितने छात्रों ने अपनी डिग्रियां लेने के बाद यह संस्थान छोड़ दिया ;

(ख) इस समय उक्त संस्थान में कितने छात्र अध्ययनरत हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संस्थान के गहन और व्यापक कार्यों के लिए "साल्टलेक" पर भूमि का एक बड़ा प्लाट आबंटित किया था ; और

(घ) इस संस्थान को "साल्ट लेक" ले जाकर इसका और प्रसार करने के लिए उपयुक्त उपाय न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान डिग्री कोर्सों के लिए छात्रों को प्रवेश नहीं देता । वैसे, यह संस्थान हर वर्ष 16 छात्रों को एन० आई० एच० के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश देता है, जो दो वर्ष का है । पहले बैच ने अक्तूबर 1979 में अपना कोर्स पूरा किया था ।

(ख) 32.

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्च 1981 के दौरान साल्ट-लेक क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन अलाट की थी । उनसे अनुरोध किया गया था कि इस संस्थान के पूर्ण विकास के लिए वे और अधिक जमीन दें । पश्चिम बंगाल सरकार 16 एकड़ जमीन देने के लिए सहमत हो गई है ।

इस संस्थान को जब इस जमीन का विधिवत कब्जा मिल जाएगा तो उस पर भवन-निर्माण का काम शुरू किया जाएगा ।

पठानकोट-दिल्ली-बम्बई-कालका तथा होशियारपुर-नई दिल्ली के बीच नई रेल गाड़ियां

9183. **प्रो० नरायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में पठानकोट और दिल्ली/नई दिल्ली, बम्बई और कालका तथा होशियारपुर और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच नई रेल गाड़ियां चलाने की कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर उत्तर रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) यदि नहीं, तो किस संभावित तारीख तक नई रेल गाड़ियां चलायी जायेंगी; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में और कोचिंग स्टाक की कमी के कारण, इन मार्गों पर नयी गाड़ियां चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

अन्धापन मलेरिया तथा कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए राज्य को नियतन

9184. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धापन की रोकथाम तथा मलेरिया और कुष्ठरोग उन्मूलन को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रूप में स्वीकार किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इनका वित्तपोषण किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र को कितना वित्तीय नियतन किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और तीसरे वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम के लिये पृथक-पृथक कितना नियतन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम पहले से ही चलाये जा रहे हैं । इनमें से राष्ट्रीयहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं । राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का खर्च केन्द्र और राज्य आधा-आधा वहन करते हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 1 से 10 पर दी गई है [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4021/82]

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग

9185. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू व कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विस्तार के लिए कौन सी परियोजनाओं पर काम हो रहा है और कौन-सी नई परियोजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के पूरा होने पर अनुमानित लागत क्या आयेगी और योजना के पहले तीन वर्षों में अलग-अलग कितनी राशि का आवंटन किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में निर्माण कार्य किस तिथि तक पूरा होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 1क, 1ख, 2, 8, 10, 15, 21 और 22 हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू व कश्मीर राज्यों से होकर जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए 660.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें से 250.00 करोड़ रुपये पिछली योजना के बाकी बचे कार्यों और बाकी धनराशि नये कार्यों के लिए है। अलग-अलन वर्ष के लिए आवंटन प्रत्येक साधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। माननीय सदस्य ने विभिन्न राज्यों में जारी कार्यों/नये कार्यों के संबंध में जो सूचना मांगी है वह उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संलग्न है :

विवरण

राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	जारी निर्माण कार्यों के पूरे होने पर 1-4-80 को संभावित लागत (लाख रुपए)	1-4-80 के बाद स्वीकृत परियोजना की अनुमानित लागत (लाख रुपये)	80-81, 81-82 और 82-83 के दौरान व्यय आवंटित धनराशि (लाख रुपये)			पूरे होने की संभावित तारीख
				80-81	81-82	82-83	
हरियाणा	1	712	3				जारी 1-4-80 को जारी स्कीमों के अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और
	2	100	39				
	8	62	67				
	10	461	263				
	कुल	1335	363	387	415	425	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							बाकी के मार्च,
हिमाचल	1अ	64	—				1983 तक
प्रदेश	21	1009	303				पूरे होने की
	22	345	141				संभावना है ।
	कुल	1418	444	215	260	300	छठी पंचवर्षीय योजना में जो
जम्मू	1क	1390	112				नई स्कीमें
और	1ख	323	247				स्वीकृत हो
कश्मीर							चुकी है उनके
							1983 तक
	कुल	1713	359	225	260	300	पूरे होने की
पंजाब	1	141	750				संभावना है ।
	1क	153	91				
	10	278	38				
	15	321	615				
	21	72	99				
	22	15	—				
	कुल	980	1593	359	465	460	

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भारत का सम्बद्ध होना

9186. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत टोकियो में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय तथा कोस्टारीका में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय स्थापित करने और उनके संचालन में सम्बद्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दोनो मामले में किस प्रकार की सहबद्धता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य-मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) टोकियो स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्वविश्वविद्यालय और कोस्टारीका में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महा सभा द्वारा पारित अलग-अलग घोषणा पत्रों द्वारा की गई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के छात्र हैं जो अनुसंधान, उच्च प्रशिक्षण और विश्व भर की संस्थाओं में ज्ञान के प्रसार, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों को आगे बढ़ाने के कार्य से सम्बन्धित हैं। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य और इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत इन विश्वविद्यालयों के घोषणा पत्रों के ढांचे के अन्दर उनके कार्यक्रमों और कार्यकरण से उतना ही सम्बद्ध है जितना कि कोई अन्य सदस्य देश। भारत ने टोकियो स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की अक्षय निधि में 7,50,000/-अमरीकी डालर का योगदान किया है।

पश्चिमी तट पर शिपयार्ड की स्थापना

9187. श्री मोहन लाल पटेल
श्री नवीन रवाणी } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट पर कोई शिपयार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किस स्थल का चयन किया गया है ; और

(ग) इसका कार्य कब आरंभ और कब पूरा होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में हजीरा में एक शिपबिल्डिंग यार्ड की स्थापना का प्रस्ताव है। तथापि साधनों के उपलब्ध होने और थोड़ी पूंजी से अल्प अवधि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मौजूदा शिपयार्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि छठी पंच-वर्षीय योजना को मध्यावधि समीक्षा के समय देश में अतिरिक्त शिपयार्डों की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जाए। इस बारे में साधनों के उपलब्ध होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

गुजरात में मैडिकल कालेज खोलना

9188. श्री मोहन लाल पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने मैडिकल कालेज हैं और प्रत्येक कालेज में कितने छात्र हैं ;

(ख) क्या गुजरात में और अधिक मैडिकल कालेज खोलने की भारी मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुदी बेन एम० जोशी) : (क) गुजरात में पांच मैडिकल कालेज हैं। 1980-81 के दौरान प्रत्येक मैडिकल कालेज में भर्ती किए गए छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) बी० जे० मैडिकल कालेज, अहमदाबाद	210
(2) म्यूनिसिपल मैडिकल कालेज, अहमदाबाद	100
(3) मैडिकल कालेज, बड़ौदा	135
(4) एम० पी० साह मैडिकल कालेज, जामनगर	125
(5) गवर्नमेंट मैडिकल कालेज, सूरत	89

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सौराष्ट्र और कच्छ के बीच पृथक रेल सेवा आरम्भ करना

9189. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे में सौराष्ट्र और कच्छ के बीच पृथक रेल सेवा आरम्भ करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर दिया गया विषाक्त भोजन

9190. **श्री समीनुद्दीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को विषाक्त और नशीले खाद्य पदार्थ देकर उन्हें मारने और लूटने के समाचारों की क्या सत्यता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस अपराध में अन्तर्ग्रस्त गिरोह को पकड़ने तथा मामले की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, ऐसे कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ख) जी हां।

(ग) 1981-82 के दौरान पुलिस द्वारा अभी तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं जिनमें से एक का दोष सिद्ध हो चुका है।

हप्पा स्टेशन पर पुल

9191. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हप्पा रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर यात्रियों के लाभार्थ मार्ग पुल बनाने की भारी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मोबाइल स्वास्थ्य केन्द्र

9192. **श्री डी० पी० जडेजा**
श्री नवीन रवाणी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में मोबाइल चिकित्सा केन्द्रों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो देश में 31 दिसम्बर, 1981 राज्यवार, कितने मोबाइल चिकित्सा केन्द्र चल रहे थे ;

(ग) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में छठी योजना अवधि के दौरान अधिक मोबाइल चिकित्सा केन्द्रों की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) जबकि सरकार को मोबाइल चिकित्सा केन्द्रों की मांग के बारे में जानकारी है, फिर भी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वैसे, चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल

बनाने की योजना के अंतर्गत, देश के प्रत्येक मेडिकल कालेज में तीन-तीन मोबाइल क्लीनिकों की व्यवस्था की गई है। उक्त तीन मोबाइल क्लिनिकों को चिकित्सा शिक्षा को देने का उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में उनका इस्तेमाल करना है और इस तरह जिस जिले में मेडिकल कालेज खुला हुआ है उसके तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले इलाकों में सुलभ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में वृद्धि करना और उनकी क्वालिटी में सुधार लाना है।

मत्स्य नौकाओं द्वारा सीमा में प्रवेश

9193. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के समुद्री आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी तथा पाकिस्तानी कम्पनियों को परमिट जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार को आगाह कर दिया गया है कि वे उन कम्पनियों को हमारे आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति न दें ;

(ग) क्या तट रक्षकों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे हमारे क्षेत्र का उल्लंघन करने वाली मत्स्य नौकाओं को पकड़े ;

(घ) तट रक्षकों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कितने मत्स्य नौकायें पकड़ी गयीं ;

(ङ) क्या यह सच है कि भारत तथा पाकिस्तान की समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाना अभी शेष है ; और

(च) यदि हां, तो क्या समुद्री सीमा के निर्धारण के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत चल रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन, एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हमने ऐसी खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत पाकिस्तानी तट-रेखा से 35 मील परे पाकिस्तानी मछुओं के सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी मत्स्य-कम्पनियों को आमंत्रित किया जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए सभी समुचित कदम उठाती है।

(घ) भारतीय तट-रक्षकों ने गत 2 वर्षों के दौरान 22 मत्स्य नौकाएं पकड़ी हैं।

(ङ) और (च) हमने पाकिस्तान सरकार से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमांकन के लिए

संयुक्त सर्वेक्षण के वास्ते बार-बार अनुरोध किया है। 29 जनवरी से 1 फरवरी 1982 तक पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री आगाशाही द्वारा हाल ही की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हमने उन्हें इस मामले में फिर से स्मरण कराया था।

लेकिन पाकिस्तान ने हमें सूचित किया है कि सीमांकन वार्ता तभी शुरू की जा सकेगी जबकि वे स्वयं अपने तटों के सर्वेक्षण का काम पूरा कर लेंगे और इस काम में कुछ और समय लगने की संभावना है।

वर्कशापों में आरम्भ किये जाने वाले अतिरिक्त कार्य

9194. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे वर्कशापों में क्या-क्या अतिरिक्त कार्य आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) उड़ीसा के मंचेश्वर रेलवे वर्कशाप में आरम्भ किये गये कार्य के विस्तार का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीजल एवं विद्युत रेल इंजनों, परम्परागत और वातानुकूलितयानों, बिजली गाड़ी यूनिटों, माल डिब्बों आदि की आवधिक ओवर-हालिंग के लिए क्षमता के निर्माण हेतु विभिन्न रेल कारखानों में कई कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। कुछ कारखानों के आधुनिकीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। चल स्टाक/पुर्जों की उत्पादन क्षमता के विकास से सम्बन्धित कार्यों सहित चालू निर्माण कार्यों की कुल लागत लगभग 500 करोड़ रुपये हैं।

(ख) सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिए मंचेश्वर में एक नये रेल कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। प्रति मास 200 सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग के इस कार्य को 1977-78 के बजट में सम्मिलित किया गया था। 1981-82 के अन्त तक लगभग 4.1 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस परियोजना पर 14-15 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर प्रथम चरण में लगभग 3,000, व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा। जब इस परियोजना में लगभग 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिल आएगा तो इस कारखाने की भविष्य में दुगने उत्पादन की क्षमता हो जाएगी।

गहन पाठशाला स्वास्थ्य परियोजनायें

9195. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में केन्द्र द्वारा आयोजित गहन पाठशाला स्वास्थ्य परियोजना प्रायोगिक आधार पर आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना क्रियान्वित की गई है ;

(ग) ऐसे कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी प्राथमिक पाठशालाएं लाई गई हैं ; और

(घ) ऐसा कार्यक्रम आरम्भ करने के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए स्कूल में स्वास्थ्य जांच का कार्य प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या ढांचे को सौंपने की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु देश में बहुत से राज्यों के चुनींदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक व्यापक मार्गदर्शी परियोजना चलायी जा रही है। इस मार्गदर्शी परियोजना से यह पता चल सकेगा कि प्राथमिक स्कूली बच्चों का पोषणज स्तर कैसा है, उनमें किस प्रकार की बीमारी है और वह किस सीमा तक है, गंभीर और पुराने रोगों की वार्षिक स्थिति और उनकी किस्म किस प्रकार की है जिससे कि उन्हें चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं के लिये रेफर किए जाने की आवश्यकता होगी, ऐसी किस सीमा तक ये रेफरल सुविधाएँ बढ़ायी जा सकेगी और उन्हें किस हद तक मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इस परियोजना से कम से कम समय में रोगों का पता लगाने, बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाए जाने की भी आशा है।

उपर्युक्त परियोजना के लिए बहुत से संगठनात्मक माडलों पर विचार किया जा रहा है जिनमें एकीकृत बाल विकास स्कूल जिलों, परिवार कल्याण क्षेत्र परियोजना जिलों, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जिलों और कुष्ठ के अधिक स्थानिकमारी जिलों से समन्वय करना शामिल है।

आरम्भिक कदम के रूप में चुनींदा जिलों से अनेक एकीकृत बाल विकास स्कूल परामर्श-दाताओं और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में एक विषय परिचायक संगोष्ठी में प्रशिक्षण दिया गया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चयन का कार्य अभी भी चल रहा है और इस अवस्था में सही संख्या नहीं बताई जा सकती। आशा है कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 100 स्कूल कवर किए जा सकेंगे और ये स्कूल प्राथमिक स्कूलों के 10,000 बच्चों को सुविधाएँ पहुंचा सकेंगे।

जोधपुर-दिल्ली लाइन

9196. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों तथा डिवीजनल रेलवे यूजर्स कंसलटेटिव कमेटी, जोधपुर द्वारा विभाग

से गत सात वर्षों से यह मांग की जा रही है कि जोधपुर से दिल्ली वाया फाउन्टैन, फव्वारा, रीगल एक नई रेलवे लाइन बनायी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सेवा निवृत्त शिक्षक कर्मचारियों को पुनः रोजगार दिया जाना

9197. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाता है अथवा उन्हें पुनः रोजगार देता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टाफ की वर्गवार जैसे प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार और अन्य स्टाफ की संख्या क्या है जिसका सेवा काल बढ़ाया गया है/उन्हें पुनः रोजगार दिया गया है ;

(ग) सेवा काल बढ़ाये जाने के लिए क्या मापदंड निर्धारित है और क्या यह हर वर्ष बढ़ाया जाता है ;

(घ) सेवा काल बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि शिक्षक कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु पहले ही 60 वर्ष है जोकि अन्य सरकारी संस्थापनाओं में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु की तुलना में अधिक है ; और

(ङ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सेवा निवृत्ति होने वाले व्यक्ति का सेवाकाल बढ़ाए जाने से अर्हता प्राप्त कम आयु के लोगों को शिक्षक पदों पर नई नियुक्तियों से अथवा ऊंचे वर्गों में पदोन्नति से वंचित रहना पड़ेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय के नियमों में 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा अवधि बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है । तथापि, विश्वविद्यालय सेवा निवृत्त अध्यापकों को पुनः रोजगार दे सकता है ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस समय विश्वविद्यालय के नियुक्त अध्यापकों की संख्या में, जिन्हें पुनः रोजगार दिया गया है, 12 प्राध्यापक, 11 रीडर और 3 व्याख्याता हैं ।

(ग) और (घ) सामान्यतः पुनः रोजगार विशिष्ट अध्यापकों के मामले में ही दिया जाता है और वह भी यदि विश्वविद्यालय यह समझे कि उनकी सेवाओं को बनाए रखना शिक्षण अथवा

अनुसंधान के हित में होगा । सेवा निवृत्त अध्यापकों को एक ही समय में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पुन: रोजगार नहीं दिया जाता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु के बाद नहीं ।

(ङ.) पुन: रोजगार मात्र अपवाद मामले में ही दिया है, जब विशिष्ट अध्यापकों की सेवाओं को बनाए रखना वांछनीय समझा जाता है ।

29 मार्च, 1982 को लोढ़रा गांव में रेलवे क्रासिंग पर हुई दुर्घटना

9198. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 मार्च, 1982 को मेहसाना से 15 किलोमीटर दूर लोढ़रा गांव में चौकीदार सहित रेल क्रासिंग पर एक यात्री रेल गाड़ी के बस से टकरा जाने से 9 यात्री मर गये और 11 यात्री घायल हुए;

(ख) क्या रेल गाड़ी अहमदाबाद से विजयपुर जा रही थी ;

(ग) क्या केन्द्रीय मन्त्री ने हाल में सभा को यह आश्वासन दिया था कि सभी रेलवे क्रासिंग पर चौकीदार रखे जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस दुर्घटना में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 15 व्यक्ति हताहत हुए ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) समपार-दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(i) वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण ।

(ii) कुछ अत्यधिक खतरनाक समपारों पर रेलवे की अपनी लागत पर और अन्य समपारों पर जहां आवश्यक पाया जाये राज्य सरकार के परमर्श से पंचवर्षीय यातायात गणना के आधार पर चौकीदार तैनात करना और इसे रेलवे संरक्षा कार्य निधि को प्रसारित करना ।

(iii) समपारों पर दूरभाष की व्यवस्था ।

(iv) फाटकों का सिगनलों के साथ अन्तर्पाशन ।

(v) उठने वाले बैरियरों की व्यवस्था ।

(vi) समपारों से थोड़ी दूर पहले सीटी बोर्डों और सड़क के पहुंच मार्गों पर चेतावनी/खतरे के बोर्डों की व्यवस्था ।

(vii) बिना चौकीदार वाले समपारों से थोड़ी दूर पहले सड़क गति रोधकों की व्यवस्था ।

(viii) चौकीदार वाले समपारों से थोड़ी दूर पहले अवरोधक पट्टियों की व्यवस्था ।

(ix) विभिन्न श्रव्य-दृश्य के माध्यमों से सड़क उपयोग कर्त्ताओं के बीच शैक्षिक अभियान चलाना ।

(x) मोटर वाहन नियमों को लागू करने के लिए सिविल और पुलिस प्राधिकारियों के साथ मौके पर जांच करने में समन्वय स्थापित करना ।

भारतीय जहाज मालिकों द्वारा सरकारी सहायता के लिए मांग

9199. श्री वी० वी० देसाई
श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज मालिकों ने विश्व के माल बाजार में मन्दी आने के कारण पैदा हुई समस्याओं से निबटने के लिए सरकार से सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह विचार प्रकट किया है कि भारतीय जहाजरानी उद्योग अनुकूल लागत ढांचे के कारण अन्य देशों की तुलना में वर्तमान मन्दी की स्थिति का सामना करने में समर्थ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या 25 मार्च 1982 को इण्डियन शिपरस एसोसिएशन और नौवहन मंत्री के साथ हुए बैठक में विश्व के माल बाजार में आई मन्दी और इसका भारतीय जहाजरानी उद्योग में पड़े प्रभाव पर चर्चा हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(ङ) क्या सरकार इस कठिनाई पर काबू पाने, जहाजरानी उद्योग को सहायता देने में सहमत हो गयी है ; और

(च) यदि हां, तो उन्हें भारत सरकार कब तक सहायता देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (च) इण्डियन नेशनल

शिपओनर्स एसोशियन के प्रतिनिधियों ने स्वयं मन्त्रालय में आकर फ्रेट मार्केट में मौजूदा मन्दी से नौवहन उद्योग की कठिनाई की चर्चा की। उन्होंने इस संकट का सामना करने के लिए सरकार से सहायता की मांग की। सरकार नौवहन उद्योग को गुणदोष के आधार पर सहायता देने के लिए उचित कार्यवाही करेगी। इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोशियन के सुझावों पर नौवहन विकास निधि समिति और नौवहन महानिदेशक की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

देश में प्राइमरी अध्यापकों के लिए एक वेतनमान का प्रस्ताव

9200. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के सभी राज्यों में सभी प्राइमरी अध्यापकों को एकल वेतनमान और इसी प्रकार की अन्य सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य-मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिक्षा, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा मुख्यत: अब भी राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है। शिक्षकों के वेतनमान अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में प्रचालित वेतन ढांचे और अलग-अलग राज्य सरकारों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किए जाते हैं।

सुटाहटा स्टेशन

9201. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के पंसकुरा-हल्दिया सेक्शन में सुटाहटा स्टेशन को खोले जाने के बारे में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पंशकुरा-हल्दिया शाखा लाइन को खोलने के अवसर पर 9 स्टेशनों को खोलने का विचार था, उनमें से 6 स्टेशन खोले थे। शेष तीन स्टेशन, अर्थात सुटाहटा, केलोमल और केशवपुर

वित्तीय कारणों से नहीं खोले गये । बाद में समीक्षा करने पर भी ये प्रस्ताव अलाभप्रद पाये गये क्योंकि यह पाया गया था कि इनसे रेलों को भारी आवर्ती वित्तीय हानि होगी ।

बहरहाल सुटाहटा स्टेशन को यातायात के लिए खोलने के प्रस्ताव की दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा पुनः जांच की जा रही है और आशा है कि इस बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा ।

डिप्टी चेयरमैन हल्दिया पत्तन को और अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां दिया जाना

9202. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में डिप्टी चेयरमैन, हल्दिया पत्तन को और अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की हैं और हल्दिया पत्तन को कलकत्ता से अलग करने की अप्रकट कार्यवाही आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

पुरुलिया से हावड़ा को एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाया जाना

9203. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे में पुरुलिया से हावड़ा तक एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाये जाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) कोचिंग स्टाक की अत्यधिक कमी और पुरुलिया तथा हावड़ा में पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण, फिलहाल पुरुलिया तथा हावड़ा के बीच कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है ।

पांचवी और छठी योजनाओं में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का उत्पादन लक्ष्य

9204. **श्री बसुदेव आचार्य**
श्री रेणु पद दास } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन में क्या लक्ष्य था और उसकी इस सम्बन्ध में प्राप्त उपलब्धि क्या थी ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन लक्ष्य क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है ;

(ग) क्या इस आबंटन में कोई कमी की गयी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पाँचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, चितरंजन रेल इन्जन कारखाने में 410 रेल इन्जनों का निर्माण हुआ जबकि लक्ष्य 412 रेल इन्जनों के निर्माण का था।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में चितरंजन रेल इन्जन कारखाने और डीजल रेल इन्जन कारखाने से रेलों के लिए 780 रेल इन्जन प्राप्त करने का विचार है। इस समय छठी योजनावधि के दौरान, रेलों और सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न उद्यमों के लिए चितरंजन रेल इन्जन कारखाने से 253 बिजली रेल इन्जनों और लगभग 140 डीजल रेल इन्जनों के निर्माण का कार्यक्रम हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लोको वर्कशाप साहोद में रिक्त पड़े चतुर्थ श्रेणी के पद

9205. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा प्रावधान है कि लोको वर्कशाप, साहोद में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद इन पदों में सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को नियुक्त करके ही भरे जाने चाहिए ;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद खुले विज्ञापन द्वारा भरे गये थे ;

(ग) क्या नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत रिक्त पद खुले इन्टरव्यू द्वारा भरे गये थे ; और

(घ) क्या भविष्य में खुले इन्टरव्यू द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) कारखानों में श्रेणी-4 की 50 प्रतिशत रिक्तियां खुली भर्ती द्वारा भरी गयी थीं।

(ग) जी हां, कारखानों में।

(घ) कारखानों में 50 प्रतिशत रिक्तियां पहले ही खुले विज्ञापन और इन्टरव्यू द्वारा भरी जा रही हैं।

एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन को दोहरा करना

9206. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन को दोहरा करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल इस खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पारपत्रों में अंकित किये जा रहे "आव्रजन स्वीकृति की आवश्यकता है"

(इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड) शब्दों का दुरुपयोग

9207. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से पारपत्र कार्यालय पारपत्रों पर "आव्रजन स्वीकृति की आवश्यकता है" शब्दों को अंकित कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि यह उपबन्ध ऐसे बेईमान केवल एजेन्टों के लिए सुविधाजनक बन गया है जो अपने यात्रियों को मध्य पूर्व की आगे की यात्रा के लिए नेपाल ले जा रहे हैं और उनके मामलों में ऐसे यात्री ठगे जाते हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) उत्प्रवासन जांच व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम की अपेक्षाओं का उल्लंघन न किया जाए, 1 नवम्बर, 1980 से उत्प्रवासन

जांच की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। इस नई प्रणाली के अनुसार उन भारतीय राष्ट्रिकों के पासपोर्टों पर, जो आमतौर पर भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम की परिधि में आते हैं, यह लिखा रहता है कि "उत्प्रवासन जांच अपेक्षित है" और ऐसे पासपोर्ट धारकों को विदेश जाने से पहले अनुमति लेनी होती है।

(ग) भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा प्रलेखों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नेपाल मार्ग से होकर विदेश यात्रा के लिए भारतीय उत्प्रवासन औपचारिकताओं से बच कर निकलने के समाचार प्राप्त होने पर नेपाल सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है ताकि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

9208. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये सक्रिय कदमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने जनवरी 1982 तक देश में, राज्यवार, कुष्ठ रोगियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) उनके इलाज के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं ; और

(घ) क्या इस रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जा सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ रोगियों का जल्दी पता लगाने और उनका नियमित रूप से इलाज करने की बात सोची गई है और साथ ही इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण और रेफरल सेवाओं की व्यवस्था करने की बात भी निहित है। इसके अलावा रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं में गुणात्मक सुधार करने और इस रोग पर नियन्त्रण पाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) अतिरिक्त तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ सहित कुष्ठ नियन्त्रण यूनिटों/एस० ई० टी० केन्द्रों और नगरीय कुष्ठ केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना।

(2) शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करके प्रशिक्षण में सुधार के लिये क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और रेफरल तथा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना।

( ) शारीरिक विरूपता को भौतिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से ठीक करने तथा विशेष अंग लगाने और प्रास्थेटिक्स के जरिये कुष्ठ रोगियों को शारीरिक रूप से सही करने के लिए कुष्ठ रोग पुनर्स्थापना प्रोमोशन यूनिटों की स्थापना करना।

(4) सक्रिय रोगियों का जीवाणु-विज्ञान पद्धति से इलाज करने के लिए नई और प्रभावकारी दवाइयों का मुफ्त दिया जाना ताकि इन रोगियों को बिना विरूपता के शीघ्र ठीक किया जा सके और यह रोग दूसरों को न लग सके।

(5) इस कार्य में सुधार के लिए सर्वेक्षण और मूल्यांकन किये जाते हैं।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा एस० ई० टी० सहायता अनुमान योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण में सहायता करने के लिये स्वयं सेवी संगठनों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) कुष्ठ नियन्त्रण यूनिटों और सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्रों के जरिये राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगियों का पता लगाने के एक भाग के स्थानिकमारी और अतिस्थानिकमारी वाले इलाकों में नियमित रूप से सर्वेक्षण किये जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों को नियन्त्रण गतिविधियों को आधार बनाया जाता है।

(ग) कुष्ठ रोगियों को 385 कुष्ठ नियन्त्रण यूनिटों, 6795 एस० ई० टी० केन्द्रों, 549 नगरीय कुष्ठ केन्द्रों और 466 कुष्ठ रोग अस्पतालों तथा वार्डों के माध्यम से मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं। इसके अलावा संक्रामिक रोगियों के इलाज के लिये देश में बहु-औषधीय चिकित्सा पद्धति शुरू कर दी गई है ताकि संक्रामिक रोगियों को थोड़े समय में संक्रमण रहित बनाया जा सके।

(घ) कुष्ठ रोग की रासायन चिकित्सा में हाल में हुई प्रगति और जनसंचार माध्यमों के विस्तार का लाभ उठाकर अगले 20 वर्षों में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए समुचित कार्य-नीति तैयार करने के लिए बनाए गए एक कार्यदल ने सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

सुरक्षा उपायों पर विचार करने के लिए रेलवे अधिकारियों की गुंटकल में बैठक

9209. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सुरक्षा उपायों पर विचार करने के लिए गुंटकल में 1 फरवरी, 1982 को रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी इस बैठक में भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई और उपरोक्त बैठक में क्या निर्णय लिये गये ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां

(ग) और (घ) इस बैठक में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा सदस्य यांत्रिक ने दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ दुर्घटनाओं की स्थिति की पुनरीक्षा की तथा तथ्य निर्धारण जांच सम्बन्धी मामलों और दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित मामलों को अन्तिम रूप दिया गया। इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए, वे इस प्रकार हैं :—

(i) संरक्षण निरीक्षणों के दौरान पर्यवेक्षकों द्वारा जांच की जाने वाली मदों की सूची के फोल्डर तैयार करना।

(ii) संरक्षा संगठन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध व्यक्तियों को तैयार करना।

(iii) रेलों के संरक्षा सम्बन्धी कार्यों में सुधार लाने के लिए सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुशासन लागू करना।

(iv) संरक्षा कोटियों में तरजीही आधार पर रिक्त स्थान भरना।

(v) स्टेशन बुकिंग आदेशों को अद्यतन बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिए उनकी पुनरीक्षा करना।

(vi) कारखानों तथा मरम्मत डिपुओं में एस० एल० आर० (दूसरा दर्जा एवं सामान तथा ब्रेक यान) की मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए रेलों द्वारा यथावश्यक कार्रवाई की जा रही है।

चल पुस्तकालय एवं बुक स्टाल

9210. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चल पुस्तकालय एवं बुक स्टाल के ठेकेदारों की रेल गाड़ियों में अपने प्रतिनिधियों के प्रयोग हेतु केवल एक द्वितीय श्रेणी का कार्ड पास जारी किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे ने चल एवं पुस्तकालय बुक स्टाल के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु ठेकेदारों को कोई अतिरिक्त कार्ड पास जारी नहीं किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेल मंत्रालय को संसद सदस्यों से चल पुस्तकालय एवं बुक स्टाल के सम्बन्ध में जारी द्वितीय श्रेणी के कार्ड पासों पर फोटो लगाने का आदेश वापस लेने का सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों को इस आशय के अनुदेश पहले ही दिये गये है कि जिन खण्डों पर चलते-फिरते पुस्तकालय-एवं-बुकस्टाल हैं, उन पर चलते-फिरते यूनिटों के प्रबन्ध के लिए उस व्यक्ति/व्यक्तियों (ठेकेदार और/अथवा उसके कर्मचारी) जो किसी गाड़ी विशेष में चलते-फिरते पुस्तकालय-एवं बुक स्टाल का वास्तव में प्रबन्ध करते हैं, के इस्तेमाल के लिए दूसरे दर्जे के कम से कम पास जारी किये जायें ।

(ग) और (घ) एक संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सुझाव दिया गया था कि चलते-फिरते पुस्तकालय-एवं-बुकस्टाल ठेकेदारों को जारी किये गये कार्ड पासों पर फोटो चिपकाने के आदेश वापस ले लिये जायें । लेकिन, यह सोचकर कि चूंकि कार्ड पासों का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों कार्ड पास फोटो सहित जारी किये जाते हैं, इसलिए इस संबंध में कोई छूट न देने का विनिश्चय किया गया है । इससे अनधिक व्यक्ति उन पासों का दुरूपयोग नहीं कर सकेंगे ।

"बेरोजगार स्नातकों को बुकस्टालों का आवंटन"

9211. **श्री रामातार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने बेरोजगार स्नातकों के ग्रुप को बुकस्टालों का आवंटन करने के लिए जोनल रेलवे को प्राथमिकता क्रम जारी किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अम्बाला कैंट में बुकस्टाल के आवंटन के लिए प्राथमिकता क्रम का अनुपालन नहीं किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक बेरोजगार स्नातकों ने इसके लिए आवेदन किया था और एक मुश्त फरोहन राशि जमा की थी परन्तु उनके मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ; और

(घ) इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भारतीय रेलों के स्टेशनों पर बुकास्टालों के ठेकों के लिए वरीयता का क्रम नीचे दिया गया है :—

(i) वास्तविक कामगारों/वेंडरों की सहकारी समितियां बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियां,

(ii) बेरोजगार स्नातकों की साझेदारियां और एसोसियेशनें,

(iii) रेल कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के बेरोजगार स्नातक लड़के/आश्रित,

(iv) उपरोक्त (iii) में दिये गये व्यक्तियों को छोड़कर बेरोजगार स्नातक ।

अम्बाला छावनी स्टेशन के बुकस्टाल के ठेके के लिए 5 आवेदन (एक बेरोजगार स्नातकों के साझेदारों की ओर से तथा शेष 4 बेरोजगार स्नातकों की ओर से (प्राप्त हुए थे । उपरोक्त नं० (ii) के अंतर्गत आने वाली साझेदारी फर्म का वरीयता क्रम उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होने वाले साझेदारी फर्म का प्रतिनिधि अन्य साझेदारों के स्नातक होने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा । इसलिए रेल प्रशासन द्वारा बुक-स्टाल का ठेका उपरोक्त क्र० सं० (iii) के अन्तर्गत पड़ने वाले वरीयता क्रम में आने वाले एक बेरोजगार स्नातक को दे दिया गया । इसलिए क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अपनाये जाने वाली कार्य-विधि से कार्यवाही का कोई उल्लंघन नहीं किया गया ।

प्रेस संवाददाताओं और पत्रकारों को डाक्टरी सुविधायें

9212. **श्री रामविलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में और देश के सभी "ए" श्रेणी वाले नगरों में प्रेस संवददाताओं और पत्रकारों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू नियमों के अनुसार डाक्टरी सुविधाएँ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राजधानी में तथा देश के सभी "ए" श्रेणी वाले नगरों में प्रेस संवाददाताओं और पत्रकारों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू नियमों के अनुसार डाक्टरी सुविधाएँ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में "ओपन हार्ट सर्जरी"

9213. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के बाद इस संस्थान में वर्ष-वार "ओपन हार्ट सर्जरी" के कितने आपरेशन किये गये ; और

(ख) विभिन्न वरिष्ठ सर्जनों द्वारा (उनके नामों सहित) प्रति वर्ष कितने ओपन हार्ट आपरेशन किये गये तथा आपरेशन के दौरान कितने रोगी मरे ?

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1981-82 के लिए 9.91 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे हुगली पुल के निर्माण की परियोजना के लिए वर्तमान अनुमानित 126.68 करोड़ की लागत के स्थान पर कुल 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बारे में निर्णय लेने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों मदों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) हुगली नदी पर दूसरा पुल राज्य की सड़क पर है। इसलिए मूलतः पश्चिम बंगाल सरकार इसके निर्माण से सम्बन्धित है। लेकिन, इस परियोजना के लिये इसे वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार 57.13 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की स्वीकृति के लिये राजी हुई है। इस पर यदि अधिक खर्च होता है तो वह राज्य सरकार अपने ही साधनों से पूरा करेगी। 57.13 करोड़ रुपये में से, 30.57 करोड़ रुपये 31-3-81 से पहले दिए गए और 12 करोड़ रुपये 1981-82 के दौरान दिए गए। वित्तीय कठिनाइयों के कारण 1981-82 के दौरान राज्य सरकार के 9.91 करोड़ रुपये की वृद्धि के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को केन्द्र द्वारा स्वीकार करने सम्बन्धी राज्य सरकार के अनुरोध को भी स्वीकार करना असंभव है।

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम और उनकी लम्बाई

9042. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार देश के प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम और उसकी लम्बाई क्या है ;

(ख) राज्यवार सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए प्रत्येक राज्य राजमार्ग का नाम और लम्बाई क्या है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला गया ; और

(ग) उन राजमार्गों के नाम और लम्बाई क्या है जो राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए सरकार के विचाराधीन है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न हैं (अनुबन्ध-)। [मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 40116/82]

(ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय उन सड़कों से है जो छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनके बारे में सूचना संलग्न विवरण में है

गयी है (अनुबन्ध-II)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4016/82]

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण, भारत सरकार इस समय किसी भी राज्य में किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है।

प्रधान मंत्री का इंगलैंड का दौरा

9044. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री अपने इंगलैंड के दौरे के पश्चात् इंगलैंड में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा (जानमाल) सम्बन्धी व्यवस्था से संतुष्ट हैं ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने इस मामले पर इंगलैंड की प्रधान मंत्री से बातचीत की है ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने युनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीयों के कल्याण के बारे में हमारी चिन्ता को दोहराया है।

ब्रिटेन में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी यू० के० सरकार की है। तथापि सरकार की चिन्ता से ब्रिटिश सरकार को समय-समय पर अवगत कराया जाता है।

रेल दुर्घटनाएं

9045. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री सूरज भान
श्री राम प्रसाद अहिरवार } : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1977 से 20 जुलाई 1979, 20 जुलाई, 1979 से 15 जनवरी, 1980, 15 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 और 1 जनवरी, 1981 से 15 जनवरी, 1982 के बीच कितनी छोटी और बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने जान-माल का नुकसान हुआ ; और

(ख) उक्त अवधियों में दुर्घटनाओं की प्रतिमास अधिकतम दर कब थी और न्यूनतम दर कब थी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अपेक्षित सूचना आगे दी गयी है।

(ख) उक्त आदेश का निरसन करने और किये गये अन्याय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) मामला न्यायाधीन होने के कारण, यदि आवश्यक हुआ तो न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर ठीक समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

पश्चिम जोन परमिट

9216. **श्री भीखा भाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जोन परमिट आवंटित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो आवंटित किये गए ऐसे परमिटों की राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये पश्चिम जोन के कितने परमिट आरक्षित किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पश्चिम जोन परमिट करार के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अब तक जारी करने के लिए निर्धारित और वास्तविक रूप में जारी किये गये जोनल परमिटों का आवंटन निम्नलिखित है :

राज्यों के नाम	आवंटित किए गये पश्चिम जोन परमिटों की संख्या	वास्तविक रूप में जारी किये गये पश्चिम जोन परमिटों की संख्या
1. महाराष्ट्र	450	186
2. गुजरात	450	241
3. मध्य प्रदेश	450	240
4. राजस्थान	450	150
5. उत्तर प्रदेश	450	200
6. हिमाचल प्रदेश	450	450
7. हरियाणा	450	283
8. पंजाब	450	300
9. दिल्ली	450	179
10. चंडीगढ़	180	113
11. जम्मू और कश्मीर	450	431
	4680	2773

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

'पहियों पर राजमहल' रेल गाड़ी

9217. **श्री भीखाभाई :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों की सुविधा और आराम के लिए 'पहियों पर राजमहल' नाम की एक रेल गाड़ी दिल्ली से आगरा, जयपुर, उदयपुर जोधपुर और जैसलमेर चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस रेल गाड़ी को किस तिथि से चलाया जायेगा ;

(ग) उक्त रेल गाड़ी के डिब्बों की विशेषता का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस रेल गाड़ी को 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलाया जा रहा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस रेल गाड़ी को चलाने से लाभ अर्जित किये जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस गाड़ी का वाणिज्यिक परिचालन 1 अक्तूबर, 1982 से आरंभ किया जायेगा।

(ग) इस गाड़ी में भूतपूर्व महाराजाओं के सैलून लगाये गये हैं। इन सैलूनों की विशेषताएं उनकी सजावट, आरामदायक शयन केबिन, बैठने के लौंज, संलग्न रसोईघर आदि हैं।

(घ) और (ङ) यह गाड़ी न लाभ न हानि के आधार पर नहीं चलेगी। इस गाडी में यात्रा के लिए पूरी दर-सूची दरों पर किराये निर्धारित किए गये हैं। इन किरायों में भोजन व्यय और दर्शनीय स्थलों की सैर का व्यय भी शामिल रहता है जिसकी व्यवस्था राजस्थान पर्यटन विकास निगम करता है। इसके चलाये जाने के बाद ही इसकी लाभप्रदता का यथार्थ मूल्यांकन उपलब्ध हो पायेगा।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त दैनिक समाचारपत्र तथा पत्रिकायें

9218. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में वर्ष-वार विज्ञापनों के लिए किन दैनिक समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का उपयोग किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में प्रचार व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रचार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और इस संगठन में कितने कर्मचारी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) निगम ने

वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का विज्ञापनों के लिए उपयोग किया :—

(i) स्टेट्समैन, कलकत्ता/दिल्ली (ii) अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता (iii) आनंद बाजार पत्रिका, कलकत्ता (iv) जुगांतर, कलकत्ता (v) विश्वमित्र, कलकत्ता (vi) सन्मार्ग, कलकत्ता (vii) रूप लेखा, कलकत्ता (viii) असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी (ix) नेशनल हेरल्ड, दिल्ली (x) हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली (xi) टाइम्स आफ इंडिया, बम्बई (xii) दि मैरीन टाइम्स बम्बई।

(ख) प्रचार पर किए गये खर्च जिसमें मानार्थ मदें भी शामिल हैं लेकिन जिसमें निविदाओं, और खाली पदों के विज्ञापन पर प्रचार खर्च शामिल नहीं हैं। इस प्रकार है :—

1979-80	12518.00 रुपये
1980-81	6448.00 रुपये
1981-82	3400.00 रुपये (अस्थायी)

(ग) प्रचार विभाग में एक जन सम्पर्क अधिकारी और एक अवर श्रेणी लिपिक है।

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विज्ञापन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले दैनिक समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएं

9219. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रचार एककों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विज्ञापनों के लिए किन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रयोग किया जाता है ; और

(ग) इन एककों के प्रेस रिलीज की "मेलिंग लिस्ट" में, समाचार-पत्र-वार, तथा भाषा-वार संवाददाताओं के नाम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस उपक्रम में कोई प्रचार एकक नहीं है।

(ख) खाली पद और टेंडर सम्बन्धी विज्ञापन सामान्यतः अभीष्ट क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित समाचार पत्रों आदि में प्रकाशन के लिए जारी किये जाते हैं :

1. हिन्दू	हैदराबाद/मद्रास संस्करण
2. इण्डियन एक्सप्रेस	सभी दक्षिण के संस्करण
3. टाइम्स आफ इण्डिया	बम्बई/अहमदाबाद/दिल्ली संस्करण

4. स्टेट्समैन	कलकत्ता संस्करण
5. मैरीन टाइम्स	बम्बई
6. इण्डियन ट्रेड जनरल	दिल्ली (टेंडर सूचनाएं)
7. ईनडु	विशाखापत्तनम संस्करण
8. नवभारत टाइम्स और हिन्दुस्तान	खाली पदों के विज्ञापन के हिन्दी पाठ

(ग) जब साधारण बैठक सभा की वार्षिक बैठक में उपक्रम के परीक्षित लेखे स्वीकार कर लिये जाते हैं तब प्रैस विज्ञप्ति जारी की जाती है। अगर कोई विशेष अवसरों के समाचार उल्लेखनीय होते हैं तब उन्हें निम्नलिखित स्थानीय प्रेस संवाददाताओं को जारी कर दिया जाता है

समाचार पत्र का नाम	संवाददाता का नाम	भाषा
1. हिन्दू	सर्व श्री/चेलापति रामा	अंग्रेजी
2. इण्डियन एक्सप्रेस/आंध्र प्रभा	टी० मधुसूदन राव	अंग्रेजी/तेलुगु
3. ईनडु	आर० जगदीश्वर राव	तेलुगु
4. आंध्र पत्रिका	जी० एस० एन० मूर्ति	तेलुगु
5. आंध्र ज्योति	वी० बासवपुन्नैया	तेलुगु
6. इकोनोमिक टाइम्स	टी० एस० भगवानुलु	अंग्रेजी
7. विशालांध्र	टी० हनुमन्तराव	तेलुगु
8. डकन क्रोनिकल	पी० वी० सत्यनारायण	अंग्रेजी
9. आकाशवाणी	ए० राम कृष्णाराव	
10. पी० टी० आई०	एम० कृष्णन	
11. यू० एन० आई०	जे० पार्थसारथी	

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकायें

9220. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० में प्रचार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस एकक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और भाषावार विज्ञापनों के लिये किन दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का उपयोग किया गया ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्थापित उन संवाददाताओं के नाम क्या हैं जो सम्बन्धित मन्त्रालय के दिल्ली स्थित पी० आ ई० बी० अधिकारियों के माध्यम से प्रेस सामग्री रिलीजों तथा प्रकाशनों की "डाक सूची में हैं"

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) प्रचार कार्य के साथ-साथ जन सम्पर्क कार्य के लिए केवल एक वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी है। उसकी सहायता के लिए एक अनुभाग अधिकारी और दो सहायक नियुक्त हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड की डाक सूची में केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त कोई संवाद-दाता नहीं है। लेकिन दिल्ली में जब बोर्ड की साधारण सभा की वार्षिक बैठक होती है, तब नौवहन और परिवहन मन्त्री से सम्बद्ध प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के सूचनाधिकारी का पूरा उपयोग किया जाता है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति समय-समय पर नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1979-80	1980-81	1981-82
I. अंग्रेजी (दैनिक)		
1. डकन क्रोनीकल	1. डकन क्रोनीकल	1. डकन क्रोनीकल
2. अमृत बाजार पत्रिका	2. फ्री प्रेस जर्नल	2. हिन्दू
3. असम ट्रिब्यून	3. फाइनेन्शियस एक्सप्रेस	3. फ्री प्रेस जर्नल
4. हितवाद	4. हिन्दू	4. टाइम्स आफ इन्डिया
5. क्रोनीकल	5. इंडियन एक्सप्रेस	5. मेल
6. इक्सेन्सर	6. असम नेशन	6. फाइनेंशियल एक्सप्रेस
7. हिन्दू	7. इंडियन नेशन	7. इंडियन एक्सप्रेस
8. इंडियन एक्सप्रेस	8. हितवाद	8. पेट्रियट
9. फ्री प्रेस जर्नल	9. नेशनल हेराल्ड	9. हिन्दुस्तान टाइम्स
10. सर्चलाइट	10. हिन्दुस्तान टाइम्स	10. नेशनल हेराल्ड
11. मेल	11. डकन हेरेल्ड	11. अमृत बाजार पत्रिका

वर्ष 1979-70	1980-81	1981-81
12. हिन्दुस्तान टाइम्स	12. पेट्रियट	12. दि स्टेट्समैन
13. डकन हेरेल्ड	13. अमृत बाजार पत्रिका	13. मैरीन टाइम्स (पाक्षिक)
14. फाइनेन्शियस एक्सप्रेस		14. इकोनोमिक टाइम्स
15. इंडियन नेशन		15. इम्प्लायमेंट न्यूज (साप्ताहिक)
16. पायनियर		
17. ट्रिब्यून		
18. दि स्टेट्समैन		
II. हिन्दी (दैनिक)		
1. हिन्दुस्तान	1. मिलाप	1. हिन्दुस्तान
2. व्यापार भारती		2. नवभारत टाइम्स
3. नवभारत टाइम्स		3. मिलाप
4. मिलाप		
III. तेलुगु (दैनिक)		
1. आंध्र प्रभा	1. आंध्र पत्रिका	1. ईन्डु
2. ईनडु	2. आंध्र प्रभा	2. आंध्र प्रभा
3. आंध्र ज्योति	3. आंध्र भूमि	3. आंध्र पत्रिका
4. आंध्र पत्रिका	4. आंध्र ज्योति	4. विजयभानु
5. विजयभानु	5. ईनडु	
IV. मराठी (दैनिक)		
1. साकल	—	—
V. मलयालम (दैनिक)		
	1. मलयालम मनोरमा	
VI. बांगला (दैनिक)		
	1. आनन्द बाजार पत्रिका	1. आनन्द बाजार पत्रिका

दिल्ली में भारतीय नौवहन निगम के संवाददाता

9221. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्रेस सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के माध्यम से, भारतीय नौवहन निगम की प्रेस विज्ञप्ति की डाक-सूची में केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के समाचार पत्र-वार नाम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : भारतीय नौवहन निगम का किसी संवाददाता से सम्बन्ध नहीं है। भारतीय नौवहन निगम की प्रेस विज्ञप्तियां दिल्ली के निम्नलिखित समाचार पत्रों और अपने दिल्ली कार्यालय के माध्यम से दिल्ली के प्रेस सूचना ब्यूरो को जारी की जाती है।

1. समाचार सम्पादक, दूरदर्शन
2. समाचार सेवा विभाग आकाशवाणी
3. टाइम्स आफ इंडिया
4. एकोनोमिक टाइम्स
5. हिन्दुस्तान टाइम्स
6. हिन्दुस्तान हिन्दी
7. इंडियन एक्सप्रेस
8. फाइनेन्शियल एक्सप्रेस
9. स्टेट्समैन
10. नेशनल हेरल्ड
11. पैट्रियट

श्री लंका से आये नागरिकताविहीन लोगों का पुनर्वास

9222. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लंका के नागरिकताविहीन भारतीयों का स्थायी रूप से पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ख) क्या श्री लंका सरकार उनका एक पैनल बनाने पर सहमत हो गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत और श्री लंका के

बीच 1964 और 1974 में सम्पन्न करारों के अन्तर्गत श्री लंका में रहने वाले भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों को भारत अथवा श्री लंका की नागरिकता प्रदान की जानी है। भारत और श्रीलंका की सरकारें उन लोगों को अपने-अपने देश की नागरिकता प्रदान कर रही हैं जिन्होंने इन करारों में निर्धारित समयावधि के समाप्त होने से पहले ही आवेदन कर दिया था। ऐसे राज्य-विहीन व्यक्तियों के मामले में, जिन्होंने 30-10-1981 से पहले नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया था, भारत सरकार श्रीलंका की सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं और हमें विश्वास है कि सम्बन्धित व्यक्तियों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का कोई व्यापक समाधान निकल जाएगा।

(ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस सिलसिले में श्रीलंका की सरकार ने कोई पैनल बनाया है।

अहमदाबाद से चलने वाली सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ी के प्रस्थान समय को बदलना

9223. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 48 अप रेल गाड़ी के यात्रियों के लाभ के लिए अहमदाबाद से चलने वाली सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ी के प्रस्थान समय को बदलने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 181/182 अहमदाबाद-नयी दिल्ली सर्वोदय एक्सप्रेस में सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप, इसके चालन में लगने वाले अतिरिक्त समय को पूरा करने के लिए लिए अहमदाबाद से इसके चलने के समय में परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए 48 अप वीरमगांम-बडोदरा सवारी गाड़ी और 181 डाउन एक्सप्रेस के अहमदाबाद में मेल की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

"एडल्टरेशन हाई प्राइसेज एण्ड शर्टेजेज शीर्षक समाचार

9224. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एडल्ट्रेशन हाई प्राइसेज एन्ड शर्टेजेज के बारे में दिनांक 20 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 668 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (च) में दिये गये सुझाव "खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन नहीं किया जाना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो नमूने केवल निर्माताओं/थोक व्यापारियों से ही लिए जायें और खुदरा व्यापारी से नमूने उस समय लिए जायें जबकि उन पर सन्देह हो" की जाच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) खाद्य पदार्थों में मिलावट उत्पादन स्तर से लेकर उपभोक्ता स्तर तक किसी भी अवस्था में हो सकती है और इसीलिए, इस सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

वैसे, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निर्माता, थोक विक्रेता या वितरक के स्तर पर मिलावाट को रोकने पर अधिक जोर दें।

लर्नर्स लाइसेंस

9225. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लर्नर्स लाइसेंस जारी करने की क्या प्रक्रिया है तथा यह किस प्रकार के कागज पर जारी किया जाता है ;

(ख) क्या इसमें महत्वपूर्ण सड़क संकेत ड्राइविंग के मूल नियम तथा उसके बाद की प्रविष्टियों के लिए स्थान होता है ;

(ग) जीवन पर्यन्त गैर-व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या व्यावसायिक ड्राइवरों के लिए निर्धारित नेत्र परीक्षण केवल सरकारी अस्पतालों में ही किया जायेगा ;

(ङ) पुस्तिका के रूप में पंजीकरण पुस्तिकाएं, जिनमें बाद की प्रविष्टियों के लिए पर्याप्त स्थान हो, पंजीकरण पुस्तिका तथा ड्राइविंग लाइसेंस दोनों के लिए ही पासपोर्ट की तरह मजबूत फोल्डर जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) क्या सरकार का विचार इसका प्रचार करने का है ताकि जो व्यक्ति अपने लाइसेंस या पंजीकर पुस्तिकाएं बदलना चाहें वे ऐसा कर सकें ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) लर्नर्स लाइसेंस निर्धारित प्राधिकरणों द्वारा मोटर व्हीकल्स नियमों के अनुसार जारी किये जाते हैं। ये नियम राज्य सरकारों द्वारा घोषित नियमों के अनुसार जारी किये जाते हैं। आमतौर पर यह कागजी लाइसेंस हैं। लाइसेंस के साथ-साथ कुछ राज्य सरकारें अभ्यर्थियों को सड़क संकेत की सूची और अन्य सहायक सामग्री भी देती है।

(ग) यह विचाराधीन नहीं है। तथापि वैधता की वर्तमान अवधि को 5 वर्ष से 10 वर्ष तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(घ) मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक से निर्धारित फार्म में मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है जिसमें आई-टेस्ट भी शामिल है।

(ङ) कुछ राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे फोल्डरों में दिये जाते हैं जो टिकाऊ होते हैं।

(च) करीब-करीब सभी व्हीकल मालिकों और लाइसेंस दारों को कार्य विधि की जानकारी होती है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में तथ्यों का पता लगाने सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

9226. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री राम विलास पासवान } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में तथ्यों का पता लगाने सम्बन्धी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया गया है ? और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हाँ। रा० प्रो० शि० का० समीक्षा समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग) रा० प्रो० शि० का० समीक्षा समिति की सिफारिशों पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया है। समीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाले **विवरण संलग्न** है।

विवरण

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित समीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशें :—

1. प्रौढ़ शिक्षा बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए।
2. 15-35 आयु वर्ग के सभी निरक्षर व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम सम्भव समय में शामिल कर लिया जाना चाहिए।
3. कार्यक्रम की विषय वस्तु गहन और विस्तृत होनी चाहिए।
4. साक्षरता को विकास के साथ जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाने चाहिए।
5. यह कार्यक्रम लचीला और शिक्षुओं की आवश्यकताओं तथा स्थानीय पर्यावरण से सम्बद्ध होना चाहिए।

6. कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा भाग लिए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

7. अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कार्यक्रम में उनकी विशेष समस्याओं की ओरध्यान दिया जाना चाहिए।

8. अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में, जहां भी आवश्यक हो, जन जातीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए और उसमें उनकी विशेष सांस्कृतिक दाय और दस्तकारी की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

9. इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं की ओर सचेत किया जाना चाहिए और उनका प्रयोग करने के योग्य बनाया जाना चाहिए।

10. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

11. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्वायत्त होना चाहिए और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री इसका अध्यक्ष होना चाहिए।

12. यदि एक सुविचारित नीति का अनुसरण किया जाता है और स्वैच्छिक एजेंसियों को अपने कार्यकरण में सुधार लाने में सहायता करने हेतु कदम उठाए जाते है तो हम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

13. ऐसे इलैक्ट्रानिक माध्यम और फिल्म की क्षमता का इस कार्यक्रम में उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, फिल्म, दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल हैं।

14. उत्तर-साक्षरता और सतत्-शिक्षा के लिए अपेक्षित साहित्य का निर्माण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

15. कार्यक्रम की दक्षता और कोटि एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए।

16. समुदाय को आदर्शवाद निष्ठा और लोगों विशेषकर युवकों के प्रति वचनबद्धता में, भागीदार बनाया जाना चाहिए।

प्राथमिक/माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चे

9227. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के बीच बहुत बड़ी संख्या में बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने का कारण राज्य मुख्यालयों में शिक्षाविदो द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए किताबी ज्ञान के आधार पर बनाए गए पाठ्यक्रम हैं ;

(ख) यदि हां, यो क्या प्राथमिक शिक्षा के लिए इस समय 5 परियोजनाओं को प्रयोगात्मक चरण में शुरू किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो परियोजनाएं किस सीमा तक पूरी हो चुकी हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) बीच में ही स्कूल छोड़ने की समस्या के मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। स्कूल छोड़ने को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें से एक है – शिक्षा को स्थानीय परिस्थिति और जीवन की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करने का प्रयास।

इस संदर्भ में पांच परियोजनाएं यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त हैं, परिवर्तनशील परियोजनाओं का उद्देश्य नए विचारों/तकनीकों की कार्यदक्षता को प्रदर्शित करना है। पालन करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा अथवा प्राप्त करने के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। प्रयोगात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर आशा है कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र विद्यमान प्रणाली में व्यापक रूप से अनुपालन के लिए नए विचारों/तकनीकों को अपनाएंगे।

बंगलौर में पहिया और धुरी संयंत्र तथा पटियाला में कलपुर्जा वर्कशाप

9228. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनराशि की कमी के कारण बंगलौर के पहिया और धुरी संयंत्र तथा पटियाला स्थित कलपुर्जा वर्कशाप को आघात पहुंचा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के चालू होने में बहुत देरी हो गयी है जबकि पहले यह सम्भावना थी कि इनमें अक्तूबर, 1982 में उत्पादन शुरू हो जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए कुछ धनराशि आबंटित करने का है जिससे कि आयात कम करना पड़े और लगभग 40 से 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सके ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) धन की कुल उपलब्धता के भीतर, सभी अलग-अलग परियोजनाओं की आवश्यकताओं आधार पर धन का नियतन किया गया है।

एशियाड-1982 के दौरान आने वाले खिलाड़ियों के लिए राजधानी में आवास की कमी

9229. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड-1982 के दौरान खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए राजधानी में आवास की कमी होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलादेश द्वारा भारतीयों की सम्पत्ति का बेचा जाना

9230. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश सरकार भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति सम्बन्धी कानून के अधीन उनके दावों का निपटान किये बिना बेच रही है ; और

(ख) इस विषय में भारत सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हुगली डाकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी के सलकिया और पोर्ट यूनिट का राष्ट्रीयकरण

9231. **श्री कृष्ण चन्दर हाल्दर**
श्री अजित बाग } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी के सलकिया और पोर्ट यूनिट के राष्ट्रीयकरण के मामले की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड और सालकिया यूनिट पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ) कम्पनी के भविष्य के बारे में विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है, पार्लियामेंट 6 तारीख तक चलेगी। बी० पी० मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार ने कहा है कि हम रखेंगे। पार्लियामेंट का सैशन अब खत्म होने वाला है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमने नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, आप डिस्कशन करवाइये। यह सरकार जान-बूझकर बी० पी० मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं रख रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप कोई तिथि का एलान कीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष सहोदय, आप इस पर कुछ कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि मैंने आपको एश्योर किया हुआ है कि अगर यह नहीं करेंगे तो इस सत्र के स्थगित होने से पहले मैं इसके लिये सभा में चर्चा की अनुमति दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : 6 तारीख को सैशन खत्म होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: एक को खत्म हो जाये, तो इससे क्या ? (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान: 6 तारीख को सैशन खत्म होने वाला है। 6 तारीख तक सरकार नहीं लाती है तो क्या 7 को आप डिस्कशन करवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नही, मैंने आपको एक आश्वासन दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : जब रिपोर्ट ही नहीं है तो आप किस पर चर्चा के लिये अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये बाध्य हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब रिपोर्ट ही नहीं है, तो आप किस पर चर्चा के लिये अनुमति देंगे ? मेरी सूचना है कि केबिनेट ने इसे स्थगित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने किया है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन यदि वे पेश न करें तो मैं आपको चर्चा के लिये अनुमति दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मुश्किल से 10 दिन पार्लियामेंट और चलेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप डिस्कशन में कितने दिन लगायेंगे।

श्री राम विलास पासवान : डिस्कशन किस चीज पर ? मैंने नोटिस दिया है कि सरकार क्यों नहीं पेश कर रही है ? आप सरकार को टाइम बाउन्ड कीजिये : **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बिना वजह टाइम जाया कर रहे हैं मैं सहमत नहीं हूं ।

श्री इन्द्रजीत यादव : काका कालेलकर रिपोर्ट का क्या हुआ हश्र हुआ ? वही हश्र इस मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में होगा ।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : मैंने "ड्राप्ट ड्रग्ज" के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, जो हिन्दुस्तान टाइम्ज (रविवार) में प्रकाशित समाचार पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि करोड़ रुपये के मूल्य की "ड्राप्ड ड्रग्स" भारत को भेजी गयी है ।

श्री राम विलास पासवान : आप कैसे कह सकते हैं कि इतनी तारीख को होगा ?... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : क्या आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहें हैं कि इस डेट तक रिपोर्ट रखें ?

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, यह कुछ ज्यादती होगी अगर इस तरह आप बाई-पास करेंगे तो ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैयदपुर) : यह सरकार बिल्कुल अपमान इस सदन का कर रही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बात सुनिये, अगले हफ्ते का बिजनेस पेश हो गया है हाउस में । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप किसी बात को तो सुनते हैं नहीं, बिना वजह बात करते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपने आश्वासन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप सुनते नहीं हैं इस तरह झगड़ा करते जायें, उसका कोई अर्थ नहीं है । कुछ तो न्यायसंगत बात होनी चाहिये ।

मैंने एक बात कही है कि चाहे सत्रावधान कल हो जाये,लेकिन उससे पहले आज रात को डिस्कशन होगा, मेरा एश्योरेंस है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : रिपोर्ट नहीं होगी तो डिस्कशन किस बात का होगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं कोचीन शिपयार्ड के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये एल० टी० 3990/82]

केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परिक्षित लेखे** सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3991/82]

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा आदि

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(2) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकता, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल

---

*कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन 15 अप्रेल, 1982 को सभा पटल पर रखा गया था ।

**केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे 25 फरवरी 1982 को सभा पटल पर रखे गये थे ।

[श्रीमती शीला कौल]

पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3992/82]

प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज कुरुक्षेत्र का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(4) प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3993/82]

मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हू :

(1) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 मार्च, 1982 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (30) टी० पी० टी०/81 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपयुक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०3999/82]

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत) नई दिल्ली के वर्ष 1980 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके वर्ष 1979-80 के लेखे आदि

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली, के वर्ष 1980 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3995/82]

अध्यक्ष महोदय : आश्वासन यह था कि रिपोर्ट को हाउस के टेबल पर रखा जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हम चाहते हैं कि वह रखी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आश्वासन यह था कि इस रिपोर्ट को अवश्य सदन के टेबल पर रखा जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि गवर्नमेंट मंडल कमीशन की रिपोर्ट सदन में पेश नहीं करेगी, तो बहस फिर किस चीज पर होगी ? बहस के लिए जरूरी है रिपोर्ट पेश की जाए। हम सिफारिशों पर चर्चा करना चाहते हैं। केवल यही नहीं कि प्रतिवेदन ही प्रस्तुत कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री का आश्वासन है। मेरे पास भी वह आश्वासन है। यह रिकार्ड में है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप गृह मंत्री से पता लगायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हा मैं पता लगाउंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री मण्डल ने इसको सभा पटल पर न रखने का फैसला कर लिया हैं (व्यवधान)

मन्त्रीमण्डल ने प्रतिवेदन पर की जाने वाली चर्चा को स्थगित कर दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा कि प्रधान मन्त्री के सऊदी अरब के दौरे के बारे में सभा को विश्वास में नहीं लिया गया। समाचार पत्रों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विदेश नीति में परिवर्तन किया जा रहा है...

अध्यक्ष महोदय : यहां पर किसी अनुमान मात्र की अनुमति नहीं दी जाती।

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी : क्या सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात होती है तो वे सभा को विश्वास में लेते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं अनुमति नहीं दी जाती (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली में कपड़ा मजदूरों ने एक दिन की हड़ताल की। उन पर लाठी चार्ज किया गया और गुंडों ने उन पर हमला किया।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। श्री योगेन्द्र झा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमेशा यह एक प्रथा रही है कि जब भी कभी प्रधानमंत्री विदेश गयीं और वापिस आयीं तो सभा को विश्वास में लिया गया। आप संसदीय प्रथाओं को क्यों रोक रहे हैं ? संसदीय प्रथाओं की इस प्रकार से अवज्ञा नहीं की जा सकती। उनको वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई बात होती है तो वे अपने आप ही सामने आते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संसद को मनमाने ढंग से लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कभी नहीं किया जाता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब संसद का सत्र चल रहा हो तो प्रधानमंत्री को विदेश से आकर सभा को सूचना देनी चाहिये। संसदीय कार्य मंत्री यह आश्वासन क्यों नहीं देते कि ऐसा वक्तव्य दिया जायेगा ? जब भी श्री मोरारजी देसाई गये उन्होंने वापस आकर हर बार वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण। श्री योगेन्द्र झा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बोकारो के लिये चूना ले जाने वाले माल डिब्बों में तथा नगलिया सादत और गया में कोयला ले जाने वाले माल डिब्बों में वायु सेना के राकेटों का पाया जाना और धनबाद में विस्फोटकों का पकड़ा जाना

श्री योगेंद्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे उस पर एक वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये चूना ले जाने वाले माल डिब्बों में और बरेली तथा मुरादाबाद के बीच नगलिया सादत रेल स्टेशन पर और गया में कोयला ले जाने वाले माल डिब्बों में वायुसेना के राकेटों के पाये जाने और धनबाद (बिहार) के एक होटल में विस्फोटकों के पकड़े जाने का समाचार।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : 27 मार्च को वायुसेना की एक यूनिट ने अलीपुर-

दुआर रेलवे स्टेशन से आम्ला जंक्शन के लिये ऐसे राकेटों और राकेट पौडों की एक खेप बुक की थी जिनकी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी थी । ये राकेट और पौड मरम्मत आदि करके फिर से उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिये वायु सेना के आम्ला डिपो को भेजे गये थे । रेल के इस वैगन में इनकी रक्षा के लिए 3 वायुसैनिक साथ भेजे गए थे ।

2. उपर्युक्त सामान से लदा वैगन 11-4-82 को रात 8 बजे गया स्टेशन पहुँचा, रात 8.20 पर गाड़ी नम्बर ई० सी०-37 अप के साथ गया से चला और 12-4-82 की सुबह मुगल-सराय पहुँचा । मुगलसराय पर इस डिब्बे का एज दरवाजा खुल गया । तदनुसार इस वैगन के सामान की जांच करने के लिए इसे मुगलसराय में रोक लिया गया । वायु सेना के अफसरों का एक दल मुगलसराय पहुँचा और वहां बक्सों को गुम पाया जिनमें 56 राकेट और 2 राकेट पौड थे ।

3. अलग से, वायुसेना के राकेटों को विभिन्न स्थानों पर पाए जाने की निम्नलिखित सूचनायें मिली:—

(i) 11/12-4-82 की रात एक गाड़ी गया से गुजरी जिसमें बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए चूना पत्थर के वैगन थे । बोकारों इस्पात संयंत्र में पहुँचाने पर जब 13 अप्रैल, 1982 को सुबह माल उतारा जा रहा था तो पाया गया कि इसके 9 डिब्बों में प्रत्येक में एक राकेट था । यह सूचना मिलने पर वायु सेना से गोला बारूद विशेषज्ञों का एक दल बोकारो गया और इन राकेटों को पहचान लिया । सुरक्षा की दृष्टि से इन राकेटों को निष्क्रिय कर दिया गया और फिर सुरक्षित रखने के लिये वायु सेना स्टेशन लाया गया । ये राकेट मुगलसराय में वैगन से गुम हुये राकेटों में से ही थे ।

(ii) जिस गाड़ी से वायु सेना के राकेटों के बक्सों को ले जाया जा रहा था उसके रवाना होने के बाद गया जंक्शन पर शीघ्र ही दूसरी गाड़ी पहुँच गई । इस गाड़ी की रक्षा के लिए सुरक्षा बल के कार्मिक साथ चल रहे थे । रेलवे अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस गाड़ी पर कुछ अपराधियों ने आक्रमण कर दिया और इस कार्रवाई में रेल सुरक्षा बल ने अपनी रक्षा के लिए दो राउन्ड गोलियां चलायीं । उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर लोहे की कुछ छड़ें पाई गयीं । आगे खोज करने पर गया में विभिन्न स्थानों से 24 राकेट और एक खाली राकेट पौड भी मिला । इसके बाद गया में सिविल पुलिस ने भी 4 और राकेट मिलने की सूचना दी है । इन राकेटों की पहचान करने और उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए वायु सेना के एक अफसर को तैनात किया गया है । उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(iii) 15-4-1982 को बरेली और मुरादाबाद के बीच नगरिया सादत रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के कोयला वैगन से 13 राकेट प्राप्त किए गये । गाड़ी

[श्री आर० वेंकट रामन]

नं० ई सी 25 अप (भटिंडा स्पेशल) के साथ यह वैगन 13-4-1982 को दोपहर बाद मुगलें सराय से रवाना हो गया था। वायु सेना के एक अफसर ने इन राकेटों को पहचान लिया है तथा सुरक्षा के लिए इन्हें एक वायु सेना स्टेशन में लाया गया है।

4. हालांकि गया में मिले राकेटों की पहचान के सम्बन्ध में वायुसेना प्राधिकारियों से औपचारिक पुष्टि की अभी प्रतीक्षा है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये राकेट भी उसी खेप में से हैं जिसमें से राकेट गुम होने का पता मुगल सराय में लगा था। अतः लापता 56 राकेटों और 2 राकेट पौडों में से इस तरह 50 राकेटों और एक राकेट पौड बरामद हुए समझे जा सकते हैं। शेष 6 राकेटों और 1 खाली राकेट पौड का रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पता लगाया जा रहा है। सिविल/रेलवे प्राधिकारियों द्वारा मामले दर्ज करा दिए गए हैं और उन पर सभी स्थानों पर जांच पड़ताल की जा रही है जहां पर ये घटनाएं हुई हैं। सरकारी रेलवे पुलिस (जी० आर० पी०) ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

5. इस घटना की जांच करने के लिये वायु सेना मुख्यालय ने जांच अदालत के आदेश दे दिए हैं।

6. धनबाद के एक होटल में डेटोनेटरों और सेफ्टी-वस्तुओं की बरामदगी की खबर के सम्बन्ध में यह संस्थापित कर लिया गया है कि सामान रक्षा सेवाओं का नहीं है। बिहार सरकार से सूचना मिली है कि 15-4-1982 को धनबाद में राज होटल में छापा मारा गया था होटल से डेटोनेटरों के 24 बक्से तथा एक सेफ्टी फ्यूजों के 2 बक्से बरामद किए गए तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजम गढ़) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। हम से बहुत से सदस्यों ने इसके लिये पूर्व सूचना दी है। दुर्भाग्य से निगमों के अनुसार केवल पांच सदस्य ही प्रश्न पूछ सकते हैं। यह एक गम्भीर विषय है जिस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अधीन विचार किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर सभा में एक औपचारिक चर्चा की अनुमति दें। यह राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बन्धित मामला है। आप विभिन्न दिशाओं में विभिन्न गाड़ियों में, कोयले में, लौह अयस्क में तथा विभिन्न स्थानों पर राकेट जाते हुए देख रहे हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है। स्वतन्त्र भारत में इस प्रकार की लापरवाही पहली बार देखी गयी है। अतः मैं आपसे एक विशेष चर्चा की अनुमति देने का निवेदन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ रह गया तो देखेंगे।

राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर है। धनबाद होटल के बारे में मन्त्री जी ने कहा कि रक्षा मन्त्रालय से वह सम्बन्धित नहीं है। माननीय मन्त्री जी उस का जबाव नहीं दे पायेंगे। तो धनबाद होटल में जो राकेट निकला है उस के लिये आप होम मिनिस्ट्री को रैफर कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : होटलों में तथा भिन्न-भिन्न कमरों में राकेट पाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं क्या होता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री भोगेन्द्र झा : मन्त्री महोदय ने गुम हुये राकेटों से सम्बन्धित, जो कि उन्होंने कहा है कि पुराने थे, कुछ घटनायें बड़े भोलेपन से बताई हैं। हम सभी इसके बारे में दो प्रकार से चिन्तित हैं। एक तो यह कि राकेट वायु सेना के थे और इनकी आवश्यकता हमारे देश की सुरक्षा के लिए पड़ती है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उन राकेटों के उपयोग की अवधि समाप्त हो चुकी थी या जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, केवल उनके इगनिटरों के ही उपयोग की अवधि समाप्त हो गई थी, राकेटों की ही नहीं। और यदि इगनिटरों के उपयोग की अवधि समाप्त हो गई थी तो उनको तो उपयोग में लाने के लिये पुनः ठीक कराया जा सकता था। महोदय, ऐसी स्थिति में जब 56 राकेट तथा दो राकेट पौड्स के गुम हो जाने का मुगल सराय में पता चला, तो स्वाभाविक है कि पूरा देश तुरन्त यह जानना चाहेगा कि मुगल सराय में उनके गुम होने का पता लगाने पर 56 राकेटों तथा 2 राकेट पौड्स का पता लगाने के लिए तुरन्त क्या कदम उठा गये।

इस प्रश्न का मन्त्री के उत्तर में कोई उत्तर नहीं है और अभी भी देश को समाचार पत्रों तथा अन्य स्रोतों से इस बात का पता नहीं चला कि मुगल सराय में राकेटों के गुम होने का पता चलने पर तुरन्त क्या विशेष कदम उठाए गये। इसके शीघ्र बाद एक सप्ताह के ही अन्दर इन स्थानों पर चूने के 9 माल डिब्बों में प्रत्येक में एक राकेट पाया गया। बोकारो को चूना पत्थर ले जाने वाले वैगनों में एक स्थान पर, व राकेट कैसे गए और उनका प्रत्येक चूने के पत्थर वैगन में एक-एक किसलिए रखा गया, सबको एक ही स्थान पर क्यों नहीं ?

इसके बाद फिर गया में 24 राकेट मिले और वे अपराधियों के एक गिरोह के पास पत्थरों के साथ थे। जब उन अपराधियों के एक गिरोह का पीछा किया गया तो उनका पीछा करने की तीव्र प्रक्रिया के दौरान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 24 राकेट तथा बाद में चार और राकेट प्राप्त किये इस प्रकार से गया में 28 राकेटों का पता चला।

इसके पश्चात महोदय. 15 अप्रैल को नगरिया सादत में कायले के वैगनों में 13 राकेटों का पता चला था। फिर धनबाद के होटल सम्बन्धी मामला भी यूं ही टालने के लिये नहीं है। हो सकता है इसका सम्बन्ध रक्षा मन्त्रालय से न हो। होटल में काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पाये गये थे जो कि पूरे धनबाद शहर का विस्फोट करने के लिए पर्याप्त थे। हम जानना चाहेंगे कि वे वहां कैसे मिले, उनका कैसे पता चला और उनके पीछे उद्देश्य क्या था। पहले यह समाचार मिला कि गया में 235 डाइनामाईट मिले। इसके पश्चात बिहार में गोपीनाथपुर में एक कोयला खान में भारी मात्रा में विस्फोटक मिले। ये सब गोपीनाथपुर (बिहार) में मिले थे।

[श्री भोगेन्द्र झा]

बिहार की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में मुझे यहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और न ही यह चर्चा का विषय है। बिहार में प्रशासन बहुत ही अयोग्य तथा अकुशल है जो कि ऐसी सभी बातों से जो देश तथा जनता के लिए चिन्ता का विषय है से पूर्ण रूप से अचिन्तित है। केवल एक ही कार्य में वह कुशल है, वह है लोगों को. गरीब लोगों को गोली मारने में। मेरे अपने जिले मधुबनी में हाल ही में 3 अप्रैल को छः कृषि श्रमिकों को गोली मार दी गई थी परन्तु एक भी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सब चीजें बिहार में पायी गयी थीं। ये सब हमारे देश की रक्षा से सम्बन्धित हैं। मैं निश्चित रूप से रक्षा मन्त्री से यह जानना चाहूंगा। उनके वक्तव्य में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वायु सेना के कर्मचारियों को 56 राकेट तथा 2 राकेट पौड्स का पता चला जो परिवहन के दौरान मुगल सराय में गुम हो गए थे। जो इन राकेटों के साथ जा रहे थे उनके बारे में क्या हुआ ? उनका क्या हुआ ? इसके बाद क्या कार्यवाही की गयी ? 56 राकेटों में से 9 को ही बोकारो क्यों ले जाया गया ?

इसके पीछे उद्देश्य क्या था ? बोकारो इस्पात संयंत्र को लाने वाली चूने की वैगनों में से प्रत्येक वैगन में एक-एक राकेट रखने का क्या मतलब था ? नगारिया में कोयला-वैगनों में पाये गये 13 राकेटों के और गया में पाये गये 28 राकेटों के रखे जाने के पीछे क्या उद्देश्य था ? विवरण के अनुसार कुछ अपराधियों ने गया में गाड़ी पर हमला किया था और उसी प्रक्रिया में गया में विभिन्न स्थानों पर राकेट पाये गये। यदि अपराधी हमला न करते तो क्या हो गया होता ? इसके अतिरिक्त, 56 राकेटों में से केवल 50 राकेट ही जब्त किये जा सकें है। देश निश्चित रूप से यह जानना चाहेगा कि शेष छः राकेटों का क्या हुआ ? क्या वे खोजे नहीं जा सके हैं ? अथवा रक्षा मन्त्री जी पुनः इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि कुछ अपराधी फिर से सक्रिय हों या कोई चोरी का मामला घटित हो, और तब जाकर ये राकेट ढूंढे जा सकेंगे ? गृह मन्त्रालय की मदद से वायु सेना को इन राकेटों को खोजने के लिए सभी यथा सम्भव प्रयास करने चाहिये।

पूरे देश को इस बात की अत्याधिक चिन्ता है कि हमारी रक्षा के लिये जरूरी ऐसे हथियार यहां-वहां, अनेक स्थानों पर प्राप्त हो रहे हैं और मुख्य रूप से बिहार में तथा उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर एक रेलवे वैगन में। क्या इतना ही कुल नुकसान हुआ है, अथवा हमारी वायु सेना और हमारी सुरक्षा सेनाओं से ऐसे और हथियार भी गायब हो रहे हैं ? निश्चित रूप से देश यह जानना चाहेगा कि क्या ये हथियार हमारे देश के दुश्मनों के हाथों में पड़ गये हैं ? हम भी निश्चित रूप ये यह जानना चाहेंगे कि क्या भारत सरकार, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय उस स्थिति में जो अब चल रही है; देश के हितों की रक्षा करने में समर्थ है और क्या वे हमारी सुरक्षा सेवाओं द्वारा अपेक्षित हमारे अस्त्र-शस्त्रों को उपयुक्त सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने में समर्थ है।

अब तक सुरक्षा सेवा अथवा भारत सरकार को एक भी राकेट अपने प्रयासों से नहीं मिला है। यह तो एक संयोग की बात है कि वे अचानक मिल गए। बोकारो में कुछ श्रमिकों ने इन्हें खोज लिया तथा कुछ अन्य राकेट गया और नगारिया मे पाए गए। इस प्रकार उन्हें खोजा

जा सका। ऐसी स्थिति में देश के हितों की रक्षा करने में सरकार को असफलता देश के सामने स्पष्ट रूप से नंगी हो गयी है।

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध है, हम देश के चारों ओर विरोधी शक्तियों से घिरे हुए हैं, पश्चिम में सीमा पर, पूर्व में अंशत: और दक्षिण में हिन्दमहासागर में मुख्य रूप से विरोधी शक्तियां हमें घेरे हुए हैं। हम इस स्थिति में हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार की चुप्पी इस बात को स्वत: दर्शाती है कि वह हमारे हितों की रक्षा करने में पूर्णत: असफल है तथा देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में देश की जनता को विश्वास में नहीं लेना चाहती।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय क्या करता रहा है। वे अपने ही बलबूते पर एक भी राकेट खोज पाने में क्यों असफल रहे ? अब तक जो छ: राकेट नहीं खोजे जा सके हैं उनका क्या बना ? उसके लिए क्या प्रयास किये गये तथा राकेटों के गुम होने के लिए पाए गए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, इस खेदजनक घटना के सम्बन्ध में सभा को जो चिन्ता है उसमें मैं भी शरीक हूं। वस्तुत: एक वैगन जिसमें पुराने और समयावधि बीते राकेट थे लेकिन फिर भी वे सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण थे और उन्हें उच्च प्राथमिकता प्राप्त थी—में भरे राकेटों को काम में प्रयोग करने लायक बनाने के प्रयोजन से एक अन्य वायु सेना स्टेशन पर ठीक करने हेतु भेजा जा रहा था। रास्ते में गया पर ऐसा महसूस किया गया कि इसके साथ कुछ छेड़खानी की गई है और इस तरह ये राकेट बोकारो को जाने वाली वैगनों आदि में मिले थे, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने इन्हें वैगनों में से चोरी से निकाल लिया और वे इन्हें गया से बाहर ले गए।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति ने जानबूझकर किया था, जिसे इस बात का पता था कि क्या हो रहा था।

श्री आर० वेंकट रामन : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मैं कल्पना का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सम्भवत: किसी व्यक्ति ने सोचा हो कि उसमें कुछ कीमती सामान है, लेकिन जब उसे पता लगा कि इसमें वैसा कुछ नहीं है; उसने किसी प्रकार इसका ऐसे निवारण कर दिया हो तथा उसने विभिन्न स्थानों पर राकेट रख दिए हों। यह एक स्पष्टीकरण हो सकता है। लेकिन मैं इस बारे में पक्की तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जिस तरह यह घटना हुई, वह यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति ने, जो गाड़ी को लूटना चाहता था तथा अपने लिए कुछ कीमती सामान प्राप्त करना चाहता था, उसने इस वैगन पर धावा बोल दिया तथा उसमें से बक्से निकाल कर ले गया; और जब उसने उन्हें खोला और यह पाया कि इन बक्सों में राकेट और उनके हिस्से रखे हुए हैं, तो उसे इस सामान का जैसे तैसे निपटारा तो करना ही था।

यह प्रश्न पूछा गया था कि सरकार ने शीघ्र ही क्या कार्यवाही की थी। वायु-सेना ने फौरन ही अपने अधिकारियों को वहां भेज दिया और स्थिति की जांच की। सरकार की पूरी की

[श्री आर० वेंकट रामन]

पूरी शक्ति रेलवे, स्थानीय पुलिस, हर कोई इसकी खोज में जुट गया। माननीय सदस्य ऐसा सोच रहे लगते हैं कि सरकार का अर्थ केवल रक्षा-मंत्रालय है। रेलवें भी सरकार का हिस्सा है, पुलिस भी सरकार का एक भाग है; बिहार की पुलिस भी सरकार का ही एक भाग है – वायु-सेना, बिहार-पुलिस, रेलवे-पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल सब के सब सक्रिय हो उठे थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : केवल चोरों को ही सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहिये।

श्री आर० वेंकट रामन : यह बात आपके बारे में लागू हो सकती है, जनाब। आपको अपने बारे में अच्छी तरह जानकारी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ऐसा मैंने नहीं किया है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : बोकारो में इसके मिलने से पहले क्या आपको इसकी निजी रूप से जानकारी थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी इस बात का उत्तर दें।

श्री आर० वेंकट रामन : निजी रूप से मैं ? निसन्देह नहीं।

श्री ए० के० राय : इसका मतलब हुआ कि यह मामला प्रकाश में नहीं आता।

श्री आर० वेंकट रामन : कृपया कोई तर्क नहीं दें। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि मन्त्री की संवैधानिक जिम्मेदारी होती। यदि कोई भी गलत होता है, तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। मेरा संवैधानिक उत्तरदायित्व है। चाहे मैं इसे जानता हूं, या नहीं हूं, लेकिन यह प्रश्न बेमतलब है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वे यह पूछ रहे हैं कि क्या आपको इस घटना की जानकारी समाचार पत्रों से मिली थी।

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा वह यह बात नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री आर० वेंकटरामन : जैसे ही वायु सेना को यह पता चला कि कुछ चीज गायब है, वायु सेना ने शीघ्र ही अपने अधिकारियों को भेज दिया, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि कितनी मात्रा में गयब है। उदाहरणार्थ, वैगन में 35 बड़े बक्से लदे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में 19 राकेटों का एक-एक पैंड था। इसके अलावा 7 छोटे बक्से थे, जिनमें प्रत्येक में छः-छः राकेट थे। उनमें से कुछ गायब हो गए थे। अतः उनका पता लगाना था; किसी भी समाचार-पत्र में प्रकाशित होने अथवा कहीं भी प्रगट होने से पहले पहला काम जो हमने किया, वह यह था कि वहां वायु सेना के लोग भेज दिए गए।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने कुछ कार्यवाही की। मैं बताता हूँ कि शीघ्र ही रेलवे-पुलिस सक्रिय हो गई और 12-13 अप्रैल की उसी रात को उन्होंने इसका पता लगा लिया।

हुआ यह था कि गोला-बारूद की गाड़ी गया से गुजर चुकी थी। तदोपरान्त चार घन्टे बाद एक और गाड़ी गया से गुजरी। कुछ लोगों ने अगली गाड़ी पर हमला किया। रेल सुरक्षा बल ने गोली चलाई और जब उन्होंने गोली चलाई तो वे भाग खड़े हुए। उसके शीघ्र बाद वे वहां से गए और उस स्थान को ढूंढ निकाला। उन्हें कुछ लोहे की छड़ें मिलीं और ये चीजें भी उन्हें मिलीं। अत: उहें शीघ्र खोज लिया गया था। सम्भवत: अन्य लोगों को इसका बाद में पता चला हो। अब, जो कार्यवाही की गई थी उसके बारे में बताता हूँ कि...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उनकी बात सुनें, फिर आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं। क्या उन्हें इनका उत्तर नहीं देना है ?

श्री ए० के० राय : उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है महोदय।

श्री आर० वेंकटरामन : इन बातों को समझना जरा कठिन काम है। अगली बात उन्होंने जो उठाई थी वह यह थी कि नौ राकेट बोकारो में क्यों रखे हुए थे। यह मैं कैसे जान सकता हूँ। यह बात आपको उन लोगों से पूछनी चाहिए, जिन्होंने राकेट रखे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : नौ एक शुभ अंक है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह बात ऐसे जानी जा सकती है कि सम्बन्धित व्यक्ति को इन चीजों का निपटारा करने की कितनी जल्दी थी। वहां कहीं कुछ चूने की वैगनें खड़ी थी और शीघ्र ही ये वस्तुएं उन चूने की वैगनों में अन्तरित कर दीं। (**व्यवधान**) यदि वह व्यक्ति वास्तव में कुछ क्षति पहुँचाना चाहता था अथवा तोड़-फोड़ करना चाहता था, तो वह इन्हें चूने के बिल्कुल ऊपर क्यों रखता। उसके पास इन्हें अन्दर घुसाने तक का समय नहीं था। मेरे पास वे फोटू हैं, जिनमें यह दर्शाया गया है कि ये वस्तुएं वहां कैसे रखी थीं। उस व्यक्ति ने इन वस्तुओं को चूने के ऊपर ऐसे ही फेंक दिया था।

अगला प्रश्न उन्होंने यह पूछा है कि इनमें से 13 बक्से नगारिया कैसे पहुँचे। जांच-अदालत सही स्थिति का पता लगाएगी; लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ बक्से मुगल सराय में चुरा लिए गए और जब उस गैंग को यह पता लगा कि यह चीजें उनके किसी काम की नहीं है, उन्होंने इन्हें वैगनों में फैंक दिया। अन्यथा इसका स्पष्टीकरण देना सम्भव नहीं है। मेरे पास रेलवे का नक्शा है प्रत्एक व्यक्ति यह बात जानता है। एक काम गया पर हुआ और दूसरा मुगल सराय स्टेशन पर हुआ। कोयले की वैगन गया स्टेशन पर नहीं थी। अत: ऐसे दो स्थान अवश्य ही होने चाहिए, जहां लूट अथवा डाकेजनी हुई है। यह एक अन्दाजा है; लेकिन लोग इसकी जांच कर रहे हैं।

फिर उन्होंने यह पूछा है कि क्या गाड़ी के साथ कुछ लोग अनुरक्षार्थ गए थे। हां जी, वायु-

[श्री आर० वेंकट रामन]

सेना के लोग अनुरक्षार्थ जा रहे थे और अनुरक्षा के नियम ये हैं कि जितनी बार भी गाड़ी रुकती है, उन्हें जाना पड़ता है, वे मार्च करते हुए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और ऐसा ही अवश्य किया गया होगा—ऐसा उचित प्रकार से किया गया था अथवा नहीं, इस बात की पूरी तरह जांच की जाएगी। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि अनुरक्षार्थ साथ जाने के सम्बन्ध में कोई चूक हुई होगी तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : राकेट किस किस्म के थे ?

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी, मन्त्री जी को पहले श्री झा को उत्तर देने दें।

श्री आर० वेंकटरामन : दूसरा प्रश्न था कि यदि इसका पता नहीं लगता तो क्या होता, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसका पता अवश्य ही लगा लिया जाता क्योंकि मुझे बताया गया है कि जब टिपलर आधार पर जाता है तो वहां एक जाली होती है और यह वहां पकड़ में आ जाता। यदि यह नहीं पकड़ा गया होता और यदि इसने उसे भी अपने साथ ले लिया होता···

श्री ए०के० राय—खड़े हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, मंत्री जी श्री झा का उत्तर दे रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : अगला प्रश्न है, क्या होता यदि यह गुजर जाता, जब वहां वाहक पट्टी होती है और वाहक पट्टी में लोग यह देखने के लिए खड़े रहते हैं कि क्या कोई असंगत सामग्री अन्दर आ रही है या नहीं। वह केवल बोल्डर इत्यादि उठाने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त चुम्बक द्वारा एक और बचाव है जो इस पर लाए जाने वाले लोहे के कणों या लोहे के टुकड़ों की जांच करता है, इस लिए ऐसे किसी भी सामान का पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद यदि ऐसा कोई सामान इस पर चढ़ जाता है तो इसमें अवश्य विस्फोट हो जायेगा लेकिन ऐसा होने का अवसर नहीं है।

अगला प्रश्न विस्फोटकों के बारे में पूछा गया है। मुझे खेद है कि इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि रक्षा विभाग के पास विस्फोटक विभाग नहीं है, और उनका उपयोग सर्वप्रथम कोयला खनन और अन्य कामों के लिए होता है। हमारे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है। सम्बन्धित विभाग से इस बारे में एक अलग प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री भोगेन्द्र झा : आपने सही उत्तर नहीं दिया है। आप 11-12 अप्रैल की रात को मुगल सराय में नहीं थे, सम्भवतः यह 14-15 अप्रैल की रात थी। सारा सरकारी तन्त्र चार दिन तक किसी बात का पता नहीं लगा सका, मजदूरों को बोकारो में इसका पता चला।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, यह गलत है क्योंकि जिस रात उन्हें पता चला और सूचना मिली, वायु सेना के लोग तुरन्त वहां गए और उन्होंने देखा कि क्या हानि हुई है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि 14-15 अप्रैल तक हमें इसका पता नहीं चला।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालासाहेब विखे पाटिल यहां नही हैं अब श्री नवल किशोर शर्मा।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय,आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय बहुत गम्भीर है। वास्तव में यह अकेली घटना नहीं है जिसमें रक्षा सामग्री की चोरी का पता चला है अथवा रक्षा सामग्री की चोरी हुई है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें रक्षा सामग्री की चोरी परिवहन के दौरान अथवा आर्डिनेन्स फैक्ट्री से सामान चोरी हुआ है। पिछले एक साल के दौरान या इससे भी कम समय में अनेक स्थानों में रक्षा सामान के मिलने के अनेक समाचार पत्रों के समाचार मेरे पास हैं। प्रायः ऐसा परिवहन के दौरान होता है। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रक्षा सामग्री और हथियारों के परिवहन के दौरान सुरक्षा के प्रबंध वास्तव में सन्तोषजनक नहीं हैं।

यदि आप अनुमति दें तो मैं एक के बाद एक ब्यौरा दे सकता हूं; और संक्षेप में मैं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का उल्लेख करना चाहता हूं, दिनांक 4 सितम्बर 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार है जिसमें बताया गया है कि जबलपुर में मालगाड़ी के एक डिब्बे से ग्रेनेड चुराया गया था दूसरा 5 जनवरी 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार जिसमें सेना के गोदाम से बहुत अधिक मात्रा में नाजुक पदार्थ गोला बारूद की चोरी हुई थी और दिनांक 13 मई 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में तीसरा समाचार है।

श्री आर० वेंकटरामन : वह क्या है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह टैंकों की बिक्री के बारे में है। दिनांक 2 फरवरी 1980 के टाइम्स आफ इन्डिया में चौथा समाचार है कि 34 पुलिस राइफलें और 13000 कारतूस गायब हैं, दिनांक 30 जुलाई 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में पांचवा समाचार है कि पूर्वी रेलवे के एक मालगाड़ी के डिब्बे से 1000 गोलियां गायब पाई गईं। 7 अगस्त 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में छठा समाचार है कि गोला बारूद के दो बक्से सेना के रेल मार्ग में पाए गए। 13 अगस्त 1981 के स्टेट्समेन में सातवां समाचार है कि भारतीय सेना के एक ही नहीं, 83 ग्रेनेड चुराए गए।

समाचार पत्रों ने ऐसे अनेक मामलों से अवगत कराया है और जहां तक मेरी जानकारी है इन समाचारों का कोई प्रतिवाद नहीं किया गया। इसलिए यह मात्र एक घटना होने का साधारण मामला नहीं है और मुझे यह बतलाते हुए खेद है, मैं श्री वेंकटरामन का सम्मान करता हूं लेकिन उन्होंने जिस हल्के ढंग से इस बात को लिया है मुझे उस पर खेद है। उन्होंने कहा है कि यह किसी एक आदमी द्वारा की जा रही चोरी का मामला हो सकता है ऐसा सोचकर कि यह कोई बहुमूल्य सामान हो और तब जल्दबाजी में प्रत्येक डिब्बे में एक राकेट रख दिया हो। ऐसा कभी नहीं होता जब भी कोई आदमी किसी चीज को बहुमूल्य समझकर चुराता है—मुझे अहसास है कि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसी हालत में वह एक डिब्बे में एक राकेट नहीं रखेगा, वह उसे एक स्थान पर छोड़ देगा वह उसे संभालने की कोशिश क्यों करेगा। एक डिब्बे में एक राकेट

[श्री नवल किशोर शर्मा]

रखने के पीछे कोई तर्क नहीं है और फिर अलग-अलग रेलगाड़ियों में ।**(व्यवधान)** होटलों के सम्बन्ध में मेरा कोई मतलब नहीं है । लेकिन मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से लेता हूं और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी भी इस तथ्य को गम्भीरता से लें कि डिब्बे चाहे लाइमस्टोन के हों अथवा कोयले के, ये बोकारो जाने वाले थे जहां भारत का महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है और इससे यह सन्देह उत्पन्न होता है...(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : बोकारो के अधिकारियों ने स्वयं कहा है कि यह इस्पात मिल को उड़ाने के लिए था ।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह एक बहुत गम्भीर मामला है और मैं चाहता हूँ कि मन्त्री जी भी इसे गम्भीरता से लें क्योंकि बोकारो में भारत की बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्री है । कुछ अराजक तत्व या लोग जो अस्थिरता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, वे ऐसे प्रयास कर सकते हैं; और वे लोग या असामाजिक तत्व जो इस देश में अव्यवस्था पैदा करने में रुचि रखते हों वे इस देश के सबसे बड़े इस्पात कारखाने में अव्यवस्था फैलाकर ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं । इसलिए श्री वेंकट रामन के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मामला इतना सरल नहीं है । गोला बारूद की चोरी जारी है । और मन्त्रालय ने इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं । लगातार चोरी की घटनाओं के प्रबन्ध के बावजूद जब रेलों से रक्षा सामान भेजा जाता है । कठोर कार्यवाही बचाव या के पर्याप्त प्रबन्ध क्यों नहीं किए जाते और यदि ऐसा कर दिया गया है तो अब मन्त्रालय का दृष्टिकोण क्या है ? क्या जब भी रेलों से रक्षा सामग्री का ढुलान किया जाता है चोरी न होने देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं ?

दूसरा मुद्दा कोयले और लाइमस्टोन के डिब्बों में राकेट की स्थिति का है । यह प्रश्न पूरी जांच की अपेक्षा करता है । सेना अथवा असैनिक पुलिस इस स्थिति में नहीं होती कि सारे मामले से सम्पर्क रख सकें । जैसा प्रायः होता है कि इसके अनेक पहलू होते हैं और हर विभाग अपनी खाल बचाने की कोशिश करता है । इसलिए वे दूसरे विभाग पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर सकते हैं । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे सारे मामले की सी० बी० आई० से जांच कराने के लिए तैयार हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सेना ।

श्री नवल किशोर शर्मा : यदि सेना भी हो मुझे मंजूर है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनके पास सेना का अलग गुप्तचर विभाग है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं चाहता हूँ कि जांच का प्रतिवेदन प्रकाशित हो या कम से कम इसे सभा पटल पर रखा जाये ताकि सारे मामले के वास्तविक तथ्यों से देश अवगत हो सके ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, माननीय सदस्य ने साफ तौर से मेरा उत्तर नहीं पढ़ा ।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मैंने उत्तर में उल्लेख किया है कि जांच चल रही है और पुलिस, रेलवे अधिकारी, सेना और रक्षा विभाग के सारे लोग इस का भंडा फोड़ करने के लिए गम्भीरता से लगे हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने इस बात से इन्कार नहीं किया है, मैंने केवल सी० बी० आई० से जांच करवाने के लिए कहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : रक्षा विभाग में रक्षा गुप्तचर विभाग भी शामिल है, और हम रक्षा गुप्तचर अधिकारियों के माध्यम से भी जांच करवा रहे हैं। उन्होंने घाटे और चोरियों की एक लम्बी सूची पढ़ी है। कुछ चोरियां हुयी थी ग्रेनेड या कुछ गोला बारूद चोरी हुआ है। कहीं-कहीं चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें मालगाड़ी का एक डिब्बा ढुलान के दौरान टूटा पाया गया इसलिए इससे हमारा बहुत गम्भीरता से सम्बन्ध है। इस घटना से पहले ही विभाग ने एक समिति का गठन किया था जो ढुलान के दौरान गोला बारूद की सुरक्षा के पहलू पर जांच करेगी। एक विचाराधीन सुझाव यह है कि क्या हमें रक्षा उपकरणों के ढुलान के लिए कन्टेनराइज्ड डिब्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कन्टेनराइजेशन इतना प्रभावी है कि इसे खोला नहीं जा सकता। इसे एक स्थान पर रखा जायेगा और दूसरे स्थान पर खोला जायेगा। साधारण डिब्बों का उपयोग करने के स्थान पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं; यह एक सुझाव है जिस पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

उसके बाद उन्होंने इस नुकसान के प्रति सरकारी रवैये के बारे में पूछा है। निश्चित तौर पर हमें बहुत खेद है कि ऐसी घटनाएं घटती हैं और जहां तक सम्भव हो हम ऐसा नहीं होने देने की कोशिश करते हैं। हम सावधानी भी बरतते हैं और सावधानी के तौर पर हमने यह सुझाव दिया है कि रास्ते में डिब्बों को तोड़ने की घटनाएं भविष्य में न हों।

मैंने जो कुछ भी कहा है रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई जांच और रेलवे तथा पुलिस द्वारा की गई जांच इस बात को सही ढंग से प्रस्तुत करेगी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यह एक बहुत छोटी घटना है या नगण्य घटना है और कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन लोगों ने अन्दाजा लगाया कि मैंने ऐसा कहा और सरकार की आलोचना शुरू कर दी। मैं केवल इतना कहता हूं कि इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया जाना है और हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। चिन्ता की कोई बात नहीं है कि रक्षा विभाग किसी भी प्रकार से संकट में हो।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पीयूष तिरकी—वह उपस्थित नहीं हैं। श्री चिन्तामणि जेना—वह भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं पुनः इस बारे में पूरी बहस की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। मैं सदन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत चलाता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप सदन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत चला सकते हैं परन्तु आपको सुझाव भी सुनने होंगे। सदन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत चलाने से आपका क्या तात्पर्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दे सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कह रहा हूं कि 3 सदस्य अनुपस्थित हैं आपको उचित चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया सूचना दें, आप भी सभापति हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपको सूचना दूंगा लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर पूरी चर्चा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, आप सूचना दे सकते हैं। सदन में गलत परम्परा न डालें। आप सूचना दें और अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करेंगे।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यह बहुत गम्भीर मामला है। कृपया इस पर विचार करें।

कार्य मंत्रणा समिति

उन्तीसवां

= उन्तीसवां प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 21 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गए 29वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाये :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 21 अप्रैल 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गए 29वें प्रतिवेदन से इस रूपभेद के साथ सहमत है कि सीमा शुल्क जो कि (संशोधन) विधेयक, 1982 के लिए 4 घंटे का समय आवंटित किया जाये।"

सीमा शुल्क जो कि हमारी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके लिए एक घंटे का

समय निर्धारित किया गया है। इस बात को देखते हुए कि आज हमारा आयात निर्यात व्यापार 15000 करोड़ रु० का है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सीमा शुल्क जो कि आज देश में भ्रष्टाचार का स्रोत बन गया है। प्रेस में इस प्रकार के अनेक समाचार छपे हैं। इसकी व्यापकता 'सन्डे' के 4 अप्रैल के संस्करण में उल्लिखित की गई है, जिसमें कहा है :

"बम्बई का नवीनतम घोटाला वह है जिसमें में संघ सरकार के निर्देशों के बावजूद बम्बई सीमा शुल्क विभाग द्वारा सूती कपड़ा मिलों के लिए मंगाये गए आयातित पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न के प्रेषणों को रोक रखा गया है"।

संघ सरकार द्वारा निदेश दिये गये परन्तु बम्बई सीमा शुल्क विभाग द्वारा उनके विपरित कारंवाई की जा रही है।

"सीमा शुल्क समाहर्ता,** दिल्ली में रिलायन्स के प्रतिनिधि,** का रिश्तेदार है, मेरा रिश्तेदार नहीं।

"सीमा शुल्क विभाग के समाहर्ता** रिश्तेदारों को रिलायन्स द्वारा नौकरी दी गई है। पिछले नवम्बर मास में** द्वारा लोनावाला में** के जन्म दिन के उपलक्ष में एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की गई जिसमें बम्बई की जानी-मानी हस्तियां उपस्थित थीं।"

मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संघ सरकार निदेश भेजती है परन्तु बम्बई में सीमा शुल्क समाहर्त्ता** उनका उल्लंघन करते हैं।

वह अपने रिश्तेदारों को रिलायन्स टैक्सटाईल्स में नौकरी दिलाता है और लाभ प्राप्त करने वाला बनता है। इन्हीं कारणों से मैं यह कह रहा हूँ कि इस पर चर्चा के लिये चार घंटे का समय चाहिये। मुझे श्री वेंकट सुब्बय्या अथवा** के विरुद्ध कुछ नहीं कहना। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। यदि यह सच है तो यह बहुत गलत है। यदि 15,000 करोड़ रु० का मामला है। सीमा शुल्क टैरिफ में घोटाला किया जा रहा है। अतः मैं विधेयक पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय चाहता हूँ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यदि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी इस अवसर पर** तथा पार्टी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। परन्तु यह तो सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम का संशोधन मात्र है। समय के सम्बन्ध में चर्चा हो गई है और कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय का आवंटन किया गया है। क्योंकि वित्त विधेयक पर चर्चा आरम्भ होने वाली है अतः मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी से अपील करूंगा कि यह बातें उस अवसर पर कहें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वे आश्वासन देंगे।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त देखूंगा और उन अधिकारियों के नाम देखूंगा जिनका उल्लेख किया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं, मुझे दुख है। यदि आप चाहते हैं कि मैं उल्लेख करूं...

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिये जो इस सभा का सदस्य नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मै महात्मा गांधी का नाम ले सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह राष्ट्र पिता हैं। उनका नाम कई बार लिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इस प्रकार भय नहीं हटा सकते। यदि आप इन मामलों में विपक्ष का सहयोग चाहते हैं तो आपको इस ढंग से काम नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

"मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 21 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 29वें प्रतिवेदन से इस रूपभेद के साथ सहमत है कि सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1982 के लिये 4 घंटों का समय आवंटित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

डा० सुब्रह्मयम स्वामी : जब भी ऐसी आय का उल्लेख किया आप उसको काट नहीं सकते। मैंने एक रिपोर्ट का उद्धरण दिया है। वे यह कह सकते हैं कि यह ठीक है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा है कि मैं हर बात को काट दूंगा। मैं सभा की कार्यवाही का नियमों के अनुसार संचालन कर रहा हूं और मुझे आशा है कि प्रोफेसर उनका आदर करेंगे।

अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 21 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए एक निर्माण कार्यालय खोलने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला चाहती हूँ। उड़ीसा राज्य में रेल मन्त्रालय का निर्माण कार्यालय न होने के कारण राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 1980-81 में राज्य में एक महत्वपूर्ण रेल लाइन अर्थात दायन्ती तथा क्योंझर गढ़ के बीच जाखपुरा-बांसपानी रेल सम्पर्क के दूसरे चरण के निर्माण के लिये आवंटन किया गया था परन्तु यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 1981-82 के वित्तीय वर्ष के पूरा हो जाने के बावजूद निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

रेल मन्त्रालय ने उड़ीसा में अनेक परियोजनाओं का निर्माण आरंभ किया है। 174 किलोमीटर रायगढ़-कोरापुट रेल लाइन उनमें से एक है। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इस रेल सम्पर्क का निर्माण बहुत आवश्यक है क्योंकि उड़ीसा के कोरापुट जिले में दमपाजोडी में विश्व के सबसे बड़े अल्यूमिनियम संयंत्र के निर्माण के लिये अपेक्षित सही सामग्री का परिवहन इस मार्ग से किया जाना प्रस्तावित है। उड़ीसा में 20 करोड़ लागत पर मंचेश्वर रेलवे वर्कशाप का निर्माण एक अन्य महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना है। कंटक-परादीप लाइन तथा मंचेश्वर रेलवे वर्कशाप के वरिष्ठ इंजीनियरों के कार्यालय तथा अन्य प्रकाशकीय कार्यालय कलकत्ता में स्थित हैं। महत्वपूर्ण कार्यालयों को राज्य से बाहर खोले जाने के कारण स्थानीय लोगों में भारी अस्तित्व पैदा होता है क्योंकि निर्माण गतिविधियों से सम्बद्ध लोगों को विभिन्न मामलों के अनुसरण के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। इस कार्य में चालू परियोजनाओं के निर्माण कार्य में बाधा आती है और लक्षित अवधि के पूर्व इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।

उड़ीसा में निर्माण कार्यालय खोले जाने से परियोजना कार्य को पूरा करने में गति मिले गीत विभिन्न निर्माण गतिविधियों से सम्बद्ध लोगों को इस से राहत मिलेगी। अतः उड़ीसा में निर्माण कार्यालय खोलने की और केन्द्र सरकार के विशेष ध्यान की आवश्यकता है।

मैं इसके संदर्भ में मांग करता हूँ कि रेल मन्त्रालय का निर्माण कार्यालय उड़ीसा में तत्काल खोला जाये।

(दो) कुतुब मीनार की सीढ़ियों की मरम्मत में विलम्ब

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी दिनों पूर्व कुतुब दुर्घटना की जांच करने वाले एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि कुतुब की

[श्री तारिक अनवर]

सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाए तथा इसके अतिरिक्त भी कई अन्य सुझाव आयोग ने दिए थे। उक्त दुर्घटना में 45 व्यक्तियों की जानें गई थीं।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा सीढ़ियों की मरम्मत के लिए सम्भवत: 22 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। यह भी जानकारी मिली है कि सरकार ने मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमेन्ट उपलब्ध कराया है किन्तु आज तक मरम्मत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। ऐसा समाचार है कि जो सीमेन्ट इस उद्देश्य के लिए है उसके वितरण में अनियमिततायें हैं। अनधिकृत व्यक्ति वहां पर गाइड हैं और किताब बेच रहे हैं।

इस प्रकार का अनैतिक कार्य करने वालों को दंडित तो किया ही जाना चाहिए, साथ ही इसके सही और पूरे तथ्य सामने आ सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा सारे मामले की जांच कराई जाए। मैं मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे सदन को बतायें कि मरम्मत आदि के कार्य में विलम्ब के क्या कारण रहे और उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है।

(तीन) समीपवर्ती राज्यों से राजस्थान के लिए अधिक बिजली देने की व्यवस्था के लिए कदम

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त को इस समय देश के सबसे बड़े विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है। सन् 1980 में कृषि क्षेत्र में किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली, सन् 1981 में 5 घंटे बिजली और सन् 1982 में 4 घंटे बिजली मिलती थी और उस समय भी वह आंख मिचौली करती थी। सन् 1980 में बड़े उद्योगों में 33 प्रतिशत कटौती, सन् 1981 में 44 प्रतिशत कटौती और सन् 1982 से 50 प्रतिशत से भी अधिक कटौती की गई। वर्षा के दिनों में तीन से चार महीने तक लगातार 100-100 प्रतिशत कटौती की गई। लघु उद्योगों में भी 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कटौती रही।

औद्योगिक उत्पादन में राज्य में सन् 1980 में 3500 करोड़ रुपए, सन् 81 में 4500 करोड़ रुपए एवं सन् 82 में 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और कृषि क्षेत्र में रबी की फसल में 25 से 30 प्रतिशत कम पैदावार हुई और किसानों को करोड़ों रुपए की हानि हुई जिसके कारण उसे भयंकर गरीबी और कर्ज का सामना करना पड़ रहा है।

विद्युत उत्पादन की कमी का मुख्य कारण कोटा अणु बिजली घर की दोनों इकाइयों का बार-बार खराब होना और साल में अधिकांश महीनों में बन्द रहना है और इस समय भी दोनों इकाइयां बन्द हैं। मध्य प्रदेश सरकार का सतपुड़ा में राजस्थान सरकार को उसका हिसाब नहीं देना है और गांधी सागर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भराव क्षेत्र में कई बांधों का बनाना और कम वर्षा का होना भी है।

राज्य को 180 से 220 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली की आवश्यकता है जबकि केन्द्र

सरकार द्वारा बदरपुर से बिजली की सहायता देने के उपरान्त भी 90 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली मिल रही है ।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह कृषि एवं उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए सिंगरौली से 30 लाख यूनिट प्रति दिन और गुजरात सरकार, जो कि विद्युत की दृष्टि से अच्छी स्थिति में है, 30 लाख यूनिट प्रति दिन लोन के रूप में दिलाया जावे ताकि राजस्थान जोकि चार वर्षों से भयंकर अकाल से प्रभावित है और जिस पर 340 करोड़ रुपए की ओवर-ड्राफ्ट है और जो बड़े उद्योग संकट से गुजर रहा है, इस संकटमय स्थिति को पार कर सके ।

(चार) राजस्थान में पलाना ताप बिजली परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दशक से प्रस्तावित राजस्थान के पलाना ताप बिजली घर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से पूरे प्रदेश में चिन्ता व्याप्त है क्योंकि पूरे प्रदेश का किसान, उद्यमी व आम उपभोक्ता स्थायी रूप से भयंकर विद्युत संकट से पीड़ित हो गया है । राजस्थान परमाणु बिजली घर की दोनों यूनिटें स्थायी रूप से बन्द हो जाने से लम्बे अर्से तक यह भीषण विद्युत संकट बने रहने की सम्भावना है ।

पलाना (बीकानेर) में लिग्नाइट कोयले के विपुल भण्डार हैं, उसमें कम से कम 50 वर्ष तक कोयला निकाला जा सकेगा । यहां के कोयले को जर्मन के विशेषज्ञों व जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने भी अनुकूल पाया है एवं ऐसी भी जानकारी मिली है कि कोयले की तकनीकी जांच हेतु इसे जर्मनी भेजा गया एवं जर्मनी से प्राप्त रिपोर्ट में भी उसे अनुकूल माना है ।

मान्यवर, पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है क्योंकि इसी के माध्यम से ही पूरे प्रदेश के बिजली संकट को काफी हद तक दूर करने में स्थायी रूप से सहायता मिल सकेगी । यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथोरिटी आफ इण्डिया तथा योजना आयोग ने इस परियोजना को आर्थिक व तकनीकी रूप से लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय हुआ स्वीकृति दे दी है । लगभग 107 करोड़ रुपये की इस योजना को भारत पूर्वी जर्मनी संयुक्त आयोग द्वारा पूरा कराने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

राजस्थान सरकार ने पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु एक चीफ इंजीनियर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर, सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर तथा कई अन्य पदों पर नियुक्तियां भी कर दी एवं प्रशासन द्वारा पलाना ग्राम पंचायत में किसी प्रकार के नये निर्माण पर रोक लगा दी गई है । वहां के निवासियों की सम्पत्ति का मूल्यांकन कर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी । संपत्ति व भूमि हस्तांतरण तथा मुआवजे की शर्तें आदि तय करने के लिए सारा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन प्रस्तुत कर दिया गया

[श्री अशोक गहलोत]

परन्तु इस स्तर पर पहुँचने के बाद इस परियोजना का कार्य अज्ञात कारणों से या तो आगे रोक दिया गया है अथवा पूरा ही बंद कर दिया गया है। इससे पूरे देश में चिंता व्याप्त हो गई है क्योंकि इसी पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट से ही लोगों को भविष्य के लिए आशाएं हैं वरना वर्तमान हालात में तो राजस्थान के कृषि व उद्योगों को ऐसी क्षति हो रही है कि उसे अविलम्ब अगर पड़ौसी राज्यों से विद्युत दिलाने में केन्द्र ने मदद नहीं की तो आने वाले कई वर्षों तक कृषि व उद्योग चौपट हो जायेंगे। कई उद्योग राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश से पलायन कर जाएंगे, नये उद्यमी साहस नहीं करेंगे व प्रदेश और भी अधिक पिछड़ता जायेगा जिसको दुबारा साधारण स्थिति में आने में कई वर्ष लग जायेंगे क्योंकि कृषि उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन दोनों ही राजस्थान में इस राष्ट्रीय उत्पादकता वर्ष में सबसे कम कर पायेंगे।

इसलिए मेरा ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि वे पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार को सभी तरह की सहायता देकर इसे शीघ्र पूरा करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाये।

(पांच) तमिलनाडु में कोडाईकनाल में एक टेलिविजन केन्द्र की स्थापना

श्री कुम्बुम एन० नटराजन (पोरियाकुलम) : तमिलनाडु में कोडाईकनाल को, जो कि एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, छठी पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन के टावर तथा केन्द्र के लिये चुना गया है। छठी योजना में चुने गए अन्य स्थान हैं, आसनसोल, कटक, पणजी, कसौली, मुर्शिदाबाद, विजय वाड़ा और बनारस। जब इस दूरदर्शन टावर तथा केन्द्र की स्थापना हो जायेगी तो यहां कोयम्बटूर तथा रामनाथपुरम जिलों के लोगों तथा तिरुनेल वेली, तिरुचिरापल्ली, सेलम तथा नीलगिरि जिलों के लोगों को लाभ पहुँचेगा। दुर्भाग्य से कार्य आरम्भ करने के लिए अभी तक आवश्यक कदम नहीं उठाये गये हैं। अभी तक भूमि के अर्जन का काम भी नहीं किया गया है।

इस बीच तमिलनाडु के तिरुनेलवेली तथा अन्य दक्षिणी जिलों में पिछले 2 महीनों से भारी मात्रा में टेलीविजन सेटों की बिक्री हो रही है। इसका कारण यह है कि वे श्री लंका के प्रसारण देख सकते हैं। श्रीलंका दूरदर्शन, जिसका नामकरण रूप वाहिणी के नाम से किया गया है, द्वारा अनेक तामिल फिल्मों तथा रुचिकर कार्टून फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है। इसकी स्थापना जापान और अमरीका की सहायता से की गई है। इन दोनों देशों ने ऐसी शक्तिशाली मशीनरी की सप्लाई की है जिसके साथ समुद्र पार तक टेलिविजन फिल्मों का प्रसारण किया जा सकता है।

यद्यपि व्यय वित्त समिति ने कोडाईकनाल दूरदर्शन टावर तथा केन्द्र की मंजूरी दे दी है और यद्यपि टावर की सप्लाई एवं उसके लगाये जाने के लिये क्रयादेश 16-11-1980 को पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय को भेज दिये गये हैं, फिर भी इस परियोजना की स्थापना नहीं हुई है। इस असाधारण विलम्ब के कारण लोगों पर श्रीलंका दूरदर्शन का अनुचित प्रभाव पड़

रहा है। इसको कोडाईकनाल दूरदर्शन टावर तथा केन्द्र की स्थापना करके ही रोका जा सकता है। इस मामले में तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें।

(छः) बिहार में लोक स्वास्थ्य रक्षा योजना को जारी रखने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 3 अक्तूबर, 1977 से देश भर में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके अन्दर एक हजार ग्रामीण जनता पर एक प्रशिक्षित जन-स्वास्थ्य रक्षक को स्वयं सेवक के रूप में बहाल किया गया और उन्हें वजीफा के रूप में 50 रुपये प्रति माह और 50 रुपए की दवा बिना मूल्य वितरण हेतु दी जाती थी। इससे सुदूर बसे ग्रामीणों की प्राथमिक चिकित्सा परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि लाभदायक कार्य किए जाते थे।

बिहार में भी यह योजना प्रथम चरण में 82 प्रखंडों में लागू किया गया है, जिसमें करीब साढ़े सात हजार प्रशिक्षित जनस्वास्थ्य रक्षक को कार्यरत कराया गया है। 1 सितम्बर, 1980 से राज्य सरकार ने वित्तीय संकट कह कर इसे बन्द कर दिया। उस समय केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत खर्च देती थी। अब केन्द्रीय सरकार ने 1 दिसम्बर, 1981 से शत-प्रतिशत व्यय वहन करना स्वीकार कर लिया है। जिसकी सूचना राज्य सरकारों को दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आदि प्रान्तों में जहां यह पहले से ही लागू था, इसे लागू रखा गया है। प्रारम्भ में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना, फिर जन स्वास्थ्य एवं सेवक योजना और अब जन स्वास्थ्य गाईड योजना नाम रखा गया है।

अतः स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि केन्द्र की ओर से पहल कर बिहार राज्य में भी साढ़े सात हजार जन स्वास्थ्य रक्षकों को कार्यरत कराते हुए इस योजना को लागू करायें।

(सात) मध्य प्रदेश में श्यामगढ़ अथवा नागदा में गैस पर आधारित एक उर्वरक कारखाने की स्थापना

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन यह उल्लेख करना चाहता हूँ —

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित खाद कारखाना स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण समिति ने अपनी राय जाहिर कर दी है। सर्वेक्षण समिति ने वरीयता के आधार पर स्थान चयन किये हैं जिसको पेट्रो रसायन एवं खाद मंत्री ने लोक सभा में घोषित किया है। इसके अनुसार प्रथम स्थान मंदसौर जिले के शामगढ़ को तथा दूसरा स्थान उज्जैन जिले के नागदा को मिला है। किन्तु विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह खाद कारखाना अन्यत्र स्थापित करने हेतु विभिन्न प्रकार के दबाव लाये जा रहे हैं जिसके कारण खाद कारखाना स्थापित करने में आगे की कार्यवाही में बाधा उपस्थित हो गयी है।

[श्री सत्य नारायण जटिया]

अतएव केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार वरीयता क्रम से विचार किया जावे तथा यथा शीघ्र कारखाने को स्थापित करने की कार्यवाही की जावे।

वित्त विधेयक, 1982

वित्त मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिये केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वित्त विधेयक में दिये गये मुख्य प्रस्तावों की विशेषताएं और बजट भाषण में थीं। बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित किये गए व्याख्यात्मक ज्ञापन में इन प्रस्तावों के ब्यौरे दिये गये हैं। इन बातों का उल्लेख करके मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता।

वित्त विधेयक लगभग सात सप्ताह से माननीय सदस्यों के सामने हैं। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान तथा बाद में माननीय सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में अनेक सुझाव दिये। उद्योग तथा व्यापार, प्रेस और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा भी अनेक सुझाव तथा अभ्यावेदन दिये गए हैं। मैं माननीय सदस्यों तथा अन्यों का जिन्होंने अपने विचारों से मुझे अवगत कराया है तथा ठोस सुझाव दिये हैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। मैंने इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया है और अपने कुछ प्रस्तावों का संशोधन किया है। विधेयक के उपबन्धों में किये जाने वाले मुख्य परिवर्तनों की मैं संक्षेप में व्याख्या करूंगा।

विधेयक में उपबन्ध है कि सेवा निवृति पर जब अर्जित छुट्टी के बदले में मिलने वाली नकद राशि को छूट मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को ऐसे मिलने वाली नकदी का काम क्योंकि सरकारी नियमों से विनियमित होता है इसलिये वित्त विधेयक में किसी अधिकतम राशि का उल्लेख नहीं जिसके लिए सरकारी कर्मचारी को छूट दी जाएगी। तथापि अन्य कर्मचारियों के मामले में छूट की राशि की सीमा 25,00 रुपये है। इन अधिकतम राशि की सीमा का निर्धारण सेवा-निवृत होने वाले केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को जमा अर्जित छुट्टी के बदले में मिलने वाली नकद राशि के रूप में मिलने वाली अधिकतम राशि के सन्दर्भ में किया गया था। केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते में हाल की वृद्धि के बाद अब तक अधिकतम राशि 30,000 रुपये होगी। अतः विधेयक में 25,000 रुपये की इस अधिकतम राशि की सीमा को बढ़ा कर मेरा 30,000 रुपए करने का विचार है।

विधेयक के अन्तर्गत अर्जित छुट्टी के बदले में नकद लाभ की छूट सम्बन्धी उपबन्ध

1 अप्रैल, 1982 से प्रवर्तित होगा। अतः यह 1981-82 तथा आगे के वर्षों के दौरान की गई अदायगियों के सम्बन्ध में ही लागू होगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, सेवा-निवृत कर्मचारियों को न ली गई अर्जित छुट्टी के बराबर नकद अदायगी करने की योजना केन्द्र सरकार द्वारा अक्तूबर 1977 को लागू की गई थी। जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1977-78 से 1980-81 के दौरान ऐसा भुगतान प्राप्त हुआ है, उन्हें छुट्टी के बदले नकद राशि लाभ मिलने के कारण आयकर का भुगतान किया जाता था। सभी सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई से बचाने की बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस नए उपबन्ध को वित्तीय वर्ष 1978-79 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, क्योंकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते में हाल की वृद्धि जनवरी, 1982 से लागू की गई है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन कर्मचारियों को, जो 1 जनवरी, 1982 से पहले सेवानिवृत हुए हैं, आयकर में छूट की सीमा अधिकतम 25,500 रुपए ही रहे जैसे कि विधेयक में प्रस्ताव किया गया है।

भारतीय कम्पनियों और गैर-निगमित करदाताओं को विधेयक के अधीन विदेशी ठेकों को उनके द्वारा पूरा करने पर हुए लाभ के 25 प्रतिशत तक की छूट है। इस बारे में कुछ आशंकायें व्यक्त की गई हैं कि उनके द्वारा लिए गए विदेशी ठेकों से प्राप्त आय पर भी आयकर अधिनियम की धारा 80-ओ के अन्तर्गत छूट दी जाये। मेरा इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रस्ताव है कि विदेशी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त धनराशि का कोई भी भाग अथवा इससे हुई आय पर आयकर अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत छूट लागू नहीं होगी। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि यह कर रियायत केवल उन मामलों में होगी, जहां परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा आती हो और परियोजना से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में लाभ का 25 प्रतिशत तक भारत में आता हो।

विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत विदेशी परियोजनाओं के निष्पादन से होने वाले लाभ के मामले में कर छूट तभी दी जायेगी जब करदाता कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करें, इनमें से एक शर्त यह है लाभ का 25 प्रतिशत के बराबर की राशि और करदाता द्वारा विदेशी परियोजना से प्राप्त विदेशी मुद्रा करदाता द्वारा उसी लेखे वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर भारत में लाया जाना चाहिए। यह बताया गया है कि कोई करदाता कुछ ऐसे कारणों से जो उसके वश के बाहर हों, के कारण 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर सकेगा। ऐसे मामलों की कठिनाई समाप्त करने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि आयकर आयुक्त को भारत में राशि भेजने की अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाए।

वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी सिक्योरिटी में अधिक जमा राशि से अधिक लाभ को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन खातों और सिक्योरिटी में धन निवेश करने वालों को कर में अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि बैंकों और

[श्री प्रणब कुमार मुखर्जी]

ऐसी सिक्योरिटी में एक वर्ष या इससे अधिक समय में जमा की अवधि पूरी होने वाले राशि पर आय को छूट दी जाये। यह रियायत बजट में घोषित रियायतों के अलावा अन्यों को भी उपलब्ध होगी। इससे वर्ष 1982-83 में लगभग 11.75 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों को अधिसूचित जमा प्रमाण पत्रों से प्राप्त ब्याज में आय कर में छूट दी जाए। यह छूट केवल वहां मिलेगी जहां कर दाता विदेशी करेन्सी या अन्य विदेशी मुद्रा ऐसे सर्टिफिकेट लेता हो। वे व्यक्ति धन कर से छूट के हकदार भी होंगे। ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपहार, जो वे भारत में अपने संबंधियों को भेजेंगे, उपहार-कर से मुक्त होंगे। साथ ही ऐसे व्यक्तियों द्वारा विदेशी करेन्सी या विदेशी मुद्रा में उपहार, जो वे भारत में अपने संबंधियों को भेजेंगे, उपहार-कर से मुक्त होंगे। मेरा प्रस्ताव है कि इन मामलों में विधेयक के उपबन्धों में संशोधन किया जाए ताकि यह लाभ उसे निवेश या विदेशों से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में उपलब्ध हो।

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, पूंजी निवेश बाण्ड धन कर से मुक्त करने का प्रस्ताव है। मैं उस संबंध में एक उपबन्ध बनाने का प्रस्ताव करता हूं कि यह छूट उस निर्धारण वर्ष के लिए होगी यदि धारक उन बाण्डों को उस विशेष तिथि से लेता हो, जिसको उसने बाण्ड जमा किए हों अथवा उस मूल्यांकन तिथि तक कम से कम छः महीने की अवधि के लिए, जो भी कम हो।

गृह निर्माण के लिए कर दाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त विधेयक में दीर्घकालीन पूंजी लाभ की छूट की है। यह रिहायशी मकान के मामले हैं। तथापि, उपबन्ध के अन्तर्गत गृह स्वामी द्वारा वाणिज्यिक सम्पत्ति को किराये पर देकर उसके हस्तांतरण के मामले में छूट नहीं होगी। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ, जो किसी पूंजी आस्तियों से हस्तांतरित हों, के बारे में विधेयक के संगत उपबन्धों में संशोधन किया जाए। कोई आवासीय मकान छूट के प्रयोजनों के लिए पात्र होगा।

प्रत्यक्ष कर के बारे में अन्य संशोधन छोटे-छोटे हैं। जैसे ड्राफ्टिंग या आनुषंगिक प्रकृति के मामले। मैं इन बातों पर सदन का समय नहीं लूंगा।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में, कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां और समस्याएं हैं, जिन्हें बजट में अन्तर्विष्ट कुछ प्रस्तावों से दूर किया जा सकेगा, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। इनको ध्यान में रखते हुए मेरा कुछ मूल बजट प्रस्तावों को संशोधन करने का प्रस्ताव है। ये संशोधन मुख्यतः विशिष्ट प्रकार के सामानों के छोटे निर्माताओं को लाभ देने हेतु किए जाने हैं। मेरे मूल प्रस्तावों के विधेयक के एक भाग के रूप में वित्त विधेयक में एक उपबंध किया गया था कि माचिसों पर शुल्क की निम्नतम दर का लाभ अर्थात 1.60 रु० प्रति ग्रुस का लाभ गैर मशीनी माचिस कार-

खानों को इन शर्तों के साथ होगा कि अन्य बातों के साथ-साथ उनका मासिक उत्पादन किसी वित्तीय वर्ष में 15 मिलियन माचिसों से अधिक न हो। यह बताया गया है कि इस शर्त के लागू होने से 19 जून, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की कई छोटी यूनिटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नियमानुसार मेरा प्रस्ताव है कि यह शर्त उक्त अवधि में लागू नहीं होगी। तथापि, यह 1 जनवरी, 1982 से लागू होगी। मुझे पक्का विश्वास है कि यह परिवर्तन खास छोटे निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। मैं वित्त विधेयक में किसी उचित समय पर ठोस संशोधन का प्रस्ताव लाऊंगा।

बजट में प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्लास्टिक की गैर वर्गीकृत वस्तुएं, जिन पर पहले उत्पादन शुल्क से छूट थी, 8 प्रतिशत मूल शुल्क के लिए देय हो गईं। यह आग्रह किया गया है कि इस शुल्क से अनेक उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि प्लास्टिक की गैर-वर्गीकृत वस्तुओं को पूर्णतः कर से मुक्त किया जाए, जो बजट तक शुल्क से कर मुक्त थीं।

छापे गए बाक्स के उन छोटे निर्माताओं को राहत देने के लिए, जिन पर बजट प्रावधानों द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं, मेरा प्रस्ताव है कि क्राफ्ट पेपर, मिल बोर्ड या स्ट्रा बोर्ड अथवा इन सबको मिलाकर बने हुए छापे गए बाक्स को पूर्णतः उत्पादन शुल्क से मुक्त किया जाए। असफाल्ट की छत की चादरें जो सस्ते मकान और ढांचे बनाने के प्रयोग में आती हैं, उत्पादन शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जा रहा है।

बजट में किए गए परिवर्तनों के विरुद्ध छोटे निर्माताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में मेरा प्रस्ताव उन सिन्थेटिक आर्गेनिक डाइस्टफ के छोटे निर्माताओं को उत्पादन शुल्क से मुक्त करने का है, जिनका प्रति वर्ष उत्पादन 2½ लाख रुपये तक है, न कि 1 लाख रुपए जैसे कि बजट में प्रस्ताव है। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि कैसेट टेप के छोटे निर्माताओं के 70 विशिष्ट वस्तुओं के निर्माताओं पर सामान्य उत्पादन शुल्क मुक्त किया जाए। कुछ कलमों और बाल-प्वाइंट कलमों तथा उत्पादन शुल्क की मद 68 के अन्तर्गत आने वाली ऐनकों को उत्पादन शुल्क से पूर्णतः कर मुक्त किए जा रहे हैं।

एक रियायत की मैंने यह घोषणा की थी कि 15 रुपये से 30 रुपए के बीच के मूल्य के जूतों पर रियायत मिलेगी। उपरोक्त रियायत के साथ ही जूतों के भागों को बनाने वालों को भी 15 से 30 रुपये प्रति जोड़ा तक छूट दी जाएगी।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने सोडा वाटर के छोटे व्यापारियों को उत्पादन शुल्क रियायत की सामान्य योजना में संशोधन किया था। नई योजना के अनुसार ऐसे लोगों को, जो अपना माल अपने फर्म या अपने नाम से देते हैं, भी सामान्य योजना के अन्तर्गत रियायत मिलेगी। तथापि, जो ऐसी फर्मों या नामों के मालिकों के साथ करार के अनुसार फर्म या नामों

[श्री प्रणब कुमार मुखर्जी]

के अन्तर्गत सोडा वाटर बनाते हैं, वे इस रियायत के पात्र नहीं होंगे क्योंकि यह परिवर्तन बिल्कुल बचाव विरोधी उपायों के रूप में है, यह आग्रह किया गया है कि देश के विभिन्न भागों में ऐसे कुछ छोटे सोडा वाटर के बाटलर्स हैं, जो लोकप्रिय फर्मों के नाम से सोडा-वाटर बनाते हैं और इसलिए संशोधित योजना से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संशोधित योजना का मूल ढांचा बनाए रखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे छोटे बॉटलर्स के सम्बन्ध में मूल उत्पादन शुल्क को 40% के सामान्य स्तर से घटाकर 20% कर दिया जाए।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जो 'सिन्थेटिक रिजाइन' और प्लास्टिक से संबंधित है, की मद 15क की उप मद (1) को कर मुक्त रखने का प्रस्ताव किया था। यह राष्ट्रीयकरण करने का एक तरीका था। यह बताया गया है कि कुछ ऐसे सामान पर, जो मद 15क के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं होगा, पर 40% मूल शुल्क लगाने से उद्योग के भागों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार मेरा प्रस्ताव क्लोरीन-युक्त रबड़, इस्टर गोंद तथा डेक्सट्रान पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की रियायती दर निर्धारित करने का है। इसके अलावा, जब क्लोरीनयुक्त रबड़, इस्टर गोंद तथा नाइट्रो-सेतलुलोज का इस्तेमाल पेन्ट आदि का निर्माण करने हेतु किया जाता है, और जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद सं० 14 के अन्तर्गत आता है, तो उन पर देय शुल्क को अनुमति दी जा रही हैं। इसी तरह लिनोक्सीन तथा इस्टर गोंद को भी शुल्क से मुक्त किया जा रहा है जिसका कि निर्माण करके लिनोलियम तथा पेण्ट्स, वार्निस आदि के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।

यह अनुरोध किया गया है कि आयातित विस्कोस फिलामेन्ट धागे पर शुल्क में मूल्यानुसार पांच प्रतिशत की वृद्धि से सस्ते कृत्रिम रेशम के वस्त्रों की लागत में वृद्धि आएगी। अतः मैं ऐसे धागे पर अतिरिक्त शुल्क में इस वृद्धि को वापस लेता हूं।

मुझे इस पर संतोष है कि इस वर्ष जिसे 'उत्पादकता वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मैंने कुछ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, उसका बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है। फिर भी, इस बात का अनुरोध किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत कुछ और ज्यादा वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए और इस योजना में कुछ संशोधन किए जाने की मांग की गई है। वित्त विधेयक लागू होने के बाद इस सम्बन्ध में नियमों को अधिसूचित करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि छोटे इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित लौह पिण्डों, लौह तथा स्टील के उत्पादों, कागज की विभिन्न किस्मों, सिंथेटिक रबड़, पैण्ट, वार्निश आदि और बिजली के बल्बों को हम योजना के अ तर्गत लाए जाने का निर्णय किया गया है।

अभी-अभी मैंने जिन अप्रत्यक्ष करों में छूट तथा राहत की घोषणा की है उसके फलस्वरूप

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में वर्ष भर में 3.68 करोड़ रुपये तथा सीमा-शुल्क में 80 लाख रुपये की कमी होगी। इस सम्बन्ध में रियायतें देने के बारे में अधिसूचनाएं आज जारी की जा रही हैं। इनकी प्रतियां यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे वित्त विधेयक, तथा मेरे प्रस्तावित संशोधनों सहित, इसका समर्थन करें।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त विधेयक, 1982 पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया जाता है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

वित्त विधेयक, 1982 की सभी तीनों अवस्थाओं के लिए पन्द्रह घण्टों का नियतन किया गया है। यदि सभा सहमत हो तो हम ग्यारह घण्टे सामान्य चर्चा के लिए, तीन घण्टे खण्डवार विचार हेतु तथा एक घण्टा तृतीय वाचन के लिए नियत कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी। आपके दल को 39 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आप इसे पूरी संख्या बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी से दो सदस्य बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मैं कोई समय बाकी रहने दूंगा तभी···

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर करता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस वर्ष की बजट प्रक्रिया की अन्तिम अवस्था में पहुँच गए हैं और संसद से अब कहा जा रहा है कि वह हमारा समर्थन करे जिसे मैं एक निरर्थक बात मानता हूँ। मैं इसे निरर्थक इसलिए कह रहा हूँ कि यह बजट जैसा कि इसका मूल रूप से प्रस्ताव किया गया था अथवा इसमें जो हाल में संशोधन किए गए हैं, उनका इस देश में, इसके अधिसंख्य लोगों से, जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह सरकार काम करने का वायदा करके सत्ता में आई थी और हम देखते हैं कि इस

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

बात में कोई सन्देह नहीं है कि वे ओवर टाइम पर काम कर रहे हैं—जिसका तात्पर्य है, विशेष वेतन—इस देश के सामान्य लोगों पर अधिक-अधिक भार डालकर इस देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के साथ समझौता किया गया है और निहित स्वार्थों के लिए सम्पन्न वर्गों को अधिक से अधिक रियायतें दी गई हैं तथा भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया गया है और देश में अब तक के केन्द्र—राज्य सम्बन्धों के बीच विद्यमान संतुलन को ताप पर रख दिया गया है।

माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक उनके बजट प्रस्तावों में अन्तर्विष्ट तथाकथित उपलब्धियों को विधायी स्वरूप देने तथा संसद की स्वीकृति लेने के लिए है। किन्तु बजट में वास्तव में क्या कुछ उपलब्ध कराया गया है ? वे क्या-क्या उपलब्धि प्राप्त करने से सफल हुए है ? हम क्या देखते हैं और सामान्य लोग क्या देख रहे हैं कि उन्होंने हम सरकार के मात्र आर्थिक दिवालिएपन को सभा पटल पर रखा है जिसे मैं भद्दा घोषणा पत्र मानता हूं। हमारे वित्त मन्त्री युवा, उत्साही तथा वफादार व्यक्ति हैं। हम उन्हें यहां पाकर प्रसन्न हैं। किन्तु, दुर्भाग्य से उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का परिणाम भुगतना पड़ रहा है जो एकाधिकार पूंजी तथा बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के मेल से पैदा हुआ है। हम व्यर्थ ही इस बजट भाषण तथा बजट प्रस्तावों को पढ़ रहे हैं। किन्तु हमें इससे न तो कोई ऐसा दिशा-निर्देश मिलता है जो इस अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बना सके अथवा जो लोगों को संकट की स्थिति, जिसमें वे फंसे हैं से निकाल सके। यह बजट उद्देश्यहीन और शिथिल है तथा हमारे अनुसार हम 'पेडेस्ट्रियन' बजट में आम लोगों, बेरोजगारों तथा गरीबों की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बेसहारे छोड़ दिया गया है। वे इस सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के शिकार होते आए हैं जो कि हमारे अनुसार आप लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए नहीं है।

पोस्टरों में तथा 1980 के चुनावों के दौरान यह कहा गया था कि यदि यह पार्टी चुन ली जाती है, तो सत्ता में वापस आने पर मुद्रास्फीति को रोकने तथा मूल्य में कमी करने के लिए कदम उठायेगी। किंतु अब इन 2½ वर्षों के दौरान उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए लोगों का सरकार के बीच विश्वास उठ गया है। सत्तारूढ़ दल, जो यदि कुछ भी काम कर रहा है, वह कार्यक्रमों और नीतियों के अनुसार काम नहीं कर रहा है अपितु, वह तो एक व्यक्ति मात्र के इशारे पर काम कर रहा है जो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की अपेक्षा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने में ज्यादा व्यस्त रहता है। वे खाद्यान्नों की अपेक्षा सीमेन्ट में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब हम यह कह दिया करते हैं कि वे दयानात्मक नीतियों तथा असंवैधानिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम न केवल सामान्य रूप से लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति को बिगड़ते देखते हैं अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक सेवायें बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता देख रहे हैं जो किसी भी रूप में कोई छोटी बात नहीं है अपितु पश्चिम बंगाल में कल्पित तथा झूठे आधारों पर चुनावों को टालने का घृणित प्रयास किया गया है।

मुद्रा स्फीति को किस प्रकार रोका जा रहा है और नियंत्रणाधीन मुद्रा स्फीति के तथाकथित लाभ किस प्रकार लोगों को उपलब्ध कराये जाते हैं ? उनको प्रचार और आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं किन्तु सस्ती दरों का खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता । जब वे बाजार पहुंचते हैं, तो उन्हें मूल्यों में कोई कमी नजर नहीं आती और ऐसा लगता है कि के लोगों साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है । बताया जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक में कमी आ रही है किन्तु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह कमी नहीं दिखाई देती । ऐसा लगता है कि सरकार संतुलन खो बैठी है, और वह लोगों की भावनाओं को महसूस नहीं करती। कारण है किवे अपने बनाए हुए आंकड़ों के आधार पर एक कल्पनापूर्ण स्थिति पैदा करना चाहती है और अपने प्रचार, अपने तंत्र के जरिए यह बात फैलाने की कोशिश कर रही है कि हां इस प्रकार के आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल की हैं, किन्तु तथाकथित लाभ निचले वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं । यह कहने में क्या लाभ कि मुद्रा स्फीति की स्थिति आ गई है अथवा उसमें ह्रास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है ? यहां तक कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह बताया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच भारी अन्तर है । मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच तालमेल तक बिठाने में असमर्थ रहे है । अतः यह किसके लाभ की बात है और इसका लाभ कौन-कौन लोग उठा रहे हैं ?

महोदय, यदि सरकार का यह दावा कि थोक मूल्य सूचकांक में कमी आ रही है, सही है तो इससे यह बात प्रकट होती है कि थोक विक्रेता तथा बिचौलिए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा रहे हैं क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक में कमी के कारण उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है ।

यदि यह स्थिति है तब इस सरकार द्वारा उसका क्या समाधान निकाला जा रहा है ? क्या किसी व्यक्ति का बजट भाषण, जो माननीय वित्त मन्त्री ने उस दिन दिया था, के इन 48-50 पृष्ठों मे कोई स्पष्ट नीति अथवा प्रयास नजर आ रहे हैं, जो सरकार करने वाली है ?

महोदय, मैं उस स्थिति पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं हूं । प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा । हमारा तो इस सरकार पर यही आरोप है कि इसने उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में कमी करने हेतु न तो कोई साहस किया है न ही राजनीतिक अथवा प्रशासनिक कदम उठाए हैं बल्कि हमने व्यापारियों बिचौलियों तथा थोक विक्रेताओं को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं में अथाह लाभ तथा अनुचित लाभ कमाने की छूट दे रखी है । सरकार केवल धनवानों की रक्षा कर सकती है, वह गरीब लोगों को नहीं बचा सकती । यही कारण है कि अब तक अपनाई गई आर्थिक नीतियों से इस देश के आम लोगों को, जिनका बड़ा प्रतिशत अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, जिसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, कोई

(श्री सोमनाथ चटर्जी]

राहत नहीं मिली है और कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा गम्भीर चिन्ता और प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा कर सकता है ।

कोई भी आशा कर सकता था कि लोगों को खाद्यान्न तथा आवश्यक जरूरतें पूरी करने का दायित्व सरकार का है, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की वामपन्थी सरकारें लम्बे समय से केन्द सरकार से मांग करती आ रही हैं कि उसे राज्य में लोगों को सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करने हेतु न कि निर्यात के लिए अनुदान दिए जाएं तथा राशन की दुकानों के जरिए समाज के गरीब लोगों के लिए खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं दी जाएं । हम यह मांग करते आ रहे हैं कि देश भर में लोगों को खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुएं समान दर से मिलनी चाहिएं । आप उन्हें कम से कम समाज के इन वर्गों के लिए इस पर विचार करना चाहिए । हम व्यवस्था में, यहां खाद्यान्न के क्षेत्र में निजी व्यापारी लगे हैं, यहां बडे व्यापारी लगे हैं जो अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जहां आम लोगों पर बड़े से बड़ा बोझ पड़ा है, हमें ऐसा कोई तरीका दिखाई नहीं देता जो इस सरकार द्वारा अपनाया जा सके । पूंजीवादी व्यवस्था में, हम लोगों को कोई तात्कालिक राहत नहीं मिली है । सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है । अनेक अवसरों पर हमें बताया गया है कि कुछ उचित दर दुकानें खोली जानी हैं । किन्तु सम्पूर्ण लोगों के लाभार्थ अथवा सप्लाई सुनिश्चित करने अथवा मूल्य को इस स्तर तक लाने के लिए कि वह आम लोगों की पहुंच के भीतर हों, कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं ।

लोग आंकड़ों से तंग आ गये हैं, हम आंकड़े नहीं चाहते हैं, हमें देखना चाहिए कि इस देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है । लगता है कि अब कोई मौका नहीं रह गया है । सरकार बड़े व्यापारियों और उनके मित्रों के वसीभूत हो रही है और उनके संरक्षकों ने किए जा रहे इस प्रस्ताव की निरन्तर मांग के प्रति पूर्णतया उदासीनता दिखाई है, इसका परिणाम यह निकला कि मंहगाई बढ़ रही है, आम आदमी भूखे मर रहे हैं और जनता का एक वर्ग भारी लाभ कमा रहा है । मैं नही जानता ऐसा कब तक चलता रहेगा । यदि वे समय की हवा को नहीं पहचानते तो वही जाने । परन्तु यह बताना हमारा कर्त्तव्य है कि लोग इसी स्थिति को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करेंगे ।

इसलिए हमारी मांग है कि सरकार को शीघ्र ही एक उचित कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करनी चाहिए । महोदय, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है और साथ ही साथ गरीबों को भेड़ियों के मुंह के आगे डाल दिया है । यह उचित रवैया नहीं है । इस सरकार के श्रेणी स्वरूप को देखिए, सरकार गरीब व्यक्तियों के प्रति जो रवैया अपना रही है, उसे देखिए । काम के बदले अनाज कार्यक्रम को देखिए । सरकार का रवैया ऐसा है कि समूचा कार्यक्रम पूर्णतया विफल होने की स्थिति में आ गया है, वे ग्रामीण निर्धनों की बातें करते हैं परन्तु वे ग्रामीण व्यापारियों के दुखों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों की कोई सहायता नहीं करते हैं । हमारे अनुसार, हम इसका श्रेय भी लेते हैं, पश्चिम बंगाल में जनता के सहयोग से काम के बदले अनाज

कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों की कठिनाईयों को काफी हद तक दूर करने में सहायता मिली है। हमने बेरोजगारों अथवा अर्द्ध बेरोजगारों के लिए आय का स्रोत मुहैया किया है; काम के बदले अनाज कार्यक्रम से ग्रामीण बेरोजगारों अथवा अर्द्ध बेरोजगारों को साल में तीन से चार महीने अतिरिक्त काम करने का मौका मिला है परन्तु कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और ग्रामीण लोगों की सहायता करने के पश्चिम बंगाल सरकार के सफल प्रयास की प्रशंसा करने के स्थान पर हम पाते है कि केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम को जिसका नाम अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है, पूरी तरह से विफल कर रही है।

इस कार्यक्रम को नया नाम देते समय कठोर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ; केन्द्र ने ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की है कि पिछले दो वर्षों के दौरान, पंचायतों से जो लोकतंत्रीय ढंग से निर्वाचित निकाय हैं, काम कराना असभव हो गया है। इससे गरीब लोगो की दशा को सुधारने के हमारे प्रयास का धक्का पहुचा है, केन्द्रीय सरकार ने एक असाधारण निर्णय लेकर काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई में भारी कटौती कर दी है। इससे वह कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त हो गया है जो ग्रामीण क्षेत्र में एक अधिक महत्वपूर्ण निर्धनता रोधक कार्यक्रम था।

कुछ दिन पहले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते समय राव बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जहां तक कांग्रेस (ई) द्वारा शासित राज्यों का संबन्ध है, मत्रालय ने यह नोट किया है कि इस कार्यक्रम पर कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया है और निर्धारित कार्यक्रम से हट कर काम किया गया है और ठेकेदारों के विरुद्ध अनेक शिकायतें की गई हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल में यह बात बिल्कुल विपरीत है। वहां इस कार्यक्रम को ठेकेदारों द्वारा क्रियान्वित नहीं कराया गया बल्कि पंचायतों द्वारा कराया जाता है।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : अपने दल द्वारा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मेरी पार्टी पंचायत में है तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : वह यह नहीं चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठेकेदार आपके हैं इसलिए आप ठेकेदारों पर निर्भर हैं। मैं पंचायतों र निर्भर हूं ; जनता ने हमें पंचायतों में जिताया है···(व्यवधान) आप ठेकेदारों के साथ रहें, आप जलपाईगुडी जायें और चुनावों के दौरान ठेकेदारों के बारे में बोलें···(व्यवधान)।

आप आगामी चुनावों के दौरान ठेकेदारों और चाय बागान मालिकों के बारे में बोलिए। हम यह जानकर बड़े प्रसन्न हैं कि उनके दल ने श्री संतोष मोहन देव को आगामी चुनावों के

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

दौरान उत्तर बंगाल में जाकर बोलने का काम सौंपा है। मैं चाहता हूं कि वे चाय बागान मालिकों के साथ ठहरें और उनकी वातानुलित कारों में यात्रा करें, उनके श्रोता नहीं मिल सकते हैं पर रात को उनको अच्छा भोजन मिलेगा ···(व्यवधान)।

यदि हम चाहते हैं कि इस देश के निर्धन लोग निर्धन न रहें तो हमें कम से कम उन्हें अतिरिक्त काम दिलाने, अतिरिक्त वेतन, आय दिलाने, खाने के लिए भोजन जुटाने जो उन्हें वर्ष के लगभग 6 महीने नहीं मिलता है, के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। इस कार्यक्रम के लाभ इस देश के लोगों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं दिये जा रहे है। वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में पश्चिम बगाल के लोगों को इस कार्यक्रम के लाभों से वंचित रखना है और उनके लिए कोई बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करना है। मुझे दुख है कि लोगों की निर्धनता और भूख को कम करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनके साथ केन्द्रीय सरकार राजनीति खेल रही है। जब मैंने यह कहा है कि बजट का कोई अर्थ नहीं रह गया है तो इसका कार्य करने का ढग क्या है, एक बात जो मेरे दिमाग में है वह कार्य करने का ढंग है जो केन्द्रीय सरकार बजट प्रस्तावों से बाहर संसाधन जुटाने के लिए काम में ला रही है। यह एक ऐसा तरीका है जो लोगों को यह बतलाने के लिए अपनाया गया है कि बजट में कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया है। और यदि उत्पादन शुल्क के जरिए नए कर नहीं लगाये जाते हैं तो कोई भी राज्य सरकारों को उनका भाग देने से इनकार कर सकता है। इसलिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह बहुत आसान है। आप यह कहकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि बजट कर केवल 590 करोड़ रुपये का है; कोई नया अप्रत्यक्ष कर नहीं लगेगा, केवल कुछ करोड़ रुपये का कर उन वस्तुओं आदि पर लगा है। जहां तक अन्य बातों का संबंध है कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा है। आपने दिसम्बर 1981 में अतिरिक्त रेलवे भाड़ा और अन्य करों द्वारा 320 करोड़ रुपये का कर लगाया है और फिर बजट से पूर्व इस वर्ष डाक सामग्री शुल्कों द्वारा 100 करोड़ रुपये का कर लगाया है। इस प्रकार 420 करोड़ रुपये का शुल्क लगाया है। यदि रेलवे बजट अथवा सामान्य बजट में यह कर लगाये जाते तो लोग कहते कि बहुत अधिक कर लगाये गये हैं। केन्द्रीय सरकार यकायक के धक्के से बचाने के लिए जो तरीका अपना रही है मुझे वैसा नहीं करना चाहिए।

इस प्रक्रिया में बजट से पूर्व कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक जैसी वस्तुओं के मूल्य में कार्यकारी निदेशों और आदेशों द्वारा मूल्यों में वृद्धि की जा रही है। उन्हें बजट से अलग रखा जा रहा है। इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि इनको बजट से बाहर रखा जा रहा है और इसके लिए वित्त मन्त्री महोदय को शाबाशी दी जा रही है परन्तु वे इसको वास्तविक प्रशंसा न समझें, आप जानते हैं कि संविधान के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क का बटवारा केन्द्र और राज्यों में होना होता है हम समझते हैं कि सातवें वित्त आयोग ने यह निर्धारित किया है कि 40 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राज्य सरकारों में बांटी जाये। यदि उत्पादन शुल्क में

300 करोड़ रुपये अथवा 200 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है तो राज्यों को शीघ्र ही आनुपातिक रूप से उसका 40 प्रति त भाग मिलता है, इस लिए केन्द्र मूल्य वृद्धि का समूचा लाभ लेने के लिए यह तरीका अपना रहा है।

हमारे भूतपूर्व और वर्तमान वित्त मन्त्री यह धारणा पैदा कर रहे हैं कि उनके मन में लोगों के लिए चिन्ता है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिश को नजरअन्दाज किया जा रहा है। राज्य सरकार को कोई हिस्सा नही मिलता है। केन्द्रीय सरकार सब कुछ ले लेती है। आप इस पर विचार करिए ; अतिरिक्त अप्रत्यक्ष करों द्वारा 590 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव रखे गए हैं, डाक शुल्कों में वृद्धि द्वारा 35 करोड़ की आय की वृद्धि की गई है और रेलवे बजट द्वारा किराया तथा माल-भाड़े में 262 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। अन्य राशि बजट से पहले की है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के नामपर 1300 करोड़ रुपए तक के कर लगाये हैं, इसके अलावा इसमें आपने 1300 करोड़ घाटे का वित्त जोडना है, 1300 करोड़ रुपये के नए कर लगाने हैं, इस वर्ष के बजट में 1165 करोड़ रुपये की ऐसी राशि है जो घाटे की अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं की गई है। कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी मात्रा में घाटे की जो अर्थ-व्यवस्था पूरी नहीं की गई है और जो इतनी बड़ी मात्रा में कर लगाये गए हैं उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पडेगा ? यह उनके दुखों को बढ़ायेगा। इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और आम आदमी पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा तथा नए अप्रत्यक्ष कर लगाने पड़ेंगे।

मैं नहीं जानता कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत कम प्रतीत होता है, परन्तु यदि हम आम लोगों के बारे में सोचें तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे।

मैं जानता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के परिणामों और उसकी शर्तों के बारे काफी चर्चा हो चुकी है। यह न कहकर मैं अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर रहा हूं कि अन्तर्रा-ष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें मानने से क्या परिणाम होंगे। अनेक सदस्यों ने जो भय तथा शकाएं जारी की हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के मानने से हमारी आर्थिक नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वे सब उचित सिद्ध हो चुकी हैं। यह बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुदा कोष द्वारा प्रायोजित है तथा उसके कहने के अनुसार बनाया गया है। हाल में बनाई गई अचानक निर्यात नीति से इस कथन को बल मिलता है।

इस समय आप हंस रहे हैं। यदि आप और अधिक समय तक मंत्री बने रहे तो हम देखेंगे कि अन्तोगत्वा क्या आप हसते ही रहेंगे। हमें देखना है कि देश में क्या होता है। देश प्रेम और वृद्धि पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। यह बात हर एक को ध्यान में रखनी चाहिए।

स्थिति यह है कि 5 अप्रैल को हमने देखा कि आयात-निर्यात नीति किस प्रकार से उदार बनाई है गई है। इससे पहले अवसर पर हमने कहा था कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आश्वासन दिया है कि आयात को उदारीकृत करने के उद्देश्य से 1982-83 और 1983-84 के लिए महत्व पूर्ण कदम उठाये जायेंगे और 5 अप्रैल की हाल की निर्यात-आयात नीति से वह सिद्ध हो गया है। हमारी आशंका, जिसके बारे में हम निश्चित हैं, वह यह है कि उसका प्रभाव भारत की अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक होगा। 1976-77 के बाद भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में गतिरोध आ गया है। इस समग्र गतिरोध की अवधि के दौरान, सोवियत संघ तथा समाजवादी देशों के निर्यात को छोड़कर 1976-77 और वर्तमान समय क बीच वास्तविक अर्थ में पूंजीवादी देशों को किए जाने वाले निर्यात की मात्रा वस्तुतः घटी है।

अब हालत यह है कि विकासशील पूंजीवादी देश संरक्षण की नीति अपना रहे हैं और वहां मंदी चल रही है। वे हमसे आयात नहीं कर रहे हैं। अब हम उन्हें और अधिक मात्र निर्यात करने की स्थिति में नही हैं, किन्तु हम उन्हें रियायत दे रहे हैं ताकि वे हमारे देश को निर्यात कर सकें। इससे भुगतान सन्तुलन और अधिक बिगड़ेगा। ऐसा तो होगा ही। हमने जो आशका व्यक्त की थी वही हुआ है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इच्छा तथा नीति के अधीन नहीं किया जा रहा है। यह साबित हो चुका है। हम देखेंगे कि क्या स्थिति होती है।

इस समय उदारीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसका पूर्ण प्रभाव यह होगा कि 3 वर्ष की अवधि के दौरान आयात किये जाने वाला माल 5,000 करोड़ 60 तक बढ़ जायेगा, और मोटे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण की राशि भी इतनी ही है।

दूसरे अर्थ में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तीन वर्ष की अवधि के दौरान उधार ली गई राशि मुख्य रूप मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इच्छानुसार अतिरिक्त निर्यात किये जाने में व्यय होगी और आयात उदारीकृत उपाय अपनाने का समय भी लगभग उसी समय तक समाप्त होगा।

देश में अब वही होगा जिसकी हमने आशंका व्यक्त की थी अर्थात हमारा देश ऋण के शिकंजे में आ जायेगा और हमारा देश बहु-राष्ट्रिक दैत्यों के लिए खेल का मैदान बन जाएगा और उन्हें हमारे देश के लोगों की कीमत पर सारा लाभ उन्हें प्राप्त होगा।

उद्योग मंत्री द्वारा कल जिस नीति की घोषणा की गई है, वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जी हुजूरी का एक उदाहरण है। औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में अब छूट दी गई है। बड़े व्यापारों को बड़ी रियायतें दी गई हैं। अब वे कोर क्षेत्र में प्रवेश कर रह हैं जो अब तक उनके लिए खुला नहीं था। ये सब किसके लाभ के लिए किया जा रहा है? हम अपने सरकारी क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मन्त्री श्री वेंकटरमण—मुझे उनके शब्द याद हैं—यदि मैं कहीं भूलूं तो वह दुरुस्त कर देंगे - कहा था कि "अपनी अर्थ व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र को सदा महत्वपूर्ण स्थान

दिया जाएगा :" क्या ऐसा किया जा रहा है ? क्या हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं ? जब हम बहुराष्ट्रिकों और बड़े व्यापारियों को आमन्त्रित करते हैं तब कम से कम व्यय से किसको अधिक से अधिक लाभ होता है । आज देश में श्रमिक शक्ति उत्तरोत्तर कम हो रही है, उन्हें खेतिहर बनना पड़ेगा । कल श्री तिवारी यह घोषणा करते हुए बड़े प्रसन्न थे कि उन्होंने इस देश की जनता को नहीं बल्कि अपने वास्तविक मालिकों को संतुष्ट कर लिया है ।

अत: आज यह बजट पेश किया गया है । जैसा हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है। हमारा बजट एक नए लोकतंत्र के समान है । अपना बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बजट है किन्तु दुर्भाग्यवश भारत की जनता के लिए है और जो अपने वित्त मन्त्री द्वारा पढ़ा जायेगा ।

हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि वित्त मन्त्री अथवा माननीय वित्त मन्त्री एक मुंशी हो गए है और वास्तविक बड़ा मन्त्री तो वाशिंगटन में है और एक नौकर के समान उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इच्छाओं का पालन करना पड़ता है और कार्यान्वित करना पड़ता है । यदि आप उसे ठीक समझते हैं, तो आप समझा करें । किन्तु हम इसका भंडाफोड़ करते रहेंगे । हम विरोध करते रहेंगे क्योंकि विश्वासपूर्वक तथा गम्भीरतापूर्वक हम ऐसा महसूस करते हैं कि यह अपने देश के हित में नहीं है । आप देश को बेच सकते हैं लेकिन हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे और हम अपना कड़ा विरोध सदा दर्ज कराते रहेंगे । आज की स्थिति यह है कि बड़े व्यापारियों को रियायतों पर रियायतें दी जा रहीं हैं । जन साधारण को जो कुछ मिलता है सबसे बाद में मिलता है ।

आज हम "श्रम एव जयते" का आधुनिकतम नारा सुनते हैं । हमें याद दिलाया जाता है कि वर्तमान वर्ष उत्पादकता वर्ष और उत्पादन बढ़ रहा है । लोग मेहनत करें, खून पसीना बहायें किन्तु उसका फल श्रमिकों को नही मिलता । उसका फल बड़े-बड़े व्यापारी और पूंजीपति प्राप्त करते हैं । माननीय मंत्री यदि वास्तव में इस देश के जन साधारण की स्थिति सुधारना चाहते हैं, यदि आप पूर्ण रूपेण पूंजीपतियों तथा बड़े एकाधिकार पूंजीपतियों एवं बहुराष्ट्रिकों के चाटुकार नहीं रहना चाहते हैं तो सारी स्थिति में मूल परिवर्तन करना होगा । वह परेशान कर रहे हैं ।

इस देश में भ्रष्टाचार का बोल-बाला है । आज यह संस्थागत हो गया है और यह सर्व-व्यापक होता जा रहा है । शासक दल के मुख्य मन्त्री पर आरोप है । उनके अपने दल के सदस्यों तथा पी० ए० सी द्वारा जहां वे अन्य मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के विरुद्ध बहुतायत में हैं, गंभीर शिकायतें की गई हैं और आरोप लगाये गये हैं । एक दिन यह भी शिकायत की गई थी कि बिहार में गिरफ्तारी किस प्रकार वापिस ली गई, आदि-आदि ।

मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं । हम देखते हैं कि गम्भीर विस्फोटक स्थिति है । एक दिन

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

और, दिनांक 11,अप्रैल 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में एक समाचार था—मुझे इन सब का उल्लेख करने का समय नहीं है। किन्तु मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि यदि वह उचित समझें तो वह अपनी सरकार की अथवा आपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दें मैं ऐसा करने के लिए उन्हें आमन्त्रित करता हूं।

देश में व्याप्त कालाधन और भ्रष्टाचार को निमन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? उनके प्रति कोई कार्यवाही न करने का कारण हमें ज्ञात है, स्तष्टतः सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। किन्तु यदि कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया तो यह अपने देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर देगा। क्या मैं एक बार पुनः इस देश की बड़ी संस्था जिसे संचयिता इन्वेस्टमेंट कहा जाता है की ओर ध्यान दिला दूं। माननीय मन्त्री जी ने बचत पर जोर दिया है। वह अधिक से अधिक बचत करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की चेष्टा कर रहे हैं। बचत की जाए किन्तु ऐसे बदनाम सट्टेबाजों के पास नहीं, ऐसे बदनाम प्रचालकों के पास नहीं जिन्होने निवेश के नाम पर लोगों का करोड़ों रुपया लिया है। अनेकों लोग ठगे गये हैं साधारण व्यक्ति इस प्रलोभन में ठगे गए हैं कि उन्हें 45 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा, जो वैधानिक रूप से अथवा ढग से व्यापार नहीं कर रहे हैं वही इतना ब्याज दे सकते हैं। वे लोगों की डाक बचतों में अथवा किसी प्राधिकृत बचत संगठनों में पूंजी लगाने के प्रति प्रेरित न कर अपने पास पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आज कम से कम एक सौ करोड़ रुपया प्राधिकृत बचत माध्यम से छिन कर इन बदनाम प्रचालकों के पास जाकर बर्बाद हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने कटुतम आलोचना की है। माननीय मन्त्री जानते हैं। मैंने उन्हें लिखा है। मुझे उनका उन पर विचार किए जाने का सामान्य विनम्र आश्वासन प्राप्त हो गया है। मुझे बताया गया है कि कोई बैठक आयोजित की गई थी। किन्तु मुझे नहीं मालूम की कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं ?

रिजर्व बैंक इन लोगों के विरुद्ध एक दिन में कार्यवाही कर सकता था। इन छोटे जमाकर्ताओं को बचाने के लिए कोई प्रयत्न अथवा "सचयिता इनवेस्टमेंट" के धन अथवा साधनों को पकड़ने की चेष्टा करने के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गई है। किन्तु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबध में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न कोई कदम उठाया गया है तथा रिजर्व बैंक भी इस मामले में बिल्कुल निष्क्रिय है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या "सचयिता इन्वेस्टमेंट" ने आय कर जमा किया है, क्या भागीदारों का सभी मूल्यांकन किया गया है। 7,000 हजार की पूंजी लगातार तीन व्यक्ति भागीदार बनकर, किसी के प्रति उत्तरदायित्व निभाये बिना सौ करोड़ रुपये का व्यापार करते रहे और आय-कर प्राधिकारी उन्हें ऐसा करते देखकर एकदम शांत रहे। इन सब बातों की ओर ध्यान देने का समय रिजर्व बैंक के पास नहीं है। और—मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा—वह आपके ही एक प्रमुख व्यक्ति हैं और

उच्चतम न्यायालय में भी है, उन्होंने कहा था—मैं इस बात को समझता हूं कि आयकर विभाग के लोग उनके विरुद्ध क्यों नहीं करते हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से वे ही जमाकर्ता हैं। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करता है?" मैंने कहा कि "उत्तर बड़ा सीधा है, उन्होंने भी रुपया जमा किया है।" इसीलिए पता लगाने के लिए कारण कोई विशेष कठिन नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि—

"यदि आप संचियता के साथ चुनाव राजनीति नहीं अपनाते तो यह दिखाने का प्रयत्न करिये कि आप इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध हैं।" संचियता जैसे अन्य मुशरुक संगठन हैं। सरकार ने क्या कार्यवाही की है? राज्य सरकार जो कुछ कायवाही कर सकती थी उसने वह की किन्तु यह पता चला कि इनाम चिट प्रतिबन्ध अधिनियम अथवा चिट पर प्रतिबन्ध लगाने वाला अधिनियम उन पर दृढ़ता से लागू नहीं होता। जब हमने भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कार्यवाही की तो उच्च न्यायालय ने रोक आदेश अथवा 'स्टे आर्डर' जारी कर दिया तथा उस प्रकार कोई जांच पड़ताल नहीं की जा सकी, कुछ व्यक्तियों पर कोई हाथ नहीं डाल सकता।

महोदय, काले धन पर धारक बाण्ड जारी करके नियंत्रण किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह यह अनुभव करते हैं कि काला बाजारी कुछ कम हुई है अथवा क्या आप इसे और बढ़ावा दे रहे हैं? अब ईमानदारी और बेईमानी के बीच का अन्तर मिट गया हूं अब मैं उस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इस पर विचार हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन धारक बाण्डों का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। सिवाय इसके कि आपने व्यापारियों को मान्यता दे दी है, उन को सम्मान दे दिया है और उनकी सुरक्षा दे दी है।

इस देश में 31 जनवरी, 1980 को आय कर की बकाया राशि 589.65 करोड़ रुपये थी। जोकि आपने इस बजट में अप्रत्यक्ष करों के रूप में जितनी राशि की व्यवस्था की है उससे भी अधिक राशि है। उपाय किये गये हैं? दिनांक 31-1-1981 को यह राशि बढकर 641.82 करोड़ रुपये हो गई। आयकर की इतनी राशि बकाया पड़ी है जबकि लोगों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में और अधिक कर देने पड़ रहे हैं। और उन सभी का उत्तर लयता है पुनरीक्षित 20 सूत्रीय कार्यक्रम।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 40 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ समय बीत गया है। बीच-बीच में कुछ वाद-विवाद हो गया था। आप कृपया उतना समय निकाल दीजिये।

यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम एक संस्कारगत मन्त्र की भांति है। (व्यवधान) वह बुरा नहीं

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

मानेंगे। वह उपयुक्त समय पर अपनी बात सुनाने में पूरी तरह सक्रिय और प्रभावकारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निराश सत्यसाधन चक्रवर्ती को देख रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : नहीं मैं समझ रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अपनी उपस्थिति को महसूस करा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : सराहना का विनम्र तरीका है।

एक माननीय सदस्य : सराहना के कई तरीके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भूमिका की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों की उपयुक्त क्रियान्विति की बात की जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकार जो कहती है उ से किस प्रकार करती है अथवा नहीं। पश्चिम भूमि सुधार अधिनियम 1980 में या 1981 के आरम्भ में पास किया गया है। किन्तु इसको अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है। पुनरीक्षण 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक उपाय भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून की क्रियान्वित है। हमें वह भूमि नहीं मिल सकती जो बड़े लोगो के कब्जे में है।

जहां तक अधिक उत्पादन का सम्बन्ध है वे दमनकारी कानूनों के द्वारा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं।

चूंकि आपने एक बार और घंटी बजायी है अतः मैं केवल मोटी-मोटी बातों ही का उल्लेख करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पांच मिनट में समाप्त कर दीजिये।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय वित्त मन्त्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि भारत सभी दिशाओं में प्रगति करे तो जब तक आप राज्य सरकारो को कुछ वास्तविक शक्तियां जिनमे आर्थिक शक्ति भी सम्मिलित है, नहीं देते तब तक भारत में वास्तविक प्रगति नहीं लाई जा सकती। आज हमारे नियंत्रण मे एक या दो राज्य है। हो सकता है हमारे नियंत्रण में और भी राज्य आये किन्तु 20 राज्यों मे उनको ही सत्ता प्राप्त है। वे सुकड़ते जा रहे हैं और हम पनपते जा रहे है। यही अन्तर है। आज जब हम यह कहते हैं कि राज्यों को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिये तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा

को ही अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए। आज कल एन० डी० सी० में क्या हो रहा है? एन०-डी० सी० का भी महत्व समाप्त हो गया है। हम आखबारों में पढ़ते हैं कि एन० डी० सी० की बैठकों में कांग्रेस (आई) के मुख्य मंत्रियों में यह होड़ सी लगी रहती है कि प्रधान मंत्री की सराहना में कौन अधिक कुछ कह सकता, कौन प्रधान मंत्री की प्रशंसा अधिक ढंग से कर सकता है। कोई भी अपनी पार्टी की मीटिंग में यह कर सकता है इसका कोई बुरा भी नहीं मानता। किन्तु एन०-डी० सी० एक रबड़ की स्टाम्प जैसा संगठन बन गया है जिस में कांग्रेस (आई) के मुख्य मंत्री तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं, अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं और चले जाते हैं तथा कोई कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ भी किया जाता है वह योजना भवन में होता है। यह योजना है, इसे स्वीकार करिये या निकल जाइये। यह स्थिति है। वहां कोई उपयुक्त चर्चा नहीं होती। राज्य की विधान सभाएं राज्य की योजनाएं नहीं बनाती। सब कुछ यहीं से किया जाता है, इस योजना बनाने के तरीके को बदलना होगा। इसमें आपको राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करना होगा। क्योंकि राज्य की योजनाओं कि क्रियान्विति उन्ही को करनी होगी। उन्ही को योजना बनानी होगी और उन्ही को क्रियान्वित करनी होगी। आपको उनकी मदद करनी होगी, उनका साथ देना होगा। राज्यों के अतिरिक्त भारत कहां है। यह राज्यों का संघ ही तो है।

अत: जब तक राज्य प्रगति नहीं करते तब तक देश किस प्रकार प्रगति कर सकता है। हम यह कहते आ हेर हैं कि संसाधनों के बटवारे के बारे में केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर पुन: विचार किया जाना चाहिये। हम इस बात का विरोध क्यों करते हैं कि जिन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जा सकता हैं उन पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाये? हमें पता है कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का बटवारा 1957 या 1958 के केन्द्रीय कानून के अधीन राज्योंमें किया जाना है। किन्तु अतिरिक्त उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जा रहा क्योंकि यदि इनमें वृद्धि की जानी है तो इस पूरी राशि को राज्यों में बाटना पड़ेगा। वे एक पैसा भी अपने पास नहीं रख सकते। अत: वह पूरी कर रहे हैं कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 'आक्नीलरी ड्यूटी' बढाई जा रही है। क्यों? क्योंकि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 'आक्नी लरी ड्यूटी' और स्पेशल ड्यूटी में से राज्यों को कोई भग नहीं दिया जाता पूरी राशि वह अपने ही पास रखते हैं। अतिरिक्त शुल्क नहीं बढ़ाया जायेगा। इसके परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है? इस पर अन्तर्राष्ट्रीय करों पर भी 4 प्रतिशत की अधिकत सीमा निर्धारित की हुई है, ये सभी बातें ज्ञात ही हैं।

यदि नये मत्री महोदय नहीं जानते तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इसका गहन अध्ययन करें। हमने उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया है। इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। इसमें महीनों लग रहे हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में लिखित वक्तव्य देने के लिए सम्भवत: वर्षों ले लिए। यदि इन मामलों पर आमने-सामने बैठकर उपयुक्त विचार-विमर्श कर लिया जाये तथा कोई संतोषजनक समाधान खोज लिया जाये तो किसे कष्ट हो? यदि राज्य

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सरकारों की सलाह ली जाए तथा उन्हें अधिक संसाधन उपलब्ध करा दिये गये तो क्या इस देश की जनता को कोई कठिनाई रहेगी ? इतना ही नहीं वह राज्य सरकारों पर अपना योजना परिव्यय कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं खर्च कम करने को दबाव डाल रहे हैं जबकि केन्द्रीय सरकार से खर्च में कमी करने को कभी नहीं कहा जाता। 1979-80 से आज तक केन्द्र में बजट घाटा 7,000 करोड़ रुपये तक रहा है जबकि 22 राज्य सरकारों का कुल मिलाकर बजट घाटा 2,500 करोड रुपये है। उस पर भी वह चाहते हैं कि राज्य सरकार अपना खर्च कम करें। किन्तु उनका अपने खर्च में कमी करने का कोई विचार नहीं है। वे चाहते हैं कि राज्य सरकार जो राज्य योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं, अपने खर्च में कमी करें। इस प्रकार के दृष्टि कोण से कोई काम नहीं चलेगा। यदि वे सोचते हैं कि इस प्रकार से वे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को अथवा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी जैसी वामपंथी पार्टियों पर नियंत्रण कर सकते हैं तो वे प्रयत्न करके देखलें तथा इसमें श्री संतोष मोहन देव को भी चाहे साथ ले लें। मैं केन्द्रीय सरकार को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की चालों से वे जनता को दबा नहीं सकते तथा उन्हें अपनी उगली पर नहीं नचा सकते क्योंकि जनता अब अधिकाधिक सजग होती जा रही है तथा वह अपना निर्णय स्वयं करेगी।

समाप्त करने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं न केवल पश्चिम बंगाल के लिए ही वरन देश के सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र के लिए। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय का दिल पश्चिम बंगाल में है चाहे सरकारी तौर पर वह कहीं और हों। हमें खेद है कि वह अन्यत्र चला गया है। हम चाहते हैं कि वह अब भी पश्चिम बंगाल में ही हों।

सभापति महोदय : उन्हें पश्चिम बंगाल का मुख्य मंत्री बना दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह बन सकते हैं। आशा कभी नहीं मरती। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात होगी, व्यक्ति गत रूप से नहीं, बल्कि पार्टी की दृष्टि से जिसके वह सदस्य हैं। आशा है वह अपने पूर्वाधिकारी श्री सिद्धार्थ शंकर रे का अनुसरण नहीं करेंगे।

पिछले दिन एक चिन्ताजनक समाचार मिला था कि केन्द्रीय सरकार हल्दिया पैट्रोकैमीकल कम्प्लैक्स के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ रही है। क्या उस देश में कहीं अन्यत्र भी ऐसा हुआ कि राज्य सरकार ने पैट्रोकैमीकल काम्पलेक्स बनाया हो। कहीं नहीं यह सभी जगह केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन है। जब हमने यहां आधे घंटे की चर्चा सिर्फ आधे घंटे की चर्चा उठाई कि पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वी भागों में केन्द्रीय पूंजी निवेश किया जाये तो हमें कुछ आवश्सन दिया गया था कि संयुक्त क्षेत्र में केन्द्रीय साझेदारी पर उपयुक्त विचार किया जायेगा जिसका अर्थ है

केन्द राज्य और वित्तीय संस्थान मिलकर हल्दिया पैट्रो-रसायान कम्पलैक्स में पूंजी की व्यवस्था करें।

अभी दूसरो दिन हमारे नये पैट्रोलियम मंत्री—सरकार प्राय: मंत्री परिवर्तन करती रहती हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसकी जानकारी उन्हें है अथवा नहीं—उन्होंने हमें कहा था कि कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा—यदि उन्हें कुछ अधिक मत भी मिलते हैं, तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, किन्तु वह इस बात की घोषणा करें—वह इस बात को कहे कि हल्दिया पैट्रो—कैमीकल कामप्लैक्स को संरक्षण दिया जाएगा और केन्बीय सरकार उसकी ओर ध्यान देगी। क्या यह कोई अपराध है कि जो योजना वर्षों पहले अनुमोदित कर दी गई है, हम उसे गत पांच वर्षों से कार्यान्वित करने की चेष्टा कर रहे हैं ? हम उनके पास अनेकों बार गये, बार-बार हमने उन्हें कहा कि कोई भी राज्य सरकार लगभग 800 करोड़ों रु० व्यय नहीं कर सकती, आप कृपा कर उसकी ओर ध्यान दें, राज्य को महत्व दिया जाना चाहिये, किन्तु कुछ भी नहीं किया गया।

वर्षों से हम एक जहाज मरम्मत यार्ड के लिए दावा करते आ रहे हैं। यहां पहले जहाज बनाने का यार्ड था। श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने मुझे फाइल दिखाई और कहा" मैं जहाज बनाने का यार्ड चाहता हूं, वे जहाज मरम्मत करने का यार्ड दे रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल में हूं। आप संसद में है। कृपा करके इसके लिए प्रयत्न कीजिये।" मैंने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। उन्होंने कहा —"यह एक अच्छी बात है कि आप इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।" वह सरकार के बहुत नजदीक माने जाते हैं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ भी नहीं हो पाया, वह कुछ भी नहीं कर पाये। वह वांचू आयोग बैठाने तथा और कुछ करने में अधिक व्यस्त रहे।" इसके बाद किसी ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया ?

इलैक्ट्रोनिक परियोजना के बारे में क्या रहा शायद कुछ भी नहीं किया गया है ? अतिरिक्त निधियों की कमी के कारण अब हुगली के दूसरे पुल की योजना को समाप्त किया जा रहा है और बी० वी० जे० कन्स्ट्रकशन कम्पनी को बन्द किया जा रहा है। हर समय यही शिकायत रहती है कि धन उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बगाल में केन्दीय क्षेत्र की कोई भी पूंजी निवेश नही हैं। पश्चिम बंगाल की अपनी आम यात्रा के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने कहा – "ज्योति क्यों चीख रहा है। पश्चिम बंगाल में हमने पूजी नहीं लगाई है। हमने मेट्रो परियोजनाओं में पूजी निवेश किया है। इसे हम उसे देते हैं, वह उसे अहमदाबाद में लगाये अथवा बम्बई में, हमें चिंता नहीं।" हमें दु:ख है। पूजी लगी ही कितनी है। एक वर्ष में 30 या 40 करोड़ रुपया। इसके परिणाम स्वरूप, कलकत्ता की गलियों तक की मरम्मत कर पाना संभव नहीं है और हमें नहीं पता कि अपने जीवनकाल में क्या इसके नीचे किसी रेल गाड़ी को चलती भी देख सकेंगे अथवा नहीं। इसलिए यह केवल एक वस्तु है। वह कहते है—हम आपको दूसरा हुगली पुल दे रहे हैं।" तब आप कैसे कहेंगे कि केन्द्रीय क्षेत्र की कोई पूजी नहीं लगी है ? यह तो रवैया है। उन्हें कहना पडता है

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

कि राजनीतिक कारणवश वह कर ही क्या सकते हैं ।

महोदय, बीमार उद्योगों के बारे में, अब वह वित्त मन्त्री हैं । हिन्दुस्तान पिलकिंगटन के संबंध में उनके दल के सदस्य श्री आनंद गोपाल मुखर्जी परेशान हैं, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि उल्लासोन्माद की भावना में बहकर उन्होंने कहा था जब उनका नेता सत्ता में आयेगा तो "मैं हिंदुस्तान पिलकिंगटन को खुलवा दूगा ।" वह ऐसा नहीं करा सकें और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सकते है । मैं उनकी तरफ दारी नहीं ले रहा हूं । वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायें । हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं । उनका भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस (आई० एन०टी०यू० सी०) उनके साथ है । वहां लोग भूखे मर गये है, लोगों ने आत्म हत्या कर ली हैं और हिन्दुस्तान पिलकिंगटन अभी भी बद है। किसी श्रमिक आन्दोलन अथवा श्रमिकों की किसी नाजायज मांग के कारण यह कम्पनी बीमार नहीं हुई है अपितु निदेशक बोर्ड के कुसंबंध और दुर्विनियोजन के कारण यह कम्पनी बन्द हुई है । इसके सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया है । मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि प्रभावशाली कार्यवाही किये जाने की घोषणा की जाये जिससे कि हिन्दुस्तान पिलकिंगटन सहित बीमारी उद्योग जीवित हो सकें । हम लोग 'इनचेक टाटर्स', 'नेशनल रबर' आदि के बारे में बार-बार लिख चुके हैं । मै इस समय यहां उनकी सूची नहीं देना चाहता हूं किन्तु इस कम्पनी को बचाने के लिए कोई समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

महोदय, अन्त में मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधि पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमारी मूल आर्थिक नीतियों में से एक है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक महत्व पूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। देखने में आता है कि विशेषकर देश में हमारे भाग में राष्ट्रीयकृत बैंक जन साधारण को ऋण देने से कतराते हैं और विशेषकर जब हमने राज्य सरकार तथा श्रमिकों के प्रयत्नों से बंद उद्योगों को पुनः चालू कराने की चेष्टा की, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है—मैं विशेष और सीधा आरोप लगता हूं, मै इसके संबंध में माननीय वित्त मन्त्री को लिख चुका—कचहरी का दरवाजा खट खटाया था । इंडियन पेपर पल्प कम्पनी राज्य सरकार की सहायता तथा श्रमिकों के त्याग से खोला गया । श्रमिकों को पहले से कम वेतन और कम पगार मिल रही है जो लगभग 40 प्रतिशत वेतन कम ले रहे हैं और जब हमें इसे पुनः खोलने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ तब जानते हैं क्या हुआ ? यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया न्यायालय के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है और उसका कथन है—"इन कम्पनियों को पुनः खोले जाने की अनुमति न दी जाये, उन्हें समाप्त कर दिया जाये जिससे कि कुछ बड़े अधिकारियों को कुछ रुपया प्राप्त हो जाये । मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्य मन्त्री ने उस समय श्री वेंकट रमण को कहा होगा जब वे वित्त मन्त्री थे और मैंने भी उन्हे लिखा था ।

जहां तक ईस्ट बंगाल रिवर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड का संबंध है, यह कम्पनी 1976 में बंद की गई है। आपको आश्चर्य होगा कि 50 लाख रुपया कर्मचारियों का बकाया है। उसकी प्रबंध समिति ने भी स्वीकार किया है कि इसके कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा 32 लाख रुपये से जब कम्पनी की कुछ सम्पति और मशीनरी खरीदी गई जो 1976 से बन्द पड़ी है, तब यूनाटेड बैंक ने उच्चतम न्यायालय में मुकदमा उठाया है, उसने विशेष छुटकारा देने का आवेदन दिया है और वह चाहता है कि कारखाना द्वारा न खोला जाय और उसे रद्दी के भाव बेच दिया जाय और कर्मचारियों की ओर से हमें उसके विरूद्ध लड़ने को तैयार है। क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की यह सहायता है ? मैं माननीय वित्त मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि "क्या आप समझते है कि इस प्रक्रिया से आप जनता को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य निष्पादन के प्रति निष्ठा रखने में सहायक सिद्ध हो रहे है ?" यदि उनकी इन लोगों के प्रति थोड़ी सी भावना है, यदि वे ऐसा महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय कृत बैंक को विकास के सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो मैं चाहता हूं कि उनका रवैया बदला जाना चाहिए। काम के बदले अनाज के सम्बन्ध में, पश्चिम बगाल में केन्द्रीय पूंजी निवेश, जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं, के बारे में मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह सही दिशा में हर कदम उठायें। मुझे आशा है कि वह एक दफ्तरशाही उत्तर नहीं देगे कि "मामला विचाराधीन है।" मैं विधेयक का विरोध करता हूं। उन्होंने जो कुछ किया है वह तो वार्षिक परम्परा है। किन्तु वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी सहायता से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विरूद्ध लड़ना पड़ेगा और तभी वे सफल होंगे।

श्री जयद्वीप सिंह (गोधरा) : इस समय हम बजट पर विचार-विमर्श करने के पूर्वान्तिम चरण में हैं। मैं अनेकों माननीय वक्ताओं के भाषण सुनता रहा हूं और कुछ जानने की चेष्टा करता रहा हूं। मुझे आश्चर्य है मेरे विद्वान मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक नोसिखिया के समान भाषण दिया है क्योंकि उसमें चुनाव प्रोपो गंडा के अलावा कोई और पुट नही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में शीघ्र चुनाव होने वाला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भाषण देने के लिए किसी को बुलाये।

श्री जयदीप सिंह : वही किया जाएगा।

उन्होंने काम के बदले अनाज पर अधिक बल दिया है। इस सदन में हमने बार-बार सुना है। कृषि मन्त्री का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने लेखा प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि जो अन्न वहां भेजा गया था उसका निस्तारण कुछ सदिग्ध था विशेषकर लोगों को देने के प्रयोजन के बारे में। ऐसा नहीं किया जा रहा था। यही कारण है कि वे लेखा देने में असमर्थ हैं। वास्तव में, इसका उल्लेख करना बड़ा ही महत्व पूर्ण है, क्योंकि जब श्री सोमनाथ चटर्जी वापिस जायेगे

[श्री जयदीप सिंह]

और अपने निर्वाचन क्षेत्र में बात-चीत करेंगे तब वह कहेंगे कि उन्होंने इस मामले पर बहस की थी···

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम लोग ऐसा ही करेंगे। जनता निर्णय ले। वे आपकी बात मान सकते हैं। वे हमारी बात को अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसा न हो कि आप चुनाव रोकने के लिए न्यायालय की शरण लें।

श्री जयदीप सिंह : वे पहले ही निर्णय ले चुके हैं और अपना फैसला दे चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने उन्हें आमन्त्रित किया है।

श्री जयदीप सिंह : मुझे आश्चर्य है कि श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे वरिष्ठ सदस्य भी ऐसे विभिन्न विषयों का जिनकी वे चर्चा करते हैं समुचित अध्ययन किये बिना ही सदन में आ जाते हैं और उन पर भाषण देते हैं।

मेरा इरादा उनसे लड़ने का नहीं है। किन्तु आश्यचर्य है कि उन्होंने कहा—"बंगाल ही ऐसा एक मात्र राज्य है जहां संयुक्त क्षेत्र में भारत में पैट्रो-केमीकल उद्योग की स्थापना की मांग की जा रही है। यह सच से परे है। मैं गुजरात राज्य का हूं और वहां भी ऐसी परियोजना स्थापित किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे खेद है। आप मुझे गाली दें अथवा मुझ पर आरोप लगायें। मैंने कहा (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह : मैं स्थिर हूं। मैं सहमत नहीं हूं।(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आलोचना नहीं करता।

श्री जयदीप सिंह : मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बाधा पहुंचाये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें स्पष्टीकरण देने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल पैट्रो-केमीकल कमप्लैक्स केवल राज्य क्षेत्र में ही नहीं है। मैंने कहा है कि हम संयुक्त क्षेत्र में चाहते थे। इसलिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पश्चिम बंगाल ने केवल राज्य क्षेत्र में पैट्रो-केमीकल क्षेत्र स्थापित किये जाने की मांग की है

श्री जयदीप सिंह : हमने उन्हें कहा है कि इसे गुजरात में राज्य क्षेत्र में स्थापित किया जाए, क्या यही काफी है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे गोपनीय रखिए।

श्री जयदीप सिंह : इसे गोपनीय रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका आशय यह है कि यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार है। यह गलत आशय है। हो सकता है कि अन्य किस्म की समस्याएं हों जिसके कारण यह रुक गया है, मैं नहीं चाहता कि गुजरात में भी परियोजना पर काम रुके। मैं यह आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि परियोजना इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि गुजरात के प्रति कोई पूर्वाग्रह है, मैं अपना कथन स्पष्ट कर रहा हूं। यह कहना कि यह इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार है, सरासर गलत है मैं उनके वक्तव्य पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इस पर मन्त्री महोदय बोलेंगे।

मैं एक सीमा तक उनसे सहमत हूं कि देश में मुद्रास्फीति है और यह एक गंभीर मामला हैं और इससे निपटना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय बताएंगे कि वह इससे कैसे निबटेंगे। परन्तु एक बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। जब ऐसे विशाल देश में कुछ उपाय किए जाते हैं जिनसे सारे देश के लोगों को लाभ पहुंचता है तो इसका परिणाम शीघ्र ही नहीं मिलता है। परिणाम को आने में कुछ समय लगता है। प्रश्न यह है कि क्या इस उपाय से लाभ पहुंचेगा। मंहगाई को रोकने के लिए यदि प्रयास किए जाते हैं तो अन्य बातें भी ठीक तरह से होने लगती हैं।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान फिर भी कुछ बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। हमने इस वर्ष उत्पादकता वर्ष घोषित किया हुआ है। इसके उद्देश्य को देखते हुए मैं समझता हूं यदि हम वास्तव में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके अन्तर को पूरा करना पड़ेगा, केवल नारे लगाकर हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए उद्योग के क्षेत्र को लें। इसके लिए धन की व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या है। कई योजनाएं बनाई जा रही हैं परन्तु उनको क्रियान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि धन प्राप्त करने के रास्ते में अनेक रुकावटें आ रही हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार इन कठिनाइयों पर किस प्रकार काबू पा रही है। परन्तु मैं समझता हूं कि इसमें राज्य सरकारों और गैर सरकारी उद्यमियों की अधिक भागीदारी होनी चाहिए जिससे हम अधिक क्षमता प्राप्त कर सकें। समय बदल जाता है, यदि कुछ वर्ष पहले किसी को प्रमुख क्षेत्र घोषित किया गया था तो हमेशा ही ऐसा नहीं चल सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विशेष दिशा में कुछ लचीलापन अवश्य होना चाहिए। राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में

[श्री जयदीप सिंह]

मेरी शिकायत यह है। अनेक परियोजनाएं जिनमें राज्य वित्तीय अथवा अन्य रूप से भागीदारी चाहने को तैयार है। किसी न किसी कारण से ऐसे ही पडी हैं और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यही बात मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है और उनको सुव्यवस्थित करने की ओर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं।

उदाहरण के लिए उद्योग के क्षेत्र में गुजरात राज्य ने नायलोन 6-फिलामेंट यार्न परियोजना का प्रस्ताव किया है जिसको योजना में रखा गया था और 1971 में एक आशय पत्र दिया गया था। किसी न किसी कारण से यह अधर में लटका रहा। उस समय इस परियोजना की लागत 45 करोड़ रुपये आती परन्तु विलम्ब होने और मूल्य में वृद्धि होने के कारण यह लागत बढ़कर 63 करोड़ रुपये हो गई। यह राष्ट्रीय हानि है। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें गुजरात में अनेक छोटे बुनकर जिनके पास छोटे उद्योग हैं, एक सहकारी समिति बनाते। संयुक्त क्षेत्र में बुनकरों की यह सहकारी समितियां राज्य सरकार के साथ मिल कर यह कारखाना लगाना चाहते हैं। फिर भी इसे भारत सरकार की अनुमति नहीं मिली है। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं।

इसी प्रकार स्पंज आयरन परियोजना भी बहुत समय से अधर में लटकी हुई है। सरकार इस मामले में धीरे चल रही है। मेरा यह कहना हैं कि किसी उद्योग की स्थापना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया बहुत अधिक जाटिल है और इसे विभिन्न विभागों से गुजरना पड़ता है और इसकी स्थापना में बहुत अधिक विलम्ब होता है। यदि हम इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष के रूप में बनाते हैं, यदि हम चाहते हैं कि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो तो इन कठिनाइयों को दूर करना होगा और इसके बारे में कुछ सोचना होगा।

यह भी एक समस्या है कि उद्योगों की स्थापना कहां की जाए। यह निर्णय करने में बहुत अधिक समय लगता है कि उद्योग की स्थापना कहां की जाये। अनेक बार उद्योगों की स्थापना उचित अनुचित बात को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है। दुर्भाग्यवश मैं यह बात सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अनेक बार उद्योग की स्थापना राजनीतिक दबाव आदि के कारण की जाती है जैसे संसद सदस्य अपने क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उद्योगों की स्थापना कहां करना अधिक व्यवहार्य होगा। जहां व्यवहार्य हो, वहां इसे बिना किसी वैमनस्य से स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह अधर में लटके हुए हैं।

मैं इस सभा के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं, यह सर्वविदित है कि भारत में रेलवे सवारी डिब्बों के उत्पादन में भारी कमी है। मद्रास स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी और अन्य कारखाने प्रतिवर्ष 1200 सवारी डिब्बों का निर्माण करते हैं जबकि हमारी आवश्यकता प्रतिवर्ष

2200 सवारी डिब्बों की है इस कमी को एक नया कारखाना स्थापित करके दूर करने की मांग की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे मंत्री आ गएहैं और मेरा अनुरोध अच्छी तरह से सुना जा सकेगा। यद्यपि यह बात मैंने उस समय भी उठाई थी जब रेलवे मन्त्री ने बाद-विवाद का उत्तर दिया था, उन्होंने उस समय बड़ी चतुराई से इसको टाल दिया था। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार ने अपने औद्योगिक पूंजीनिवेश नियम के माध्यम से गुजरात में कोच फैक्टरी की स्थापना के लिए आशय पत्र मांगा है। उसने इस बारे में धन आदि का ब्यौरा तैयार कर रखा है, परन्तु मैं नही जानता कि किन कारणों से यह गुजरात सरकार को नहीं दिया गया है। मैं समझता हू कि इसे किसी दूसरे को दिया जा रहा है जिसके लिए वहां धन नहीं है और यदि धन की व्यवस्था की जाती है तो यह केवल 600 सवारी डिब्बे बनाएगा जबकि हमें 1200 सवारी डिब्बों की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी कमी बनी रहती है जो नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि यही कठिनाई है और जब तक इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाता है, मैं नहीं जानता कि इस देश में सवारी डिब्बों की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमारे सभी कारखाने, हमारे सभी औद्योगिक उपक्रम अधिकतम क्षमता से काम करें और इस प्रकार कार्य करें कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

अब आप सीमेंट को ही लीजिए, सीमेंट एक ऐसी वस्तु है जिसकी जरूरत सभी को रहती है और इसको लेकर बहुत अधिक घपला चल रहा है, हमारे पास 33 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करने की क्षमता है। पिछले वर्ष 23 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था और हमने केवल 21 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया। हम इस लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सके है? हमारा किस प्रकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है? विद्युत जैसी भी कठिनाइयां हैं।

कुछ पहले मैंने ऊर्जा मन्त्री को अपने उत्तर में यह कहते हुए सुना है कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि राज्य सरकारें विद्युत सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं और राज्य सरकार के बनाए हुए ढांचे में कठिनाइयां हैं, मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं क्योंकि आखिरकार इस देश का शासन यहां से चलाना है। यदि कोई कमियां हैं, यदि कोई अनियमितताएं हैं, यदि कोई कठिनाइयां हैं तो हमें उन्हे यहां से दूर करना चाहिए। ऐसा करने के लिए कुछ उपाय हैं। बिजली बोर्डों को अपना कार्य ठीक से चलाने के लिए कहा जा सकता है। वे अपने कार्यक्रम पर नहीं चलते हैं, लेकिन सीमेंट कारखाने को बिजली दिये जाने का वचन दिया जा सकता है। उस समय यह अनुमान लगाया गया है कि कितनी बिजली की आवश्यकता होगी, यह भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या यह उपलब्ध होगी। इसके बाद परमिट दिए जाते है। इसलिए जब परमिट दिया जाता है और परमिट के अनुसार विद्युत उपलब्ध नहीं की जाती है तो निश्चय ही कुछ कदम उठाने होंगे और मैं अनुमान करता हूं कि यह कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

[श्री जयदीप सिंह]

टैक्नोलाजी के क्षेत्र में हमें अनेक दिशाओं में विकास करना है। उदाहरण के लिए गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां कोयला दूरवर्ती स्थानों से लाना होता है। यह बहुत ही उन्नत उद्योग प्रधान राज्य है और कोयले की ढुलाई पर बहुत अधिक निर्भर है। हाल में गुजरात के कुछ हिस्सों में कोयला पाया गया है। यह बताया गया है कि वहां 60 मिलियन टन कोयला है। परन्तु यह 1,200 से 1,400 फीट गहराई पर है, विश्व के अन्य हिस्सों में टैक्नोलाजी के ऐसे उपाय हैं जिनसे कार्बन गैस निकाली जा सकती है क्योंकि ऐसी स्थिति में कोयला परम्परागत तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हम उस दिशा में क्या प्रगति कर रहे हैं।

मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार की टैक्नोलाजी पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि विद्युत अथवा ऊर्जा का उत्पादन करके ऐसे क्षेत्रों का विकास करने में मदद मिले जहां उद्योग स्थापित हैं।

अन्त में, मैं इस सभा के ध्यान में विशेष रूप से यह बात लाना चाहता हूं कि हम हमेशा अपने विदेशी मुद्रा आरक्षित कोण में कमी के बारे में चिन्तित रहते हैं।

मैं नहीं जानता कि क्या कभी इस तथ्य के बारे में विचार किया गया है कि पर्यटन, जिसे बहुत कम महत्व दिया गया है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का स्रोत है। मैं नहीं जानता कि आपको इस बारे में जानकारी है कि पर्यटन, जैसा कि आज स्थिति है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का सबसे बड़ा साधन है। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1980 तक 3.5 मिलियन लोगों के पर्यटक के रूप में भारत आने की संभावना है। इससे प्रतिवर्ष 3,500 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। क्या किसी ने इस तथ्य के बारे में विचार किया है। इस उद्देश्य को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है और इसलिए मेरा सुझाव है कि पर्यटन को उद्योग के रूप में लिया जाना चाहिए। इस समय इसे उद्योग के रूप में नहीं लिया जा रहा है और इस वर्ष इसके लिए 187 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं। बिना आदान की व्यवस्था किए हम किसी बात की कैसी आशा कर सकते हैं? यदि वे अधिक आय की आशा कर रहे हैं तो उन्हें अधिक आदान की व्यवस्था करनी चाहिए और इसलिए मेरा वित्त मंत्री को सुझाव है कि पर्यटन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की, अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान हमें इसके लिए समय नहीं मिला क्योंकि इसको अधिक महत्व नहीं दिया गया है।

परन्तु फिर यह ऐसी चीज है जिससे उसकी आय होती जो हमें बेहद चाहिए वह जो हमारी अर्थ व्यवस्था को उठायेगी तथा जो हमें विश्व भर में एक अग्रणीय देश बनाएगी।

अन्त में मैं इस बात के लिए वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने

कुछ छोटी-छोटी रियायतों की घोषणा कर दी है। विशेषत: हाई स्टफ में लघु उद्योग के लोगों के लिए। वे बहुत ही संकट में हैं। 1500 तकनीशियनों ने अपनी नौकरियां छोड़ दीं और यहां कारखाने चलाने लगे और उन पर यह उत्पाद शुल्क बहुत ही भारी थी तथा उन्हें 27 फरवरी से अपने कारखाने बन्द कर देने थे। अब, मेरे विचार से उन्हें राहत मिलेगी और वे चलेंगे। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि पहले ही इस पर विचार क्यों न कर लिया गया था तथा केवल अपीलें करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया। मैं यह बात वित्त मन्त्री की जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक बार हम ऐसी योजना शुरू करते हैं, तो हमें उसे दीर्घकालीन दृष्टि से देखना चाहिए और फिर बीच म बाधाएं नहीं आनी चाहिए, अथवा उनके काम की गति में व्यवधान पड़ जाता है। धन्यवाद।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): अधिष्ठाता महोदय, भारत जैसे विशाल और विभिन्नता वाले देश मे विकास तभी सम्भव है जब प्लानिंग की प्रासेस म सभी वर्गों के लोग इन्वाल्व हों, और मुझे खुशी है कि वित्त मन्त्री जी द्वारा जो बजट प्रस्ताव रखे गये उनके द्वारा समाज के प्रत्येक अंग को, अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक पहलू का छूने की कोशिश की है। और आज उनके द्वारा किए गए प्रावधानों के मूल्यांकन का अवसर हम वित्त विधेयक पर चल रही बहस के दौरान प्राप्त हुआ है। जो लेजिस्लेटिव प्रोसस बजट के प्रस्तुतीकरण के समय प्रारम्भ हुई थी वित्त विधेयक पर बहस के समापन के साथ वह पूर्ण हो गई। इस सारी प्रक्रिया के दौरान एक बात सामने आयी है और वह यह कि इस सरकार ने और इसके नेताओं ने यह कोशिश की है कि यह देश एक आधुनिक तरक्की पसन्द और एक मजबूत राष्ट्र बन सके। अपनी निश्चित आर्थिक सीमाओं के अन्दर हर वर्ग के उत्थान के लिए कुछ कार्य कर सकें। उनके इन्हीं प्रयत्नों का फल है कि आज इस वर्ष कृषि उत्पादन का जो लक्ष्य था उससे ज्यादा उत्पादन होने की सम्भावना है, औद्योगिक उत्पादन का जो लक्ष्य था उसको निश्चित तौर पर हम पार करेंगे। जो हमारे आधारभूत क्षेत्र हैं जैसे बिजली, कोयला, पैट्रोलियम इन सारे आधारभूत क्षेत्रों में बहुत अधिक तरक्की हुई है। मान्यवर, जो ट्रैन्ड इस समय है मुझे विश्वास है कि और ज्यादा मजबूत होगा और हम लक्ष्य से बहुत आगे बढ़ सकेंगे। प्रधान मन्त्री जी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश की है, और वित्त मन्त्री जी ने अपने प्रस्तावों द्वारा हर पहलू के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए हैं। मैं समझता हूं आज हमारे इन सारे प्रयत्नों की सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि हम सभी लोग राष्ट्रीय आर्थिक निर्माण के काम में जुट जायें, मेहनत करें और आपस में कटता छोड़कर, राजनीतिक खींचातानी के वातावरण को छोड़कर काम करने का वातावरण पैदा करें। निगेटिव ऐटीट्यूड छोड़कर, पौजिटिव ऐटीट्यूड अपनाएं।

महान युवा नेता श्री संजय गांधी ने कहा था बात कम और काम ज्यादा। वही हमारी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इसीलिए प्रधान मन्त्री ने नारा दिया है "श्रम एव जयते"। हम श्रम के महत्व को पहचाने। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे विरोधी दल के लोगों ने जिस तरीके से

[श्री हरीश रावत]

उन्होंने 19 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया या जिस प्रकार बम्बई और बगलौर में आन्दोलन चल रहे हैं, इस तरीके से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता।

इस तरीके से हम कितनी ही अर्थ-व्यवस्थाएं करें, कितने ही प्रावधान वित्त मन्त्री जी करें, वह सब अपसैट हो जाएंगे। मैं वित्त मन्त्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कई एन्टी-इन्टरेस्ट इसको रोकने के कदम उठाए हैं जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाने का, आवश्यक जिन्स को आयात करने का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने का, व्यापक बनाने का, होर्डिंग को रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आश्चर्य होता है कि जब मुद्रा स्फीति की दर घट रही हो, जब थोक मूल्यों के सूचकांक स्थिर हों, या घट रहे हों तो ऐसे समय भी सामान्य उपयोग की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 2 महीने के अन्दर कई वस्तुओं के मूल्य 18 प्रतिशत तक बढ़े हैं, इस पर रोक लगाना आज बहुत जरूरी हैं।

वित मत्री को देखना चाहिए कि आम व्यक्तियों की कठिनाइयां जिन कारणों से बढ़ती हैं, उन पर किस प्रकार चैक लगाया जाए। निवेदन के तौर पर मेरा सुझाव है कि हर राज्य में ऐसे उपभोक्ता निगमों की स्थापना होनी चाहिये जिनको पब्लिक कमेटीज देखें, प्रधान देखें या क्षेत्रीय समितियां देखें और उन उपभोक्ता समितियों के माध्यम से लोगों को कम से कम आम व्यक्ति की आवश्यकता की चीजें जो 10, 12 हैं, वह उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। उन वस्तुओं के मूल्यों को यदि मार्किट मे कोई बढ़ाता है तो उसे सीरियस अपराध घोषित किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को स्पेशल कोर्ट के माध्यम से दंड दिया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ जो कज्यूमर इन्डस्ट्री है, उसको हमने पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रखा है और प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी गिराकर और तरीके से मुनाफा कमाने की चेष्टा करता है। मेरा निवेदन है कि कम से कम फैंज मैनर ही में सही, इस कज्यूमर्स गुड्ज इन्डस्ट्री को आप पब्लिक सेक्टर मे लाएं, क्योंकि यह हमारी मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं। अगर उनको हम पब्लिक सेक्टर में नहीं लाए, पब्लिक इन्टरप्राइजेज को अगर नहीं सौंपेंगे तो निश्चित तौर पर हम कठिनाई में पड़ सकते हैं। हमारे देश के अन्दर 190 पब्लिक इन्टरप्राइजेज हैं जिन पर 20 हजार करोड़ रुपया इक्विटी और लोन देने के रूप में खर्च हुआ है। इनम से 19 कम्पनी टैक्सटाइल सेक्टर में कन्जुमर्स गुड्ज को पैदा करती हैं। इस पर मात्र 700 करोड़ रुपये खर्च हुआ है जो पब्लिक इन्वेस्टमैंट का केवल 4 प्रतिशत है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस सक्टर को जो कैपिटल इन्टैंसिव है, उसकी जगह कज्युमर इन्सैंटिव की तरफ इसको बढ़ाएं तभी हमारा पब्लिक सेक्टर ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। जो मुनाफा इस वक्त प्राइवेट सेक्टर इन्डस्ट्रीज कमा रही हैं, वह पब्लिक सेक्टर इन्डस्ट्रीज कमा सकती है। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को लाभ प्राप्त होगा।

पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में 110 कम्पनी ऐसी है जो मार्जिनल मुनाफे पर चल रही है

ओर 70 अन्डरटेकिंग्ज नुकसान दे रही हैं जिसमें एन० टी०सी० के द्वारा चलाई जा रही मिलें भी हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य रखा है कि डेपरिसियेशन के अतिरिक्त जो हम 25 हजार करोड़ रुपया पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज से प्राप्त करेंगे हम उसको प्लान में रि-इन्वैस्टमैंट के लिए खर्च करेंगे। मुझे शक है कि जिस तरीके से हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज काम कर रही हैं, उनसे हम इस धन को प्राप्त कर सकेंगे। यदि हम इस धन को प्राप्त नहीं कर पायें तो निश्चित तौर से जो हमारा प्लान टारगेट है, वह अपसैट होकर रह जाएगा।

मैं आपके और इस सदन के माध्यम से वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी समय है कि हम इन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज को देखें, कट्रोल में लाएं। अगर हम समय रहते इनको कन्ट्रोल में नहीं लाये तो हो सकता है कि यह हमारे लिए पूर्व का हाथी सिद्ध हों, यह हमारी अर्थ-व्यवस्था को चकनाचूर कर दें, जो हमारे ख्वाब हैं पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज पर, उनको तोड़ डालें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के लिए उसके मैनेजमैंट के लिए उसके कन्सैप्ट के लिए एक कमिटेड कैडर तो तैयार कीजिए। आज आप किसी प्राइवेट सैक्टर से किसी को उठाकर पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के मैनेजमैंट में ले आते हैं और कभी आप एक व्यक्ति को सेक्रेटैरियट में ले आते हैं और सैक्रेटैरिएट से किसी को उठाकर पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में ले जाते हैं। सरकार क्यों नहीं एक ऐसा कैडर ईन्वाल्व करती, जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज को मैनेज करे, उस कैडर के सदस्यों की फैल्यर और सक्सेस की एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनकी चरित्र-पंजिका में अंकन होना चाहिए कि उन्होंने ठीक से काम किया है या नहीं।

एक बड़ी अजीब परम्परा चल पड़ी है कि हमारे आर्थिक मंत्रालयों और पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के लोग रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर की किसी न किसी इन्डस्ट्री में बड़े-बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। इस प्रकार प्राइवेट सेक्टर में और एक निश्चित वर्ग में यह षड्यन्त्र चल रहा है वे पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के सोशलिज्म के कनसेप्ट का फेल करना चाहते हैं। मुझे डर है कि जिस समय वे अधिकारी मंत्रालय में अपने पदो पर होते हैं, तब भी वे पब्लिक सेक्टर को फेल करके प्राइवेट सेक्टर की बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं। कम से कम इस पर एक तगड़ी रोक और पाबन्दी लगानी चाहिए।

इस समय हमारे देश में सात आठ इनशोरेन्स कम्पनियां हैं। उनमें से मैं एलवआई०सी० के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। शायद माननीय उपमन्त्री जी उसको देख रहे हैं। एल० आई० सी० आज एक विशाल साम्राज्य बना हुआ है। सरकार की ओर से उसको डिवाइड करने की बात

[श्री हरीश रावत]

कही गई है। कई वर्ग उसका विरोध कर रहे हैं। सो-काल्ड सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों द्वारा भी उसका विरोध हो रहा है। इस विशाल साम्राज्य को नियन्त्रण में लाने के लिए जरूरी है कि इसे जल्दी से जल्दी डिवाइड किया जाए। आज इसका मैनेजमैंट पूरी तरह से मार्क्सवादियों के प्रभाव में है। वह मार्क्सवादियों को और उनकी ट्रेड यूनियनों को संरक्षण देता है और जो दूसरे ट्रेड यूनियन काम करना चाहते हैं, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें वह दबाता है। एल० आई० सी० के ऐसे मैनेजमैंट को मन्त्री महोदय नियन्त्रण में लाएं और अगर वह नियन्त्रण में नहीं आता है, तो उसे बदल दिया जाए।

मैं मैचोर्ड पालिसीज के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। 1979-80 में इस प्रकार की 88,000 पालिसीज थीं, जिनका 22 करोड़ रुपया पालिसी होल्डर्ज को नहीं मिला था। 1980-81 में वह राशि बढ़कर 28 करोड़ रुपए हो गई। इस समय वह 32 करोड़ रुपये के लगभग है। इन मेचोर्ड पालिसीज के करोड़ों रुपए एल० आई० सी० के पास पड़े हुए हैं। इसका कारण यह है कि एजेन्ट और मैनेजमैंट इनिशिएटिव नहीं लेते कि पालिसी के मेचोर्ड होने पर पालिसी होल्डर्ज को पैसा मिले। आज अधिकांश एजेन्ट बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार हैं या बड़े अधिकारियों की पत्नियां हैं और वे लोगों पर दबाव डालकर इनशोरेन्स करवाते हैं। आदमी एक दो प्रीमियम देने के बाद प्रीमियम देना बन्द कर देता है। इस तरह बहुत से लोगों का नुकसान होता है।

मेरा निवेदन है कि एल० आई० सी० में यह व्यवस्था इंट्रोड्यूस की जाए कि पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को एजेन्ट बनाया जाए। वे इनिशिएटिव लेंगे, पालिसी के मेचोर होने पर पालिसी-होल्डर को रुपया दिलवाने में मदद करेंगे और पालिसी के लैप्स होने की स्थिति में वे लोगों को पालिसी को जारी रखने के लिए पर्सवेड करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री को इस बारे में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

श्री जनार्दनपूजारी (मंगलोर) : ऐसा तो पहले ही किया जा चुका है।

श्री हरीश रावत : जितने भी कार्पोरेशन हैं, चाहे वे स्टेट्स के हों या सेन्टर के, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के नाम पर उन्हें कई शक्तियां दी गई हैं। सरकार उनके दैनिक कार्य कलाप में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन ये कार्पोरेशन पब्लिक मनी को मिसयूज कर रहे हैं, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं।

अगर इसका अध्ययन किया जाए, तो पता चलेगा कि ये कार्पोरेशन अरबों रुपये बर्बाद कर रहे हैं और सरकार के सामने जो कनसेप्ट है, उसको डिफीट करने के लिए हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन कार्पोरेशन्ज को भी नियन्त्रण में लाने के लिए मंत्री महोदय सार्थक कदम उठाएं।

विशेषकर बैंकों में सरकार की कोई दखलन्दाजी नहीं है । सरकार का जो बेसिक कनसेप्ट है, जिसके द्वारा वह तीन करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना चाहती है, उसको पूरा करने में बैंक कोई योगदान नहीं दे रहे है । उनसे जो अपेक्षा की गई थी, वह पूरी नहीं हो रही है । वे अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं। सरकार को उन पर इफैक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहिए ।

मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय वित्त मन्त्री जी और उप वित्त मन्त्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज समय है कि हम स्ट्रिक्ट इकानोमिक पालिसीज को अपनाएं ।

हम मजबूती के साथ अपनी नीतियों का अनुपालन कराएं । हमारी नीतियों में कोई त्रुटि नहीं है । त्रुटि अगर कहीं है तो इम्पलीमेंटेशन की स्टेज पर है और वह त्रुटि हमको मंहगी पड़ती है, हमारी राजनैतिक व्यवस्था को मंहगी पड़ती है, हमारे राज नेताओं के लिए महगी पड़ती है । इसलिए जो इम्पलीमेंटेशन करने वाली हमारी एजेन्सीज हैं उनके ऊपर हमारा एफक्टिव कंट्रोल होना चाहिए । उनकी डे टु डे की वर्किंग के ऊपर प्रापर मानिटरिंग होनी चाहिए । अगर प्रापर मानिटरिंग नहीं करेंगे और ठीक तरीके से उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो जो समाज को राहत देने का हमारा कार्य है उसे हम पूरा नहीं कर सकेंगे ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं । महोदय, विपक्ष के सशक्त वक्ता, श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया । यह तो एक प्रकार का चुनाव भाषण था । उन्होंने अपने भाषण में अनेक बार मेरा भी नाम लिया था परन्तु अब वह सभा में उपस्थित नहीं हैं । वह एक राज्य से संबंधित हैं जहां 365 दिन में से प्रायः 360 दिन अन्धेरा रहता है, रोशनी नहीं होती (बिजली नहीं होती) अतः हमें उनके भाषण में यह देखकर आश्चर्य नहीं होता कि वह किसी भी बात पर प्रकाश नहीं डाल सके । इसके स्थान पर उन्होंने हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में काला फीता दर्शाया । वह यहां तक कह गए कि इस बजट का एक भाग स्वय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तैयार किया था । वह बंगाल के हैं जिस धरती ने इतने विख्यात राष्ट्रीय नेता उत्पन्न किये हैं, परन्तु यह खेद की बात है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्वाधीन भारत जैसे देश से यह अपेक्षा करे कि वह अपने पर किसी विदेशी एजेंसी का हम पर कोई दबाव आने देगा या कि हम उसके सामने झुक जायेंगा ।

महोदय, जहां कि मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा घोषित की गई कुछ रियायतों का स्वागत करता हूं वहां मैं इन्हें यह वचन भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क का एक ट्रिबुनल स्थापित करने के बारे में वर्ष 1980 में इसी सभा में भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने दिया था वह वचनबद्धता अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है और मंत्रालय के सामने 29 हजार मामले

[श्री संतोष मोहन देव]

लम्बित पड़े हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। मेरा अनुरोध है कि वह इस समस्या पर विचार करें।

महोदय मेरा सम्बन्ध एक ऐसे राज्य से है जहां गत ढाई वर्षों से राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त है और क्योंकि मैं उन दो सदस्यों में से एक हूं—एक तो मन्त्री हैं—जो बारह संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्भाग्य से, मेरे राज्य में राजनैतिक अस्थिरता का कारण आर्थिक पिछड़ा पन है। मैं इस सरकार का कृतज्ञ हूं कि छठी योजना के परिव्यय में काफी हद तक वृद्धि की गई है और दूसरा नियतन पांचवीं योजना के 305 करोड़ की तुलना में अब 1150 करोड़ रुपये है। राज्य की राजस्व आय जितनी कम है पर राज्य के लिए कोई विकास कार्य करना या रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु, कोई परियोजना शुरू करना कठिन हो जाता है।

महोदय, हमारी मुख्य आय पेट्रोल से प्राप्त रायल्टी है जिस पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है। अंग्रेजों के जमाने में पेट्रोल पर रायल्टी 10 रुपये थी जो आज बढ़ाकर 62 रुपये कर दी गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जब श्री सरीन आसाम के राज्य के मुख्य सलाहकार थे - यह किया राजनैतिक नेता ने सिफारिश नहीं की है तो उन्होंने एक दृढ़ तर्क रखा था कि पेट्रोल पर रायल्टी बढ़ाकर 315 रुपये कर दी जानी चाहिए। उस दिन सभा में भी मैंने यह बात उठाई थी। वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि इसे चार वर्ष बाद पुनरीक्षित किया जा रहा है। परन्तु इस तथ्य की दृष्टि से कि राजस्व का यही एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में उदारता बरते और 315 रुपये की रायल्टी की हमारी उचित मांग को मानले।

हमारे राज्य में शायद ही कोई औद्योगिक विकल्प होता हो। सारे ही आसाम राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में यदि लोगों द्वारा बैंकों में जमा कराई गई धन राशि के आंकड़े देखे जांए तो आप पायेंगे कि उनकी तुलना में बैंकों का निवेश बहुत ही कम है। इस सभा में बार बार आंकडे दिए जा चुके हैं और इससे निश्चय ही बड़ी उदासीन स्थिति का पता चलता है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार की यह प्रवृत्ति है कि निवेश किया ही न जाए परन्तु इसका मुख्य कारण यह है कि वहां बैंकिंग संगठनों का मूल ढांचा बहुत ही कमजोर है। मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में—19 जून का प्रश्न संख्या 8—मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 55 अतिरिक्त शाखायें खोली जायेंगी परन्तु साथ ही कहा था। कि राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की है। मैं मानता हूं कि यह सच होगा परन्तु इन बैंकों की स्थापना में इस सरकार ने भी तो अपनी भूमि का निभानी थी। बैंकों की स्थापना के बाद उनके कृतयों को भी बेहतर ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए। स्टेट बैंक आफ इन्डिया का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय खोल दिया गया है पर दुर्भाग्य से यूनाइटिड बैंक आफ इन्डिया, यूनाइटिड कमरशल

बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक आदि बैंकों ने ऐसा नहीं किया है उनके मुख्य कार्यालय या तो कलकत्ता में हैं या दिल्ली अथवा बम्बई जैसे स्थानों पर है। परिणामत: बैंकों से सहायता के हजारों लाखों आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस विशिष्ट समस्या पर विचार करे। राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए या तो क्षेत्रीय कार्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाए या उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबन्धकों को अधिक शक्तियां प्रदान कर दी जाए। आसाम के किसी उद्यमी के लिए बड़ा कठिन है कि वह अपने वित्तीय प्रस्ताव लेकर मंजूर कराने हेतु कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली आए। यह बड़ा खर्चीला मामला होगा तथा दूरी के कारण मुश्किल भी।

फिर अपने आप उद्योगों तथा प्लाई लकड़ी के उद्योगों के कारण आसाम आम बीमा क्षेत्र में प्रीमियम के रूप में भारी राशि देता, परन्तु दुर्भाग्यवश वहां केवल एक आय बीमा कपनी है जिसका क्षेत्रीय कार्यालय आसाम में है। मिजोरम, त्रिपुरा काचार उत्तर काचार की पहाड़ियों में आय बीमा के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए अच्छे अवसर हैं। सरकार कृपया इस बारे में विचार करे। मैं मन्त्री महोदय का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में एक जीवन बीमा निगम का एक डिविजनल कार्यालय खोला। अब जीवन बीमा निगम को शीघ्र ही पांच संगठनों में विभाजित किया जा रहा है। मैं इसका पक्का समर्थक हूं। जहां यह हो रहा है तो धन में से एक संगठन का मुख्य कार्यालय गोहाटी में खोल दिया जाये। मैं कलकत्ता के लोगों के पास पूर्ण सम्मान दिखाते हुए यह कहना चाहूंगा कि कलकत्ता में जीवन बीमा अथवा स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय संघों के नेताओं का अड्डा बना हुआ है ताकि उत्पादकता नहीं अव्यवस्था पैदा की जाए। हाल ही में, मै यूनाइटिड बैंक आफ इन्डिया के एक कार्यालय में गया था। एक बार आप भीतर प्रवेश कर गए तो आप पायेंगे कि आप एक ऐसे कार्यालय में आए हैं जहाँ चारों तरफ पोस्टर ही पोस्टर हैं, और कुछ नहीं। दीवार पर चारों ओर 10 संघों ने अपने पोस्टर चिपका रखे हैं। यदि डाक घर या अन्य कार्यालयों में पोस्टर चिपकाने पर प्रतिबंध है तो मन्त्री महोदय बैंकों में भी ऐसे पोस्टर न लगाने का नियम बनायें। मन्त्री महोदय इस पर अवश्य विचार करें।

यदि आप जीवन बीमा निगम का विभाजन करते समय उनमें से एक संगठन का मुख्य कार्यालय गोहाटी में खोल देते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप लोगों से अधिक प्रीमियम राशि प्राप्त कर सकेंगे। यह इसलिए क्योंकि वहां जीवन बीमा योजना चलाने के लिए बहुत अच्छे आसार हैं ?

लेकिन दुर्भाग्यवश प्रस्ताव शीघ्रता से स्वीकार नहीं किए जाते हैं और मांगों की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी वितरण की रफ्तार बहुत धीमी है क्योंकि कोई आधार ढांचा नहीं है, मैं माननीय मन्त्री जी से विशेष तौर पर इस पहलू पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

जब इस क्षेत्र के पहलुओं पर विचार हो रहा था, प्रधान मन्त्री जी ने एक समिति का गठन किया था जो पहले मक्वाना समिति के नाम से जानी जाती थी, अब इसे लस्कर समिति

[श्री सन्तोष मोहन देव]

कहते हैं। उस समिति ने समय-समय पर वित्त मन्त्रालय सहित केन्द्र सरकार को इस क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास प्रस्तावों के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं और इन विशिष्ठ प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक संचालन संस्था एन० ई० सी० (उत्तर पूर्वी परिषद) है। आपको यह जानकर दुख और आश्चर्य होगा कि आसाम के गठन अथवा विभाजन के बाद, जो पहले राज्यपाल के अधीन था, अब वहां दो राज्यपाल हैं, एक राज्यपाल मेघालय और आसाम के प्रभारी हैं और दूसरे केन्द्र शासित प्रदेश और राज्यों के उत्तर पूर्वी परिषद का कोई अध्यक्ष नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप लस्कर समिति या मक्वाना समिति द्वारा दिए गए सुझावों को, जिन्हें उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा तकनीकी जानकारी और स्वीकृति दिए जाने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा मजूरी दी जानी अपेक्षित है, उन पर कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है और यह काम बिल्कुल रुका पड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपका जो भी निर्णय हो, कोई भी अध्यक्ष हो, उत्तर पूर्वी परिषद के लिए शीघ्र अध्यक्ष निर्वाचित अथवा मनोनीत किया जाय।

मेरा दूसरा अनुरोध इस बारे में है कि आसाम में हाल में जो बैंकिंग सेवा आयोग गठित किया गया है वह अत्यन्त निष्क्रिय है। आसाम में प्रायः सभी शाखाओं में, सभी राष्ट्रीय कृत बैंकों में कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें बहुत अधिक घाटा हो रहा है। यदि आप कोई प्रस्ताव विशेष तौर पर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के बारे में लेकर किसी बैंक में जाते है तो आपको वे हमेशा यह कहते हुए मिलेंगे कि हमारे पास इन पर काम करने के लिए आदमी नहीं हैं। चूंकि बैंकिंग सेवा आयोग के गठन होने के बाद अध्यक्ष की नियुक्ति हो गयी है इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी बैंकों के सभी रिक्त स्थान शीघ्र भरे जाएं और वहां की जाने वाली नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को अधिक अवसर दिये जाएं। अन्त में मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आसाम के प्रति अपने रुख में परिवर्तन करें। इस समय वहां राष्ट्रपति का शासन है और हर बात भारत के राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल वहां शासन कर रहे हैं और गृहमंत्री के हाथों में ताकत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि आसाम में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां एक आन्दोलन हो रहा है, पुलिस आपके अधीन है; सरकारी प्रशासन आपके अधीन है। धन आपके पास है और बैंकिंग का संगठन आपके अधीन है। यदि आप आसाम में यह साबित कर दें कि आप वास्तव में आसाम के आर्थिक विकास के प्रति गम्भीर हैं, मुझे पक्का विश्वास है जिस आन्दोलन की जड़े उखड़ रही हैं वह बिल्कुल ही उखड़ जायेगा और आसाम के लोग जो भावनाओं से राष्ट्र भक्त हैं, निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को सहयोग देने के लिए आगे आयेंगे और अवश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जहां यह पृथकतावादी आन्दोलन –जिसे लोगों का एक बहुत छोटा वर्ग वहां चला रहा है, शीघ्र समाप्त हो जाएगा और वे लोग फिर से मुख्य राष्ट्रीय धारा के साथ हो जाएंगे तथा सरकार बनाने में सफल

होंगे चाहे कोई भी दल बहुमत प्राप्त करे। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

श्री कमालुद्दीन अहमद (वारंगल) : महोदय, मैं विधेयक का और वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का भी समर्थन करता हूं, साथ ही मैं राज्य सरकार की निष्क्रियता की ओर भी उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, हम नियोजित अर्थ-व्यवस्था के प्रति समर्पित हैं, और इस समय हमारे पास छठी योजना है। इस अवधि के दौरान हमने हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं; परन्तु परिणाम स्वरूप यदि हम उपलब्धियों और लक्ष्यों को देखें तो मुझे कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकारों का काम सराहनीय नहीं रहा। इसके अलावा देश में खतरनाक प्रवृत्ति विद्यमान हो रही है। पिछले छः महीनों के दौरान समाचारों में हमें ऐसे समाचार देखने में मिल रहे हैं जिनमें वित्तमंत्री, योजना आयोग, रिजर्व बैंक के गवर्नर और हर एक व्यक्ति ओवर ड्राफ्ट और घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है।

यदि केन्द्रीय सरकार घाटे की अर्थ-व्यवस्था चला रही हो तो यह बात हमारी समझ में आ सकती है लेकिन यह तो बिल्कुल ही अकल्पनीय है, यदि राज्य इसी प्रकार अनुत्तरदायी ढंग से ओवर ड्राफ्ट लेते रहे तो यह बात हमारी समझ से परे है। मेरा विश्वास है कुल 12000 करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट इस समय राज्य सरकारों के पास लम्बित है। इस 12000 करोड़ रुपये में से केवल पश्चिम बंगाल की सरकार को 372 करोड़ का भुगतान करना है राजस्थान और प्रायः सभी राज्य सरकारों ने ऐसा ही किया है। मैं किसी एक राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं बल्कि मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। जहां कहीं भी ओवर ड्राफ्ट का भुगतान होना है उनको कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं मिलता। वे ओवर ड्राफ्टों के भुगतान के लिए अपने स्रोत जुटाने की स्थिति में नहीं हैं। ये ओवर ड्राफ्ट लम्बित पड़े है और हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि इन गलत कामों के लिए हम उन्हें प्रीमियम दे रहे हैं केन्द्रीय सरकार ओवर ड्राफ्ट की इस समस्या को हल करने हेतु आगे आ रही है, सरकार कहती है इसका हल यह है कि— योजना आयोग ने अपने एक पत्र में कहा हैं। कि यदि मार्च के अन्त तक ओवर ड्राफ्टों को नहीं चुकाया जाएगा तो वह इन ओवर ड्राफ्टों को आगामी वर्ष की योजना बजट में समायोजित कर लेंगे इसमें किसे नुकसान होगा। इस प्रकार की असन्तुलित वित्तीय व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था को अनुत्तरदायी ढंग से चलाने के कारण राज्य के लोगों को नुकसान हो रहा है जहां तक मैं समझता हूं इसका परिणाम यह होता है कि गैर योजना क्षेत्र में खर्च करने के कारण ओवर ड्राफ्ट उनको असन्तुलित व्यय के कारण ये ओवर ड्राफ्ट लेने पड़ते है। यदि हम आगामी वर्ष की योजना में इन ओवर ड्राफ्टों को समायोजित करें तो मेरे दृष्टिकोण से यह उचित तरीका अथवा उपाय नहीं होगा।

[श्री कमलद्दीन अहमद]

जब मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने राज्यों के लिए और अधिक आर्थिक अधिकारों की वकालत की तो मुझे आश्चर्य हुआ। वास्तव में हमारे वित्त प्रबन्ध की वर्तमान प्रणाली तथा राज्यों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और अधिक कार्यक्रमों में मैंने यह पाया है कि हमें नए ढग से सोचना है जैसे हम अपने योजना के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार अपने आर्थिक कार्यक्रमों को चला सकते हैं और पूरा कर सकते हैं।

प्रगति के लिए शान्ति जरूरी है। जब तक शान्ति नहीं होगी हम किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते। यदि स्वतत्रता प्राप्ति के बाद के पिछले 30 या 35 वर्षों के दौरान की परिस्थितियों को हम देखें, तो मुश्किल से कोई साल ऐसा होगा जब साम्प्रदायिक दगे या हिंसा की अन्य घटनाएं न हुई हों। हमारे सारे प्रयासों के बावजूद अभी भी साम्प्रदायिक दंगें हो रहे हैं; इसी प्रकार हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार भी हो रहे है और औद्योगिक क्षेत्र में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, अब हम सब को मालूम है कि बम्बई में लगभग साढ़े तीन लाख लोग हड़ताल पर हैं और दुर्भाग्य वश केन्द्रीय सरकार कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। यदि हम कोई उपाय सोचते है तो तुरन्त यह कहा जाता है कि यह राज्य का क्षेत्र है और दूसरा निपटारा राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। कहा जाता है कि कानून और व्यवस्था का प्रश्न भी राज्य का दायित्व है; यदि वे इस पर नियंत्रण रखने में असफल रहते हैं हमें कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी जब हिंसक घटनाएं हो जाती हैं हम सदन में इसकी चर्चा करते हैं और इसके लिए ज्ञानीजी को उत्तरदायी ठहराने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। वे बिना किसी ताकत के तुरन्त अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत उनके पास केवल इतनी ताकत है कि वे मुख्य मत्री का ध्यान आकृष्ठ कर सकते हैं या गृह सचिव राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिख सकता है। इससे अधिक कोई ताकत नहीं, लेकिन ज्ञानी जी अवश्य सामने आयेंगे और ऐसा ही या इतना ही कहेंगे कि हम उपाय कर रहे हैं, मैं जिस बात की वकालत कर रहा हूं वह यह है कि सारे तंत्र में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राज्य के क्या अधिकार होने चाहिए और केन्द्र के पास क्या अधिकार होने चाहिए ? मैं जोर देकर कहना चाहता हूं इस सारे मामले में हमें फिर से विचार करना होगा ?

मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे देश के संविधान पर विचार हो रहा था तो कुछ आशंकाऐं व्यक्त की गयी थी कि सविधान इस देश के लिए उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन तत्कालीन सदस्यों ने अपनी बुद्धिमता से संविधान को मजूरी दे दी। मैं केवल डा० अम्बेडकर के भाषण से एक छोटा अंश उद्धृत करूंगा जिसमें उन्होंने कहा हैं:

"लोक तांत्रिक प्रशासक को दो शर्तें पूरी करनी होगी उसे एक स्थिर प्रशासक होना पड़ेगा और उसे एक उत्तरदायी प्रशासक होना होगा। दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसी

किसी प्रणाली का पता नहीं लगा है जो इन दोनों को समानतौर पर सुनिश्चित करा सके। आपके पास ऐसी प्रणाली हो सकती है जो आपको अधिक स्थिरता दे या आप ऐसी प्रणाली अपना सकते हैं जो आपको अधिक उत्तरदायित्व दे लेकिन उसमें स्थिरता कम हो"

इसलिए इस प्रकार अमेरिका और स्विटजर लैण्ड की प्रणालियां अधिक स्थिरता और कम उत्तरदायित्व प्रदान करती हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रणाली आपको अधिक उत्तर दायित्व परन्तु स्थिरता कम देती है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसके परिणाम से यह स्पष्ट है कि हमने ब्रिट्रेन की संसदीय प्रणाली अपनाई है इस प्रणाली के अन्तर्गत जो कुछ भी होता है उसके लिए हम किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते।

अब, यदि कानून और व्यवस्था असफल होती हैं तो मैं यह ठीक नहीं समझता कि किसी भी राज्य में इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए कि राज्य सरकार वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हो गई है और न हम किसी सरकार को मिथ्या कारणों से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करने में सक्षम हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा। हमने ब्रिट्रेन को संसदीय प्रणाली अपनाई है और दुर्भाग्यवश हमें इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) दिल्ली में कानून और व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार को कौन बर्खास्त कर रहा हैं? (व्यवधान)

श्री कमालुद्दीन अहमद : आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं हर बात का विवरण दूंगा। हमारे देश के क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार, हमने विश्व के दो विकसित देशों में जो भी प्रणाली विद्यमान थी उनका परीक्षण करना चाहिए था। रूस और अमेरिका विश्व में दो अधिक विकसित देश हैं। अब, यदि हमने कोई प्रणाली अपनानी थी तो हमने रूस या अमेरिका की प्रणाली अपनानी चाहिए थी। लेकिन हमने एक छोटे से देश की प्रणाली अपनाई जो देश शायद हमें यह प्रणाली देने में एक प्रकार से सहायक रहा। मेरा कहना है कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके बारे में कोई आदमी भावुकता महसूस करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्तमान प्रणाली में पुर्नविचार की आवश्यकता है। हमने जो कुछ किया है उसका पुर्नमूल्यांकन करने की आवश्यकता हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम एक ऐसी प्रणाली अपनाएँ जिससे केन्द्रीय सरकार अधिक उत्तरदायी और अधिक शक्तिशाली बने। हमारी अजीब किस्म की ऐसी दुर्गति हुई है कि हमारे पास ऐसा प्रशासन तंत्र है जो किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि योजना के लक्ष्य उपलब्ध न किए गए तो कोई भी अधिकारी उत्तारदायी नहीं ठहराया जाता। यदि कानून और व्यवस्था बिगड़ जाती है तो कोई भी अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। किसी भी व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी नहीं है।

[श्री कमालुद्दीन अहमद]

मैं यह सुझाव दूंगा कि इस सदन को वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करना होगा और हमें अपने लिए सरकार की एक प्रणाली और एक ऐसे संविधान के बारे में, जो नागरिकों को सुरक्षा देगी तथा हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति सुनिश्चित करेगी के बारे में सोचना होगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या माननीय सदस्य राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की वकालत कर रहे हैं ? क्या आप राष्ट्रपति की प्रणाली की सरकार की वकालत कर रहे हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैंने सर्वाधिक विकसित देशों की प्रणाली के बारे में कहा है। एक किस्म की प्रणाली रूस में और दूसरे किस्म की अमेरिका में उपलब्ध है।

उन पर विचार किया जा सकता है उन पर सोचा जा सकता है और हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए (व्यवधान)

यह इस सदन का संयुक्त दायित्व है कि हम एक ऐसी प्रणाली तैयार करें ताकि हम अपने नागरिकों को और अधिक सुरक्षा और आर्थिक सम्पन्नता दे सकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह लोगों को मिलेगा।

श्री कमालुद्दीन अहमद : और आपके माध्यम से हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन्हें बहुसंख्यकों का मत प्राप्त है से मैं एक विशेष अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अब आपने माना है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : इस देश में बहुसंख्यकों का उनको मिला मत केवल उनके प्रति स्नेह के कारण नहीं है। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप उन्हें राष्ट्रपति बना सकते हैं। लेकिन वे अमरीका के राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : यह एक ऐसी सरकार के बीच चुनाव करना था जो लोगों को और अधिक आर्थिक सम्पन्नता तथा जान और माल की सुरक्षा प्रदान करती है।

अन्त में एक छोटा सा मामला है जिसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, दो वर्ष पूर्व हमें बताया गया था कि गोदावरी बेसिन में गैस और तेल का पता लगा है। दुर्भाग्य से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और हम कोई चमत्कारी परिणाम दिखाने में असफल रहे हैं। मैं वित्त मन्त्रालय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय से इस मामले में उचित कार्यवाही करने और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध करना चाहता हूं। ताकि

हमारे राजकोष का भार हल्का हो सके। हम तेल और गैस का पता लगा सकते हैं जिससे हमारे राज्य और देश में सम्पन्नता आयेगी।

सभापति महोदय : श्री अशफाक हुसैन।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : चेयरमैन साहब, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश की आबादी इस पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश से 85 मेम्बर लोक सभा के भी चुनकर आते हैं। लेकिन मैं अपने प्रदेश की तरफ से यह बात आज इस सदन में रखना चाहता हूं कि जहां कहीं भी मामला उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहन देने का, उसको फंड देने का होता है यह सरकार, चाहे उसके प्रधान मन्त्री जो भी रहे हों, और उत्तर प्रदेश से ही ज्यादातर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ज्यादती की गई है। उसको जो हिस्सा मिलना चाहिए वह नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के साथ जो ज्यादती होती रही है उसको उठाना मेरा फर्ज रहा है, और इसलिए मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के ज्यादातर भागों में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश है और उसमें गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ जिले आते हैं। चेयरमैन साहब आपका जिला भी आजमगढ़ ही है जहां आपकी कांस्टीट्यूऐन्सी है। मैं उसी गोरखपुर कमिश्नरी का जिक्र कर रहा हूं जिसमें एक क्षेत्र महाराजगंज है।

पूरे गोरखपुर के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया लीड बैंक है, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसे जो लीड बैंक का रोल अदा करना चाहिए था, वह उसने नहीं किया। मैंने इससे पहले भी मांग की थी कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया क्योंकि गोरखपुर का लीड बैंक है, इसलिए उसका रीजनल आफिस बजाय बनारस में होने के गोरखपुर में होना चाहिए ताकि गोरखपुर जैसे पिछड़े हुए इलाके की अच्छी तरह से देखभाल की जा सके, लेकिन पता नहीं क्या कठिनाई है, दिक्कत है जिसके कारण कानपुर में जो स्टेट बैंक का मुख्यालय है, वह गोरखपुर के बैंक को रीजनल आफिस का दर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है।

मैं कुछ उदाहरण इसके लिए देना चाहता हूं। गोरखपुर हैंडलूम का एक विशेष सेन्टर रहा है, लेकिन वहां स्टेट हैंडलूम कार्पोरेशन की तरफ से हैंडलूम के बारे में जो एक काम्पलैक्स खोला गया है, उनको वर्किंग कैपिटल के लोन देने में भी स्टेट बैंक कतरा रहा है। एक तो समूचे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश को नजरअन्दाज किया जा रहा है, उसको उसके हिस्से का हक भी नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए और दूसरे खासतौर से गोरखपुर के स्टेट बैंक को जो वहां लीड बैंक का रोल अदा करना चाहिए, वह नहीं कर पा रहा है।

गोरखपुर में एक खित्ता है, जो जंगल से भरा हुआ खित्ता है। यहां साकू के भी जंगल हैं और ओस के भी जंगल हैं। यहां हजारों एकड़ ऐसी जमीन पड़ी हुई है जो मझार है जिसमें

[श्री अशफाकहुसैन]

घास उगती हैं, उसका इडस्ट्रीयलाइजेशन करना चाहिए । मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जब तक यहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, यहां पर पुराने जमाने में एक तरह से जो लेबर डिपो खुला हुआ था, जिसके जरिए तमाम लेबर भर्ती करके न सिर्फ हिन्दुस्तान की तमाम खदानों में भेजी जाती थी, बल्कि बहार के मुल्कों में भी भेजी जाती थी, वह लेबर डिपो तोड़ दिया गया है । लेकिन आज भी वहां की लेबर जो हरियाणा, पंजाब, बिहार की खदानों और दूर-दूर तक खेती के काम करने के लिए जाते हैं, उनके आराम और असाइश का कोई इन्तजाम नहीं है । लेबर डिपो की जमीन जो वहां पड़ी थी, उसको भी इस्तेमाल में लाना चाहिए । जो लोग बाहर मजदूरों की तरह से काम कर रहे हैं, उनके फलाह और वहबदी का काम भी सरकार को करना चाहिए । जंगल पर आधारित वहां साकू के बीज से तेल निकालने का काम भी करना चाहिये । ताकि वहां के लोग जो बाहर रोजी की तलाश में जाते हैं, उनको वहीं रोजी मिल सके और वह अपनी जीविका कमा सकें । कागज की मिल भी वहां पर लगाई जा सकती है लेकिन इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है ।

मुझे बड़ा अफसोस है कि जब इससे पहले नारायण दत्त जी तिवारी योजना मन्त्री थे, मैंने उनको पत्र लिखकर भेजा था और कहा था कि तिवारी जी आप इस क्षेत्र में जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं, आप जानते हैं कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र की तरक्की के लिए क्या कदम उठाने चाहिए । मैंने उनसे मांग की थी कि एक विशेष स्टडी टीम योजना मंत्रालय की वहां भेजें । उन्होंने एग्री तो किया, यह माना कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरे पत्र को उत्तर प्रदेश के मख्य मन्त्री के पास भेज दिया, इसके साथ कि मैं इससे सहमत हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वहां के लिए एक स्टडी टीम को भेजे । लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के पास वह खत पहुंचा तो मेरे बार-बार रिमाइन्डर के बाद भी, और एक बार योजना मन्त्री नारायण दत्त तिवारी के रिमाइन्डर देने के बाद भी वहां से कोई नतीजा नहीं निकला । हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री डाकुओं में फंसे रहे हों या दूसरे कामों में व्यस्त रहे हों, बहरहाल जो उत्तर प्रदेश के इस पिछड़े हुए क्षेत्र की तरक्की के लिएकेन्द्र को रवैय्या अपनाना चाहिए था, वह नहीं अपना रही है ।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि योजना मन्त्रालय की एक स्टडी टीम इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए भेजे, इस पिछड़े क्षेत्र का अध्ययन हो ताकि वहां से जो लेबर फोर्स बाहर जाती है, वह वहीं पर रह सके और वहीं उसको रोजगार व काम मिल सके ।

बैंकों को हिदायत दी जाए कि उद्योग खोलने के समय वहां के उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए । उत्तर प्रदेश में जो कठिनाइयां हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है । प्लानिंग कमीशन को इस सम्बन्ध में एक स्टडी टीम भेजनी चाहिए, ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरक्की हो सके ।

(ख) लेप्रोस्कोपिक नसबन्दी आपरेशन सम्बन्धी सुविधाएं जरूरतों और प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न स्थानों में प्रदान की जा रही है।

(ग) लेप्रोस्कोपिक नसबन्दी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके लिए सर्जन का अनुभवी, प्रशिक्षित और कार्यकुशल होना अपेक्षित है। इसके अलावा जो उपकरण इस्तेमाल किये जाते हैं वे नाजुक और महंगे होते हैं और देश में उनकी मरम्मत करने के साधन भी सीमित हैं। अतः इस प्रक्रिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि देश के कुछ भागों में, इस प्रयोजन के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिविर लगाये जा सकते हैं और लगाये जाते हैं।

(घ) केन्द्र सरकार ने अभी तक देश के किसी भी जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक उपकरण नहीं दिये हैं। फिर भी इसकी काफी सम्भावना है कि राज्य सरकारों ने देश के कुछ जिला अस्पतालों में लेप्रोस्कोपिक सप्लाई किये होंगे।

नौवहन उद्योग को पुनः सक्षम बनाने के लिए की गई कार्यवाही

9164. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौवहन उद्योग पर निरन्तर निगरानी रख रही है और इसे स्वस्थ बनाये रखने के लिए किसी आवश्यक सहायता देने के लिये निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1981 के दौरान नौवहन उद्योग की अनिश्चित स्थिति के बारे में केन्द्रीय मन्त्रालय चिंचित था जिसका कारण 1981 की अन्तिम तिमाही में हुई मन्दी था ; और

(ग) यदि हां, तो नौवहन उद्योग को पुनः सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और उठाये गये इन कदमों से नौवहन उद्योग का कार्य-निष्पादन किस सीमा तक सुधरा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) शिपिंग फ्रेट मार्किट में मौजूदा मन्दी से सरकार अवगत है। नौवहन विकास निधि समिति और नौवहन महानिदेशक इण्डियन शिपओनर्स एसोशियन से प्राप्त अभिवेदन का अध्ययन करेंगे और सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। सरकार उस पर गुणदोष के आधार पर उचित कार्यवाही करेगी।

केन्द्रीय विश्व विद्यालय के संकाय में कार्य कर रहे देशीकृत नागरिक

9165. **श्री रशीद मसूद :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्व विद्यालयों के संकाय में कितने देशीकृत नागरिक कार्य कर रहे हैं/कर रहे थे ;

(ख) वे भारतीय नागरिक कब बने थे ;

[श्री कैयर भूषण]

व्यवस्था बहुत अच्छी व्ययस्था है। हम इस ओर जा रहे हैं। देश के अनेक हिस्सों में यह व्यवस्था चल रही है और इस आधार पर हम मंहगाई को बहुत हद तक रोकने में सफल हुए हैं। तो व्यवस्था की दृष्टि से हम आगे उस ओर बढ़ रहे हैं।

वैसे ही और कुछ चीजें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारियों के साथ में हम उनके चंगुल में फंस गए हैं। यह सर्व साधारण आलोचना है। मगर वैचारिक दृष्टि से वे स्वयं भी यह महसूस करते हैं कि आज जिस स्थिति में हमारा देश है क्या उसमें हम अपने उद्योगपतियों को जो राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान कर सकते हैं, क्या उनको वैसे ही छोड़ दें? उनका सहयोग लेना आज हमारे लिये आवश्यक है। अगर हम उनका सहयोग नहीं लेंगे तो हम उन्हीं लोगों के चंगुल में फंस जाएंगे जो विश्व को बाजार बनाना चाहते हैं और हमारे देश को भी वह बाजार बनाकर छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हम उनको सीमित करके उनकी आमदनी को एक सीमित स्थान पर रखकर उनको मौका देंगे और उनको लेकर ही हम अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनको साम्राज्यवादियों के हाथ में जाने नहीं देंगे क्योंकि ऐसे भी लोग यहां पर हैं जो अपनी पूंजी साम्राज्यवादियों के साथ जोड़कर राष्ट्र के हितों को बरबाद करना चाहते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूंजी को देश के विकास में लगाना चाहते हैं। अगर हम उनको अपने साथ नहीं लेंगे और साम्राज्यवादियों के साथ जाने देंगे तो इतिहास

मैं जो गलती करते आए है उसी आधार पर हम फिर गलती करेंगे। साम्राज्यवाद अभी भी मुंह बाये खड़ा है, दुनिया को गुलाम बनाने के लिए तैयार है। हम उन्हीं के चंगुल मे फंस जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो इस आधार पर तो साम्यवादियों का सिद्धान्त और राष्ट्र-विरोधियों का सिद्धान्त एक हो जायगा और नतीजे के रूप में एक ही जगह पर हम पहुंचेंगे। इसको हम एक सस्ते ढंग से आलोचना करते हुए सुनते हैं तो हमारे दिल में थोड़ा दुःख होता है।

इस तरह की सस्ती आलोचना की जगह पर उन को यह स्वीकार करना चाहिए कि आज का बजट राष्ट्र के हित में है। इस के अन्दर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने का राष्ट्रीय स्तर पर हम को और उन को प्रयत्न करना होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में जो बात हम ने आपके सामने रखी उसी के सम्बन्ध में विशेष रूप से एक प्रान्त के बारे में चर्चा की गई। इस पूरे मुद्दे पर हमारे विपक्ष के नेताओं का ध्यान, यह राष्ट्र के लिए बजट है, इस ओर नहीं गया। ज्यादातर बंगाल के ऊपर वह इस चीज को लाये कि हम किस तरीके से हैं, हमारी व्यवस्था किस तरीके की है और साथ-साथ किस किस तरीके से हमें ज्यादा स्वायत्तता का मौका दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में इस बात को भी गम्भीरता से सोचने लगा कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है बंगाल के अन्दर जो हमारी नीतियों से नई और भिन्न है? जो इस समय वहां इनका शासन है उस के पूर्व में हमारी जो नीतियां रही

जिनको हम सारे देश में लागू किए हैं, बंगाल या केरल ने भी उसी नीति का लागू किया। उससे कोई भिन्न रूप उसका नहीं आया है। तो नीति की दृष्टि से हमसे कोई भिन्न या आगे का कोई कदम है यह उन्होंने हमें नहीं बताया। खासकर विशेष अधिकार और विशेष पूंजी का प्रश्न रखा। तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रान्तों की जो अपनी स्वायत्तता है वह आज भी उनमें निहित है, इसके बावजूद भी प्रान्तों की अधिक स्वायत्तता की बात और उस की मांग करेंगे, तो उसका परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। भाषा के नाम पर ही अलगाव क्यों न हो, राष्ट्रीय हित में अब यह सिद्ध हो गया है कि इससे हम विपरीत दिशा में जायेंगे। तो इस आधार पर ही, जो समाजवादी चिन्तक हैं उनके सामने ज्यादा गम्भीर रूप में यह बात सामने आई है। अब तो मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय हित में जितने भी प्रान्त हैं उनका आपस में एक दूसरे से मेल हो सके और उस आधार पर हम आगे बढ़ें। उनके अलगाव के कारण आगे-पीछे खींचने की कोशिश न की जाए।

इसी आधार पर मैं आपसे कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे राष्ट्रीय नेता इस दृष्टि से देखें कि जो हमारे देश के आदिवासी और हरिजन क्षेत्र हैं वहां पर विकास की बहुत ही अधिक गुंजाइश है। खासतौर से मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, यदि औद्योगिक दृष्टि से देखें, तो वहां पर विपुल खनिज भण्डार हैं, पानी एवं बिजली है, लेकिन चूंकि अपनी-अपनी तरफ की सिंचाई हो रही है और अन्त्योदय की ओर दृष्टिकोण कम है इसलिए इस सन्दर्भ में मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है, जिसका अर्थ है कि जल के बीच में बैठे हुए भी हम प्यासे हैं।

जल बिच मीन पियासी, मोहे लागत हांसी।

कबीर की स्थिति आज हमारी स्थिति है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथी ने बताया है कि वहां की स्थिति क्या है उससे भी बदतर स्थिति यहां की है। खेत मजदूर और छोटे किसानों की स्थिति पानी की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण बहुत खराब है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भिलाई का कारखाना है, वेलाडीला है लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी तथा हरिजन लोग हैं, जो छोटे किसान हैं उनकी स्थिति क्या है—इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। वहां के जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो वनों से आच्छादित हैं, जैसे कि बस्तर का इलाका है, वहां का औद्योगीकरण किसी के रोकने से रुक नहीं सकता है, लेकिन क्या उसका कोई लाभ वहां के स्थानीय हरिजन आदिवासियों को मिल सकेगा—इस ओर आपको ध्यान देना होगा। यदि वहां के आदिवासी कुशल नहीं हैं तो किसी कारखाने की स्थापना के पहले आप थोड़े समय के लिए उन लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उनको वहां पर नौकरी दें। इस आधार पर, इस देश के जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं -- बस्तर का मैंने उदाहरण दिया है उसके अतिरिक्त जैसे भिलाई, दुर्गापुर, रायपुर, शहडोल का क्षेत्र है वहां पर औद्योगिक दृष्टि से विकास करना सम्भव है। वहां पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक देन है लेकिन उसका लाभ

[श्री कैयूर भषण]

नीचे के लोगों को भी मिलना चाहिए। आज की स्थिति में आप देखेंगे कि जो इस प्रकार के पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर सारे देश के सम्पन्न लोग पहुंच जाते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जहां भी नए उद्योग लगें, चाहे उनमें व्यक्तिगत आधार पर ही पूंजी क्यों न लगाई जाए—उनमें शासन की ओर से यह शर्त लगाई जानी चाहिए कि स्थानीय विकास में उनको पूरा सहयोग देना होगा। उनको हम पानी देते हैं, बिजली देते हैं और अपनी जमीन देते हैं लेकिन उसके बावजूद हम भूखे पेट रहते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती है। उस क्षेत्र के हरिजन आदिवासी बन्धक मजदूर की हैसियत से कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक पड़े रहते हैं (व्यवधान) में एकाध मिनट और लूंगा।

हमारी बैंकों के लिए आपने जितनी योजनायें बनाई हैं वह ग्रामीण विकास के लिए बहुत सुन्दर है, उनसे उत्तम योजनायें बनाई नहीं जा सकती हैं लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था की दृष्टि से उनको लागू करने में आपको विशेष ध्यान देना होगा। आज जितने भूमिहीन तथा छोटे किसान हैं वे बैंकों की लेन-देन की व्यवस्था में इस प्रकार से पिस जाते हैं कि उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अगर अकाल पीड़ित क्षेत्र है और इसमें कोई एक बार ऋण ले लेता है, तो जैसे साहूकार से ऋण लेने के बाद उस की जमीन बिक जाती थी और वह बरबाद हो जाता है, उसी तरह की स्थिति बैंकों से ऋण लेने पर हो गई है। अगर वह ऋण वापस नहीं कर सका और डिफाल्टर हो गया चाहे अकाल के कारण ही वह पैसा न दे पाया हो और चाहे कुएं से पानी न मिलने के कारण वह पैसा वापस न कर सका हो, तो भी उसको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है। जब जमीन बरबाद हो जाती है और वह उस से कुछ पैसा नहीं कमा सका, तो ऐसे केसेज के बारे में आपको सोचना चाहिए।

अन्त में मैंयह बात और कहना चाहता हूं कि आप की जो ग्रामीण व्यवस्था है, उसके अन्दर ग्राम पंचायत, जो सबसे छोटी इकाई है, को आप को सक्षम बनाना चाहिए और उसको आप ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें और जिम्मेदारियां दें। जितनी हम सोसाइटियां बनाते हैं, उन को वहां तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों को माध्यम बनायें और बैंकों का निर्माण आप ग्रामों के आधार पर करें, जिस से लेन देन में कोई कठिनाई न हो। आज तो होता यह है कि अगर कोई ऋण लेने जाता है और वह किसी का भी कर्जदार नहीं है, तो भी उसको 10 बैंकों से लिखाना पड़ता है कि मैं इन सब बैंकों के ऋणों से मुक्त हूं और उसके बाद ही कोई बैंक उसको कर्जा देता है। इस तरह से लेनदेन का तरीका बड़ा कठिन हो गया है और इसको आपको सरल बनाना चाहिए, जिससे अन्त का जो आदमी है, वह लाभन्वित हो सके।

इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर): चेयरमैन साहब, आप का शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

बात यह है कि मैं यहां पर दिये गये भाषण सुन रहा था और हर एक आदमी ऐसे भाषण करता है जैसे कि उसे आदिवासियों, हरिजनों से बहुत प्यार हो मगर हरिजनों की हालत तो वैसी की वैसी है। इस का कारण क्या है। वहां पर यह कह दिया जाता है कि इनको यह दे दो और कानून भी बन जाते हैं लेकिन उनका ठीक से इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है। स्टेट इसेम्बलीज में जो एम० एल० एज होते हैं, वे स्टेट्स से उनका इम्पलीमेंटेशन करा सकते हैं और यहां से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनका ठीक से इम्पलीमेंटेशन हो।

जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, हमारा हिन्दुस्तान इन्डस्ट्री का मुल्क नहीं है। यहां पर जो अनइम्पलायमेंट का प्राब्लम है, वह तब तक हल नहीं होगा जब तक कि लैंड रिफार्म्स न हों। सभी लैंड रिफार्म्स का नारा लगाते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी हमारे चटर्जी साहब बोल रहे थे। वे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बड़ी अच्छी हालत है। मैंने पढ़ा है कि वहां पर वैसी हालत है। वहां जो आदिवासियों को, ट्राइबल्स को जमीन मिली थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया लेकिन जब वह जमीन अच्छी हो गई, तो उस पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। इस के सपोर्ट में मेरे पास कागज थे, जिन को मैं आज यहां लाया क्योंकि मैं नहीं समझता था कि मझे आज बोलने का मौका मिल जाएगा, वरना मैं उनको पढ़ कर सुना देता।

एक और बात यह कहना चाहता हूं कि हर एक आदमी कहता है कि गन्ने की कीमत बढ़ानी चाहिए। इस को 27 रुपये क्विन्टल करना चाहिए या 22 रुपये क्विंटल करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि गन्दुग की जो कीमत 142 रुपये फिक्स की है, वह बहुत कम है।

एक तरफ तो इन की कीमत बढ़ाने की बात ये लोग कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। जब इन चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, तो गरीब लोग इनको कहां से खरीद पाएंगे। इस तरह से गरीब मर जाएगा। एक तरफ इनकी कीमतें बढ़ाने की बात ये करते हैं और दूसरी तरफ गरीबों का नाम ये लेते हैं और मुझे दुःख इस बात का है कि गरीब इस बात को नहीं समझता कि यह बिल्कुल पाखण्ड है। गरीबो के लिए आप सोचते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि लैंड रिफार्म्स होने चाहिए। अगर लैंड रिफार्म्स हो जाते हैं. तो बहुत सी ये बातें खत्म हो जाएंगी। मुझे आप बताएं कि कहीं लैंड रिफार्म्स हुए हैं। 7 हैक्टेयर सीलिंग की जमीन होनी चाहिए। किसी ने इन लैंड रिफार्म्स को इम्पलीमेंट नहीं किया है। आपने बहुत से रूल्स बनाए हुए हैं लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ और सब गरीबों की बात करते हैं, उन का नाम लेते हैं लेकिन गरीब यह नहीं समझ पाता कि उस के लिए भी कुछ हो रहा है।

अभी यू० पी० के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। यू० पी० से 75 एम० पीज चुनकर आए हैं। आप के यहां बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है लेकिन आपको चाहे जितनी सहूलियतें दे दी जाएं, तो भी मैं बताना चाहता हूं कि आप तरक्की नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर आप की स्टेट की

[श्री सुन्दर सिंह]

हैं और सब कुछ आपका है लेकिन फिर भी आप बैकवर्ड हैं। गोरखपुर और ऐसी ही दूसरी जगहों की हालत क्या है। उस क्षेत्र के लोग रिक्शा चलाते हैं और ड्राइवर बने हुए हैं। कहते हैं कि जमीन पड़ी हुई है। कहते हैं कि बड़े-बड़े जंगलात हैं। मैं कहता हूं कि उन्हें दो पंजाब को, हरियाणा को। कुछ ही महीनों में वे जंगलात को साफ कर देंगे। जितने मर्जी हो दो जंगल वे सब ठीक करके रख देंगे।

आप रिक्षा ड्राइवर की बात करते हैं। आपके हाथ से कुछ नहीं हो सकता। पंजाब में लोग क्यों ठीक हैं, हरियाणा में क्यों ठीक है? क्योंकि वहां लोग काम करते हैं। जहां लोग काम करते हैं वहां तरक्की होती है। नहीं तो तरक्की कैसे हो?

सभापति महोदय : वहां से काम करने के लिए लोग पंजाब जाते हैं। वहां रिक्षा चलाने का काम करते हैं। क्या यह काम नहीं है?

श्री सुन्दर सिंह : मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां गरीबों का ताल्लुक है, तक उनको तरक्की देने का ताल्लुक है, उनका आपको नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम नहीं करता है। जो अक्लमंद आदमी है वह काम नहीं करता है, एक्सप्लोएट करता है और एक्सप्लोएट करके पैसे इकट्ठा करता है। इस से गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है।

यह किस का कुसूर है? यह अपोजिशन का कुसूर है। अगर अपोजिशन ठीक हो तो गवर्नमेंट ठीक हो सकती है। अगर अपोजिशन डूबी बैठी हो तो गवर्नमेंट कैसे ठीक हो सकती है? अगर आप ठीक न हों तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं। यह बिल्कुल सही बात है।

देहातों में गरीब के पास जमीन नहीं है। बिना जमीन के वह वहां नहीं रह सकता है। जिसके पास जमीन नहीं हो, मकान नहीं हो तो वह कैसे रह सकता है। जमीन पर कब्जा, मकान पर कब्जा और नौकरियों पर कब्जा बड़े-बड़े लोगों ने किया हुआ है। वहां गरीबों के पास क्या है? कुछ नहीं है। लैंडरिफार्म्स आपने की नहीं। बड़े-बड़े आदमी लैंड लार्ड्स बने हुए हैं गरीब आदमी मर रहा है और लैंड लार्ड्स अमीर बन रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा कि लैंड रिफार्म्स का इम्पलीमेंटेशन नहीं होता।

मेरे इलाके में श्री हरिगोबिन्द व्यास ब्रिज बनना था उसका सर्वे भी हो गया था। और उसके लिए पैसा भी अलोट हो गया था। लेकिन उस को विड्ड्रा कर लिया गया है। अगर यह पुल बन जाता है तो जालन्धर जाने का वहां के लोगों को सीधा रास्ता मिल जाता है नहीं तो अब आठ मील का रास्ता तय करके वहां जाना पड़ता है। यह दो-तीन करोड़ रुपये का पुल है।

गुरदासपुर जिले में एक मस्तो का पुल बन जाए तो नारोट जैमल सिंह सीधे थोड़ी देर में पहुंचा जा सकता है। इसके न होने से जम्मू से होकर जाना पड़ता है और साठ मील होकर जाना पड़ता है। इस पुल के बनने से आदमी पांच मिनट में पहुंच सकता है। यह वहां की हालत है। इसकी आप देखें। यहां आप बड़ी-बड़ी बात करते हैं। हमारे भाटिया साहब ने कहा कि हमें शूगर मिल दो। पंजाब में काम करने वाले लोग हैं। वहां के लिए हमें चार शूगर मिल दो।

कहते हैं कि पंजाब की अच्छी जमीन है। मैं यू० पी० के आदमियों से कहता हूं कि आप इधर आ जाओ, हमको उधर भेज दो। हम वहां सारा दो साल में ठीक कर देंगे।

जमींदार डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता है। लीडर डाकुओं को अपने पास बिठाते हैं, डाकुओं को आगे करके वोट लेते हैं, उनसे मदद लेते हैं। अपोजीशन हो या कोई भी हो, मेरी समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश के आदमियों को क्या हो गया है, क्या वहां पर आदमी रहते हैं? कभी चालीस और कभी 22 हजिरनों का कत्ल वहां हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो हरिजन आप को वोट देगा वह बेवकूफ ही होगा। आप कहते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं उनके वास्ते। क्या कोशिश कर रहे हैं? गांधी जी कहा करते थे कि सारी दुनियां को गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस पर उन्होंने अमल किया। वही उनकी फिलोसोफी थी कि जो कहो, उस पर अमल करो। वह खुद उस पर अमल करते थे। हम क्या करते हैं?

गरीबों का, हरिजनों का हम खूब प्रचार करते हैं, लम्बे-लम्बे लैक्चर, दो-दो घंटे के लैक्चर उनको ऊपर उठाने के लिए देते हैं लेकिन जब अमल की बात आती है तो हम ही अपने अपने इलाकों में एक्सप्लायटर बन जाते हैं। डट कर गरीबों को एक्साप्लायट करते हैं। हमें सिसीयर होना पड़ेगा। जो हम कहें उस पर हम को अमल करना पड़ेगा। गांधी जी एक लफ्ज कहते थे तो सारी दुनियां कांपती थी। अब कोई बात ही नहीं है।

हरिजनों की हम बहुत बात करते हैं। हरिजनों के एक ही लीडर थे, डा० अम्बेडकर। जब तक वह थे तब तक क्या हरिजनों के कत्ल होते थे। कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। जगजीवन राम जी भी अच्छे थे। अब कत्ल होने शुरू हो गए हैं। उसका बदला लेना चाहिए। हरिजन भाई क्यों चुप बैठे हुए हैं। एक वक्त था जब एक आदमी का कत्ल हो जाता था तो समझा जाता था कि सारी दुनिया का कत्ल हो गया है। लेकिन आज कुछ बात ही नहीं है। हरिजनों का फैमिली प्लानिंग हो रहा है। हरिजन ऐसी स्थिति में आपको वोट दे दे तो वह बड़ा बेवकूफ होगा। मध्य प्रदेश में भी बहुत बुरा हाल है हरिजन बहुत गरीब हैं। आप बड़े अमीर हैं। हम को सोचना चाहिए कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरे आदमी भी बने और उस में हम को उनकी मदद करनी चाहिए, उनको अपने बराबर लाना चाहिए। आज भी हरिजन झोपड़ियों में रहते हैं और ये लीडर बने फिरते हैं। मैं तो कहूंगा कि हरिजनों को आज भी अक्ल नहीं आई है और शायद आएगी भी नहीं।

[श्री सुन्दर सिंह]

यहां पर सौ मेम्बर ऐसे हैं जो हरिजन हैं। उत्तर प्रदेश के जैसे यहां सब से ज्यादा 85 मेम्बर हैं और वह बैक्वर्ड है, इसी तरह से जिन के सौ मेम्बर हैं वे भी बैक्वर्ड हैं, उनकी कम्युनिटी भी बैक्वर्ड है। यहां पर चालीस चालीस साल की उम्र के हरिजन और दूसरे लोग मेंम्बर चुन कर आ गए हैं। इनके इलाकों की बुरी हालत है। इनकी स्टेट की बुरी हालत है। स्टेट में जाकर ये काम क्यों नहीं करते हैं। मैं खुद बडा हैरान हूं कि मैं यहां क्यों आ गया? वहां होता तो काम करता। गरीबों की बात सुनी नहीं जाती है। यह कहा जाता है कि हमारे मेंम्बर हैं और हमें मिनिस्टर बना दो। मेरे पास भी आते हैं, मुझे मिनिस्टर बनवा दो। मैं कहूंगा कि तंग करोगे तभी तो मिनिस्टर बनाए जाओगे। मैं भी गवर्नमेंट में शामिल पंजाब में हुआ था। लैंडलार्ड अगर हकूमत पर कब्जा जमाए रखेंगे तो गरीबों का वे कोई काम नहीं हो सकता है। तमाम जमींदार मिले होते हैं। वे कोई काम नहीं करते हैं हरिजनों का या गरीबों का। इतनी तसल्ली दे दी जाती है कि तुम को एम० पी० बना दिया है।

मैं एम० पी० बन गया, वहां रहता तो कुछ काम करता। जब मैं पंजाब में था, सरकार में था तो अपोजीशन की तो बात ही क्या, अपनी सरकार को भी तोड़ देता था...

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): यहां भी कुछ कीजिए।

श्री सुन्दर सिंह: शास्त्री जी, अगर आप ठीक हो तो सारी चीज ठीक हो जाती है। यहां तो अपोजीशन वालों का कोई असर ही नहीं दिखाई देता। विरोध एक स्वस्थ लक्षण है यह सरकार को सही मार्ग पर रखता है। इसलिए सारा कसूर आपका है। अगर आप ठीक होंगे तो सरकार भी ठीक होगी। अगर तुम्हारा ही बेड़ा डूब गया तो सरकार का क्या होगा?

महिलायें हमारी बहुत सुन्दर काम कर रही हैं। इनको चाहिए कि सारी की सारी एम० पीज० हरिजनों के साथ मिल जाएं उससे हमारी तादाद बढ़ जाएगी और हमारा असर भी होगा। इनके साथ भी बेइन्साफी हुई है और हमारे साथ भी हुई है। इसलिए हमारा और इनका जोड़ है। आखिरी बात यह है कि गरीबों का जो नाम लेते हैं। वह सही तौर पर उनका भला नहीं करते। महात्मा गांधी खुद गरीबों के लिए काम करते थे, उन्हीं की तरह रहते थे। वह एक इन्सान थे और इसलिए सबसे ज्यादा ऊंचे हो गये। वह न एम० पी० थे, न एम० एल० ए० थे, सिर्फ इन्सान थे। बिना चरित्र के ज्ञान करना ही जैसे शैतान के लिए ताकत, जैसा कि अनेक प्रतिभाशाली चोरों तथा विश्व में सज्जन दुष्टों में देखा गया है।

अपने इलाके के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, वह यहां बैठे नहीं हैं, बात किससे करूं? डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, हमारे गुरदासपुर में श्री हरगोविन्दपुर ब्यास ब्रिज बनवा दीजिए। यह तो केवल नोट ही कर रहे हैं, काम तो कुछ करना नहीं है। जब मैं पंजाब में मिनिस्टर था और भीमसेन सच्चर चीफ मिनिस्टर होते थे, जिस किसी भी मिनिस्टर

के खिलाफ कोई बात कहता था तो उसको अपने कमरे में बुला कर वह पूछते थे क्या बात है। यहां कोई कुछ कहता रहे कोई पाबन्दी नहीं है।

सभापति महोदय : अब एक दिन सेमीनार में आपका भाषण होना चाहिए। यहां तो समाप्त कीजिए।

श्री सुन्दर सिंह : चेयरमैन साहब, आप अगर समय नहीं दोगे तो कौन देगा? तो मैं कह रहा था कि चीफ मिनिस्टर अपने कमरे में बुलाकर कहता था तुम्हारे महकमे में क्या हो रहा है? यहां जो मरजी आये करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है कि यह कमजोर है तो उसको दूर करना चाहिए। कोई बात नहीं, वह हमारे सदस्य हो गए। 6 महीने के बाद आना है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूं, जहां तक गरीबों का ताल्लुक है, वह यह है--

आपको ईश्वर कहां ढूंढना चाहिए? क्या गरीब, दुःखी तथा पद्दलित लोग ईश्वर नहीं हैं? पहले उनकी पूजा कीजिए। मैं भगवान अथवा धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवाओं की आँख के आसू न पोंछ सके और यतीम लोगों को भोजन उपलब्ध न करा सके।

दूसरी बात यह है कि जो आपके लोग हैं, पैसा जमा करते हैं, स्मगलर हैं, उनकी दवाई क्या करनी है।

प्रत्येक विस्तार जीवन है। प्रत्येक अवरोध मृत्यु है। सभी प्रकार का प्यार मिलता है। स्वार्थपरता अवरोध है, अतः प्यार जीवन का एकमात्र कानून है। वह जो प्यार करता है, जीवित रहता है। जो स्वार्थी है वह मर रहा है। अतः प्यार-प्यार के लिए होना चाहिए क्योंकि यही जीवन का कानून है।

जितना आप गरीबों को एक्सप्लायट करते हैं, आपको ही एक्सप्लायट होना है, कोई दुनियां की ताकत नहीं रोक सकती है, आप चाहे जितना मैजोरिटी में हो जायें। यह महात्मा गांधी की बात है, यह मेरा विश्वास है। समाज अपने आपको एक्सप्लायट कर रहा है। किसी को धोखा देकर काम नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि—

"मैं दूसरों को धोखा देने की अपेक्षा स्वयं धोका खाना पसन्द करूंगा।"

मुझे कोई धोखा देता है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं देता। यह आपका हिन्दुस्तान है। रह गया आपका सोशलिज्म —

यहां तक कि अन्न का एक-एक ग्रास जो हम खाते हैं, वह दूसरों के मुख से छीना जाता है।

[श्री सुन्दर सिंह]

सब खाओ और यहां आकर सोशलिज्म की बात करो या महात्मा गांधी की बात कहो। यहां आकर झूट बोलते हैं, वह कभी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब आप शानदार आदमी हैं, मैंने आपके लैक्चर सुने है, अब आपको गलती लग गई है, काम ढीला हो गया है आप तो यहां मिनिस्टर थे।

एक बार कम्युनिस्ट मेरे मुकाबले में खड़ा था। मैंने लैक्चर करते-करते कहा कि कम्युनिस्ट प्रोग्रेसिव जमात है, मैं कैसे कहूं कि यह खराब है। मेरे आपके भाई मुझ से नाराज हो गये कि तुम कम्युनिस्टों के हक में बोलने लगे हो। मैंने कहा कि आपको पता नहीं है कम्युनिस्ट बड़े प्रोग्रेसिव जमात है और सतपाल डंग इनका लीडर है। मैंने कहा कि उसके मुकाबले में एक भी आदमी नहीं है। मुझ से सब नाराज हो गए। सारे कहने लगे कि तुम ऐसी बात करते हो। मैंने कहा कि आपको पता लगेगा। जब इलैक्शन हुए तो सी० पी० आई० के सारे आदमी कहने लगे कि चौधरी साहब को वोट डालेंगे। मैंने कहा कि यही मतलब था बात कहने का।

जब बाबू जगजीवन राम वहां गए तो लोग कहने लगे कि जगजीवन राम आ रहे हैं, जनता पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं। आपके वोटों पर असर पड़ेगा। उनका लैक्चर जलन्धर में हुआ था, मेरा इलाका फिल्लोर था। फ़िल्लोर में जब हरिजन उनको मिले तो उनको कहा कि हम जनता के हैं अगर वहां तुम चौधरी साहब को वोट दो। सी० पी० आई० और जनता मेरे फेवर में हो गई, बाकी रह गई सी० पी० आई० (एम)।

मैं बताना चाहता हूं कि जब हम हल्के में जाते हैं तो कभी झूठ नहीं बोलते। मैं एक ही बात कहता हूं कि हमने 5 साल आपका कुछ किया नहीं है, आप ऐसे निकम्मे आदमी हैं कि मुझे वोट डाल देते हैं। वह वोट डालते हैं और कहते हैं कि चौ० सुन्दर जिन्दाबाद।

तब वे कहते हैं "चौधरी सुन्दर सिंह जिन्दाबाद।"

"सत्य जहां तक ले जाए, उसका अनुसरण करो अपने विचारों को अन्यतम तर्क तक ले जाओ, कायर और संकोचशील बनो मत आप अवश्यक सफल होंगे।"

थोड़ा काम करो, लेकिन वह ठीक करो। इससे सब ठीक हो जाएगा। बड़े काम करने का ढंग यह है —

"अच्छे बनो और प्रसन्न रहो तथा विश्वास रखो कि ईश्वर ने आपको महान कार्यों के लिए चुना हैं, और हम उन कार्यों को पूरा करेंगे आप अपने को तत्पर रखो, निश्चल

तथा पवित्र बने रहो और प्यार केवल प्यार के लिए करो, गरीबों से दुःखी लोगों से प्यार करो ईश्वर आपका भला करे"

सीधी बात यह है कि अपने आप को ठीक करो, सब सिलसिला ठीक हो जाएगा।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगुल) : सभापति महोदय, मैं डी० एम० के० दल की ओर से माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, वर्ष 1979-80 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी लायेगी तथा श्रीमती गांधी की सरकार इस देश में बेरोजगारों के लिए और रोजगार के अधिकअवसर प्रदान करेगी यह सोचकर लोगों ने जनता सरकार को हटा दिया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए]

महोदय, अब केन्द्र सरकार और इस देश में राज्य सरकारों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह देखना है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर हों और इस देश के जन साधारण, मध्यमवर्ग मजदूर वर्ग और गरीब लोगों के हितों की सुरक्षा की जाए। तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1977 में मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रा स्फीति की दर 20% दर्शायी थी। वर्ष 1980 में अर्थात कांग्रेस सरकार के तत्काल सत्ता में आने के बाद वर्ष 1980-81 में यह घटकर 16 प्रतिशत रह गई। इस वर्ष 1981 में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुरूप मुद्रा स्फीति 6 प्रतिशत और कम हो गयी है।

जहां मुद्रा स्फीति में पर्याप्त कमी आयी है तो हमारी मूल आर्थिक नीति और सिद्धान्त यह देखना भी होना चाहिए कि मूल्यों में भी स्वतः गिरावट आए। यद्यपि मुद्रा स्फीति में तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार काफी हद तक स्थिरता लायी गई है फिर भी मूल्यों में गिरावट नहीं आ रही बल्कि मूल्य बढ़ रहे हैं।

इससे पता चलता है कि मुद्रा स्फीति में स्थिरता नहीं आ पाई है, सम्पूर्ण भारतीय अर्थ व्यवस्था के पीछे कोई कारण या एक शैतान है जो मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष तौरपर या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है भारत सरकार को उनकी पहचान करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए और उन्हें दबाना चाहिए।

दूसरा मामला यह है कि सरकार द्वारा पेश किए गए सूचकांक के अनुसार सभी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जब उत्पादन बढ़ता हो तो मूल्य स्तर में निश्चित तौर पर कमी आनी चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। प्रातः काल माननीय सदस्यों ने स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया था कि चौबीस घंटे उपभोक्ता

[श्री के० भायातेवर]

मूल्य सूचकांक में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है जन साधारण, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग, मजदूर लोग और सरकारी कर्मचारियों का जीना दूभर हो गया है, इस देश की गलियों में वे लोग बेजान लोगों की तरह भटक रहे हैं, महोदय, वे इसके लिए जिम्मेदार वे कौन शैतान हैं जो इस कृत्रिम मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं ? क्या काले धन वाले हैं, भारत के लोगों का अनुमान था कि इस देश के काले धन वालों के विरुद्ध कांग्रेस सरकार कार्यवाही करेगी जैसा कि 1976 में किया गया था । अब आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में क्यों डर रहे हैं ? मैं किसी राजनैतिक दल या राजनैतिक नेता के विरुद्ध कार्यवाही करने के बिल्कुल विरुद्ध हूं । ऐसा नहीं होना चाहिए । परन्तु मूल्यों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी काले धन वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा करने का प्रस्ताव करता हूं ।

महोदय, जहां तक आपका संबन्ध है अनेक अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के पास आयकर की बहुत बकाया धन रशि है । हेमामालिनी के पास 24 लाख रुपया आय कर का बकाया है। वह कोई गरीब औरत नहीं है । वह करोड़ पति है। उसका पति भी करोड़ पति है । यह सरकार इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए उनकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने में क्यों हिचकिचा रही है । इसी प्रकार अनेक अभिनेता और अभिनेत्रियों से लाखों रुपया वसूल किया जाना है, भूत-पूर्व अभिनेता श्री एम० जी० रामचन्द्रन से 9 लाख रुपया वसूल किया जाना है । अभिनेता और अभिनेत्रियों के अलावा कई पूंजीपतियों से कई सौ करोड़ रुपया वसूल किया जाना है । इस सरकार को आयकर ट्रिब्यूनलों के सामने आये मामलों के लम्बित काल या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दायर मुकदमों के समय को कम करने के लिए क्रांतिकारी उपाय करने चाहिए । वर्ष 1972 में एक अभिनेता पर दायर किया गया आयकर की बकाया राशि का एक मुकदमा उच्चतम न्यायालय में अभी लंबित पड़ा है ।

श्री मी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : वह अभिनेता कौन है ?

श्री के० के० मायातेवर : श्री रामचन्द्रन

सभापति महोदय : कृपया लम्बित मामलों का उल्लेख करें ।

श्री माया तेवर : महोदय यह वित्त विधेयक है ।

सभापति महोदय : यह वित्त विधेयक है इसीलिए आप न्यायालय के लम्बित मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते । आपने अपना कथन कह दिया है ।

श्री के० मायातेवर : महोदय जी इन दोषी लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानभूति दिखाए बिना तुरन्त आय कर की बकाया धन राशि वसूल की जानी चाहिए । क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है ।

महोदय, यह बताया गया है कि देश में 20,000 करोड़ रुपये का काला धन है और काला धन रखने वाले लोग लोकतान्त्रिक ढंग से निर्वाचित इस सरकार के विरुद्ध एक समानान्तर सरकार चला रहे हैं।

अत: आप उसी सीमा तक अपने दायित्वों को निभा रहे हैं जिस सीमा तक आपने वर्ष 1976 में दायित्व निभाये थे। तमिल नाडु और इस देश के लोग राष्ट्र के हित में और गरीब लोगों के हित में आपसे तेजी से आगे बढ़ने की आशा करते हैं और उन मूल्यों में गिरावट लाने की भी आशा करते हैं। आज भारत में अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब होता जा रहा है। हमारे पास लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी योजनाएं है और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को कई सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा रहे हैं किन्तु राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के स्थान पैदा करने के लिए उन राशियो का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। इस कार्य हेतु अनेकों केन्द्रीय योजनाएं हैं जैसे, आई० आर० डी० पी०, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि। इन योजनाओं के अन्तर्गत कई सौ करोड़ रुपये प्रत्येक राज्य सरकार को स्वीकृत किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आपने तमिलनाडु सरकार को करोड़ों रुपये स्वीकृत किए हैं लेकिन कुछ दिन पहले लोक सभा में डी० एम० के० पार्टी के नेता श्री दण्डपाणि और कांग्रेस (आई) संसद सदस्य श्री ईरा अनबारासु द्वारा ठीक ही बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उस धन को ए० डी० एम० के० के कार्यकर्ताओं द्वारा खाया गया। उसके दूसरे दिन कृषि मन्त्री जी द्वारा वायदा किए जाने के अनुसार मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच करें या तमिलनाडु सरकार को यह निदेश दे कि वह ताल्लुक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर समितियां नियुक्त करे जो केन्द्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में अब तक के विभिन्न कार्यों के गुणों और दोषों की जांच करे। उन चार योजनाओं के अलावा तमिलनाडु सरकार ने कोई और योजना लागू नहीं की। मेरे अनुसार और भारत के लोगों के बहुमत के अनुसार तमिलनाडु राज्य सरकार लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर रही है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को अवश्य आगे आना चाहिए और यह देखना चाहिए कि लोगों के हितों की रक्षा हो।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने रि-रोलिंग मिल मालिकों द्वारा अदा की जाने वाली ऋण की लगभग आठ करोड़ रुपये की राशि बट्टेखाते में डाल दी है। तमिलनाडु सरकार लखपति लोगों, इन रि-रोलिंग मिल मालिकों के प्रति काफी उदार थी। लेकिन गरीब लोगों के लिए तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है? वहां किसानों से ऋण की राशि वसूल करने के लिए उनकी सम्पत्ति, यहां तक कि किसानों के बर्तन और कृषि औजारों को कुर्क कर रहे हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या कभी केन्द्र सरकार ने भारत या किसी राज्य के किसानों से यह वायदा किया था कि यदि वे चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाएं तो वे किसानों का ऋण बट्टेखाते में डाल देंगे।

[श्री के० मायातेवर]

क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु की जनता को कभी यह आश्वासन दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक तमिल नाडु के किसानों के ऋणों के बट्टेखाते की सीमा तक धन स्वीकृत करके उसे बट्टेखाते में डालने के लिए तमिलनाडु सरकार की मदद करेगी । मैं यह बात वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं । तथापि मैं कह सकता हूं कि आपने ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं किया । आपने तमिलनाडु या किसी अन्य राज्य के किसानों को कभी भी आश्वासन नहीं दिया कि आपके सत्ता में आने के बाद आप तुरन्त उनके सभी ऋण बट्टेखाते में डाल देंगे । हम सब राजनीतिज्ञ हैं, हम अपनी वित्तीय सीमाओं को जानते हैं, हम संवैधानिक पाबन्दियों और अन्य कठिनाइयों को जानते हैं । किन्तु तमिलनाडु में एक व्यक्ति, वर्तमान मुख्य मन्त्री, ऐसे हैं, जिन्होंने 1980 में विधान सभा चुनाव में तमिलनाडु के लोगों को आश्वासन दिया था कि वे सभी किसानों का सारा का सारा ऋण बट्टेखाते में डाल देंगे चाहे वे ग़रीब किसान हों, मध्यम दर्जे के किसान हो या चाहे बड़े ज़मींनदार हों ।

सभापति महोदय : श्री मायातेवर, मैं इसे समझ सकता हूं यदि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय आबंटन से हो ।

श्री के० मायातवर : मैं मांग कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु के किसानों के बचाव के लिए आगे आना चाहिए जो कि गत चुनाव में दिए गए झूठे वायदों के कारण अब दुखी हैं ।**

सभापति महोदय : नाम रिकार्ड नहीं किए जाएंगे । आप किसी को धोखेबाज नहीं कह सकते हैं । वे यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री० के० मायातवर : तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु प्रशासकों द्वारा तमिलनाडु में किसानों को झूठे वायदे देकर जनता को धोखा दिया गया । लोगों ने सोचा कि यदि तमिलनाडु में वर्तमान सरकार सत्ता में आती है तो वह किसानों के ऋण बट्टेखाते में डाल देगी । किन्तु सत्ता में आने के तुरन्त बाद उन्होंने सभी किसनो को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और किसानों के ऋणों तथा बकाया राशियों को वसूल करने के लिए अवज्ञापूर्ण तरीके शुरू किए । अब तमिलनाडु में अवज्ञापूर्ण तरीकों और किसानो की गिरफ्तारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सम्पूर्ण सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है । अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अर्ज करता हू कि वह तमिल नाडु सरकार के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए निदेश दे । यद्यपि तमिलनाडु सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, इस लिए आपका तमिलनाडु सरकार को यह निदेश देना चाहिए कि वह गत चुनाव में ए० आई० डी० एम० के० सरकार द्वारा दिए गए वायदों को क्रियान्वित करे , अन्यथा आपको यह कहना चाहिए कि उन्हें सत्ता से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मनमाने ढंग से, जान बूझकर जानते हुए और सुनियोजित तरीके से धोखा दिया है ।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

महोदय, मैं काला धनर खने वालों के किरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु सरकार से मांगकरता आ रहा हूं। आपको काला धन रखने वालों और जमाखोरों, कालाबाजारी तथा सभी अ-असामाजिक तत्वो के विरुद्ध सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लाग करना चाहिए। ये वे लोग हैं, जो मूल्यों में वृद्धि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। जब तक आप उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेंगे, जैसे कि आपने वर्ष 1976 में किया था, तब तक इस देश के लोगों के हितों को रक्षा करने के लिए मूल्यों को कम करने की संभावना नहीं होती।

श्रीमन, तमिलनाडु में 1972 में एक अभिनेता ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 16 लाख रुपए का अपराध किया था। यह मामला 1972 से 1976 तक अनिर्णीत पड़ा रहा। वर्तमान प्रधान मन्त्री की सरकार ने 1972-76 के दौरान उस अभिनेता के अपराध को क्षमा नहीं करना चाहा। किन्तु 1978 में उस अपराध को क्षमा किया गया। उस मामले को भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा वापिस लिया गया। मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे भारत के राज कोष को भारी हानि हुई। एक अभिनेता द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अपराध को माफ करने से 16 लाख रु० की हानि हुई। अब मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह अभिनेता द्वारा 16 लाख रु० के लिए किए गए अपराध के मामले को पुन: देखने और उसकी पुनरीक्षा के लिए कार्यवाही करे। दण्डनीय अपराध तब तक समाप्त नहीं होता जब तक अपराधकर्ता मर नहीं जाता। **

सभापति महोदय : ये शब्द रिकार्ड नहीं किए जाएंगे।

श्री के० मायातेवर : अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले को फिर से देखे और अपराधी को सजा दे तथा सभी आयकर अवंपचकों, तस्करों और कालाबाजारियों को सजा दे तथा उन्हें हिरासत में लेकर मूल्यों को कम करने के लिए कड़ी कार्यवाही करें। अन्यथा मूल्यों में गिरावट लाने तथा भारत की जनता की रक्षा करने के लिए और कोई विकल्प नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं तथा मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : माननीय सभापति जी, हमारा कृषि प्रधान देश है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कृषि और सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया है। इसलिए मैं इस वित विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।

पिछले वर्ष कृषि और सिंचाई की मद में 4 हजार 68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे इस वर्ष बढ़ा कर 4 हजार 6 सौ 72 करोड़ रुपये का प्रावधान केवल सिंचाई और कृषि की मद के लिए किया है। इसमे हमारी सरकार की कृषि और सिंचाई के लिए चिंता और

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सत्यदेव सिंह]

कार्यक्रम का पता लगता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि आर सिंचाई के ऊपर अधिक ध्यान दे कर और इस पर अधिक खर्चा करके हमारा कृषि उत्पादन और बढ सकेगा, हमारे यहां तिलहन का उत्पादन अधिक हो सकेगा। इस मामले में आज हम आत्मनिर्भर हैं। अब हम अपना उत्पादन और भी बढ़ा कर और विदेशों में अधिक खाद्यान्न भेज कर अधिक से अधिक बिदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकेंगे। इसलिए मैं बिल का समर्थन करता हूं।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत जोर दिया है। ग्रामीण विकास की योजना के लिए राशि 145 करोड़ से बढ़ा कर 190 करोड़ रुपये कर दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन में जो 190 करोड़ रुपये रखा गया हैं और इतनी ही राशि इसमें प्रदेशों द्वारा भी दी जाएगी, इस से अधिक से अधिक देश का भला और कल्याण होगा। ऐसा प्रावधान इस बजट में किया गया है।

हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत सी छूटें दी हैं। आय-कर में छूट दी है, सम्पत्ति-कर में भी छूट दी है। हमारी प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक नया बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना है। उस से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और भारत एक शक्तिशाली और सम्पन्न राष्ट्र बन सकेगा। उसी बीस सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रख कर इस बजट को तैयार किया गया है जिससे कि भारत विश्व के अन्य देशों के समान समुन्नत बन सके, और अधिक विकास कर सके।

इस बजट में 6 वर्ष में राष्ट्रीय बचत के लिए 12 प्रतिशत सूद की भी व्यवस्था की गई है। विदेशों से मुद्रा अर्जित करने के लिए उपहारों में छूट कर दी गयी है। इन सारी बातों को, तथ्यों को देखकर यह लगता है कि हमारी सरकार आर्थिक दृष्टि से देश को सबल बनाना चाहती है। कितनी ही लाभकारी योजनाएं समाज के लिए बनायी गयी हैं। अब कम से कम पेंशन 150 रुपये मासिक दी जाएगी और पारिवारिक पेंशन बढ़ा कर 140 रुपये किया गया हैं। राष्ट्र और समाज के लिए ऐसी उपयोगी और लाभप्रद योजनाएं इस बजट में हैं।

यह जनता की सरकार है और इस ने जनता के लिए जनोपयोगी बजट प्रस्तुत किया है जो कि स्तुत्य और सराहनीय है।

यह उत्पादकता का वर्ष है। इसमें कृषि और सिंचाई की मद में सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है।

अब मैं दो-एक बातें अपने बिहार प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। बिहार प्रदेश के सारण जिले में कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए इसके लिए आवश्यक है कि वहां सिंचाई की

समुचित व्यवस्था हो। खासकर बिहार का उत्तरी भाग बराबर बाढ़ग्रस्त रहता है। वहां पर बाढ़ पर नियंत्रण करके अधिक से अधिक राहत मिल सकेगी। इस बात का प्रबन्ध होना चाहिए। यद्यपि सरकार ने इसका प्रावधान किया है, इस बजट में, लेकिन और प्रावधान होना चाहिए।

छपरा में माझी से ले कर सोनपुर तक तटबन्ध का प्रबन्ध होना चाहिए। गंगा के दक्षिण में तो बक्सर से कोइलवर तक तटबन्धों का प्रबन्ध है लेकिन उत्तर में सारन जिले में तटबन्धों का प्रबन्ध नहीं है जिससे उस इलाके को बाढ़ का प्रकोप प्रतिवर्ष भुगतना पड़ता है और सारन जिला उससे त्रस्त होता हैं और करोड़ों रुपया राहत के कामों में आपको प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ता है। अगर तटबन्ध जैसे दक्षिण में है भोजपुर जिले में भी बना दें तो सारन जिले का बहुत उपकार होगा, लाखों टन का उत्पादन होगा, किसानों को प्रतिवर्ष जिस प्रकोप का सामना करना पड़ता है उससे उनको राहत मिलेगी।

गत वर्ष मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उद्योग मंत्री जी ने जब सारन जिले में उद्योगों की स्थापना के बारे में पूछा था तो कहा था कि बिहार औद्योगिक दृष्टि से सुसम्पन्न प्रदेश है। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन यह स्थिति बिहार में है, उत्तरी बिहार में कोई विशेष उद्योग धंधा नहीं हैं। उद्योग मन्त्री जी ने इस वर्ष मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया था कि सारन कमिशनरी में कागज और अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। मुझे खेद है कि अभी तक कोई भी ऐसा उद्योग वहां स्थापित नहीं हुआ है जिससे विश्व का यह जो सबसे घनी इलाका है और जहां जनसंख्या का अत्यधिक भार है और वहां भोजपुर से खाद्यान मंगा कर लोगों को अपना जीवन यापन करना पड़ता है, वह विकासित हो सके। अगर वहां कुछ रोजगार के साधन बन जाएं, कुछ उद्योग धन्धें खुल जाएं, कुछ कल कारखाने लग जाएं तो हमारे नौजवानों को भी रोजगार मिल सकता है और हमारी उस जिले की, उस कमिशनरी की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

मैं अब एक राष्ट्रीय महत्व के सवाल को उठाना चाहता हूं। मुझे खेद है कि हमारे विरोधी पक्ष में हमारे पश्चिम बंगाल के भाई यहां नहीं हैं। अगर वह रहते तो और भी ज्यादा उपयोगी मेरी बात होती। ऐसा कहा जाता है कि खनिजों का बिहार भंडार है, प्रचुर मात्रा में वहां खनिज उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी वह एक गरीब प्रदेश है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जितने भी खनिज पदार्थों के मुख्यालय हैं, जितने उद्योग धंधे हैं, जितने कल कारखाने हैं, उन सब के मुख्यालय या तो बम्बई में हैं या कलकत्ता में हैं या बिहार के बाहर बड़े बड़े शहरों में हैं। इसका नतीजा यह है कि उत्तर बिहार खनिज पदार्थों के मामले में सुसम्पन्न होते हुए भी, बड़ा धनी प्रदेश होते हुऐ भी इस मामले में पिछड़ा रह गया। जो रायल्टी दी जाती है वह वजन पर दी जाती है। इससे करोड़ों रुपये का बिहार को घाटा होता है। यही

[श्री सत्य देव सिंह]

उसकी गरीबी का मूल कारण भी है । सभी मुख्यालय बिहार के बाहर हैं । मैं चाहता हूं कि उनको बिहार प्रदेश में लाया जाए । साथ ही रायलटी कीमत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए ताकि बिहार को वित्तीय लाभ हो सके ।

इंडियन आयल कारपोरेशन, इंडियन एयरलाइंज, एयर इंडिया, एल० आई० सी० सभी के मुख्यालय कलकत्ता में हैं । इस वास्ते देखा जाता है कि हमारे यहां के बेरोजगार युवकों की उपेक्षा होती है, उन्हें रोजी रोटी नहीं मिल पाती । मेरा निवेदन है कि यह तय कर दिया जाना चाहिए कि किस प्रदेश के कितने युवकों को इन उद्योगों में नौकरी दी जाएगी । अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी दूसरे प्रदेश विशेष के युवकों को नौकरी नहीं मिल सकेंगी और जब नौकरियां नहीं मिल सकेंगी और उनकी उपेक्षा होती रहेगी तो उनके सामने बेरोजगारी की, रोजी रोटी की की समस्या मुंह बाये खड़ी रहेगी ।

प्रधान मंत्री के निर्देश से, उनके नेतृत्व में, एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जिस का फैसला हमारे परिवहन राज्य मन्त्री श्री सीताराम केसरी ने लिया है । सारन जिले को बिहार के बलिया से जो उत्तर प्रदेश में है जोड़ने का काम माझी पर एक पुल बना कर होने वाला है । इसका निर्णय कल ही हुआ है । उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मन्त्री डा० अम्मार रिजवी, बिहार के लोक निर्माण मन्त्री श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश और सीताराम जी केसरी, सबने मिल कर निर्णय लिया है कि माझी में पुल बनाया जाए । इसका शिलान्याम चार वर्ष पहले जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने किया था । उस पुल का शिलान्यास सरयू की धारा में प्रवाहित हो गया उसका नामोनिशान नहीं रह गया । अब उस पुल का शिलान्यास पुन: प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में होगा । यह उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मैं श्री सीताराम केसरी को धन्यवाद देता हूं ।

माननीय रेल मन्त्री जी यहां नहीं है, बारबर कहा जाता है कि योजना आयोग रेल की मद में पैसा नहीं देता इसलिए बिहार की बहुत सारी नई योजनायें ठप्प पडी हुई हैं । जैसे छपरा से रक्सौल तक वाया नैनी जलालपुर, बनियापुर और डुमरियाघाट होते हुए अगर रेल लाइन बन जाए तो वहां के नागरिकों को काफी सुविधा हो जायगी । अभी इस लाइन के अभाव म दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी आने में काफी दिक्कत होती है। यह रेल लाइन 30 करोड़ रु० में बनेगी । मेरा सुझाव यह है कि आप केवल मोतिहारी को छपरा से बड़ी लाईन से जोड़ दें तो यह काम 20 करोड़ रु० में हो जाएगा ।

मुकामा के सामने राजेन्द्र पुल है, और महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन अभी प्रधान मंत्री ने किया है । पटना में एक रेल पुल बनने वाला है सदाकत आश्रम के सामने लीचाघाट और पहलेजा घाट पर । इस पुल से बन जाने से उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जुड़ जायेंगे जिससे वहां लोगों

की आर्थिक, सामाजिक स्थित सुधरेगी और औद्योगिक लाभ भी बहुत पहुंचेगा। इस प्रकार तीन पुल हो जायंगे राजेन्द्र पुल, उसके बीच में महात्मा गांधी सेतु और इस नये पुल का नाम स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखा जाय। यह तीनों पुल हमारे देश के तीन ऋषियों, तपस्वी लोगों के नाम पर स्मारक स्वरूप होंगे जो भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे।

महात्मा गांधी सेतु बनने के बाद सोनपुर का महत्व बढ़ गया है। माझी में 40 एकड़ जमीन पर अगर रेल का बड़ा कारखाना बन जाय तो सोनपुर का कल्याण होगा और उस इलाके के नौजवानों को भी रोजी रोटी मिलेगी।

शिक्षा पर हमारे बजट का केवल 1.2 प्रतिशत ही खर्च होता है जो कि पर्याप्त नहीं है। शिक्षा राष्ट्र के लिए आवश्यक है। जब तक इस पर अधिकाधिक खर्च नहीं किया जाएगा, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक हमारी भावी पीढ़ी के लिए भलाई का काम नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि आयकर विधेयक में कुछ शिथिलता लाकर ऐसी व्यवस्था करें जिससे पैसे वाले लोग अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाओं को, खासकर मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों को, दान दे सकें। डा. एन. सी. पाण्डे, डायरेक्टर बिड़ला इन्स्टीट्यूट, मेसरा, रांची ने बताया कि उस संस्था की आर्थिक स्थिति दयनीय है। कोई भी शिक्षण संस्था केवल सरकार के भरोसे नहीं चल सकती है, और न ही आप नई शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और न ही प्राइवेट ऐजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसलिए आयकर में छूट दी जाय जिससे अधिक लोग दान रूप में शिक्षण संस्थाओं में पैसा लगा सकें। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए, आयकर में छूट दी जाए, जिससे वे अधिक पैसा ले सकें।

बिहार में कालेज के अध्यापकों की हड़ताल चल रही है। मेरा शिक्षा मन्त्री और राज्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि बिहार के मुख्य मन्त्री से बात करके प्राध्यपकों की हड़ताल को समाप्त करायें जिससे विद्यार्थियों का पठन-पाठन कार्यक्रम जो ठप्प पड़ा है, प्राध्यापकों में जो असन्तोष है, इसको दूर किया जाए।

आयकर में भी बहुत ध्यान देने की बात है। कहीं-कहीं आयकर में लोग चोरी करते हैं, जैसे श्रीमती कनक कुमारी, जो बड़ा लाल साहब की पत्नी हैं रांची में, बहुत सारी उनकी आमदनी है, लेकिन सब बचाती है, इसलिए कर-वंचना को भी ध्यान में रखना चाहिए।

टैक्नीकल एजूकेशन के लिए बिहार को योजना आयोग ने 190 करोड़ की मांग में केवल 110 करोड़ दिया है। यह बिहार के साथ अनुचित किया है।

बिहार में दुर्भिक्ष के लिए और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति में सहायता के लिए जो रिलीफ की

[श्री सत्य देव सिंह]

रकम दी गई है, वह पर्याप्त नहीं है। बाढ़ रोकने के लिए उपाय होने चाहिएं जिससे यह रकम भी बचे और लोगों का भला हो।

रक्सोल में इन्कमटैक्स के पदाधिकारी बराबर वहां रखे जाते हैं, वह तस्करों को रोकने का काम नहीं करते हैं बल्कि बढ़ावा देते हैं। इसलिए वहां निगरानी रखी जाए कि जो तस्करी का काम करते हैं, सरकारी अधिकारी उनका साथ देते हैं, उनको भी कब्जे में रखा जाए, नियन्त्रण में रखा जाए।

बम्बई में और अन्य जगहों पर सूती मिलों में जहां मजदूरों के द्वारा हड़ताल की गई है, उनकी उचित मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए और विरोधी दलों को भी रचनात्मक कार्य करने चाहिए। सिर्फ हड़ताल करने से मजदूरों के सामने एक भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है और साथ ही साथ राज्यों के सामने भी आर्थिक विपन्नता आती है। उत्पादन नहीं होगा तो उससे देश पिछड़ेगा। विरोधी दल इस बात की कोशिश करें कि जब तक हड़ताल अवश्यम्भावी न हो जाये, तब तक हड़ताल नहीं होनी चाहिए। हड़ताल से राष्ट्र का नुकसान होता है, आर्थिक क्षति होती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्रान्तिकारी बजट का, वित्त विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और और वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनमें राजस्थान की तरफ से 1,000 करोड़ रुपये का डिपाजिट है, उसमें से जो ऋण दिए गए हैं वह करीब 600 करोड़ रुपये के हैं।

जिन प्रोग्रामों के जरिए आप गरीबी और बेकारी मिटाना चाहते हैं, उनके लिए नेशनलाइज्ड बैंकों ने जितना कर्जा दिया है वह रकम इतनी कम है कि राजस्थान में जितना डैवलमैंट हम इन्टेग्रेटेड रूरल के जरिए से करना चाहते हैं, अन्य ट्राइसम प्रोग्राम के जरिए से करना चाहते हैं या लघु उद्योगों, मध्यम श्रेणी के उद्योगों से करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाता है। वहां पर उद्योगों को इस प्रकार का ऋण मिलना चाहिए जिससे वह काम बढ़ सकें, लेकिन बैंकों से वह मिल नहीं रहा है। इस तरह से राजस्थान का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है।

इसलिए इस सम्बन्ध में खासतौर से बैंकों को आदेश दें ताकि राजस्थान का समुचित विकास हो सके।

इसके अलावा 3, 4 साल से वहां भयंकर अकाल है उसमें भी सहायता का जितना पैसा भारत सरकार से मिलना चाहिए, उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप राजस्थान के आंकड़ों

को उठाकर देख लीजिए हर साल करीब-करीब 8,10 लाख लोग उस काम में लगते हैं, राहत कार्य करते हैं । पैसे के अभाव की वजह से इस वक्त भी 2, ढाई लाख आदमी राहत के कार्य में लगे हुये हैं । मेरे जिले में हर साल 1 लाख सवा लाख लोग राहत कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से पहले जब सर्दी चल रही थी, उस वक्त भी 80 हजार लोग काम कर रहे थे ।

उसके बाद उस संख्या को कम करके 60,000 कर दिया । थोड़े दिन पहले पैसे के अभाव में अकाल-राहत के काम में लगे हुए 15,000 शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को काम से अलग कर दिया गया । जो लोग अकाल से पीड़ित हैं, भूखों मर रहे हैं, जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उन 15,000 लोगों को काम से हटा दिया गया है । मैंने इस सदन में एक विशेष उल्लेख के जरिए कहा था कि भारत सरकार इस बारे में राजस्थान सरकार से कहे कि जो लोग अकाल की वजह से दाने-दाने को मुहताज हैं, अगर उन्हें ऐसे गम्भीर समय में काम से हटा दिया जाएगा, तो वे कैसे जीवित रह सकेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार स्वयं भी पैसा दें और साथ ही राजस्थान सरकार को सचेत करे कि इस भीषण अकाल के समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाल राहत के काम पर लगाया जाए ।

राजस्थान में तीन चार वर्षों से भीषण अकाल पड़ा हुआ है, जिसके कारण वहां पर पीने के पानी, अनाज और जानवरों के लिए घास की गम्भीर समस्या खड़ी हो गई है । वहां पर 25,000 गांवों में से 24,000 गांवों में पानी दूर से लाना पड़ता है । पानी के सब स्रोत सूख गए हैं । आजकल लोगों को नीचे का मिट्टी वाला खराब पानी मिल रहा है । इसलिए पीने के पानी की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है ।

राजस्थान में किसान और गरीब को सबसे ज्यादा आमदनी जानवरों के जरिए होती है । अगर अकाल के समय उनके लिए फाडर की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो वे सब जानवर मर जाएंगे और हमें एक बहुत बड़ी सम्पत्ति से मेहरूम होना पड़ेगा ।

राजस्थान में अनाज बहुत कम मिलता है । एक व्यक्ति को जितना अनाज मिलना चाहिए, वह उपलब्ध नहीं हो रहा है । अकाल की वजह से अनाज बहुत महंगा है । इसलिए वहां ज्यादा अनाज सप्लाई करना चाहिए ।

इस बजट के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । रिजनल इमबैलेंसिज के बारे में चेयरमैन साहब भी कहते हैं और हम भी बराबर कहते आए हैं । भारत सरकार ने राजस्थान में एक परसेंट से ज्यादा पैसा नहीं लगाया है । रिजनल इमबैलेंस को मिटाने के लिए राजस्थान में जिंक के रूप में एक बहुत बड़ा स्रोत उपलब्ध हो गया है । भील-

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

वाड़ा में पांच करोड़ टन का जिंक का भंडार मिला है। वहां पर अभी दो किलोमीटर का सरवे हुआ है। 21 किलोमीटर में वह भण्डार है। मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है :—

"खोज के अन्तर्गत खनिज पदार्थ : राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रामपुरा-अगुछा खानों में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा विस्तृत अनुसंधान हेतु एक योजना क्रियान्वित की जा रही है, यह अमानत 'ओपन कास्ट माइन्स' के लिए उपयोगी हैं तथा यह अब तक देश में खोजी गई अमानत में से सबसे अधिक मूल्यवान हैं।"

वहां पर बहुत रिच डिपाजिट मिला है।

"हमारे 53 मिलियन टन रिजर्व में से 13.8 प्रतिशत जिंक और 1.5 प्रतिशित सीसा मिला हुआ है।"

इतने अधिक कनटेन्ट वाला जिंक का इतना बड़ा भण्डार आज तक हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि एशिया में भी नहीं मिला है। जब 21 किलोमीटर का सरवे हो जाएगा, तो वहां 50 करोड़ टन से भी ज्यादा जिंक उपलब्ध होगा। इतना बड़ा जिंक डिपाजिट हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है, इसलिए भारत सरकार को वहां पर जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाना चाहिए। इतना बड़ा जिंक डिपाजिट विशाखापत्तनम और उदयपुर में भी नहीं है। अगर वहां पर स्मेल्टर न लगाकर किसी दूसरी जगह लगाया जाएगा, तो सारे सामान को दूसरी जगह ले जाने में बहुत खर्च बैठेगा। 100 करोड़ का जस्ता और सीसा आप विदेशों से मंगाते हैं। इस कारखाने को अगर यहां पर स्थापित कर देंगे तो 100 करोड़ का फारेन एक्सचेंज बचेगा। इसके अलावा और ज्यादा लेड और जिंक वहां पैदा करेंगे तो उसे विदेशों में भेजकर उससे सैकड़ों करोड़ का फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित करने में 300 करोड़ रुपये के करीब खर्च होता है। मेरा यह निवेदन है कि एक साल में यह रुपया वसूल हो जाएगा। इतना बड़ा डिपाजिट इसका वहां पर है। इसकी तरफ आज तक आपका ध्यान नहीं गया। आपने एक एक्सपर्ट कमेटी इसके लिए बैठा रखी है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि बिजली की व्यवस्था वह करेंगे। 20-21 करोड़ रुपया वह अपनी तरफ से खर्च करने को तैयार हैं। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट वहां स्थापित किया जाये। इससे राजस्थान की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इतना बड़ा प्लान्ट वहां लग जाता है तो उसके साथ-साथ अनेक ऐन्सिलियरी इंडस्ट्रीज वहां लगेंगी। इससे वहां के लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट भीलवाड़े जिले के आगूचा गांव में स्थापित करने की आप व्यवस्था करें। यह प्लान्ट अगर वहां स्थापित हो जाएगा तो हिन्दुस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।

एक बात मुझे कापर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में कहनी है। पिछली बार मैंने एक प्रश्न खेतड़ी

कापर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम नहीं करता है, इसके बारे में पूछा था। वहां पर जो कापर निकला था उसको बेचने के लिए वहां का जो मैनेजमेंट है वह इंग्लैंड गया और जो 22 हजार मैट्रिक टन कापर था जिसमें कापर का परसेंटेज 34 परसेन्ट था, उसको उन्होंने वहां उन से मिल मिलाकर 14 परसेन्ट कर दिया। 20 परसेन्ट कापर का उन्होंने इस प्रकार से गड़बड़ घोटाला कर दिया। इस तरीके से करीब 21 करोड़ रुपये का गड़बड़ उन्होंने किया है। मैंने जब प्रश्न पूछा तो कहा कि इसका अभी इन्वैस्टिगेशन हो रहा है इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आज साल डेढ़ साल हो गए, इस सम्बन्ध में क्या हुआ, उस रुपए की किस प्रकार व्यवस्था की गई, इसका कुछ पता नहीं है। मैं समझता हूं इस तरफ फाइनेन्स मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी रकम के सम्बन्ध में भी अगर सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो वह प्रोजेक्ट इसी तरह घाटे में चलेगा। आज भी वहां घाटा चल रहा है और इसकी वजह यही है कि वहां का मैनेजमेंट ठीक नहीं है।

इसके अलावा वहां पर जब यह खेतड़ी का कापर प्रोजेक्ट बना तो लोगों की जमीन ली गई लेकिन उस जमीन का आज तक मुआवजा नहीं दिया। यह किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि उनको आज तक उस जमीन का मुआवजा नहीं मिला जिस पर यह प्रोजेक्ट बना है। जो मुआवजा देने वाले अधिकारी हैं उन्होंने तो उसका फैसला कर दिया। परन्तु मैनेजमेंट उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया। सब कोर्टों से उनके खिलाफ फैसला होने के बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया। इसके अलावा जिनके मकान उस प्रोजेक्ट के अन्दर आए उनको भी ले लिया गया और उसका भी मुआवजा नहीं दिया। 61 से लेकर 82 तक 21 सालों के अन्दर उनका मुआवजा नहीं मिला। सैकड़ों आदमियों को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करता हूं। हमारी सरकार लोगों का वेलफेयर चाहती है, लोगों को ऊपर उठाना चाहती है। लेकिन अगर उनका हक भी उनको नहीं मिलेगा, उनकी जमीन ले ली, उनके मकान ले लिए और उसके बाद भी आज तक मुआवजा नहीं मिला तो यह बहुत बड़ा अन्याय उनके साथ हुआ है। इस सम्बन्ध में आप कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

इसी तरीके से एक और समस्या राजस्थान की है। राजस्थान में आपने कृपा करके एक बड़ी लाइन दी है कोटा से चित्तौड़ तक और वह इसलिए दी कि वहां पर सीमेंट के पत्थर के बहुत बड़े डिपाजिट्स हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लेकिन आपने उस लाइन पर आज तक किसी सीमेंट फैक्टरी को लाइसेन्स नहीं दिया है। वहां पर कितनी सीमेंट फैक्टरीज इस्टैबलिश होनी चाहिए—इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऊनी में सीमेंट कार्पोरेशन ने एक बड़ी दस लाख मी० टन

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

की सीमेंट फैक्टरी लगाने की बात कही है और इसी प्रकार से अन्य प्राइवेट पार्टीज की ओर से कई सीमेंट फैक्टरीज कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और मंदसोर – इन पांच जिलों में इस्टैबलिश की जा सकती हैं। इस प्रकार से अभी देश में सीमेंट की जो कमी है और करोड़ों रुपया विदेशों को फारेन एक्सचेंज के रूप में देना पड़ता है, उसको बचाया जा सकता है तथा साथ-साथ हजारों लोगों को एम्पलायमेंट भी दिया जा सकेगा। मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर सरकार की ओर से या प्राइवेट पार्टीज, यदि वे चाहें तो उनकी ओर से सीमेंट फैक्टरीज इस्टैबलिश की जानी चाहिए।

जहां तक खाद की बात है, राजस्थान को गैस-बेस्ड खाद का कारखाना देने की बात कही गई थी इसलिए जल्दी से जल्दी उसकी स्थापना वहां पर की जानी चाहिए। राक फास्फेट और पाइरेट की बेस पर भी दो कारखाने प्राइवेट सेक्टर में लगाए जाने की बात थी लेकिन उनके सम्बन्ध में भी अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज हमारे देश में खाद की बहुत कमी है। देश को 60 लाख मी० टन खाद की आवश्यकता होती है लेकिन हम अभी केवल 40 लाख मी० टन ही पैदा करते है। इस प्रकार से जो 20 लाख मी० टन की कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए अरबों रुपए का फारेन एक्सचेंज हमें खर्च करना पड़ता है। जब सारा कच्चा माल हमारे देश में ही उपलब्ध है तब नयी फैक्टरीज को लगाकर हम इस कमी को दूर कर सकते है तथा बहुमूल्य फारेन एक्सचेंज को भी बचा सकते हैं।

इसी प्रकार से माइका, पेपर फैक्टरी भीलवाड़ा में स्थापित करने के लिए मैं कई वर्षों स कह रहा हूं। बिहार के बाद राजस्थान में भीलवाड़ा में ही सबसे अधिक माइका होता है। बिहार में मिटको के जरिए से फैक्टरी की स्थापना की गयी है। उसी प्रकार से राजस्थान में भी सरकारी एजेन्सी, मिटको के जरिए से पेपर का कारखाना, माइका का कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए। इससे वहा अनएम्पलायमेंट भी दूर होगा तथा उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी हो सकेगा।

हमारी प्रधान मन्त्री जी ने "श्रम एव जयते" का नारा दिया है हमारे मजदूर ईमानदारी से काम करते हैं तो निश्चित तरीके से हमारा देश आगे बढ़ता है लेकिन राजस्थान के पी. डब्लू. डी., इर्रीगेशन तथा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट्स में आज भी हजारों लोग कैजुअल लेबर की तरह से काम कर रहे हैं। उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। उनको परमानेन्ट नहीं किया जाता हैं। उनको पी० एफ० नहीं मिलता है, ई० एस० आई० की कोई सुविधा नहीं है और न ही कोई ग्रैच्युटी मिलती है। वे वर्क्स आन्दोलन कर रहे हैं। हमारे लेबर मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई मजदूर 180 दिन काम कर ले तो उसे सभी प्रकार की सहूलियतें मिलनी चाहिए लेकिन वहां पर उन मजदूरों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। वे दस-दस साल तक काम कर चुके हैं

लेकिन उनको परमानेन्ट नहीं किया जा रहा है। जो भी सहूलियतें उनको मिलनी चाहिए वह आज तक नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि वे राजस्थान सरकार पर दबाव डालें और उन गरीब मजदूरों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको समाप्त करायें तथा उन्हें उनके हुकूक दिलायें ताकि हमारी सरकार और हमारी प्रधान मन्त्री जी की जो नीति है वह कार्यान्वित हो सके और उससे देश का भी कल्याण हो।

हमारे यहां मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का मैनेजमेंट घोर अन्याय कर रहा है। वहां पर प्राविडेन्ट फंड का 20 लाख और ई० एस० आई० का साढ़े तीन लाख बकाया है। उन्होंने मिल को सिक बना दिया है और उसका पैसा दूसरी जगह ले जाकर लगा रहे है। साढ़े तीन हजार मजदूर बेकार कर दिए हैं। थोड़े दिन में वहां तालाबन्दी हो जाएगी। सरकार इस मिल को बन्द न होने दे क्योंकि बन्द होन से बीस हजार लोगों पर उसका असर पड़ेगा। मेरा निवेदन है सरकार उसको टेक-ओवर करे, नेशनलाइज करे। 8-10 साल पहले भी उसको टेक-ओवर किया गया था।

उस ने एक साल में एक करोड़ रुपये का मुनाफा दिया मगर मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां की स्थिति खराब है। इसलिए उस को टेक-ओवर कर के, उस को नेशनेलाइज कर के साढे तीन हजार मजदूरों को लाभ दीजिएऔर देश के विकास में योगदान दीजिए जैसा कि आप की नीति है।

अब मैं रेलवे विभाग से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान बनने के पहले वहां पर 5 स्टेटों में जयपुर, जोधपुर बिकानेर, उदयपुर और अजमेर में 5 बड़ी वर्कशाप्स थीं। जब से भारत सरकार के पास रेलवेज आ गई, तो वे वर्कशाप्स खत्म हो गई। वहां पर डिब्बे तैयार होते थे, इंजन तैयार होते थे, माल के वेगन तैयार होते थे मगर आज सब के सब वर्कशाप्स ठप्प पड़े हुए हैं इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और इस के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप इन वर्कशाप के अन्दर कहीं कोच फैक्टरी, कहीं वेगन फैक्ट्री और कहीं इंजन तैयार करने की फैक्टरी खोलिए ताकि लोगों को एम्पलायमेंट मिले और वहां के आर्थिक विकास में तेज गति आ सके। इस सम्बन्ध में आप कुछ न कुछ व्यवस्था कीजिए, तो ठीक होगा।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि बंगाल के ऊपर 372 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप को फाइनेन्शियल डिसिपलिन लाना पड़ेगा। अगर आप फाइनेन्शियल डिसिपलिन नहीं लाएंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से और भी प्रदेश ओवरड्राफ्ट लिया करेंगे और देश दिवालिया बन जाएगा। ऐसी सरकार, जिस के ऊपर 372 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट हो, भंग की जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ऐसी सरकारें जो फाइनेन्शियल डिसिपलिन में नहीं रहती हैं, उनको भंग कर वहां पर राष्ट्रपति शासन स्थापित कीजिए और कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिस से विकास की गति तेज हो सके। प्लान के पैसे में अगर आप ओवरड्राफ्ट को एडजस्ट करेंगे, तो इस से तो वहां पर गरीब लोग मारे जाएंगे, वे बरबाद हो जाएंगे। वहां पर सरकार की

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

गलती है, गरीब लोगों की गलती नहीं है, मजदूरों और किसानों की गलती नहीं है बल्कि काम करने वालों की गलती है, तो जिन लोगों की गलती है, उन को सजा दीजिए। वहां की सरकार को भंग कर के राष्ट्रपति शासन वहां लागू कीजिए और फाइनेन्शियल डिसिपलिन स्थापित कीजिए ताकि अच्छी व्यवस्था वहां हो और यह देश ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस फाइनेन्स बिल का स्वागत करता हूं।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस फाइनेन्स बिल का स्वागत करता हूं।

मैं देख रहा हूं कि लोगों ने इस मौके का फायदा उठा कर अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। मैं भी आप के द्वारा उन का ध्यान दो बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आप का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

विलेज लेविल पर, ग्रामीण स्तर पर हमारी सरकार के जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं, वे बहुत दुरुस्त हैं, बहुत सही हैं जहां तक नीति का सवाल है लेकिन जब अमल में आने की बात होती है, तो हम यह देखते हैं कि एक बड़ी भारी रुकावट पैदा हो जाती है फाइनेन्शियल इंस्टीयूट्शन्स की मारफत। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, ग्रामीण विकास बैंक के नाम से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के द्रुत विकास के लिए ब्लाक स्तर पर इन को खोला है और नये बैंकों की शाखाएं खोलना आरंभ किया है और शायद हिन्दुस्तान का कोई भी ऐसा प्रखड नहीं है, जहां पर यह शाखा न खुल गई हो। हमारे बिहार प्रान्त में अन्य राज्यों के मुकाबले में अभी बैंकों की शाखाओं की बहुत कमी है और मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इन शाखाओं के खुलने के साथ-साथ लूट की भी एक बड़ी जबरदस्त बीमारी शुरू हो गई है और एक अजीब हालत सी बन गई है। हम आदिवासियों को, हरिजनों को, मार्जीनल पीजेन्टस को, किसानों को रुपया मुहय्या करते हैं गाय खरीदने के लिए, भैंस खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए, पम्पिंग सेट खरीदने के लिए, खेत को लेवल करने के लिए बैंक रुपया मुहैया करते हैं। बैंक के एम्पलाईज उसमें बिजनस करते हैं अगर इस ए० डी० बी० या ग्रामीण विकास बैंक में से कोई एक हजार रुपया लेता है तो उस से ढाई सौ रुपया काट लेते हैं। साढ़े सात सौ रुपया उसको मिलता है। इतनी फोरजरी वहां चल रही है।

एक आदिवासी मेरे पास आया। ट्राइबल था। उसने एक बैल लेने के लिए कर्ज मांगा। उस से बैंक वालों ने कहा कि बैल ही क्यों, गाड़ी भी ले लो। उसको गाड़ी और बैल के नाम पर रुपया देने के लिए निकाला गया। बैंक का रुपया उसको दे दिया और गाड़ी का रुपया बैंक वालों की पाकिट में चला गया। जब मामला अफसरों तक पहुंचा तो उसे हश अप कर दिया गया।

रीजनल लेवल पर ग्रामीण विकास बैंक की शाखाओं में जो पोस्टिंग होती हैं वह भी रुपया

ले कर होती हैं। यह सब कहां जा कर रुकेगा? कहीं पर भी बैंक के साथ आपके पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में डवलपमेंट हो रहा है, हमारे क्षेत्र में ए० डी० वी० में क्लास थ्री एम्पलाईज से पांच-सो हजार रुपया लिया जाता है, जब उसकी बहाली होती है। आप इसकी सी० वी० आई० या किसी भी संस्था से इंकवायरी करायें।

अगर यह रोग बढ़ता गया तो आपका यह ठीक से नहीं चलेगा। यह कोढ़ का रोग है। अगर इसे सिल्क से ढक दिया जाएगा तो नहीं चलेगा। गरीब के लिए जो पैसा आता है, छोटे दुकानदार, रिक्षा चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले उसका हजारों रुपया ले जाते हैं। महाजन पहले जितना सूद लेता था, उस से वैसी सूद तो आज पहले ही काट लिया जाता है और ऊपर से अलग लेते हैं।

किसी भी प्रोग्राम को ठीक ढग से इम्प्लीमेंट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमारा प्रोग्राम ठीक हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक न हो तो रुपया खर्च होता जाता है लेकिन वह गरीब तक नहीं पहुंच पाता है और गरीबी बढ़ती जाती है। अपने को केवल प्रशंसा और प्रतिष्ठान सुनने के आदि मत बनाइये। यही चाटुकारिता और तारीफ बड़े-बड़े साम्राज्यों की नींव को हिला देती है। आप को लोगों की भलाई के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको गरीबों की बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आपकी फाइनेंशयल इंस्टीच्युशंस में आनेस्टी, इन्टेग्रिटी, और एफीशियेंसी उनकी लाइफ होती है। इनको अगर जंग लग गया तो ये नहीं चल पायेंगे। हम इन बैंकों को जब देखते हैं तो इनमें डिसिप्लीन का यह हाल हो गया है कि अगर कोई मेनेजर डिसिप्लीन एन्फोर्स करना चाहे तो उसका सिर तोड़ दिया जाता है।

हम कस्टोमर को लक्ष्मी समझते थे, अब मुल्लाह समझा जाता है। कस्टोमर जाता है या मेम्बर आफ पार्लियामेंट भी जाता है तो हू टेक्स नोटिस। नो बडी टेक्स नोटिस। दिस इज ए फेक्ट एण्ड हार्ड फेक्ट। फाइनेंशयल इंस्टीच्युशस में डिसिप्लीन, इन्टेग्रिटी, आनेस्टी नहीं होगी तो ये खत्म हो जाएंगी। इनको आप रास्ते पर लाइये। अगर ये खत्म हो जाएंगी तो सेठों को फायदा होगा। आज भी हो रहा है। आज अगर एक सेठ को 50 लाख रुपया चाहिए तो दो दिन में मिल जाएगा। अगर एक गरीब को दो हजार रुपया चाहिए तो उसे 50 दिन दोड़ना पड़ेगा। दीज आर द हार्ड फेक्ट्स। कारण यह है कि पालिसी को ले कर जो एक्शन है वह कंट्रेडिक्ट्री हो रहा है।

मैंने शुरू में कहा था कि मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा। नियमों से हटने के लिए मैं आप से माफी चाहता हूं। हम लोग बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात करते हैं। मैं तो तंग आ गया हूं यह सब देखते देखते। कैसे डिवेलेपमेंट हो सकता है, कैसे नेशनल प्रेस्टीज रेस्टोर हो सकता है

[श्री कमल नाथ झा]

इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। पांडे जी के दरवाजे मैंने खटखटाए हैं, कमलापति जी के भी खटखटाए थे, तिवारी जी के भी खटखटाए हैं, पाटिल साहब के भी खटखटाए हैं। यह इस वास्ते मैंने नहीं किया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है। इसलिए किया है कि दुनिया में, सारे संसार में कोई ऐसा देश क्या हो सकता है जिस को अपने देश से अपने ही देश में जाने के लिए विदेश के रास्ते से हो कर जाना पड़ता हो? इंडिया टू इंडिया हम को विदेश हो कर जाना पड़ता है, नेपाल हो कर जाना पड़ता है। हम एम.पी. लोग जब वीरपुर में कोसी बैरेज को पार करते हैं तो हमारा नेशनल फ्लैग उतार लिया जाता है। नेपाल सरकार कहती है कि हमारे देश से हो कर जाना है तो अपने नेशनल फ्लैग को उड़ा कर नहीं जा सकते हो। हमारी पुलिस फोर्स इंडिया टू इंडिया जाती है तो उसको डिसआर्म कर दिया जाता है। नेपाल की पुलिस उसके आर्मामेंटस को अपनी कस्टडी में ले लेती है और चालीस किलोमीटर पार जा कर उनको हैंड ओवर करती है। क्या भारत इतना गरीब देश है कि 25 करोड़ भी बैरेज बनाने पर खर्च नहीं कर सकता हैं, कोसी का पुल नहीं बना सकता है? नदी इस तरफ से चल रही है। उधर से रेलवे लाइन आती है। बक्सर से निर्मली में रुक जाती है। पूर्व से सरायगढ़ में रुक जाती है। उधर से लेट्रल रोड जो पश्चिम से आती है, दरभंगा में रुक जाती है, पूर्व से आती है तो फारबेसगंज में रुक जाती है। रेलवे लाइन की दूरी ग्यारह मील रह जाती है। बीच में नदी पड़ती है। इंडिया टू इंडिया सोलह किलो मीटर का फासला तय करने के लिए हम को पांच सौ किलो मीटर घूम कर आना पड़ता है बाई रोड और पांच सौ किलो मीटर बाई रेल। अगर एमरजेंसी आ गई और हम को फौज भेजनी पड़ जाए तो बिना नेपाल सरकार की आज्ञा के अपने आर्म्ज ले कर वह नहीं जा सकती है। आर्म्ज से उसको डिसआर्म किया जाएगा तभी वह निर्मली ले जाई जाएगी। क्या एक पुल नहीं बन सकता है। सब भारत की बात करते हैं।

डिवेलेपमेंट वाला एसपैक्ट आप छोड़ दें। लेकिन नेशनल रिसपेक्ट की बात को तो आप देखें। डी.एम. को झंडा उतार कर जाना होता है, एम.पी. को उतार कर जाना होता है और अगर नहीं उतारना चाहते हैं तो आपको नेपाल की, काठमंडु की परमिशन लेनी होती है। 25 करोड़ प्लान से या नान प्लान से आप खर्च नहीं कर सकते हैं। यहां राष्ट्रीयता के बहुत भाषण होते हैं। वैनिटी आफ दी नेशनहुड इज डेली बीइंग ह्यूमिलेटड।

हम तीस चालीस बरस से देखते आ रहे हैं, झंडा उतरता है, फोर्स डिसआर्म होती है लेकिन एक पुल नहीं बनता है। आपको सोचना होगा कि भारत की राष्ट्रीयता की रक्षा कैसे की जाए।

बिल है, बजट है, प्लान हैं। लेकिन ताज्जुब है कि जो सब से वीक सैक्शंज है उनकी

तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। महात्मा गांधी मेरे भी राष्ट्रपिता थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उन से पूछा कि बापू योजना कैसी होनी चाहिए? गांधी जी पहले तो जवाब देने से कतराए। बाद में जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि लास्ट मैन को तुम्हारी योजना से क्या लाभ पहुंचेगा इसी से मैं तुम्हारी योजना का मूल्यांकन करूंगा।

"आपकी योजना से समाज का निर्बलतम व्यक्ति क्या-क्या लाभ पा सकता है, इसी से मैं यह मूल्यकांन करूंगा कि आपकी योजना व्यवस्था की सफलता अथवा विफलता क्या है।"

फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत प्रगतिशील हैं। पुजारी जी अभी अभी राज्य मन्त्री बन कर इस विभाग में आए हैं।

सब लोग विशेषज्ञ हैं, मैं पूछना चाहता हूं हमारी सोसाइटी में सब से लास्ट मैन ऐग्रीकल्चर लेबरर है जो गांव में काम करता है, जब उसकी बात होती है तो हम कहते हैं कि हमने मिनियम वेज के लिये राज्य सरकार को लिख दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सेन्ट्रल गवर्नमेंट के गजटेड एम्पलाईज हैं जिनको ऐक्सचैंकर से एक एक मुश्त में 100, 100 करोड़ रु० डी० ए० के रूप मिल जाता है और दूसरी फेसिलिटीज मिल जाती हैं। लेकिन क्या भारत सरकार के खजाने में यह जो 30 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं इनके लिये डाइरेक्टली कोई प्रोवीजन है? आप बता सकते हैं कि 30 वर्ष में उनके लिए क्या हुआ है? आप नहीं बतायेंगे, लेकिन इतिहास इसका नोटिस लेगा कि भारत में 30 करोड़ खेती में काम करने वालों के लिए कुछ नहीं किया गया। दूसरी सर्विसेज को आप ऐसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर करते हैं। बिजली, रेलवे आदि-को, लेकिन फूड इंडस्ट्री ऐसेन्शियल है कि नहीं? बिना बिजली के हजारों वर्ष तक संसार रहा है, बिना इंजीनियर, डाक्टर और प्रोफेसर के हजारों वर्ष तक यह संसार जीया है। लेकिन बिना फूड के एक महीने भी संसार नहीं जीया है जब से सृष्टि बनी है। यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट है दिमाग पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट है माइण्ड पर कि खेती में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला आदमी, थर्ड रेट सिटीजन मालूम पड़ता है। उसकी कोई इज्जत नहीं है, गांव के मजदूर की कोई इज्जत नहीं। अफसर की इज्जत है, लीडर की इज्जत है, इंजीनियर की इज्जत है, लेकिन खेत में मजदूरी करने वाले की कोई इज्जत नहीं। किसान जो सृष्टि को बनाता है, जो रियेलिटी है जिसको गीता ने भी कहा है:

अन्नाति भवन्ति भूतानी, परिजण्यात अन्न सभव।
यज्ञात भवन्ति परिजन्यो, एज्ञ ब्रह्म समउद्भवः॥

अन्न से सृष्टि पैदा होती है। लेकिन फूड का प्राडयूसर कहीं पिक्चर में नहीं है। उस सर्वहारा के लिए आप क्या कर रहे हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने डायरेक्शन को उधर मोड़ना चाहिए लास्ट मैन की तरफ।

[श्री कमल नाथ झा]

माननीय, कल मैंने एक अजीबो गरीब चीज देखी। हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं, बहुत तकलीफ से यह बात आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, माननीय सेठी जी चले गये, हम मेम्बर लोग फर्स्ट क्लास और ए० सी० सेकेन्ड क्लास स्लीपर में चल सकते हैं, इसकी परमीशन है। अब ए० सी० सेकेन्ड क्लास स्लीपर का सरचार्ज 40 रु० हो गया। और कल रेलवे बोर्ड का एक अधिकारी कह रहा था कि मेम्बर पार्लियामेंट को ए० सी० सेकेन्ड क्लास स्लीपर में चलने के लिए सरचार्ज देना पड़ेगा। मुझे मालूम हुआ कि दूसरे वक्त भी सिटिंग हुई कमेटी की जिसमें उन्होंने कहा आपको सरचार्ज लगेगा। हमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन इसके पीछे पोइंट क्या है? इंडियन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी क्या स्टेंड ले रही है यह पोइंटर है। और इस ब्यूरोक्रेसी ने चाइना और रशिया में भी एक प्रोबलम पैदा कर दी है और हमारे यहां भी कर दी है। कि मेम्बर पार्लियामेंट को कैसे ह्यूमिलेट किया जाये। हमें हाईएस्ट इन्स्टीट्यूशन के मेम्बर हैं।

यह श्री कमल नाथ झा या किसी सदस्य का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। यह सम्मानीय सदन सबसे बड़ी संस्थान है।

हम लोग इस हाइएस्ट बाडी के मेम्बर होने पर भी फस्ट क्लास में चलेंगे और हमारे नौकर जो फस्ट क्लास आफिसर हैं, तो एयरकंडीशन में चलेंगे। यह इस हाइएस्ट बाडी के मेम्बर की हैसियत है।

हम कभी नहीं कहते हैं कि हमें ए० सी० सी० की फैसिलिटी दीजिये। इसलिये हम यह मांग करते हैं कि इस सदन में हमारे इस सवाल पर विचार हो और सब को आर्डर में किया जाये। हम भी फस्ट क्लास में चलने वाले हैं, मिनिस्टर को भी फस्ट क्लास में चलना होगा और जितने क्लास-1 के लोग हैं, उनको अपने मालिक से नीचे के डिब्बे में चलना होगा। इन लोगों का सैलून बन्द होना चाहिए। अगर देश का मन्त्री फस्ट क्लास में चलेगा तो देश का नौकर सैकिंड क्लास में क्यों नहीं चलेगा? क्या मालिक के माथे पर चढ़कर चलेगा? इस ओर मैं वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती: आपको प्रसन्न किया जाएगा परन्तु उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाएगा। यह आप पक्का मानें।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करना चाहता। कुछ बातों की तरफ फाइनेन्स मिनिस्ट्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अपनी बात शुरू करने से पहले झा साहब ने जो बात कहीं, खासतौर से पुल वाली बात वह बहुत अच्छी हैं। उन्होंने जो आखिरी बात कही है, इसमें मैं भी उनके साथ सहमत हूं।

यह एक बड़ी अजीब बात है कि जब मेम्बर पार्लियामेंट ट्रैवल करें तो ए० सी० सी० 2 टायर वाली बात में शायद चन्द लाइनें हैं, रेलवे वाले जिन पर एतराज कर रहे हैं। कुछ में तो हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर साहब, जो आज इरिगेशन मिनिस्टर हैं, पांडे जी, उन्होंने तो आर्डर कर दिया था, मगर कुछ लाइनें है, जो रेलवे डिपार्टमेंट ने मानी नहीं।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने संसद में यह कहा परन्तु कौन सुनता है ?

श्री गिरधारी लाल डोगरा : परन्तु उसका पालन होना चाहिए। प्रश्न यह है कि राजधानी तथा कुछ अन्य गाड़ियों में, जो कि महत्व पूर्ण गाड़ियां हैं, शायद वे संसद सदस्यों को सरचार्ज अदा किए बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं देते। यह बहुत बेइज्जतीपूर्ण है और शर्मनाक है। मैं उनके साथ हूं और मेरे विचार से इस सभा का प्रत्येक सदस्य हमसे सहमत होगा कि यह दृष्टिकोण ही हमारे लिए अपमानजनक है और सरकार द्वारा इसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कोई व्यक्ति मन्त्री है कल वह मन्त्री नहीं रहता। उसे उसी श्रेणी में यात्रा करनी होगी जिसमें हम यात्रा करते हैं। जब वह मन्त्री बनते हैं जो विमान में यात्रा करते हैं अथवा प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं। यह इस प्रकार उचित है। उन्हें उसी श्रेणी में यात्रा करनी चाहिए जिसमें संसद सदस्यों को यात्रा की अनुमति है। उनको तथा उनके कर्मचारियों को अधिक सीटें दी जा सकती हैं तथा सुरक्षा कर्मचारी और उनका स्टाफ साथ में यात्रा कर सकते हैं परन्तु संसद की गरिमा बनाई रखी जानी चाहिए। मेरे विचार में हमें यह नहीं भूलना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि हममें से प्रत्येक को तीसरे दर्जे में यात्रा करनी चाहिए जो अब दूसरा दर्जा है। अफसरों को संसद सदस्यों की स्थिति पहचाननी चाहिए। एक मित्र ने मुझे बताया कि लोकमान्य तिलक ने अफसर शाही के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, ये ऐसे लोग हैं जो शक्ति को अपने अपने हाथों में रखे हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें उनके स्थान पर रखा जाये तो शायद वे भी यही करें उन्होंने कहा, "चूंकि हमने अपनी जनता की ओर से लड़ाई करना आरम्भ किया है तो हमें इन अफसरों के हाथों से क्षति लेकर उसे लोगों को देनी चाहिये और उस शक्ति का उपयोग जनता की सहायता के लिए करना चाहिए। जैसा कि उनका विचार था कि अफसर शाही हर स्थान पर अधिक से अधिक शक्ति हस्तगत करना चाहती है और यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि ऐसी समिति की बैठक में आने वाला निदेशक, जिस समिति में दोनों सदनों के सदस्य हों, इस ढंग से बात करें जैसे वह हमारे लिये कोई कृपा कर रहा हो। मैं समझता हूं कि यह इस उच्चतम सस्था अर्थात संसद के दोनों सदनों का अपमान है। इस बात पर मैं श्री झा के साथ हूं।

मैं वित्त मन्त्री के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। परन्तु मेरा विचार है कि इसका

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं इस पर अपना विचार नहीं व्यक्त करूंगा क्योंकि बाद में यह विवाद का मसला बन सकता है। कुछ मामले हमारे सामने हैं और अब उनकी ओर अधिक उपेक्षा नहीं कर सकते।

सच्चाई यह है कि सारा संसार वित्तीय और राजनैतिक संकट से गुजर रहा है। स्थिरता तथा प्रगति के लिए यह जरूरी है कि विश्व में शांति हो। हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने अथक प्रयास कर रही हैं। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जो अपनी दूरदर्शिता के आगे विश्व में शांति देखने के लिए प्रमुख भूमिका निभा रहा है। स्थिति बहुत ही नाजुक है। संकर कभी एक स्थान पर उत्पन्न होता है तो कभी दूसरे स्थान पर। युरोप में संकट उत्पन्न हुआ और लोगों ने सोचा कि युद्ध वहां पर आरम्भ हो जायेगा। अब वह स्थिति एशिया में धकेल दी गई है। हमें इस बात के लिए अपने प्रयास करने होंगे कि यहां पर युद्ध आरम्भ न हो क्योंकि यह सारे विश्व के लिए और विशेष रूप से हमारे लिए विनाशकारी होगा।

हमारी निदेश नीति बहुत अच्छी है। हम प्रगति चाहते हैं और हम अपने पडोसियों के साथ मित्रता चाहते हैं। हमने देखा है कि हमारी प्रधानमन्त्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, पिछले दिनों वे इग्लैंड गई। हाल ही वे सऊदी अरब तथा अन्य अरब देशों की यात्रा पर गई। वे अपने अथक प्रयास कर रही हैं। शायद उनकी यात्राएं सफल रही हैं। ये सभी उपयोगी हैं। हमें आन्तरिक बातों को उचित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्रगति के लिए हमें उद्योग तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना होगा। बड़े जमींदारों के माध्यम से उत्पादन में प्राप्त वृद्धि से देश में शांति नहीं होगी इससे अनेक अन्य बातें पैदा हो जायेंगी, जो अभी प्रकट हो रही हैं। यदि हम वास्तविक शान्ति चाहते हैं तो हमें इस देश के लोगों का देश की जनता का उत्पादन क्रम में सहयोग लेना होगा।

जनता का सहयोग कृषि उत्पादन में लिया जाना चाहिए। हमने भूमि सुधारों का नारा दिया। जैसा कि चौधरी सुन्दर सिंह ने कहा भूमि सुधार नहीं किये जा सकते और अब भी नहीं किये जा सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सहयोग कृषि क्रम में लेना होगा। जमींदार अब यह कर रहे हैं कि वे कृषि के काम को यंत्रीकृत कर रहे हैं जिसके कारण लोगों में बेरोजगारी तथा असन्तोष बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक खतरनाक ढग का संघर्ष चल रहा है—यह पंजाब में कम हो सकता है अथवा उत्तर प्रदेश अथवा बिहार में अधिक हो सकता है। जनसख्या में वृद्धि के साथ असन्तुष्ट व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ती है क्योंकि उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलते। हम इस बात से शांति प्राप्त कर सकते हैं कि हम खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। परन्तु यदि उत्पादन क्रम में जनता का सहयोग प्राप्त नहीं किया गया और उनमें क्रय शक्ति न रही तो खाद्य दंगे हो जायेंगे। अतः आयोजना में इस बात का भी महत्व रहता है कि हम किस ढंग से

काम करते हैं और किस प्रकार करते हैं। हमें देश में उपलब्ध भारी जन बल का उपयोग करना है क्योंकि इसके बिना उनको असन्तुष्ट लोगों का समूह बना देंगे जो समाज विरोधी गतिविधियों में लग जायेंगे। अतः हमें इस पर विचार करना है और सारी कृषि को मशीनीकृत क्रम में बदले जाने की अनुमति देने के स्थान पर यह देखना होगा कि मशीनीकरण कहां तक उपयोगी है। इस पहलू का किसी को अध्ययन करना चाहिए। हमें इस बात का भी अध्ययन करना चाहिये कि किस प्रकार अच्छे ढंग से हम देश में उपलब्ध विपुल जन बल का उपयोग कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मशीनीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए परन्तु हमें देखना चाहिये कि हमें कितना मशीनीकरण करना चाहिये।

कोई व्यक्ति चाहे वह पूंजीपति जमींदार, तकनीकी अथवा मध्य वर्ग से है उसे इस अर्थ व्यवस्था का अंग बन कर रहना होगा। हमें इस दृष्टि से सोचना होगा। कहीं से सहायता नहीं मिलने वाली। जब तक हम यह न सोचें कि हम एक राष्ट्र हैं और प्रत्यक मानव को जीने का अधिकार है और हमें उनको काम देना है केवल तब ही हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने वाली है।

हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अपने राष्ट्रीय संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं परन्तु इसके साथ ही जहां तक संसाधनों की बात है हमें उस क्षेत्र से पर्याप्त संसाधन नहीं प्राप्त हो रहे। हमें इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करना होगा। हम कृषि पर कर नहीं लगा सकते परन्तु हम केन्द्र में निहित अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत अनिवार्य बचत तो लागू कर सकते हैं। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये कि अनिवार्य बचत का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जाये। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम समेकित विकास के लिए जो भी ससाधन उपलब्ध करा रहे हैं वे भी समृद्ध किसानों को मिल रहे हैं। जहां तक छोटे और सीमान्त किसानों का संबन्ध है उनको पूरे लाभ प्राप्त नहीं हो रहे। नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में वाणिज्यिक बैंकों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बैंकों में भ्रष्टाचार बहुत गम्भीर बात है और वित्त मन्त्रालय को इस बात को देखने के लिये कोई तन्त्र बनाना होगा कि छोटे किसानों का ऋण दिये जाने के बारे में बैंकों में भ्रष्टाचार न रहे। इस समय इस प्रकार का कोई तन्त्र नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लाभ सहकारी बैंकों के माध्यम से वितमित किये जाते हैं और सहकारी केन्द्रीय नियन्त्रण के अधीन नहीं हैं। एपेक्स कृषि बैंक की स्थापना की गई है जिसका सहकारी बैंकों पर कुछ नियन्त्रण होना चाहिए। जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का संबन्ध है रिजर्व बैंक का उन पर नियन्त्रण है परन्तु सहकारी बैंकों के बारे में किसी अन्य बैंक का नियन्त्रण नहीं है। इन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति उनको सेवा से हटाया जाना राज्य सरकार को शक्ति है। अतः मैं यह सुझाव देना चाहता कि रिजर्व बैंक अथवा कृषि एपेक्स बैंक का उन पर नियन्त्रण होना चाहिए जिससे उनके ससाधनों का राजनैतिक उपयोग न किया जाये। राजनैतिक प्रेरणा को उनके कार्यकरण में नहीं आने दिया जाना चाहिये।

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

कुछ दिन के बाद एक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और मुझे यह देख कर हैरानी हुई है कि अनेक राज्यों से केवल सरकारी अधिकारी ही सहकारिता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह बहुत ही निराशा जनक है। दूसरी ओर हम हमेशा यह दावा करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने मुद्रा स्फीति की दर कम कर दी है। परन्तु हमारी अर्थ व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत ही कुप्रबन्ध है। वे पुनः चुनाव के आदेश क्यों नहीं दे रह ? क्या इस का कारण यह नहीं है कि चूंकि सम्बद्ध राज्य सरकारें यह समझती हैं कि यदि तत्काल चुनाव कराये जायेंगे तो उनके पिट्ठओं की समिति में चुनाव नहीं हो सकेगा। यह बहुत ही खतरनाक बात है जिसकी ओर मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक कराधान नीति का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम पूंजी का निर्माण चाहते हैं तो कराधान के युक्ति संगत बनाये जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमें देखना होगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान में समुचित अनुपात हो। वास्तव में, गलत कराधान नीति के कारण काले धन तथा समानान्तर अर्थ-व्यवस्था को बल मिलता है। यदि आप इसे नियन्त्रित करना चाहते हैं तो आप को अफसरशाही अथवा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन न करा कर राजनैतिक अर्थ-शास्त्रियों द्वारा कराना होगा, जो कम्प्यूटरों की सहायता के साथ यह अध्ययन करें। हमें उस बिन्दु का निर्धारण करना चाहिए जिसके आगे चलकर विशेष उत्पादन विरोधी हो जाते हैं। विभिन्न राज्यों में हमारी बिक्री कर की दरें अलग-अलग हैं और अधिकतर राज्यों में भी बहुत ऊंची हैं तथा आयकर दरों की कभी-भी समुचित जांच नहीं की गई है। प्रतिवर्ष योजना आयोग अतिरिक्त संसाधनों पर बल देता है और राज्य सरकारें बिक्री कर तथा अन्य करों की दरें अधाधुन्ध ढंग से बढ़ाती जाती है। इन बातों से वास्तविक ससाधन प्राप्त नहीं होते। योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त संसाधनों पर किस कारण से बल दिया जाता है ?

कुछ मामलों में अतिरिक्त संसाधन उत्पादकता विरोधी भी हो सकते है। मैं जानता हूं कि पहली योजना में, हमने जम्मू व कश्मीर राज्य पर ढाई करोड़ रुपये खर्च किए थे और हम इस धन से, उस समय जो कुछ भी कर सके या बना सके उसे अब हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः इसमें कोई सदेह नहीं है कि अब पैसे की वास्तविक कीमत बहुत ही कम हो गई है और इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। उचित ढंग का पूंजी-स्वरूप रखने के लिए हमें काले धन की उत्पत्ति को रोकना होगा। हमें यह अध्ययन करना है कि प्रत्यक्ष करों तथा परोक्ष करों के बीच क्या अनुपात हो और कर किस सीमा तक उत्पादक सिद्ध होगा, फिर उसके बाद वह अनुत्पादक हो जाता है। एक बात तो यहां है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए और उसके परिणामों का हमारे कराधान पर प्रभाव करना चाहिए।

अब मैं उपभोक्ता मूल्यों की बात करता हूं । ये हमारे नियन्त्रण के नहीं हैं । हो सकता है उपभोक्ता मूल्य अब पहले की सी तेजी से बढ़ नहीं रहे हों परन्तु उन्हें नीचे भी नहीं लाया जा रहा है । हमारा उत्पादन तो बढ़ गया है मुद्रा स्फीति दर घट गई है । परन्तु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ता जा रहा है । आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नियन्त्रित न करें । को तब तक नियन्त्रित नहीं कर पायेंगे जब तक कि आप खाद्यान्नों के मूल्यों यह सबसे मुख्य बात है । यही बात हम भूलते जा रहे हैं । हम पश्चिमी अर्थव्यवस्था का अनुकरण करते हैं जब कि वे लोग उतना खाद्यान्नों का उपयोग नहीं करते हैं जितना कि हम यहां भारत में करते हैं या अन्य पूर्वी देशों में होता है । तथापि हम पश्चिमी अर्थव्यवस्था का अनेक सिद्धान्तों आदि का अनवरण करते हैं । किसान को लाभप्रद मूल्य मिलने ही चाहिए । हमें हमेशा के लिए और हर चीज के लिए लाभकारी मूल्य निश्चित कर देना चाहिए तथा फिर उन्हें बनाये रखा जाना चाहिए और यदि आदानों के मूल्य बढ़ते हैं तो हमें उनमें राजसहायता देनी चाहिए । किसी ने इस पर गौर नहीं किया है कि मूल्यों में वृद्धि, क कारण मुद्रा स्फीति होती है, या कि मुद्रा स्फीति के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है । हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि हम मुद्रा स्फीति के खतरे के बाहर नहीं हैं । हर फसल के बाद खाद्यान्नों के मूल्य 25 से 30 रुपये क्विंटल तक बढ़ जाते हैं और परिणामत: यही रूप होता है जो हो रहा है । उपभोक्ता मूल्य बढ़ते हैं और हमें मंहगाई भत्ता देना पड़ता हैं । बड़े पैमाने पर मजूरी में वृद्धि करनी पड़ती है । किसी ने भी इस पहलू पर ध्यान नहीं किया है कि क्या भारत म, मुद्रा स्फीति के कारण ही मूल्य बढ़ते हैं यदि मूल्य-वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति हो जाती है । किसी को तो अध्ययन करना ही चाहिए । अब क्योंकि मुद्रा स्फीति की दर घट गई है तो कुछ लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है । मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं । मैं तो कहता हूं कि इस बारे में किसी योग्य द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए । यह राज भावना की बात नहीं है । मैं तो प्रश्न सूझाये हैं उनके उत्तर नहीं । जब तक हम इस बारे में पूरा अध्ययन नहीं कर लेते, हमें कुछ पता नहीं चलेगा । अत: इन समस्याओं का अध्ययन किया जाना जाना चाहिए और हमें उस से लाभान्वित होना चाहिए ।

अब मैं ऋणों को कम करने की बात पर आता हूं । केन्द्रीय संस्थानों ने ऋणों में कटौती कर दी । उसके अच्छे परिणाम जो निकले हैं परन्तु इस बुरे परिणाम भी सामने आये हैं । जहां तक उत्पादक उद्यमों का प्रश्न है, जहां तक छोटी संस्थाओं का संबंध है, जहां तक छोटे उद्योगों का मामला है उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है । हमारा मन्शा किसी उत्पादक संस्थानों को या ऐसे एकक को धन की कमी पैदा कर देना नहीं है चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में यदि लघु उद्योग क्षेत्र में है अथवा कोई निजी कारोबार है या संयुक्त स्टाक कम्पनी है । परन्तु वस्तुत: उन्हें ऋण का बहुत ही सख्त जरूरत है । मुझे एक सहकारी संस्था में काम करने का अवसर मिला है । औद्योगिक सहकारी परिसंस्थान के लिए में जानता हूं ऋणों में कटौती का क्या अर्थ होता है । मैं जानता हूं कि हमारे निर्धन दस्तकार सहकारी क्षेत्र में भूखे मर रहे हैं । अत: इस बारे ने अध्ययग किया जाना चाहिए और उसके निष्कर्षों की क्रियान्विति होनी

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

चाहिए, ऐसे ढंग से कि लघु क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र के हमारे उत्पादक एकक वित्तीय रास्ते से ग्रस्त न रहें। जो बात मैंने कृषि के लिए कही है वही बात उद्योग के लिए भी है। हमें औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ाना है। यह सच है कि हमने औद्योगिक क्षेत्र में कुछ डाकुओं को उदार बना दिया है।

उद्योग मन्त्री ने कल इस बारे में कुछ घोषणाएं की थीं, परन्तु यदि हम आम आदमी को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल कर सकें और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तथा कारीगरों तक समन्वित विकास की विचार धारा पहुंचायी जाये तब ही जाकर ये सभी अपाय ठीक रहेंगे उनको ऋण सुविधाओं का प्रोत्साहन देकर उत्पादन-प्रक्रिया में वास्तव में शामिल किया जाना चाहिए। हमें जमाखोरों को पैसे नहीं देने चाहिए। साथ ही हम यह देखते हैं कि समूचे देश में दूर-दराज के तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम नहीं कर रही है। निजी व्यापारी लोगों के लिए वितरण कार्य कर रहे हैं और वह बहुत मंहगा भी नहीं पड़ रहा है। वस्तुतः हमें उन पर नियन्त्रण करने के लिए सतर्क रहना चाहिए परन्तु हमें उनको कुछ सुविधाएं देनी चाहिए ताकि वे इन क्षेत्रों के लिए काम कर सकें। अन्यथा दूर-दराज के तथा पर्वतीय क्षेत्रों में यदि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से काम करना चाहे तो वह बहुत मंहगा पड़ेगा। अतः आपको उनकी सेवाओं का उपयोग करना होगा। हमारे संविधान के निर्माताओं को तथा हमारी आयोजना प्रणाली में मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए विकल्प किया गया है और जहां तक हमारी आर्थिक व्यवस्था का सम्बन्ध है, हम बिना मिश्रित व्यवस्था के आगे नहीं बढ़ सकते। संभवतया इस विचार को उस ओर बैठे हुए शास्त्री जी, प्रो० चक्रवर्ती तथा अन्य मित्र पसंद न करें परन्तु स्थिति की वास्तविकता यह है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आवश्यकता है।

उस मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य की ऋण नीति को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यदि हमारी ऋण-नीति उचित है तो यह अच्छी बात है। हमें किस ढंग से सुविधाएं देनी हैं जिससे आम आदमी को और कृषि उद्योग तथा दस्तकारी में उत्पादन प्रक्रिया में मदद मिले। इसे सुनिश्चित करना होगा। ये नीतियां निर्धारित की जानी हैं और इन पर निगरानी रखी जानी है।

मैं इसी बात पर बल देना चाहता था। कुछ और बातें थी जिन पर मैं भी जोर देना चाहता था परन्तु चूंकि अध्यक्ष महोदय बड़ी मुश्किल से समय दे पाते हैं इसलिए मैं अब और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरे मन में जो बातें सर्वाधिक महत्व की थी वे मैं कह चुका हूं तथा आशा करता हूं कि मेरे मित्र उन पर ध्यान देंगे। वे इन समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकते है अथवा हम विस्फोटक स्थिति में हैं। आम आदमी को हमारे प्रधानमन्त्री से बहुत आशाएं हैं। गरीबों के लिए आप ही एकमात्र आशा की किरण हैं। यदि आम आदमी हताश और निराश हो गया तो सब कुछ

बिगड़ जायेगा और हममें से प्रत्येक को चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी या किसी अन्य मत का हो – बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं इस सभा के बाहर क्या हो रहा है उन सब बातों के बारे में कहता हूं, मैं यहां बैठे हुए लोगों के बारे में कुछ नहीं कहता। बम्बई में हड़ताल की असफलता अकारण ही नहीं है, बंगलोर में भी पड़ताल बिना किसी कारण से असफल नहीं रही है। ऐसा हमारी लोकप्रियता के कारण नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि लोगों का नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। उनका केवल एक ही नेता पर विश्वास है अर्थात श्रीमती इन्दिरा गांधी। इस पर भी यदि आशाओं पर तुषारापात होता है तो यह बहुत बुरी बात होगी। हमारा देश ज्वालामुखी की भांति किसी भी समय भड़क सकता है और स्थिति बदतर हो सकती है। मैं नहीं जानता तब क्या होगा।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खडवा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया है और जो इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष बनाने का जो नारा दिया है उसी के संदर्भ में हमारे वित्त मन्त्री जी कर प्रस्ताव लाये हैं। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। वे बहुत ही औचित्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रस्ताव हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं।

इसमें कतई संदेह नहीं है कि बिना उत्पादन में वृद्धि के, बिना बचत को बढ़ाए, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। परन्तु हम देखते हैं कि न केवल देश में बल्कि सारे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में मुद्रास्फीति एक ऐसी चीज बन गया है जिसे कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि उसके देश में मुद्रास्फिति नहीं है, मंहगाई नहीं है। परन्तु हमें खुशी है कि हमारी प्रधान मन्त्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने साहस के साथ इस सम्बन्ध में सरकार को एक दिशा दी है और कीमतों को रोकने के लिए साहसिक कदम उठाये हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

मैं केवल कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। यह जो वित्त विधेयक में बीस हजार तक वेतन पाने वालों के लिए मानक कटौती में वृद्धि की गयी है तथा प्राविडेंट फण्ड की जमा योजना के माध्यम से बचत करने वालों को दी जाने वाली कटौती में वृद्धि की गयी है इस से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत लाभ होगा।

इसी प्रकार से स्व-नियोक्ताओं के लिए मकान किराए सम्बन्धी कटौती और स्वतः निवास करने वालों के लिए कटौती की दर में वृद्धि करने से मध्यम वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बचत में भी वृद्धि होगी। इस से हमारे देश में आवास की समस्या का समाधान भी एक अच्छे ढंग से निकल सकेगा।

विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय की सीमा पांच हजार से बढ़ा कर सात हजार रुपये कर दी गयी है। इस से विनियोगों के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ेगा और इस से बचत को

[श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर]

प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों में उत्सुकता जागेगी। इसके लिए मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

धनकर में निर्दिष्ट कर मुक्त सम्पत्तियों की सीमा 15000 रुपये कर दी गई है। यह प्रशंसनीय है।

उत्पादकता वृद्धि के संदर्भ में व्यापारिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मिलने वाले विनियोग भत्ते की अवधि सीमा में पांच वर्ष की वृद्धि की गई है जिससे आधुनिक यंत्र-संयत्रों की स्थापना से बढ़िया किस्म की वस्तुएं अधिक मात्रा में और कम लागत में निर्मित किए जाने में सहायता मिलेगी। इससे इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट में काफी मदद मिलेगी। इस रूप में यह कर प्रस्ताव प्रशंसनीय है।

निर्धारित प्रकार का माल उत्पादन करने वाली कम्पनियों में विनियोग पर मिलने वाले लाभांश पर कर मुक्ति के आधार का विस्तार भी कम्पनियों में विनियोग की प्रवृति को प्रोत्साहित करेगा।

इसी प्रकार धन कर अधिनियम में निजी व्यवसाय या उद्योग में काम आने वाले ओजारों पर कर मुक्ति की सीमा में वृद्धि का भी मुक्त कंठ से स्वागत किया जाना चाहिए।

परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि एक मौका हमारे वित्त मन्त्री ने खो दिया है। बहुत वर्ष से करदाताओं की शिकायत रही है, चाहे वे मध्यम वर्ग के हों, उच्च वर्ग के हों, कमजोर वर्ग के हों, जो भी इनकम टैक्स देता है उसकी हमेशा शिकायत रही है कि करो का सरलीकरण होना आवश्यक है। साथ ही साथ उनका राशनलाइजेशन होना भी बहुत आवश्यक है। कई फार्म्ज हैं जिन को भरना पड़ता है। बिना वकील की मदद के करदाता हिम्मत नहीं कर सकता है इनको भर कर देने की। वह रिटर्न खुद उनको भर कर फाइल नहीं कर सकता है। इससे ईमानदार आदमी जो सही रूप में टैक्स देना चाहता है उसको भी गलत ढंग से टैक्स बचाने के चक्कर में फसना पड़ता है और विभाग को भी कम आमदनी होती है। ये जो विसंगतियां हैं, कठिनाइयां हैं इनको दूर करने का एक सुनहरा मौका इस साल वित्त मन्त्री जी ने खो दिया है। मैं आशा करता हूं कि अगले साल जब फाइनेंस बिल आएगा तब उस में इस सम्बन्ध में जरूर कदम उठाए जाएंगे।

डायरेक्ट टैक्सिस भी काफी पेचीदा हैं। उनकी व्याख्या करने में न्यायालयों तक को काफी माथा पच्ची करनी पड़ती है। एक-एक बात के अलग अलग अर्थ निकाल लिए जाते हैं। स्पष्टता न होने के कारण कर दाताओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे जहां एक

और शासन को रेवेन्यू का लास होता है, शासन को कर प्राप्त करने में देरी होती है वहां दूसरी ओर कर दाताओं को भी काफी उलझन का सामना करना पड़ता है। कर चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्यक्ष करों की जो व्याख्यायें हैं, जो हमारे नियम हैं वे भी स्पष्ट होने चाहिए, उन में जो असंगतियां है उनको दूर किया जाना चहिए।

प्रो० कालाडोर से ले कर आज तक जितने भी इकनोमिस्ट हुए हैं सब ने मांग की है कि करों की जो उच्चतम दरें हैं उनको नीचे लाया जाना चाहिए। आदमी पैसा कमाता है और जब करों की ऊ ची दरें होती हैं तो मानव स्वभाव है उच कर चोरी की भावना जागती है। इससे हमारा जो लक्ष्य अधिक से अधिक कर प्राप्त करने का होता है, वह प्राप्त नहीं होता है। प्रो० कालडोर ने सिफारिश की थी कि उच्चतम करों की दर 45 प्रतिशत होनी चाहिए। और भी देश के इकोनोमिस्टों ने इस ओर समय समय पर इशारा किया है। वित्त मन्त्री ने कहा है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में कराधान को मुद्रास्फीति की दर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। करों की चोरी के कारण काले धन का निर्माण होता है। इस कारण से हमारे देश में पैरेलल इकोनोमी बनती चली जा रही है, ब्लैकमनी सुरसा की तरह हमारे देश में बढ़ती जा रही है। इसको आप चैक नहीं कर पाएंगे। ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदारी से कर देना चाहता है जहां एक ओर उसको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे और दूसरी ओर ब्लैक मनी को चैक नहीं करेंगे तो जो हमारी अर्थ-व्यवस्था है उस में काफी गड़बड़ी होती जाएगी।

एक ओर उच्च आय वाला जो व्यक्ति है, वह उच्चतम करों को नीचे लाने की मांग करता है, दसरो ओर कम आय वाला वह जो अधिकतम कर मुक्त आय की सीमा है, उसको अधिक करने की हमेशा बात करता है लेकिन दूसरी ओर जो बीच का मध्यम वर्ग है वह पिसता रहता है।

मध्यम वर्ग को हम जो राहत देना चाहते थे उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। उसको अपना स्टेटस मेन्टेन रखने के लिए, समाज में अपनी स्पेशल स्टेटस बनाये रखने के लिए कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं। उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ है, और अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। सबसे ज्यादा कष्ट में वेतन भोगी हैं, जो कर्मचारी हैं। क्योंकि डाक्टर, वकील, इन्जीनियर, चार्टर्ड अकाउन्टेंट की काम करने की क्षमता निश्चित नहीं है जिस प्रकार से वेतन भोगियों की है। वेतन भोगी तो 58 साल पर रिटायर हो जाता है लेकिन डाक्टर, इन्जीनियर चार्टर्ड अकाउटेंट तब तक काम करते चले जाते हैं जब तक उनमें शारीरिक शक्ति रहती है। इस रूप में जो समाज में सभी लोगों को हम देना चाहते हैं उससे वेतन भोगी वंचित रह जाते हैं। इसलिए उन्हें हमें कर प्रस्तावों से और मुक्त करना चाहिए।

[श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर]

पिछले वर्ष के जो हमारे कर प्रस्ताव थे उनमें अधिकतम कर मुक्त आय की सीमा 12,000 रु० से बढ़ाकर 15,000 रु० कर दी थी। परन्तु दूसरी ओर 15,000 रु० से अधिक आय वाले व्यक्ति के लिए कर की सीमान्त दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया। इसी प्रकार 15,000 से 20,000 रु० के बीच में टैक्सेबिल इन्कम को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया। 20,000 से 25,000 रु० तक की आय वालों के लिए कर की दर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी। इस प्रकार 1,800 से 3,300 रु० के बीच में जो लोग वेतन पाते थे उन पर ज्यादा कर भार पड़ गया। इस विसंगति का मंत्री जी को समाधान करना चाहिए और अपने उत्तर में कुछ कंसेशन्स दें।

करों की वर्तमान दरें 50,000 रु० आय वाले व्यक्ति के लिए बोझिल हैं, जब कि उससे ऊपर आमदनी वाले लोगों के लिए कर के रेट्स कम हैं। इसलिए ऊंची आमदनी वालों के लिए जो कम स्लैब है उसी प्रकार कम आय वालों के लिए भी स्लैब होना चाहिए।

प्रत्यक्ष कर में वेतन भोगी की स्थिति अच्छी नहीं है। वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं, जब वह रिटायर होता है और यदि प्रोवीडेंट फंड का सदस्य है तो उसकी जमा राशि का मूल्य मुद्रास्फीति के कारण गिर जाता है और दसवां हिस्सा भी उसको नहीं मिलता है। यदि वह पेंशन पाता है तो पूरी सर्विस के बाद जो पेंशन मिलती है महगाई के कारण बहुत थोड़ा सा अमाउन्ट आता है, जिसकी कल्पना वह जीवन भर करता रहता है, परन्तु जो उसको मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। यदि ग्रेचुटी मिलती है तो उसकी सीमा 30,000 रु० तक रखी है। पिछले 20 साल में ग्रेचुटी के लिए दो बार परिवर्तन किये गये हैं। इसलिए वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये ग्रेचुटी की सीमा को 30,000 रु० से बढ़ाकर और अधिक करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक-दो मिनट और ले सकते हैं। आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में एक अवसर वित्त मन्त्री जी को मिला था। मैं चाहता हूं ऐसे अवसर पर जब हम उत्पादकता वर्ष इसको मनाने जा रहे है और तेजी से देश की उन्नति करना चाहते हैं जो मैंने सुझाव दिये है वेतन भोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में आशा है उन पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को कि रासायनिक खादों व दवाइयों को करमुक्त रखा गया है।

साथ ही साथ वी० डी० ओ० सैट्स पर उत्पादन शुल्क में जो वृद्धि की है वह सराहनीय

है, क्योंकि वी० डी० ओ० वहीं खरीद सकते हैं जिनके पास काफी पैसा है। इसमें जो आपने वृद्धि की है, उसको मैं ठीक मानता हूं।

हमारे देश में इलैक्ट्रानिक उद्योग को संरक्षण देने की बहुत आवश्यकता थी। आपने आयात कर में जो वृद्धि की है, मैं समझता हूं कि इससे देश के इलैक्ट्रानिक उद्योग को काफी राहत मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे देश के लोग जो इलैक्ट्रानिक्स की चीजें चाहते हैं, वह हमारे देश में ही मिलेंगी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

उत्पादन सम्बन्धी अन्य प्रस्तावित शुल्क भी कुल मिलाकर उत्पादकता वर्ष के लक्ष्यों एवं बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दिशा में सही कदम है।

प्रत्यक्ष-कर कानूनों के समान ही अप्रत्यक्ष कर कानून भी काफी विस्तृत और पेचीदा हैं। इनमें सरलीकरण और सुधार की बड़ी आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष करों की वसूली को अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए।

आज हम देखते हैं, पिछले सैशन में भी प्रश्न पूछे गए और इस सत्र में भी प्रश्न पूछे गए तो बताया गया कि फिल्मी कलाकारों पर करोड़ों रुपया बकाया है। दूसरे जो टैक्स-पेयर हैं, उन पर भी करोड़ों रुपया बकाया है।

स्पेशल बियरर-वाइंज सम्बन्धी याचिका पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह कहा था—कि यदि सरकार गिने-चुने मामलों में ही आयकर कानून के दंडात्मक प्रावधानों को कड़ाई से लागू करे तो काले धन की समस्या बहुत हद तक सुलझाई जा सकती है।

आजकल जो जमीनों के ट्रान्सफर होते हैं, उनकी बहुत कम कीमतों पर रजिस्ट्री होती है और उसमें काफी घपला होता है और काफी काला-धन इन्वैस्ट होता है। उससे एक आम आदमी, जो शहर में मकान बनाना चाहता है, या प्लाट खरीदना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। काले-धन के कारण एक मध्यम वर्ग के आदमी के लिए अपने खुद के लिए मकान बनाने या प्लाट लेने या स्थायी सम्पत्ति बनाने के लिए कीमत देने की उसकी क्षमता में ह्रास होता जा रहा है।

इसलिए निवेदन है कि कुछ क्षेत्रों में यदि कड़ाई के साथ कदम उठाए जायें, स्मगलिंग और ब्लैकमनी को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, तो आने वाले वित्त वर्ष में जो प्रस्ताव होंगे उसमें आप स्वयं ही सक्षम होंगे कि करों की दरें नीचे लायें।

विदेशों में जो हमारे हिन्दुस्तान के लोग हैं, उनके विदेशों में पड़े धन को भी हिन्दुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए कर प्रस्ताव को कुछ सरल करना चाहिए ताकि उनका इन्वेस्टमैंट हमारे

[श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर]

देश में हो जिसमे वह पैसा हमारे देश के उद्योगों में लग सके दूसरी योजनाओं में लग सके जिससे उनकी आय भी बढ़ सकेगी और हमारे देश को भी उसका फायदा मिल सकेगा।

हमारे वित्त मन्त्री श्री पुजारी जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर तो हम गरीब आदमियों को उठाने की बात करते हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक को-आपरेटिव शुगर फैक्टरी बनाई गई थी, और उसका शेयर खरीदने के लिए जितने भी कमर्शियल बैंक के मैनेजर थे, सबकी मीटिंग बुलाई थी, उनसे कहा गया था कि जो डिफाल्टर्स हैं, जिनको को-आपरेटिव बैंक फाइनेन्स नहीं करता, लैंड मार्टगेज बैंक फाइनेन्स नहीं करता, उनकी सारी गारन्टी हम लेते हैं, हम जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उसकी पर्सनल गारन्टी लेना चाहते हैं, मुझे दुःख होता है कि हमारे देश के कमर्शिल बैंक के मैनेजर्स ने ऐसे नियम बनाये हैं कि उनको फाइनेन्स हो ही नहीं सकता। हमने कहा कि जो शुगर को-आपरेटिव फैक्टरी का शेयर खरीद रहा है, उसके हाथ में पैसा नहीं जा रहा है, बल्कि वह 300 रुपये अपनी जेब से डिपाजिट कर रहा है, आपको केवल 700 रुपये फाइनेन्स करना है, पूरी सिक्योरिटी हमारी है, को-आपरेटिव शुगर फैक्टरी की सिक्योरिटी है, लेकिन वह 7 0 रुपये की रकम भी गरीब किसान के लिए फाइनेन्स नहीं कर सकते। माननीय मन्त्री जी इस बात को नोट करें और इस पर ध्यान दें ताकि हमारे जो को-आपरेटिव शुगर फैक्टरी के शेयर किसान खरीदना चाहते हैं, वह खरीद सकें।

वैल्थ टैक्स की जो दरें हैं, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि उसको भी कुछ बढ़ाया जाना चाहिए। आज सम्पत्ति की कीमत बढ़ती जा रही है, एक मकान की कीमत आज से कुछ साल पहले 40 हजार थी आज वह एक लाख हो गई है। जिसकी सीमित स्थायी सम्पत्ति है, उसकी वैल्थ टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाये। यदि मध्यम वर्ग का आदमी जो अपने पूरे जीवन की कमाई करके मकान बनाता है, जब वह बूढ़ा हो जाएगा, पेंशन पाने लगेगा और आपने वैल्थ टैक्स उस पर लगाया तो ऐसा न हो कि उसको वैल्थ टैक्स भरने के लिए अपना मकान बेचना पड़े, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

मेरे पूर्ववर्ती सदस्यों ने क्रेडिट स्क्वीज की बात कही है। मैं भी कहना चाहता हूं कि जहां तक होर्डर्ज या जमाखोरों का प्रश्न है, उनको भले ही आप क्रेडिट न दें, किन्तु गेहूं के साथ कभी-कभी घुन भी पिस जाता है। हमारों यहां एक कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, जिसमें किसान काटन लाकर पूल करते थे और 80 परसेन्ट उनको मिलता था। परन्तु इस पालिसी के कारण उनकी क्रेडिट लिमिट को विदड्रा कर लिया गया है। वहां के किसान कोई बहुत बड़े पूंजीपति नहीं हैं, होर्डर्ज नहीं हैं। परन्तु उन्हें जो फायदा पहले मिलता था, वह नहीं मिल पा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में भी सोचें।

सिविल सप्लाईज मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि

पहले कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज को लेवी सीमेंट दिया जाता था। परन्तु जो नई कैटेगरी बनाई गई है, उसमें उन्हें नहीं रखा गया है। मैं मानता हूं कि यदि किसी कोआपरेटिव कनज्यूमर्ज स्टोर या कोआपरेटिव बैंक को बिल्डिंग बनानी हो, को सरकार उसे भले ही सीमेंट न दे। लेकिन यदि कोआपरेटिव शूगर मिल को सीमेंट नहीं दिया जाएगा, जिसके मालिक जिले के पांच-छः हजार किसान हैं, तो उसका भार गरीब किसानों पर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें फैक्टरी बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट दिया जाए।

मुझे विश्वास है कि हमारे लायक मिनिस्टर्ज, श्री प्रणव मुकर्जी, श्री सिसोदिया और श्री पुजारी, बहुत कुशलता और योग्यता के साथ काम करते रहेंगे और इन कर-प्रस्तावों में जो विसंगतियां है, उन्हें दूर करेंगे और हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, देश को उनकी ओर ले जाएंगे।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, जो फिनांस बिल माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, श्री सिसोदिया और श्री पुजारी ने सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इन कर प्रस्तावों से देश की अर्थ-व्यवस्था और आम जनता को बहुत फायदा होगा।

गांवों में रहने वाले गरीब लोग अगर बचत करेंगे, तो बचत खाते में उनका 5,000 रुपया दस साल में 15,000 रुपया हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें। सभा कल प्रातः ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 अप्रैल, 1982/3 वैशाख, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

6.08 P.M.

मुद्रक : आकाश दीप प्रिंटर्स 20 दरियागंज नई दिल्ली-2